त्रयोदश माला, खंड 2, अंक 2

मंगलवार, 30 नवम्बर, 1999
9 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

LIAMENT LIBRARY

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)
अंक 2, मंगलवार, 30 नवम्बर, 1999/9 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या	22 से 26 और 28	1-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	21, 27 और 29 से 40	33-59
अतारांकित प्रश्न संख्या	231 से 410	59-300
सभा पटल पर रखे गए पत्र		300-306
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		306
समितियों के लिए निर्वाचन		307-312
(1) प्राक्कलन समिति		307
(2) लोक लेखा समिति		307-308
(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		308-309
(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		309
(5) चाय बोर्ड		310
(6) रबड़ बोर्ड		310
(7) मसाला बोर्ड		311
(8) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण		311
(9) प्रसवपूर्व निदान तकनीक हेतु केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड		312
(10) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान की शासी परिषद्		312
नियम 377 के अधीन मामले		346-351
(एक) गन्ना उत्पादकों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की समस्याओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता		
योगी आदित्यनाथ		346-347
(दो) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंदगी रेलवे स्टेशन पर संगम एक्सप्रेस चौरा–चौरी एक्सप्रेस के हाल्ट बनाए जाने की आवश्यकता		
डा. अशोक पटेल		347
(तीन) मुम्बई में पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता		
श्री किरीट सोमैया		347-348
(चार) बिहार में बेगूसराय संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में करौता तथा डेढगांव में रेल लाइन पर रेल गाड़ियों का हाल्ट बनाए जाने की आवश्यकता		
श्री राजो सिंह		348
(पांच) रेल भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए कदम उठाने और इसके समुचित उपयोग हेतु योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता		
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार		349

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(छह) पेरियार बांध की भण्डारण क्षमता को 152 फुट तक बढ़ाने हेतु केरल सरकार को सलाह दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी. टी. वी. दिनकरन 349

(सात) बिहार के भोजपुर जिले में आरा में रसोई गैस का अतिरिक्त बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह 349-350

(आठ) देश में वन क्षेत्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 350

(नौ) लोक सभा, विधान सभाओं और स्थानीय निकायों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय गोयल 350-351

(दस) वर्ष 2001 की जनगणना के संबंध में श्वेत पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 351

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक

पुरः स्थापित 351-353

(एक) **प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक**

और

(दो) **प्रतिभूति विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक** 353-391

विचार करने के लिए प्रस्ताव 356

श्री यशवन्त सिन्हा 353-355, 375-389

श्री जे. एस. बराड़ 355-359

श्री किरीट सौमैया 359-364

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन 364-367

श्री वरकला राधाकृष्णन 367-370

श्री रूपचन्द पाल 370-375

(एक) **प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक**

खण्ड 2 से 11 और 1 389-391

पारित करने के लिए प्रस्ताव 391

(दो) **प्रतिभूति विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक**

खण्ड 2 से 16 और 1 391

पारित करने के लिए प्रस्ताव 391

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारण विधेयक के बारे में 392-396

श्री बसुदेव आचार्य 392-393, 394-395

श्री रूपचन्द पाल 393-394

श्री सोमनाथ चटर्जी 395-396

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारण विधेयक 397-410

विचार करने के लिए प्रस्ताव 397

श्री यशवन्त सिन्हा 397-398

संशोधन 398-400

श्री किरीट सोमैया 400-409

श्रीमती गीता मुखर्जी 409-410

कार्य मंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन 412

लोक सभा

मंगलवार, 30 नवम्बर, 1999/9 अग्रहायण 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

प्रसार भारती/आकाशवाणी की लेखा परीक्षा

+

22. **श्री नरेश पुगलिया :**

श्री अधीर चौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अक्तूबर, 1999 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'सी.ए.जी. रिफ्यूजेज टु ऑडिट प्रसार भारती शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन दूरदर्शन निर्माताओं/धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कार्यवाही करने की सिफारिश की है;

(घ) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आकाशवाणी/प्रसार भारती की लेखा परीक्षा करने से इन्कार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष प्रसार भारती के लेखों की लेखा-परीक्षा करते हैं। 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक ने धारावाहिक 'श्रीकृष्णा' से संबंधित मामले, की लेखा-परीक्षा की थी तथा यह कहा था कि धारावाहिक के प्रसारण समय को 30 मिनट से बढ़ाकर 45 मिनट किया गया था जबकि प्रसारण शुल्क और निःशुल्क वाणिज्यिक समय को दोगुना कर दिया गया था। चूंकि निःशुल्क वाणिज्यिक समय से निर्माता को काफी अधिक आय प्राप्त हुई इसलिए इससे दूरदर्शन को राजस्व की हानि हुई। तथापि, दूरदर्शन के अधिकारियों का यह मत था कि इससे कोई हानि नहीं हुई क्योंकि कार्यक्रम के समय को 30 मिनट से 45 मिनट तक बढ़ाते समय प्रसारण शुल्क को दोगुना कर दिया था जबकि निःशुल्क वाणिज्यिक समय को उसी अनुपात में 120 सैकण्ड से बढ़ाकर 240 सैकण्ड किया गया था। दूरदर्शन ने इस आधार पर प्रति प्रकरण 10.14 लाख रुपये के हिसाब से 15 प्रकरणों का राजस्व प्राप्त किया। तथापि, 14.1.1996 से एक वैकल्पिक प्रणाली लागू की गई थी जिसमें समय में 30 मिनट से 45 मिनट तक की बढोतरी के लिए प्रसारण शुल्क को 3 लाख से डेढ़ गुणा बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया था और निःशुल्क वाणिज्यिक समय को 120 सैकण्ड से 180 सैकण्ड तक बढ़ा दिया गया था। इस आधार पर राजस्व में 15 प्रकरणों के लिए वास्तव में 7.11 लाख रुपये प्रति प्रकरण की कमी आई। दूरदर्शन के विचार से वास्तव में इससे राजस्व की हानि प्रदर्शित नहीं होती।

प्रसार भारती बोर्ड ने कुछ मामलों, जिनमें धारावाहिक 'श्रीकृष्णा' का मामला भी शामिल था, की जांच करने के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ श्री अरूण अग्रवाल को नियुक्त किया था। श्री अग्रवाल द्वारा अप्रैल, 1999 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर बोर्ड ने जून, 1999 में विचार किया था और बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि सरकार अन्य मामलो के साथ-साथ 'श्रीकृष्णा' के बारे में एक त्वरित विशेष लेख-परीक्षा करने के लिए नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक से अनुरोध कर सकती है। मुख्य कार्य अधिकारी, प्रसार भारती से पत्र प्राप्त होने पर तद्नुसार अगस्त, 1999 में नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक से इन दो मामलों में एक विशेष लेखा-परीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक ने 27 सितम्बर, 1999 को सलाह दी कि उनकी संस्था द्वारा 'श्रीकृष्णा' से संबंधित मामले की पहले ही लेखा-परीक्षा कर ली गई थी और 1997 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी, इसलिए नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक ने कहा कि इस मामले में दोबारा लेखा-परीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, नियत्रक एव महालेखा-परीक्षक को संदर्भित सभी अन्य मामलों की उनके द्वारा लेखा-परीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, प्रसार भारती और ए.आई. आर. के बारे में सी.ए.जी. की जो काफी गंभीर रिपोर्ट आई है, मिनिस्टरी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। इसमें सी.ए.जी. ने दो महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है। एक, जो इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कई जगह सब-स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स खरीदे गये हैं। दूसरा, टी.वी. सीरियल्स के मामले में है कि

इन्हें गंभीरता से न देखते हुए कई सीरियल्स को फेवर किया गया है और इस कारण से 117 करोड़ का घाटा मिनिस्टरी को हुआ है। देश के अंदर जो इक्विपमेंट्स दूरदर्शन के लिए खरीदे जाते हैं और विशेषकर ट्राईबल्स और पहाड़ी एरियाज के लिए, मैं उनके बारे में आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। एक तो फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के कारण उन्हें जगह नहीं मिलती उस पर ये इक्विपमेंट्स पहले ही खरीद लिए जाते हैं। मैं ट्राईबल एरिया से आता हूं। वहां इक्विपमेंट्स तो खरीद लिए गये है लेकिन भामरागढ़ एक जिला है महाराष्ट्र का, उसमें फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के कारण दो साल से छह हजार स्कवेयर फीट ज़गह नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री नरेश पुगलिया : प्रश्न पूछने से पहले मंत्री महोदय के नये होने की वजह से भूमिका बतानी जरूरी है। हमारे मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील रह चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जिस दूरदर्शन का नेटवर्क श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में फैला और दूरदर्शन और ए.आई.आर. के माध्यम से जनता को खबरें दी जाती हैं, आज उसका स्टैंडर्ड का गिरता जा रहा है। प्रसार भारती और ए. आई.आर. के बारे सी.ए.जी. ने जो अपनी रिपोर्ट में टिप्पणियां की हैं और जो एक सीरियल के बारे में नहीं कई सीरियल्स के बारे में हैं, मंत्री जी उसकी जानकारी क्या सदन को देंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें, तो आप मंत्री महोदय को अपने आदिवासी क्षेत्र में भी ले जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अरूण जेटली : मैं पुगलिया जी का आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रश्न पूछा। जहां तक इक्विपमेंट्स की खरीदारी का प्रश्न है, हालांकि वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन सी.ए.जी. या किसी अन्य एजेंसी ने इक्विपमेंट्स की खरीदारी के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जहां तक सीरियल्स का संबंध है सी.ए.जी. ने कई सीरियल्स के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है। जिस न्यूज आइटम का आपने जिक्र किया है उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके अतिरिक्त सात सीरियल्स और हैं जिनके बारे में सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट दी है।

सी.ए.जी. का यह कहना है कि आपके रेट कार्ड में जो रेट हैं जिस वक्त दूरदर्शन उन रेट काड्र्स के अनुसार कार्यक्रम देता था, आठ केसिज ऐसे हुए हैं जबकि उस रेट का उल्लंघन हुआ है, उसके संबंध मे दूरदर्शन ने मंत्रालय के माध्यम से सी.ए.जी. को अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजी है। उसमें यह कहा गया है कि जिस वक्त सीरियल या कार्यक्रम तय होते हैं, कई बार मार्किट कंडिशन, कामर्शियल वाइएबिलिटी और एजुकेशनल वैल्यू को देखते वक्त उनको उस रेट कार्ड से डिविएट करना पड़ता है। उन्होंने केवल एक कार्यक्रम के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजी है। माननीय सदस्य ने रिपोर्ट के संबंध में विशेष प्रश्न किया है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इसके पश्चात प्रसार भारती ने स्वयं एक निजी विशेषज्ञ के माध्यम से इसकी जांच करवायी। उस जांच की रिपोर्ट भी सी.ए.जी. की जांच रिपोर्ट से कुछ आगे गई। उन दोनों जांच को वापस सी.ए.जी. के पास भेजा गया कि इसका स्पेशल ऑडिट करवाया जाए। सितम्बर महीने में सी.ए.जी. ने यह कहा कि हम ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुके हैं और स्पेशल ऑडिट की आवश्यकता नहीं है वह मामला अब दोबारा प्रसार भारती बोर्ड के सामने है कि वह उस पर आगे क्या कार्रवाई करेगा।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में जो फाइडिंग्स दी हैं, उसके बाद मंत्रालय या प्रसार भारती को क्यों इस बात की आवश्यकता पड़ी कि प्राइवेट एजेंसी और प्राइवेट कंसलटैंट से इसकी दोबारा जांच करवायी जाए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और आपका मंत्रालय सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर भरोसा करता है या प्राइवेट रिपोर्ट पर ? मंत्री जी इस बात की जानकारी इस सदन को देने की कृपा करें।

श्री अरूण जेटली : अध्यक्ष महोदय, शायद मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि एक प्राइवेट विशेषज्ञ से उसकी जांच करवाने का निर्णय प्रसार भारती के बोर्ड ने किया। उस प्राइवेट विशेषज्ञ की जो जांच रिपोर्ट थी, वह सी.ए.जी. की रिपोर्ट के खिलाफ नहीं थी। उसने दो बातें और अधिक कहीं जो सी.ए.जी. ने नहीं कही थी। इसलिए उस प्राइवेट विशेषज्ञ को इन्गेज करके प्रसार भारती बोर्ड ने सी.ए.जी. की रिपोर्ट के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास नहीं किया था। उसने दो बातें और अधिक कही थीं। उन दोनों रिपोर्टों को लेकर जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट है, उसमें पहले प्रसार भारती ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनायी थी जो मंत्रालय ने सी. ए.जी. को भेजी थी। उसमें मूल रूप से यह कहा गया था कि जो कार्यक्रम रेट कार्ड से डिविएट किए गए, वह वहां के कामर्शियल जजमेंट के बेसिस पर किए गए। उसकी दृष्टि से कोई आर्थिक नुकसान दूरदर्शन को नहीं हुआ क्योंकि आंकड़े यह बताते थे कि सी.ए.जी. ने जो सिफारिश दी कि एक कार्यक्रम को फ्री कामर्शियल टाइम अधिक दिया गया, दोनों सैट्स ऑफ फीगर्स दे दिये गए थे। मैंने अपने जवाब में वे फीगर्स दी हैं। पहले प्रोसैस में शायद दूरदर्शन को अधिक पैसा मिल रहा था और बाद में कम मिला, वह रीअल लॉस नहीं था। इसलिए आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। वह जब सी.ए.जी. को भेजा गया तो निजी विशेषज्ञ द्वारा विशेष जांच हुई, वह भी भेजी गई तो उस समय सी.ए.जी. ने कहा कि हमें इस पर और कुछ नहीं कहना है, हम अपनी पहले ही ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हैं, हम इसमें स्पैशल ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं समझते। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि क्या वह ऑडिट नहीं करेंगे ? मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि केवल एक कार्यक्रम के सम्बन्ध में उन्होंने यह स्टैंड लिया है। बाकी सब रिक्वैस्ट्स उन्हें भेजी गई हैं। सी. ए.जी. उन्हें ऑडिट कर रहा है।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न था कि प्राइवेट कंसलटैंट क्यों नियुक्त करते हैं ? यह एक गम्भीर बात है। भ्रष्टाचारियों को दबाने और मदद करने के लिए आपने प्राइवेट कंसलटैंट एप्वायंट किया। इस बारे में मंत्री महोदय खुलासा करें।

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदय, यह प्राइवेट कंसलटैंट प्रसार भारती बोर्ड ने इन्गेज किया। उनके सामने अन्य तथ्य आये थे। उसके आधार पर यह किया।

श्री नरेश पुगलिया : ऐसा क्यों किया और उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, सी.ए.जी. एक अत्याधिक विश्वसनीय संस्था है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे दोनों रिपोर्टों को सभा पटल पर रखें ताकि सभा को यह जानकारी मिल सके कि सी.ए.जी. ने क्या कहा है तथा प्राइवेट जासूसों का क्या मत है और हम उनकी तुलना कर सकते हैं।

श्री अरुण जेटली : श्री पायलट, मैं यह आश्वासन देता हूं कि मुझे उन्हें सभा पटल पर रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। परंतु, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यह एक ऐसे कार्यक्रम से संबंधित है, जहां दूरदर्शन 1995 तथा 1996 के आरंभ में सरकार के एक विभाग के रूप में कार्यक्रमों का संचालन कर रहा था। ..... *(व्यवधान)* दोनों ही रिपोर्टें इसी बात को इंगित करती हैं। मुझे सभा पटल पर उन्हें रखने में बिल्कुल झिझक नहीं है। उन्हें सभा के समक्ष रखा जाएगा।

श्री अधीर चौधरी : हमें मालूम है कि अपने पूर्ववर्ती श्री प्रमोद महाजन की अपेक्षा नये सूचना और प्रसारण मंत्री एक अति उत्साही वकील हैं जिन्होंने अयुक्तिसंगत तरीके से तर्क प्रस्तुत किया था।

अध्यक्ष महोदय : अब, वे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं कृपया यह बात समझिए।

श्री अधीर चौधरी : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में उनका क्या विचार है। जबकि हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सम्मान हमारे लोकतंत्र के रक्षक के रूप में करते हैं, इसे भ्रष्टाचार के आगार में बदल दिया गया है जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जांच परिणाम से स्पष्ट होता है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ने सभी स्थापित मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए प्रायोजकों तथा निर्माताओं को अनुचित लाभ प्रदान कर 117.42 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाया।

श्री अरुण जेटली : मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि सी.ए.जी. ने पूर्व के आठ कार्यक्रमों के संबंध में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। उन सभी आठ कार्यक्रमों के संबंध में दूरदर्शन की की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दी है। दूरदर्शन तथा प्रसार भारती का यह मत रहा है कि अनेक मामलों में भूलें हुई हैं और भूलों के संबंध में यह आपत्तियां उठायी गईं कि ये भूलें कुछ कार्यक्रमों को प्रसारित करने की व्यापारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं के मद्देनजर हुईं। जबकि दूरदर्शन के लिए उनका प्रसारण व्यापारिक रूप से अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होता था। इसी कारण से भूलें हुईं। उन आधारों पर, की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्टें वापस भेज दी गई हैं।

भ्रष्टाचार के संबंध में, जब भी उन मामलों को ध्यान में लाया गया है, उन पर कार्यवाही की गई है और आज भी इसमें शामिल कुछ अधिकारियों के संबंध में, सी.बी.आई. पहले से मामले में कार्यवाही कर रही है।

श्री अधीर चौधरी : माननीय मंत्री महोदय, ऐसे कितने उदाहरण हैं जब दूरदर्शन और आपके मंत्रालय ने आपकी कृपा से बकाया रकम की वसूली नहीं की है ? ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप वह जानकारी माननीय सदस्य को भेज सकते हैं।

श्री अरुण जेटली : मैं वह जानकारी भेज दूंगा। मेरे पास जानकारी उपलब्ध है। मेरे पास विस्तृत सूची है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी भेज सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा और यदि अग्रवाल रिपोर्ट और सी.ए.जी. रिपोर्ट एक सी है तो अग्रवाल रिपोर्ट ने क्या रिकमैंडेशन्स दी हैं और उन पर क्या एक्शन लिया गया है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के निर्माताओं को मिनिमम गारंटी देने का वायदा करते हैं और फिर निभाते नहीं हैं तो इस प्रकार प्रसार भारती के कितने बैड एंड डाउटफुल डैट्स हैं ?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदय, जब अग्रवाल रिपोर्ट आई थी तो उसे सी.ए..जी. के पास भेजा गया था। चूंकि उस रिपोर्ट में कुछ अधिक बातें की गई थीं, इसलिये सी.ए.जी. ने उस पर अपना स्पेशल ऑडिट करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आलरेडी ऑडिट कर चुके हैं। सी.ए.जी. का जवाब आया कि वह रिपोर्ट प्रसार भारती बोर्ड के समक्ष है कि उसमें क्या कार्यवाही करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट में आगे जाकर यह कहा गया था कि उस कार्यक्रम में फ्री कामर्शियल टाइम क्यों दिया गया है। रिपोर्ट की दूसरी रिकमैंडेशन यह थी कि उसके जवाब में उस कार्यक्रम को मैट्रो चैनल से हटाकर डीडी-1 पर लिया गया और उसके लाभ दिया है। इस प्रकार प्रसार भारती बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट और सुझाव हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने बैड डैट्स और ड्यूज़ के संबंध में कहा है। मेरा कहना है कि इस वर्ष पहली अप्रैल में टोटल ड्यूज़ 195 करोड़ 94 लाख रुपये थे जो दूरदर्शन को आने थे। इसके बाद एक नीति बनाई गई कि जो डिफाल्टर्स हैं, आगे उन्हें नये कार्यक्रम नहीं दिये जायें लेकिन उनसे कैश बेसिस पर पेमेंट ली जाये जिनके कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं। इस प्रकार वे ड्यूज़ आज कम होकर

103 करोड़ रुपये आ गये हैं। जिन कम्पनियों के ड्यूज़ हैं, उन्हें रिकवर करने के लिए कानूनी कार्यवाही चल रही है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धारावाहिकों को अनुमोदन प्रदान करने की सामान्य प्रक्रियाएं क्या है ? क्या यह राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है या महानगरीय स्तर पर ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रसार भारती को धारावाहिकों के संबंध में प्रमाणपत्र देने के कार्य में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है अथवा क्या इस मामले में विभाग हस्तक्षेप करता है ? सामान्य आरोप यह है कि जहां तक धारावाहिकों को मान्यता देने के प्रश्न का संबंध है, विभाग के मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। अतः, वर्तमान व्यवस्था क्या है जिसे लागू किया गया है ? इस अवस्था में प्रसार भारती को कितनी स्वायत्तता प्राप्त है ?

श्री अरुण जेटली : इन सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, 1997 में 13 फरवरी को, दूरदर्शन ने धारावाहिकों को अनुमोदन प्रदान करने और उनके विस्तार के संबंध में विभागीय दिशा–निर्देशों की घोषणा की थी। उन्हें लेखन तक सीमित कर दिया गया। तत्पश्चात्, यह निणर्य किया गया कि किसी एक व्यक्ति द्वारा इसका फैसला किए जाने की अपेक्षा दूरदर्शन के अंतर्गत एक समिति की व्यवस्था होगी जो ये सभी निणर्य करेगी।

इन्हें अब 5 अक्तूबर, 1999 को और मजबूत बनाया गया है तथा अत्यंत सख्त स्थितियों के अन्तर्गत प्रसार भारती द्वारा संगठन के अंदर ही प्राधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो इस मामले के सभी निर्णय करेंगे। जहां तक मंत्रालय का संबंध है, यह निर्णय करने में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है कि किस धारावाहिक का प्रसारण किया जाना है और किसका नहीं।

श्री मोइनुल हसन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अत्यंत संक्षेप में दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान प्रायोजित कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों से अर्जित राजस्व की राशि के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अरुण जेटली : महोदय, प्रसार भारती के संबंध में, वर्ष 1997-98 में कुल राजस्व प्राप्ति 568.49 करोड़ थी और 1998-99 में, यह राशि 515.66 करोड़ रुपये थी।

[हिन्दी]

शिशु देखभाल और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम हेतु धनराशि

\+
***23. श्री महेश्वर सिंह :**

श्री सुरेश चंदेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष शिशु देखभाल और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किए गये कार्यों/कायक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इन कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम):(क) शिशु परिचर्या और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम जिसे पहले शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, को अब प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों को प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 1997-98 और 1998-99 तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए आबंटित की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा-I के रूप में संलग्न है।

(ख) विवरण-II लोकसभा के पटल पर रखा गया है।

(ग) राज्यों में इस कार्यक्रम के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें नगद और वस्तुगत सहायता प्रदान करना जिसमें से वस्तुगत सहायता आवश्यक औषधों और उपकरणों हेतु होगी, राज्यों को प्रजनक और बाल स्वास्थ्य सोसायटियों के जरिए निधि का प्रणालन, अतिरिक्त स्टाफ प्रदान करना, विस्तारित गैर सरकारी संगठन योजना, संशोधित सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम, समवर्ती मानीटरिंग, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर नियमित पुनरीक्षा कार्यक्रम के समुपयोजन और प्रभाव की जांच-पड़ताल करने के लिए जिला स्तरीय स्वतंत्र सर्वेक्षण, कौशल का दर्जा बढ़ाने तथा जागरूकता में वृद्धि करने हेतु व्यापक प्रशिक्षण योजना, नियोजन तथा मानीटरिंग में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक भागीदारी और अन्तरक्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए तंत्र शामिल हैं।

विवरण-I

प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

1997-98, 1998-99 के दौरान नगद सहायता का आबंटन और 1999-2000 के लिए आबंटन/निधियां रिलीज करना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटित निधियां 1997-98 सी.एस.एस. एम. के अंतर्गत	आर.सी. एच. के अंतर्गत	कुल	1998-99 आर.सी. एच. के अंतर्गत	1999-2000 के दौरान जारी निधियां (नव, 99 तक)*
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	222.37	723.55	945.92	1026.28	1519.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	98.73	138.66	237.38	261.05	148.23
3.	असम	185.80	370.26	556.06	262.37	390.80
4.	बिहार	399.23	559.36	958.59	728.49	869.39
5.	गोवा	23.17	31.70	54.87	33.24	32.33
6.	गुजरात	174.35	574.13	748.48	813.66	523.29
7.	हरियाणा	132.23	669.11	801.34	482.30	671.17
8.	हिमाचल प्रदेश	96..34	157.25	253.59	383.25	232.44
9.	जम्मू व कश्मीर	113.06	193.23	306.29	120.87	240.86
10.	कर्नाटक	187.78	563.63	751.42	383.11	489.17
11.	केरल	133.13	356.05	489.18	713.87	461.19
12.	मध्य प्रदेश	360.52	924.69	1285.20	1074.99	1351.16
13.	महाराष्ट्र	291.62	647.84	939.47	575.69	1078.87
14.	मणिपुर	67.26	120.80	188.06	77.23	438.92
15.	मेघालय	55.71	121.36	177.07	66.89	73.85
16.	मिजोरम	39.50	52.26	91.76	487.11	298.14
17.	नागालैण्ड	59.92	84.98	144.90	80.52	126.81
18.	उड़ीसा	233.89	482.66	716.56	560.59	852.39
19.	पंजाब	134.44	467.04	601.48	162.45	296.75
20.	राजस्थान	255.17	847.93	1103.10	695.96	640.06
21.	सिक्किम	36.78	54.60	91.38	91.31	37.54
22.	तमिलनाडु	231.99	895.14	1127.12	329.14	733.90
23.	त्रिपुरा	40.23	57.16	97.38	254.09	236.37
24.	उत्तर प्रदेश	546.58	1100.48	1647.06	1395.69	1610.87

1	2	3	4	5	6	7
25.	पश्चिम बंगाल	195.37	282.63	478.00	579.65	1066.19
26.	अण्डमान और निको. द्वीप.	24.62	0.00	24.62	100.47	29.76
27.	चंडीगढ़	19.56	20.66	40.22	28.22	28.11
28.	दादरा व नगर हवेली	17.97	0.00.	17.97	32.24	23.99
29.	दमन व दीव	23.66	22.00	45.66	28.81	32.05
30.	दिल्ली	78.15	51.18	129.33	156.06	103.84
31.	लक्षद्वीप	17.56	0.00	17.56	32.47	22.57
32.	पांडिचेरी	33.94	58.32	92.26	38.14	45.06
	कुल	4530.62	10628.64	15159.26	12036.20	14705.74

*आंकड़े अंतिम

टिप्पणी : प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किए जाने के परिणमस्वरूप चल रहे शिशु जीवन रक्षा और मातृत्व कार्यक्रम को प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किया गया है और इस प्रकार 1998-99 से शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए अलग से कोई बजटीय आबंटन नहीं किए जा रहे हैं।

सी.एस.एस.एम. – शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

आर.सी.एच. – प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

विवरण-II

प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जा रहे कार्यकलाप/कार्य जिले की कार्यान्वयन क्षमता और प्रजनक और बाल स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। इन जिलों को अशोधित जन्मदर और महिला साक्षरता दर के आधार पर 3 श्रेणियों अर्थात ए (58), बी (184) और सी (265) में वर्गीकृत किया गया है। प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गई सेवाओं की सूची नीचे दी गई है:

सभी जिलों में किए गए उपाय	चुनिंदा राज्यों/जिलों में किए उपाय
1	2
— शिशु जीवन रक्षा उपाय अर्थात रोग प्रतिरक्षण, विटामिन ए (दृष्टिहीनता की रोकथाम करने के लिए) मुखीय पुनर्जलपूरण (निर्जलीकरण) से होने वाली मौत को रोकने के लिए और न्यूमोनिया के कारण होने वाली मौतों की रोकथाम (तीव्र श्वसनी संक्रमण)	— उप-प्रभागीय स्तर पर प्रजनन मार्ग संक्रमण/यौन संचारित संक्रमणों की जांच और उपचार।
— सुरक्षित मातृत्व उपाय अर्थात प्रसव-पूर्व जांच, टेटनस का प्रतिरक्षण सुरक्षित प्रसव, रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम।	— औषधें प्रदान करके चुनिदा प्रथम रेफरल यूनिटों में आपाती प्रसूति परिचर्या।
— सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन नीति का क्रियान्वयन।	— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधों और जनस्वास्थ्य नर्स/स्टाफ नर्स की व्यवस्था करके आवश्यक प्रसूति परिचर्या।
— संस्थानिक विकास।	— मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए कमजोर जिलों में उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त सहायक नर्स मिडवाइफ।
— समेकित प्रशिक्षण पैकेज।	— उपकेन्द्रों में उपकरण किटों, अंतःगर्भाशय युक्ति निवेशनों और सहायक मिडवाइफ की किटों की व्यवस्था करके बेहतर प्रसव सेवाएं और आपाती परिचर्या।
— संशोधित प्रबंध सूचना पद्धति।	

— सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप और स्वास्थ्य लैंगिकता और लिंग संबंधी परामर्श।

— शहरी और जनजातीय क्षेत्र हेतु प्रजनक और बाल स्वास्थ्य पैकेज।

— जिला अस्पतालों में प्रजनन मार्ग संक्रमण' यौन संचारित संक्रमण क्लिनिक (जहां यें उपलब्ध नहीं हैं)।

— उपकरण, संविदा पर डॉक्टर आदि उपलब्ध कराकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुरक्षित गर्भ समापन की सुविधा।

— पंचायतों, महिला समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के जरिए बढ़ी हुई सामुदायिक भागीदारी।

— लघु निमार्ण कार्य।

— प्रजनन मार्ग संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण के प्रयोगशालीय निदान और आपाती प्रसूति परिचर्या के लिए प्रयोगशाला तकनीशियनों की व्यवस्था।

— किशोरों का स्वास्थ्य और प्रजनन स्वच्छता।

— संविदा पर नियुक्त जन स्वास्थ्य नर्सों/सहायक नर्स मिडवाइफों, जिन्हें सरकारी आवास प्रदान नहीं किया गया है, को किराया देना।

— कमजोर जिलों में आपाती स्थितियों के दौरान गर्भवती महिला को पंचायतों के जरिए निकटतम रेफरल केन्द्र में ले जाने के लिए रेफरल परिवहन की सुविधा।

— स्थानीय क्षमता में वृद्धि के अर्न्तगत जिला उप-परियोजनाएं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1998-99 के अतंगर्त राष्ट्रीय परिवार स्वाथय सर्वेक्षण के अनुसार मातृ मृत्यु की दर 200 से 250 गर्भधारण पर औसतन एक महिला की मृत्यु है जो विकसित देशों की तुलना में 40-50 गुना अधिक है और इसी प्रकार शिशु मृत्यु की दर 24.2 प्रति 1000 है। इसका मूल कारण यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रसव घरों में करवाये जाते हैं तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल सेवाओं की कमी है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि अनेक स्थानों पर आज भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, विशेषकर पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकट स्थिति है। जहां सुविधाएं हैं, वहां स्टाफ की कमी, है विशेषकर महिला कार्यकर्त्रियों की। मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि हर ग्रामीण क्षेत्र में कम-से-कम एक स्थानीय महिला को दाई की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जाए, उसको सरकारी रोजगार सुनिश्चित किया जाए, ताकि वह इस प्रकार से केसेज को देख सके और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कम-से-कम एक ए.एन.एम. की नियुक्ति की जाए, लेबर रूम का प्रबन्ध किया जाए और ऐम्बुलेन्स का भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रबन्ध किया जाए।

[अनुवाद]

श्री एन.टी.षणमुगम : अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों तथा स्टाफ का प्रबंधन राज्य का विषय है। वे राज्यों को औषधियां तथा स्टाफ उपलब्ध कराते हैं और केवल उप-केन्द्रों को ही केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार को अस्पतालों का निर्माण करना पड़ता है क्योंकि बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जिनमें ... *(व्यवधान)* की कमी है।

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आ रहा है। आवाज़ भी नहीं आ रही है। .... *(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न कुछ पूछा और मंत्री जी जवाब कुछ और दे रहे हैं। यह सारा पैसा केन्द्र से ही जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये नये मंत्री हैं। थोड़ा असिस्ट करिये।

[अनुवाद]

श्री एन.टी. षणमुगम : सरकार को इसकी जानकारी है। हम उन ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में सूचना देंगे जहां कोई अस्पताल नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप बैठ जाइए।

दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आया तो पूछूं क्या ? सारा पैसा केन्द्र से जाता है और वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का जवाब तो आ जाए। जो किट दी जाती है, वह सारा पैसा केन्द्र से जाता है, इसलिए सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका सदुपयोग हो।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रश्न के भाग ग के उत्तर में कहा गया है कि समय-समय पर आर.सी.एच. के कार्यक्रमों की समीक्षा जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर की जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गत दो वर्षों में जो पैसा यहां से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया गया, किन-किन प्रांतों में अनियमितताएं पाईं गईं या कौन-कौन से प्रांत हैं जिन्होंने पूरे पैसे को खर्च नहीं किया और जो जिला स्तर की समीक्षा है क्या उसमें स्थानीय सांसदों को भी विश्वास में लिया जाता है और कहां-कहां पाया गया कि कार्यक्रम ठीक नहीं किये जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह केन्द्र सरकार द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा के विषय में पूछ रहे हैं।

श्री एन.टी. षणमुगम : जहां तक राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय का संबंध है, और किस प्रकार वे प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु दिए गए धन को खर्च कर रहे हैं, तो केन्द्र सरकार मामले की समीक्षा कर रही है तथा हर बात की निगरानी रख रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई समीक्षा की जा रही है ?

श्री महेश्वर सिंह : यह पहले ही उत्तर में कहा जा चुका है कि सर्वेक्षण किया जा रहा है और केन्द्र से दल जा रहे हैं। उन दलों का क्या निष्कर्ष रहा ? उन्हें कार्यक्षेत्र में क्या मिला? ...*(व्यवधान)*

श्री एन.टी.षणमुगम : मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार : हम भी जानकारी चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तैयारी करके नहीं आते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, एक वरिष्ठ मंत्री वहां बैठे हैं। यह एक बहुत अच्छा विषय है। ...*(व्यवधान)* किसी न किसी को इसका उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश ने थोड़े से समय में परिवार कल्याण क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें जो दोनों कार्यक्रमों के लिए धनराशि आबंटित की गई है, वह धनराशि पर्याप्त नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या मंत्री महोदय इस धनराशि को बढ़ाएंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह हिमाचल प्रदेश के विषय में है।

(व्यवधान)

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, 30 लाख रुपये दिये जा चुके हैं। 1998-99 में 106 लाख रुपए दिए गये। 1999 में आज तक 36-40 लाख रुपए दिये जा चुके हैं। यह लगभग 234.40 लाख रुपए हैं। राज्यों के लिए मापदंड महिलाओं की साक्षरता दर तथा अपरिपक्व जन्म होता है। हम राज्य सरकारों को धन दे रहे हैं। हम जानकारी देंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न 24.

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक भी जवाब सही नहीं दिया है ...*(व्यवधान)* यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हमने नया प्रश्न ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, यह एक बहुत महत्त्व पूर्ण प्रश्न है। मेरा अनुरोध है कि आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं यह हाफ-एन-अवर डिस्कशन में क्या जवाब देंगे।

विदेशों में उर्वरक संयंत्र

+

*** 24. श्री अब्दुल शाहीन :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) किन-किन संयंत्रों में काम शुरू हो चुका है ?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग) गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1996-97 से 1998-99 के दौरान विदेशों में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने में भारतीय उर्वरक कम्पनियों तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

परियोजना का नाम	देश का नाम	भारतीय भागीदार/प्रवतर्क	उत्पाद	स्थिति	1996-97 से 1998-99 के दौरान किया गया व्यय (रु. लाख में)
इंडस्ट्रीज केमेक्यूज डु सेनेगल (आई सी एस) का विस्तार	सेनेगल	भारत सरकार इफको, स्पिक	फास. एसिड	कार्यान्वयन प्रगति पर है	8600.00
इंडो जोर्डन कैमिकल्स कम्पनी लि.	जोर्डन	स्पिक	फास. एसिड	मई, 1997 में उत्पाद शुरू हो गया	13748.00
इंडो मार्को फासफोरस एस ए	मोरक्को	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि.	फॉस. एसिड	अक्टूबर 1999 से प्रचालन में	14130.00 *
स्पिक कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड	यू. ए. ई.	स्पिक	यूरिया	परियोजना निमार्णाधीन	14198.00*
ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कम्पनी (ओ एम आई एफ सी ओ)	ओमान	कृभको/आर सी एफ	यूरिया	पुनः निर्मित परियोजना अनुमोदन की प्रक्रिया में है।	2600.40 **
इंडो ईरान क्वेश्म फर्टिलाइजर परियोजना	ईरान	इफको/कृभको	यूरिया	परियोजना बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में है।	233

* 1 अमरीकन डालर मूल्य के आधार–पर 43.5 रुपए

** श्रम घंटा लागत जैसे अप्रत्यक्ष खर्चों को छोड़कर।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : महोदय, संयुक्त उद्यम परियोजना, ओमान, भारत उर्वरक कम्पनी के कार्यान्वयन के सबंधं में कृभको के निदेशकों तथा कार्यपालकों ने वर्ष 1993 से 1995 तक विश्व के 12 विभिन्न देशों की 93 बार यात्राएं कीं और 236 लाख रुपए खर्च किए। अब, उत्तर में यह दिखाया गया है कि अब तक 2600 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है और परियोजना अभी तक अनुमोदन की प्रतीक्षा है क्योंकि इसका पुनर्गठन कर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री सदन को बताएंगे

कि इस परियोजना में आधे दशक से ज्यादा समय में क्या हुआ; और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री सुरेश प्रभु : ओमान में परियोजना को प्राकृतिक गैस का फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग करके यूरिया उर्वरक का उत्पादन करना है और उस देश में प्राकृतिक गैस हमें ओमान सरकार के प्राकृतिक गैस, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कम्पनी नामक कम्पनी जिसका लघु नाम ओ एम आई एफ सी ओ है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव की वर्ष 1992 में सल्तनत आफ ओमान की यात्रा के पश्चात स्थापित की गयी थी। उसके पश्चात् भारत सरकार तथा सल्तनत ऑफ ओमान द्वारा संयुक्त रूप से एक विस्तृत पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गयी थी जो कि तय करने के लिए पूर्वापेक्षित बात है कि इस प्रकार का कोई वाणिज्यिक उद्यम व्यवहार्य है या नहीं। उन्होंने जून 1996 में ही विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद वर्ष 1997 में नवम्बर माह में आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति ने अनुमोदन किया।

ओ एम आई एफ सी ओ ने फरवरी, 1998 में इस परियोजना पर पुनर्विचार किया। तत्पश्चात क्योंकि इस प्रकार की परियोजना के लिए अंतराष्ट्रीय बैंकिंग द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता होती है और इसीलिए हम जनवरी 1999 में बैंकों के संघ के पास गये। अब, हम पी. आई. बी. मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अक्टूबर 1999 में पहले ही नोट भेजा जा चुका है। यही सब हुआ है।

महोदय, जब मैं उर्वरक और रसायन मंत्री बना तो मैंने अनुभव किया कि चूंकि यह परियोजना काफी लम्बे समय से लम्बित है अतः इसकी आगे समीक्षा करने के उद्देश्य से मैंने पिछले सप्ताह ही वहां का दौरा किया और उस देश में अपने प्रतिपक्ष के साथ गहन विचार-विमर्श किया। अब, हम परियोजना के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कि व्यवस्था करने वाले बैंकरों के अंतिम अनुमोदन पर निर्भर है।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : महोदय, यदि माननीय मंत्री जी ने इस परियोजना के ब्यौरे के विषय में सूचना दे दी है तो क्या हम यह आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं कि इस परियोजना को निर्धारित समय में अंतिम रूप दे दिया जाएगा और कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं उसी सीमा तक उत्तर दे सकता हूं जितना मेरे नियंत्रण में है। जैसा मैंने कहा है कि इस परियोजना में 1:2 की ऋण इक्विटी है, और वस्तुतः इक्विटी का भाग मात्र एक-तिहाई है और इस परियोजना हेतु राशि के दो-तिहाई भाग की वाणिज्यिक बैंकों तथा सप्लायरों के क्रेडिटों से व्यवस्था की जाती है। और यहां तक कि सप्लायरों के क्रेडिट का एक तिहाई भाग भी रोकना होगा। परन्तु वास्तव में हमें शेष एक तिहाई भाग पर भी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है और हमें पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड से मंजूरी लेने की भी जरूरत है जो ऐसी संस्था है जो भारत सरकार की ओर से इस प्रकार के निवेश को अनुमोदित करती है। अतः इन एजेंसियों द्वारा उनके पक्ष में अनुमोदन किये जाने पर, हम शीघ्र ही इस परियोजना को आगे बढ़ा सकते हैं।

जैसे ही यह प्रारम्भ होगी, मुझे माननीय सदस्य को उद्घाटन के लिए निमंत्रित करने में बड़ी प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन योजनाओं को लिया गया था उन सभी के निर्माण हेतु क्या पहले कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी कि उनको कब तक पूरा कर लिया जाएगा और क्या इसकी समीक्षा की गई कि किस कारण से इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में देर हो रही है तथा यदि समीक्षा की गई थी तो उसके क्या परिणाम निकले व अब ये योजनाएं कब तक पूर्ण कर ली जाएंगी ?

श्री सुरेश प्रभु : सर, जैसा मैंने जवाब में कहा है, हमारे पास छः ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको समय-समय पर फॉरेन में सैटअप करना था। उनमें से तीन परियोजनाएं फास्फेटिक फर्टीलाइजर बनाने की हैं। उसमें पहले एसिड बनाया जाएगा फिर उससे फास्फेटिक फर्टीलाइजर भारत में बनाया जाएगा। उनमें से तीन परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं जो यूरिया बनाने की हैं। शायद उन्हीं के बारे में आप जानना चाहते हैं। उनमें से ओमान की एक परियोजना का जिक्र मैने अभी किया दूसरी परियोजना ईरान में है। वह ऐसी परियोजना है कि वह अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर भी नहीं है। यदि उसको अल्टीमेटली लाना है, तो उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा वह कब तक होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वह सिर्फ अभी आइडिया है और तीसरी परियोजना दुबई में बन रही हैं। वह प्राइवेट सैक्टर की "स्पिक" कंपनी बना रही है जो उस प्लांट को एक वर्ष में बना देगी। यह परियोजना अभी कार्यान्वित की जा रही है। ज्यादा-ज्यादा यह प्लांट एक साल में पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे गए पत्रों के अनुसार माननीय मंत्री जी ने कृभको और आर. सी. एफ. को पहले ही यह आश्वासन दे दिया है कि ओमान वाली परियोजना को फिर से चालू किया जायेगा। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत को हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की दुर्गापुर इकाई, रामागुण्डम और सिन्दरी जैसे स्वदेशी उद्योगों को पुनुर्द्धार पैकेज क्यों नहीं दिए गए ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनीन खान, यह प्रश्न विदेशों में उर्वरक लगाने से संबंधित है। आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि यह प्रश्न है क्या ?

श्री सुनील खां : महोदय, मेरे सवाल का संबंध मुख्य सवाल से है। वे विदेशी क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। भारत में क्यों नही ? ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : कृपया उत्तर सकारात्मक दें।

श्री सुरेश प्रभु : जिस विषय का जिक्र आप कर रहे हैं वे दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। हमारे देश में जो उत्पादक संयत्र स्थापित किये गये हैं, उनमें मुख्य रूप से नेफ्था को ही फीडस्टाक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक और फीडस्टाक है कोयला जो कि भारत के मुख्यतः पूर्वी भागों में पाया जाता है।

प्रायः जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह है कि हम उर्वरकों का उत्पादन करने में इस फीडस्टॉक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते ? इस सवाल का जवाब मैं दूंगा परन्तु इससे पूर्व उन्होंने जो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, वह यह है कि हम विदेशों में ही यह संयंत्र क्यों स्थापित कर रहे हैं, भारत में स्थापित क्यों नहीं कर रहे अथवा जो संयंत्र संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनका पुनरुद्धार क्यों नहीं करते ?

यदि आप नेपथा को बुनियादी सामग्री के रूप में इस्तेमाल करें तो इस फीडस्टाक की लागत उत्पादन की कुल लागत की 75 प्रतिशत तक होती है। यदि प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाए तो इससे उत्पादन की लागत उत्पादन की कुल लागत का लगभग 50 प्रतिशत बैठता है। भारत में जो प्राकृतिक गैस उपलब्ध है वह ओमान या विश्व के अन्य भागों में जहां संयंत्र लगाया जाना है पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस से चार गुणा अधिक मंहगी है। यदि यह संयंत्र वहीं स्थापित किया जाए तो प्राकृतिक गैस की लागत एक चौथाई बैठती है जिससे कुल उत्पादन लागत भी काफी कम हो जाती है। अतः यह देश के हित में है कि हम यह संयंत्र वहां स्थापित करें जहां कच्चा माल सस्ता है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि भारत में इस समय कार्यरत संयंत्र की तरफ लापरवाही बरतें। यह दो अलग-अलग मामले हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं।

हर हालत में यह एक और ऐसा महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं अवश्य उजागर करना चाहूंगा। महोदय, जब कभी भारत खरीद के लिए बाजार में गया, भारत के हित में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मेरे पास बीस और सवाल हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं यही बताना चाहता हूं कि जब भी भारत ने यूरिया खरीदने के लिए बाजार में प्रवेश किया, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए। अतः, जब हम वहां संयंत्र लगाते हैं, हमारे पास आपूर्ति सुनिश्चित होती है और इसीलिए अर्न्तराष्ट्रीय मूल्यों पर भी हमारा नियंत्रण होता है। अतः यह देश के हित में है।

स्वास्थ्य अधिकरियों की अनियमितताओं में संलिप्तता

***25. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सकों द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं की सी. जी. एच. एस. औषधालयों द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती है और फलस्वरूप, रोगियों को अन्य कम्पनियों की दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं जिससे दवाई विक्रेता अधिकतम मुनाफा कमाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी. जी. एच. एस. अधिकारी ऐसे कार्यकलाप में संलिप्त हैं जिससे राजकोष को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सी. जी. एच. एस. औषधालयों में ऐसी अनियमितताओं को रोकने तथा दोषी आधिकारियों और दवा विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव राजकोष के साथ धोखाधड़ी करने वाले दवा विक्रताओं को काली सूची में डालने तथा इन औषधालयों को दवाइयों की आपूर्ति करने का अधिकार केन्द्रीय भण्डार को देने का है;

(छ) यदि हां; तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री एन. टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं। डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाओं की आपूर्ति रोगियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय द्वारा की जाती है। यदि दवाएं औषधालय में उपलब्ध न हों तो डॉक्टरों के लिखे गए अलग–अलग नुस्खों के अनुसार दवाएं ब्राड नाम से प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से खरीदी जाती हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) केमिस्टों से किए गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार यदि कोई भी केमिस्ट घटिया दवाओं या प्रतिस्थानीय दवाओं की आपूर्ति करता हुआ पाया जाता है अथवा दवाओं की आपूर्ति में कोई भी अन्य अनियमितता पाई जाती है, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को दवाओं की आपूर्ति का उसका अनुबंध रद्द कर दिया जाता है और उसे पांच वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाता है।

औषधालयों को दवाओं की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय भण्डार को प्राधिकृत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(छ) और (ज) ऊपर बताई गई स्थितियों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है; लेकिन उसका उत्तर देने में टालमटोल की गई है। मैंने बिल्कुल सीधा व सरल प्रश्न पूछा है, लेकिन उसका भी उत्तर नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में स्वास्थ्य योजना के तहत औषधालयों में डॉक्टरों के नुस्खे पर दवाएं

औषधालय में न मिलने पर केमिस्टों के माध्यम से दवाएं दी जाती हैं और इस प्रकार जो दवाएं दी जाती हैं, वे बहुत ही घटिया किस्म की होती हैं जिसके कारण दिल्ली में मृत्यु दर बढ़ गई है और केमिस्ट्स, चिकित्सक और दवा निर्माताओं व विक्रेता भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। क्या यह बात सरकार की जानकारी में है, यदि है, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उपभोक्ताओं को सही दवा मिले, इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है ?

श्री राजो सिंह : मंत्री जी जल्दी-जल्दी जवाब दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजो सिंह, आप मंत्री जी को धमकी देने जैसी बात कर रहे हैं।

श्री एन.टी. षणमुगम : चिकित्सक जो दवाई लिख कर देते हैं वह सी. जी. एच. एस. औषधालय में उपलब्ध नहीं होती है। यदि वह उपलब्ध नहीं होती तो इसे सी. जी. एच. एस. द्वारा मान्यता प्राप्त कैमिस्ट से खरीदा जाता है। सी. जी. एच. एस. और कैमिस्टों में कोई सांठ-गांठ नहीं है। सरकार स्थिति पर नियंत्रण रख रही है यदि कोई केमिस्ट कोई गलत काम कर रहा होता है तो हम उस केमिस्ट की मान्यता रदद् कर देते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1997-98 और 1998-99 में इस बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं और कितनों पर आपने ऐसी कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

श्री एन.टी. षणमुगम : वर्ष 1998 में लाभार्थियों से चार शिकायतें प्राप्त हुईं और पांच कम्पनियों को गैर-मान्यता प्राप्त घोषत किया गया। ये पांच कम्पनियां हैं :- मैसर्ज अदिति मैडिकोज, नई दिल्ली; मैसर्ज अतुल मैडिकोज नई दिल्ली; मैसर्ज अशोक मैडिकल स्टोर, नई दिल्ली; मैसर्ज युनिक कैमिस्ट, नई दिल्ली; और मैसर्ज अरोड़ा मैडिकल स्टोर, नई दिल्ली।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो मृत्यु-दर बढ़ गई है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। प्रभुनाथ सिंह जी, यह ठीक नहीं है। आप दो सप्लीमेंट्री पूछ चुके हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, आप सरकार के संरक्षक नहीं हैं बल्कि आप हमारे संरक्षक हैं। मैं एक छोटा सा सवाल संक्षेप में पूछना चाहता हूं। मेरी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप बैठ जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, एक-एक सवाल पर 20-20 मिनट का समय खर्च होता है और मेरा तो सिर्फ दो ही मिनट में सवाल पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका समय पूरा हो गया कृपया बैठ जाइए। और भी सदस्य हैं। कृपया हमें समझिए। प्रभुनाथ सिंह जी, आपके दो सप्लीमेंट्री हो गए हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्रीमती रेणुका चौधरी : मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के गोदाम में पांच करोड़ से लेकर दस करोड़ रुपए मूल्य तक की ऐसी दवाइयां पड़ी हुई हैं जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है। वहां पर उन्होंने कान में डालने वाली दवाइयां या कान धोने वाली दवाइयां खरीद रखी हैं। यदि मैं आन्ध्र प्रदेश के सभी लोगों के कान में दिन में चार बार भी धोएं जाएं, तब भी काफी दवाइयां बची रह जाएंगी। स्पष्टतः यह दवाइयां गलत कारण बताकर खरीदी गयी थीं। इतनी मात्रा में तो दवाएं अभी भी वहां पडी हैं। यदि इसकी जांच पड़ताल हो, तो बहुत से लोग इससे जुड़े होंगे, और इन दवाओं को खरीदने में हमारा बहुत सा पैसा खर्च हुआ होगा। यह एक सच्चाई है कि केन्द्रीय सरकार योजना को जिन दवाओं की आपूर्ति की जाती है और जो माननीय सदस्यों को भी इस्तेमाल के लिए दी जाती हैं, निधरित गुणवत्ता वाली नहीं होतीं। क्या आपूर्ति के समय कोई आकस्मिक जांच की गई है इनके सेम्पल लिए गए हैं और यह जांच की गई है कि वे निर्धारित गुणवत्ता वाली हैं या नहीं ? ...*(व्यवधान)* यदि आप मुझे उत्तर देने का अवसर दें तो मैं यह कहूंगी।

श्री एन.टी. षणमुगम : मैं आन्ध्र प्रदेश में सी. जी. एच. एस. से सूचना एकत्र करूंगा और बाद में माननीय सदस्य को यह सूचना भेज दी जाएगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो भाग (क) में उत्तर दिया है उसमें यह जिक्र किया गया है कि यदि डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई दवा उपलब्ध नहीं हो, तो इन्हें बाहर की पर्चियों से दिया जाता है। उसे खरीदना पड़ता है। यह तो ठीक है। परन्तु कलकत्ता में एक बहुत रोचक बात मेरे सामने घटित हुई। एक बहुत ही साधारण दवाई यूनीएनजी, की जगह हमेशा दूसरी दवा दी जाती है। कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि यह दवा बाजार में उपलब्ध नहीं होगी।

क्या मैं यह जान सकती हूं कि इन मामलों में उत्पादक और कैमिस्ट में कोई सांठ-गांठ है या कोई अन्य बात है ?

श्री एन.टी. षणमुगम : मैं संम्बंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से सूचना प्राप्त करके माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

भारत पाक सीमा पर उच्च शक्ति वाले टी. वी. ट्रांसमीटर

+

***26. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :**

श्री रामदास आठवले :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे भारत विरोधी प्रचार का जवाब देने के लिए भारत-पाक सीमा पर उच्च शक्ति वाले टी. वी/आकाशवाणी ट्रांसमीटर लगाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, **तो इन ट्रांसमीटरों की** स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार **द्वारा इन** सीमावर्ती क्षेत्रों को दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण के अंतर्गत लाने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी, हां। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के कार्यक्रमों की पाकिस्तानी क्षेत्र में काफी अन्दर तक पहुंच है। सीमावर्ती क्षेत्र में विद्यमान आकाशवाणी एवं दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की सूची संलग्न अनुबंध में दी गई है। इन ट्रांसमीटरों के अलावा, पाकिस्तानी सीमा के साथ लगे क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन कवरेज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं :—

(1) श्रीनगर में 200 कि.वा.मी.वे. रेडियो ट्रांसमीटर का 300 कि.वा. मी.वे. में उन्नयन।

(2) जोधपुर में 100 कि.वा.मी.वे. रेडियो ट्रांसमीटर का 300 कि.वा. मी.वे. में उन्नयन।

(3) डी.डी.-1 के लिए कठुआ, फाजिल्का तथा बाड़मेर में एक–एक उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर।

(4) डी.डी.-2 के लिए जम्मू में उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर।

(ङ) सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में और सीमा पार कवरेज को बढ़ाने के लिए पूरी सीमा के साथ-साथ लगे क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के ट्रांसमिशन नेटवर्कों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता रहा है। यह कार्य ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाकर, नए ट्रांसमीटर स्थापित करके और उपयुक्त कार्यक्रम बनाकर किया जा रहा है। कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के अलावा, सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में और सीमा पार कार्यक्रमों की पहुंच में वृद्धि करने हेतु जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए हाल ही में विशेष पैकेज अनुमोदित किया है।

अनुबंध

आकाशवाणी

क्र. सं.	राज्य	स्थान	ट्रांसमीटरों का ब्यौरा
1.	गुजरात	राजकोट	300 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
			1000 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (विदेश सेवा के लिए)
		भुज	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
2.	राजस्थान	सूरतगढ़	300 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
		बाड़मेर	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
		जैसलमेर	10 कि.एफ.एम. ट्रांसमीटर
3.	पंजाब	जालंधर	300 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
			200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
4.	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू	300 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
		कथुआ	6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
		पूंछ	6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
		श्रीनगर	200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर

दूरदर्शन

क्र. सं.	राज्य	स्थान	ट्रांसमीटरों का ब्यौरा
1.	गुजरात	भुज	300 मी. टावर
2.	राजस्थान	बाड़मेर	अंतरिम स्थापना — 1 कि.वा.
		जैसलमेर	10 कि.वा. ट्रांसमीटर
3.	पंजाब	अमृतसर	10 कि.वा. ट्रांसमीटर
		फाजिल्का	अंतरिम स्थापना — 1 कि.वा.
4.	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
		पूंछ	10 कि.वा. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
		श्रीनगर	डी.डी.-2 के लिए 1 कि.वा. ट्रांसमीटर
		लेह	1 कि.वा. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : माननीय मंत्री महोदय ने जिस पैकेज की घोषणा की है, कृपया उसके समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में बतायें।

श्री अरूण जेटली : जम्मू और कश्मीर के संबंध में जिस पैकेज की घोषणा की गई है, उसे चरणबद्ध ढंग से पूरा करने का इरादा है, जिसका अंतिम चरण जून, 2001 तक पूरा कर लिया जायेगा।

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : हालांकि यह जम्मू और कश्मीर का मुद्दा नहीं है, फिर भी क्या मैं माननीय मंत्री जी से आकाशवाणी के कुडप्पा केन्द्र पर दस किलोवाट का एफ.एम. ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था करने के लिए कह सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : यह आपके निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा है।

श्री अरूण जेटली : मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य के अनुरोध पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ गलत बयान देकर अपने देश में भारत विरोधी वातावरण बनाने का प्रयत्न कई सालों से कर रहा है जबकि भारत की भूमिका इस मामले में सही रही है। जम्मू कश्मीर भारत का इलाका है और इसका प्रचार पाकिस्तान में भी टी. वी., रेडियो और अखबारों के माध्यम से करने की आवश्यकता है। इसका जितना प्रचार टी.वी., रेडियो और अखबारों के माध्यम से होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हम मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने इस मामले में जो कुछ प्रचार किया है, वह काफी नहीं है। यहां भी टी.वी. और अखबारों के माध्यम से यह प्रचार होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस तरह की भावना पाकिस्तानी लोगों में भी होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार इस बारे में सीरियसली विचार कर रही है या नहीं? यदि विचार नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? यदि आपकी सरकार इस पर विचार करने की सोच रही है तो क्या सोच रही है?

श्री अरूण जेटली : अध्यक्ष जी, अपने देश के पश्चिमी बॉर्डर के ऊपर ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन का एक मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर आदि चारों प्रांतों में नेटवर्क काफी स्ट्रांग हैं और उसका स्ट्रैंथन करने के लिए काफी कदम उठाये जा रहे हैं। कई योजनायें हैं जो अंडर इम्पलीमैंटेशन हैं।

विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के अंदर भी उसको स्ट्रैंथन करने के लिए 430 करोड़ रुपये का एक स्पेशल जे एंड के पैकेज दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमिशन को स्ट्रैंथन करने का सरकार ने बनाया है जिसके संबंध में मैंने अभी बताया कि उसका इम्प्लीमैंटेशन जून 2001 तक कम्प्लीट होगा। इसके अतिरिक्त उसके जो कार्यक्रम होंगे, वे केवल अपने प्रैविन्सेस में ही नहीं बल्कि साथ वाले देश के अंदर भी ट्रांसमिट होकर जाएंगे। जहां तक कार्यक्रमों का संबंध है, उसके दो पहलू हैं—एक तो अपना ट्रांसमिशन नैटवर्क स्ट्रैंथन किया जाए जिसकी कई योजनाएं हैं, मैं आपको पूरी सूची दे सकता हूं, जो अंडर इम्प्लीमैंटेशन हैं। जहां तक कार्यक्रमों का संबंध है, ऑल इंडिया रेडियो की एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन जालंधर और राजकोट में काफी एक्सटर्नल सर्विसेज के कार्यक्रम ट्रांसमिट करती है और उन्हें अलग-अलग भाषाओं के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है विशेष रूप से उर्दू सर्विस बहुत स्ट्रांग है। उर्दू सर्विस के अतिरिक्त पंजाबी, बलूची, सरायकी, सिंधी—ये पांच भाषाएं हैं जिनके अंदर कार्यक्रम ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की संख्या टोटल मिलाकर लगभग 18 घंटे रोज की है। जहां तक दूरदर्शन का सवाल है, दूरदर्शन इंटरनेशनल के कार्यक्रम तो सैटेलाइट के माध्यम से जाते ही हैं, डी.डी.-1 और डी.डी. मैट्रो के भी कई ट्रांसमीटर वहां स्ट्रैंथन करके उसकी ट्रांसमिशन पड़ोसी देशों में भी हो पाए, इसका प्रयास है। जहां तक कार्यक्रमों का संबंध है, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो विशेष रूप से कश्मीर और पड़ोसी देश से संबंध रखते हैं, जिनकी योजना बनाई गई है और कुछ उसमें लागू भी किए गए हैं जैसे पाकिस्तान रिपोर्टर, कश्मीर डेटलाइन, दूसरा रुख, ऐसे कई 7-8 कार्यक्रम हैं जो रैगुलरली ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक योजना पर विचार हो रहा है कि कश्मीर के अंदर एक कश्मीर चैनल जो केवल दो घंटे चलता है, उसका ट्रांसमिशन टाइम दो घंटे से बढ़ाकर अठारह घंटे रोज किया जाए, जो आपके प्रश्न का भाव है, जो पूरे प्रचार में दूरदर्शन कश्मीर वैली में पहुंच पाए और साथ के देशों में भी पहुंच पाए।

श्री रामदास आठवले : मेरा एक सवाल है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका एक ही सवाल है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : पाकिस्तान का इंडिया में जो प्रचार हो रहा है, उसे बंद करने के बारे में क्या भारत के पास कोई योजना है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आठवले जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछना था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान) *

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई है। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात उसमें जोड़कर सवाल पूछना है। यह बात सही है कि पाकिस्तान का ट्रांसमिशन हमारे ट्रासमिशन से ज्यादा साफ है चाहे वह राजौरी की बात हो चाहे पुंछ की हो और चाहे वैली की बात हो। उसके टैक्नीकल कारण पहले भी सदन में उठाए गए थे और कोशिश भी की गई थी। पता नहीं उसमें क्या रहा। एच.पी.टीज. जो आपने प्रपोजल में दिए हैं, यह अच्छी बात है लेकिन जब तक एल.पी.टीज. का कुछ ऐसा कनैक्शन एच.पी.टीज. से न किया जाए, एल.पी.टीज. जो देश में आपकी स्कीम है, वह ब्लॉक लैवल पर है या डिस्ट्रिक्ट लैवल पर है। जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली यह सोचा जाए कि एच.पी.टीज. के कनैक्शन एल.पी.टीज. से हो जाएं जिससे इनका 24 घंटे का प्रसारण सारे जम्मू कश्मीर में पहुंच जाए। एक तो यह सुझाव है। इसके बारे में आप सोच लें।

दूसरा, जहां तक जम्मू कश्मीर के रीजनल प्रोग्राम्स की बात है, वह काफी हद तक आ रहे हैं। लेकिन वे उतने नहीं आ रहे जितनी लोग उम्मीद करते हैं। उसका एक ही तरीका है कि वहां पर रीजनल प्रोग्राम्स को और ज्यादा दिखाया जाए। पाकिस्तान का जो प्रोपगंडा काउंटर करने के लिए है, उस पर सोच-विचार करके एक नई स्कीम लानी पड़ेगी। हमारा ट्रांसमिशन भी उनसे बेहतर हो और गांव-गांव तक पहुंच जाएं, उसके लिए कश्मीर को स्पेशल पैकेज दिया जाए। आपका कश्मीर से स्पेशल ताल्लुकात भी हैं। कश्मीर के लोग देखना भी चाहेंगे कि अरूण जेतली जी सारे देश में क्या बोल रहे हैं। उसके लिए भी आप जरूर ध्यान दें।

श्री अरूण जेटली : माननीय राजेश पायलट जी ने जो कहा, उसके संबंध में मैं केवल इतना बता दूं कि इसके दो पहलू हैं—एक तो दूरदर्शन और रेडियो के तमाम कार्यक्रम अपनी टैरीटरी और अपनी पोपुलेशन को पूरे रूप से कवर कर लें, उसके अतिरिक्त क्या उनके सिग्नल्स पड़ोसी देश में भी जा सकते हैं, यह दूसरा पहलू है।

ये दोनों आवश्यक हैं। जहां तक एग्जिस्टिंग फीगर्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो के सिगनल्स की आज भी जो रीच है, कई स्ट्रे एरियाज़ को छोड़कर जम्मू कश्मीर की 98 परसेंट पोपुलेशम तक वह पहुंचती है। दूरदर्शन 91.7 परसेंट तक पहुंचता है और हम लोग जो कश्मीर पैकेज बना रहे हैं, जो अगले डेढ़ साल, पौने दो साल में लागू हो जायेगा, उसके बाद यह संख्या और बढ़ेगी। सब लोगों तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां प्रसारण का पहुंचना कठिन है, लेकिन जहां तक डोमेस्टिक पोपुलेशन है, वहां हर कोने में पोपुलेशन तक हम पहुंच पाएं, हमारा यह प्रयास है।

जहां तक कार्यक्रम का आपने सवाल उठाया, आपकी यह बात ठीक है कि कार्यक्रम जो रीजनल अपील के हैं, वे पूरी मात्रा में वहां नहीं हैं। आज जो कश्मीरी चैनल है, उस पर केवल दो घंटे के कार्यक्रम हैं। प्रयास यह किया जा रहा है कि उस चैनल को टॉप प्रायरटी दें। बाकी देश की तुलना में भी टॉपमोस्ट प्रायरटी देकर उसको 18 घंटे का चैनल बनाया जाये। अगर दिन भर चैनल चलेगा और उस पर अच्छे कार्यक्रम प्रसारित होंगे तो अपनी पोपुलेशन दूसरे कार्यक्रमों को छोड़कर इन कार्यक्रमों को देखेगी। बॉर्डर के साथ-साथ दूरदर्शन और रेडियो दोनों के ट्रांसमिशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जिसका ट्रांसमिशन पड़ोस में भी जा रहा है।

श्री पी.एस. गढवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में और सीमा पार कवरेज बढ़ाने के लिए पूरी सीमा के साथ-साथ लगे क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान कच्छ के नजदीक है। कच्छ की लैंग्वेज कच्छी और सिन्धी लैंग्वेज का ही अगर वहां से प्रसारण होगा, तभी वहां सीमा पार इफैक्टिव ट्रांसमिशन किया जायेगा। वह करने के लिए जो ट्रांसमीटर लगा है, उसकी जगह कच्छ में रिकार्डिंग स्टेशन होना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए माननीय मंत्री जी कुछ बताएंगे या कभी दूरदर्शन और आकाशवाणी का कवरेज हम पाकिस्तान में दिखा सकेंगे? वहां रिकार्डिंग स्टेशन होना बहुत ही आवश्यक है, रिकार्डिंग स्टेशन कच्छ में बने, उसके लिए माननीय मंत्री जी कुछ बताएंगे क्या?

श्री अरूण जेटली : जहां तक रेडियो का सम्बन्ध है, उसमें पांच भाषाओं के अन्दर ट्रांसमिशन ऑलरेडी रेडियो के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका कि प्रचार वहां की स्थानीय पोपुलेशन के साथ ही बॉर्डर के पार भी जा सकता है। माननीय सदस्य का जो सुझाव आया है, मैं उसके ऊपर भी विचार करवा लूंगा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी बंग्लादेश की सीमा से सटे राज्य से आया हूं। लगभग पांच वर्ष पहले जब एक स्कूली छात्र से पूछा गया : "भारत का प्रधान मंत्री कौन है?" तो उसने उत्तर दिया : "बेगम खालिदा"। यह सब बंग्लादेश के टी.वी. और रेडियो का प्रभाव है। उस समय भारत सरकार ने सिल्चर में एक स्टेशन खोला था। जो व्यक्ति इसके लिए दोषी है, वह आपके पीछे बैठा हुआ है। उन्होंने तब यह आश्वासन दिया था कि इस समय हम एक घंटे का कार्यक्रम देंगे और जैसा कि आपने कहा, बाद में वे 24 घंटे या 18 घंटे का कार्यक्रम देंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। परसों ही आपने सीमा क्षेत्रों को मजबूत बनाने के बारे में सार्वजनिक वक्तव्य दिया। मुझे बहुत खुशी हुई थी। आज सुबह ही मैंने एक पत्र लिखा।

मैं जानना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र पर बंग्लादेश टी.वी. के प्रभाव पर विचार करते हुये क्या आप सिल्चर दूरदर्शन के कार्यक्रम के समय को कम-से-कम 18 घंटे तक बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठायेंगे। वहां पर जो रेडियो स्टेशन है, वह काफी सही ढंग से कार्य कर रहा है। इसलिए, इसे सीमावर्ती राज्य समझते हुये, यहां नाटक और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। मैं कांग्रेस का संसद सदस्य हो सकता हूं। आप अपनी भाजपा को भूल सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपको इसे देशहित में करना चाहिए। आप

अभी तक अपनी प्रथाओं के बारे में सोच रहे हैं। आपको इस सभा के बारे में सोचना चाहिए। हम पत्र लिखते रहते हैं, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिलते। आप कृपया मुझे कुछ आश्वासन दीजिए, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे।

श्री अरूण जेटली : मुझे संतोष मोहन देव जी को यह बताने दें कि मैं यह नहीं समझता कि जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका किसी पार्टी अथवा उसके हितों से वास्तव में कोई संबंध है। यह प्रश्न वास्तव में पश्चिमी सीमा क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन उन्होंने पूर्वी सीमा क्षेत्रों के संबंध में उतना ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं निश्चित रूप से इस मामले की जांच करूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक : जनाब, मैं ऑनरेबिल मिनिस्टर से यह पूछना चाहता हूं ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अनन्तनाग निर्वाचन क्षेत्र से हैं?

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक : जी, हां। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि श्रीनगर में जो दूरदर्शन केन्द्र कायम है, उसके सिगनल वादी के सारे इलाके में दिखाई नहीं देते?

दिल्ली का दूरदर्शन केन्द्र वादी के सारे इलाके में दिखाई नहीं देता है। इस दिक्कत की वजह से वहां के लोग श्रीनगर और दिल्ली के कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं, इस दिक्कत को दूर करने के लिए हुकूमत क्या करने जा रही है और कब तक करेगी?

श्री अरूण जेटली : महोदय, कई बार टरेन और माउन्टेन्स-एरियाज़ में सिगनल्स के ट्रांसमिशन में बहुत तकलीफ होती है। इसी समस्या को मद्दे नज़र रखते हुए कि श्रीनगर और दिल्ली के कार्यक्रम वादी के अन्दर हर व्यक्ति तक पहुंच पाएं, उसके एक्सपैंशन की कई योजनाओं को इम्पलीमेंट किया जा रहा है। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के अन्दर जम्मू, रजौरी, कठुवा, कारगिल, श्रीनगर, कुपवाड़ा, नौशेरा, लद्दाख आदि क्षेत्रों में आल-इंडिया रेडियो के ट्रांसमीशन्स हैं और दूरदर्शन के संबंध में नौशेरा, पिछवाड, कुपवाड़ा, गुरेज, रणबीरसिंह पुरा, पुंछ और लेह आदि क्षेत्रों में ट्रांसमीशन लाइन्स को स्ट्रेन्थन किया जा रहा है और कहीं-कहीं पर रिप्लेस भी किया जा रहा है, ताकि सिगनल्स पहुंच पायें।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : गुजरात एक सीमावर्ती राज्य है जिसकी पाकिस्तान के साथ काफी लंबी भूमि और समुद्री सीमा क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से उन कदमों के बारे में जानना चाहता हूं जो विशेष रूप से राजकोट केन्द्र और भुज केन्द्र को मजबूत बनाने के लिए उठाये जा रहे हैं और क्या जामनगर और अन्य स्थानों पर समुद्री सीमा क्षेत्र पर विचार करते हुये एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव है। मेरी जानकारी के अनुसार सौराष्ट्र और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग अहमदाबाद और बड़ौदा से प्रसारित किए जाने वाले स्थानीय कार्यक्रमों को भी पसंद नहीं कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप, सीमा के इस ओर के हमारे लोग पाकिस्तान टी.वी. देखते हैं जो कि वांछनीय नहीं है। अतः मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राजकोट विशेष रूप से भुज और जामनगर के संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री अरूण जेटली : आकाशवाणी के संबंध में मेरे पास कुछ जानकारी है और दूरदर्शन के संबंध में मैं जानकारी इकट्ठी करके आपको भेज दूंगा। रेडियो के संबंध में, भुज के कार्यक्रम वास्तव में हमारे अपने देश के श्रोताओं के लिए हैं। वर्तमान ट्रांसमीटर को बदलकर एक नया ट्रांसमीटर लगाया गया है जिसकी क्षमता इससे दोगुनी है। जहां तक रेडियो का संबंध है, राजकोट का ट्रांसमीटर एक ऐसा ट्रांसमीटर है जो हमारी विदेशी सेवाओं का प्रसारण करता है, इसकी क्षमता को भी सुदृढ़ किया जा रहा है क्योंकि हमें उसमें कुछ कमियां दिखाई दी हैं ताकि इसकी ट्रांसमिशन रेंज को और अधिक बढ़ाया जा सके। जहां तक भुज और राजकोट में दूरदर्शन का संबंध है, मैं सही आंकड़े इकट्ठे करके आपको भेज दूंगा।

यूरिया का उत्पादन

***28. श्री उत्तमराव ढिकले** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया की उत्पादन लागत बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उर्वरक राजसहायता बजट अनुमान से काफी ज्यादा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) यूरिया के उत्पादन की लागत में वृद्धि मुख्यतः गत तीन वर्षों के दौरान नेफथा, ईंधन तेल, एल.एस.एच.एस. और प्राकृतिक गैस जैसे इन्पुट्स के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है।

(ग) और (घ) वित्त वर्ष 1999-2000 में 8000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में समुचित वृद्धि करने का प्रस्ताव है ताकि उपर्युक्त निर्दिष्ट कारणों से सबसिडी के अधिक खर्च की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यूरिया एक महत्त्वपूर्ण फर्टिलाइजर है, लेकिन इसके दाम दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि यूरिया का उत्पादन खर्च बढ़ता जा रहा है, इसीलिए देश में इसकी शार्टेज भी हो रही है। क्या यह सच है ?

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : अधिकांशतः, देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। वस्तुतः, देश में उपलब्ध स्टॉक आवश्यकता से अधिक है। इसी कारण हमने आयात में भी कमी की है। हम उत्पादन बंद करने की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले ही अत्याधिक स्टॉक उपलब्ध है। वास्तविकता यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान मूल्यों में वृद्धि की जो घोषणा की थी, उसे बाद में वापस ले लिया गया। उत्पादन लागत में अत्याधिक वृद्धि जिसका मैंने थोड़ी देर पहले उत्तर दिया था, के बावजूद यूरिया के मूल्य इसकी उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़े हैं।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गुढे : अध्यक्ष महोदय, सारे देश के किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश में यूरिया की काफी कमी हो रही है। यूरिया की आज काफी मांग है। मैं पूछना चाहता हूं कि यूरिया की कीमत कम करने के लिए क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाये हैं? क्या आगे भविष्य में उसकी कीमत कम होने की कोई उममीद है? जो ज्यादा मांग और कम उतपादन हो रहा है उसके लिए सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है या नहीं ?

श्री सुरेश प्रभु : मैं दोबारा यह कहूंगा कि आज जो उत्पादन हो रहा है वह मांग से भी ज्यादा है। जो एन.पी.के. तीन न्यूट्रेंट अपनी मिट्टी को देने की जरूरत है यूरिया में, सब्सिडी की वजह से सिर्फ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल किये जा रहे हैं, उसका जो इम-बैलेंस है, उसको रैस्टोर करने की भी जरूरत है। आज देश में यूरिया फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है, उसका कोई घाटा नहीं है। जितना भी किसान चाहेंगे सरकार देने की स्थिति में है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

***21. श्री रामशकल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्यों में सहायक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के बारे में राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) देश में 23266 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2962 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्य स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को 12 राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए है। ये राज्य हैं : आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, तमिलनाडु और केरल।

आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों के परियोजना प्रस्तावों का सरकार द्वारा मूल्यांकन किया गया और उन्हें वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक को भेज दिया गया। उन्हें इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य के प्रस्ताव का संबंध है, उसकी परियोजना को तैयार (फारमुलेट) किया जा रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस समय उनकी छान-बीन की जा रही है।

समस्त प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

9वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा 1.00 बिलियन अमेरिकी डालर के आंशिक वित्त पोषण से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें राज्यों को औषधियां, उपस्कर, सिविल निर्माण कार्य, प्रशिक्षण तथा सहायक कर्मी आदि जुटाने के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने की व्यवस्था है।

विवरण-I

चल रहे प्रा.स्वा.के. तथा सा.स्वा.के. की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.	अद्यतन रिपोर्ट की तिथि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1690	238	30.09.99

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	45	9	30.09.99
3.	असम	619	105	31.03.95
4.	बिहार	2209	148	31.12.98
5.	गोवा	17	5	31.10.99
6.	गुजरात	968	195	31.07.99
7.	हरियाणा	401	64	31.10.99
8.	हिमाचल प्रदेश	·312	55	31.10.99
9.	जम्मू एवं कश्मीर	337	53	31.10.99
10.	कर्नाटक	1591	254	31.03.98
11.	केरल	962	80	31.07.99
12.	मध्य प्रदेश	1690	342	31.03.99
13.	महाराष्ट्र	1752	345	30.09.99
14.	मणिपुर	69	16	31.08.99
15.	मेघालय	86	13	31.08.99
16.	मिजोरम	43	6	31.08.99
17.	नागालैंड	33	5	30.04.99
18.	उड़ीसा	1352	157	30.06.99
19.	पंजाब	484	105	30.06.99
20.	राजस्थान	1674	262	31.10.99
21.	सिक्किम	24	2	31.08.99
22.	तमिलनाडु	1410	72	30.09.99
23.	त्रिपुरा	57	11	31.10.99
24.	उत्तर प्रदेश	3808	318	31.12.98
25.	पश्चिम बंगाल	1556	89	31.12.98
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	17	4	31.03.99
27.	चंडीगढ़	–	1	31.12.98
28.	दादरा एवं नागर हवेली	6	–	31.07.99
29.	दमन एवं दीव	3	1	30.06.99
30.	दिल्ली	8	–	अद्यतन
31.	लक्षद्वीप	4	3	31.08.99
32.	पांडिचेरी	39	4	31.08.99
	समस्त भारत	23266	2962	

आंकड़े अनंतिम हैं। शून्य

विवरण-II

कार्यान्वित की जा रही राज्य स्वास्थ्य प्रणाली की परियोजनाएं

राज्य का नाम	परियोजना की अवधि	परियोजनागत परिव्यय
आंध्र प्रदेश	1.3.95 से 6-1/2 वर्षों के लिए	608.00 करोड़ रुपये
पश्चिम बंगाल	27.6.96 से 5-1/2 वर्षों के लिए	698.00 करोड़ रुपये
कर्नाटक	27.6.96 से 5-1/2 वर्षों के लिए	546.00 करोड़ रुपये
पंजाब	27.6.96 से 5-1/2 वर्षों के लिए	425.00 करोड़ रुपये
उड़ीसा	सितम्बर 98 से 5 वर्षों के लिए	415.57 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र	14.2.99 से 5-1/2 वर्षों के लिए	727.00 करोड़ रुपये

पाइपलाइन में विश्व बैंक सहायता प्राप्त राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं से संबंधित विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि	प्रस्ताव का सरांश	लागत एवं अवधि	स्थिति	विश्व बैंक का विचार	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु	संशोधित प्रस्ताव 15.3.99 को प्राप्त हुआ।	राज्य में प्रथम रेफरल स्वास्थ्य प्रणाली के उन्नयनार्थ विश्व बैंक सहायता के लिए अनुरोध करना।	1086 करोड़ 5 वर्ष	संवीक्षाकर्ता अभिकरणों ने परियोजना रिपोर्ट की पहले ही जांच-पड़ताल कर ली है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह संवीक्षाकर्ता अभिकरणों की टिप्पणियों के प्रकाश में परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करें तथा संशोधित दस्तावेज भेजे।	यह प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष अभी रखा जाना है।	
2.	उत्तर प्रदेश	परियोजनागत प्रस्ताव 19 नवम्बर, 99 को प्राप्त हुआ।	राज्य की द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक सहायता के लिए अनुरोध करना।	549.92 करोड़ 5 वर्ष	परियोजना रिपोर्ट को संवीक्षाकर्ता अभिकरणों की टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है।	यह प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष अभी रखा जाना है।	
3.	असम	15 सितम्बर, 1998	द्वितीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक सहायता के लिए अनुरोध करना।	566.47 करोड़ 5 वर्ष	संवीक्षाकर्ता अभिकरणों ने परियोजना रिपोर्ट की पहले ही जांच-पड़ताल कर ली है। हमारे दिनांक 17 नवम्बर, 1999 के पत्र संख्या--एल. 20028/16/98–आई.सी. के द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह विशेषज्ञं टिप्पणियों के प्रकाश में परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करे तथा इस मंत्रालय को परियोजना रिपोर्ट भेज दें।	यह प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष अभी रखा जाना है।	
4.	केरल	24.5.97 को प्राप्त हुआ तथापि, राज्य से अनुरोध किया गया कि अपेक्षित संख्या में प्रतियां भेजें	केरल में द्वितीयक स्तरीय अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक की सहायता।	423.65 करोड़	विशेषज्ञ अभिकरणों ने परियोजना रिपोर्ट की जांच-पड़ताल पहले ही कर ली है। राज्य सरकार	यह प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष अभी रखा जाना है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
		ताकि विविध विशेषज्ञ अभिकरणों से टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। ये 5.7.99 को प्राप्त हुई।			से अनुरोध किया गया है कि वह विशेषज्ञ टिप्पणियों के प्रकाश में परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करें और संशोधित दस्तावेज भेज दें।		
5.	राजस्थान	रिर्पोट की अपेक्षित प्रतियां 14.6.99 को प्राप्त हुई।	राजस्थान में द्वितीयक स्तरीय अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण।	535.32 करोड़ 5 वर्ष	विशेषज्ञ अभिकरणों ने परियोजना रिपोर्ट की जांच-पड़ताल पहले ही कर ली है। राज्य सरकार राज्य सकरार से अनुरोध किया गया है कि वह विशेषज्ञ टिप्पणियों के प्रकाश में परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करे और संशोधित दस्तावेज भेज दें।	यह प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष अभी रखा जाना है।	

फर्जी शिक्षा संस्थान

***27. डॉ. अशोक पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी संख्या में फर्जी विदेशी शिक्षा संस्थान चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिन संस्थानों का पता लगा है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है/किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) भारत में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का चलाया जाना हाल ही की घटना है। अन्य बातों के साथ-साथ सरकार ने विदेशी शैक्षिक संस्थाओं को विनियमित करने और व्यवस्थित रूप से चलाने के वास्ते उपाय सुझाने के लिए एक कार्यदल और एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। उनकी सिफारिशें सरकार के पास विचार करने के लिए आ गई हैं। इसी बीच विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कदाचार निवारण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य के लिए किए गए व्यय का अनुपात

***29. श्री जी.एम. बनातवाला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किए गए व्यय के अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे व्यय के प्रतिशत में लगातार कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पर्याप्त और बेहतर जन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी परिव्यय में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र-केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न योजनावधियों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी योजना निवेश के पैटर्न को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी परिव्ययों/खर्च की प्रतिशतता विभिन्न पिछली योजनावधियों में कुल मिलाकर वही रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए परिव्यय की प्रतिशतता आठवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय की तुलना में वृद्धि दर्शाती है।

(घ) और (ङ) सरकार मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता और एड्स जैसे रोगों के नियंत्रण कार्यक्रम में सहायता करने के लिए विभिन्न

विपक्षी और बहुपक्षी अभिकरणों से बाह्य सहायता जुटाकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों के लिए संसाधनों में वृद्धि करने हेतु हर प्रयास करती रही है। चुनिंदा राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाओं का दर्जा भी बढ़ाया जा रहा है। प्रजनक और बाल स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्राप्त की गई है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र (केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) में भिन्न-भिन्न योजना अवधियों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संबंध में निवेश का पैटर्न।

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	अवधि	कुल योजना निवेश (सभी शीर्ष)	स्वास्थ्य		परिवार कल्याण		कुल (स्वा. एवं प.क.)	
			विकास परिव्यय/खर्च	कालम 3 का प्रति.	परिव्यय/ खर्च	कालम 3 का प्रति.	परिव्यय/ खर्च	कालम 3 का प्रति.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पहली योजना (वास्तविक) (1951-56)	1960.00	65.20	3.33	0.10	0.01	65.30	3.33
2.	दूसरी योजना (वास्तविक) (1956-61)	4672.00	140.80	3.01	5.00	0.11	145.80	3.12
3.	तीसरी योजना (वास्तविक) (1961-66)	8576.50	225.90	2.63	24.90	0.29	250.80	2.92
4.	वार्षिक योजना (वास्तविक) (1966-69)	6625.40	140.20	2.12	70.40	1.06	210.60	3.18
5.	चौथी योजना (वास्तविक) (1969-74)	15778.80	335.50	2.13	278.00	1.76	613.50	3.89
6.	पांचवीं योजना (वास्तविक) (1974-79)	39426.20	760.80	1.93	491.80	1.25	1252.60	3.18
7.	(1979-80)(वास्तविक)	12176.50	223.10	1.83	118.50	0.97	341.60	2.81
8.	छठी योजना (परिव्यय) (1980-85)	97500.00	1821.00	1.87	1010.00	1.04	2831.00	2.90
	छठी योजना (वास्तविक) (1980-85)	109291.7	2025.20	1.85	1387.00	1.27	3412.20	3.12
9.	सातवीं योजना (परिव्यय) (1985-90)	180000.00	3392.90	1.88	3256.30	1.81	6649.20	3.69
	सातवीं योजना (वास्तविक)	218729.60	3688.60	1.69	3120.80	1.43	6809.40	3.11
10.	(1990-91)–वास्तविक	61518.10	960.90	1.56	784.90	1.28	1745.80	2.84
11.	(1991-92)–वास्तविक	65855.80	1042.20	1.58	856.60	1.30	1898.80	2.88
12.	आठवीं योजना परिव्यय (1992-97)	434100.00	7582.20	1.75	6500.00	1.50	14082.20	3.24
13.	नवीं योजना (परिव्यय) (1997-2002)	859200.00	19374.11	2.25	15120.20	1.76	34494.31	4.01

स्रोत : एफ.आर. प्रभाग, योजना आयोग

राष्ट्रीय खेल नीति

***30. श्री अनंत गंगाराम गीते :**

श्री किरीट सौमैया :

क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेलों को बढ़ावा देने और उनके संवर्धन के लिए कोई नयी राष्ट्रीय खेल नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने नई खेल नीति तैयार करने हेतु लोगों से सुझाव मांगने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार एक नयी राष्ट्रीय खेल नीति तैयार कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के एकीकरण, खेल अवस्थापना के उन्नयन तथा विकास, राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य उपयुक्त निकायों को समर्थन प्रदान करने, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण संबंधी सहायता को सुदृढ़ बनाने, खेलों के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, महिलाओं, जनजातियों तथा ग्रामीण युवाओं की बेहतर सहभागिता तथा जन सामान्य में खेल संबंधी भावना को बढ़ावा देने के लिए और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के माध्यम से खेलों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की बात पर बल देने की परिकल्पना की गई है।

(ग) अब तक खेलों के साथ सम्बद्ध जिन विभिन्न संस्थानों/अलग-अलग व्यक्तियों तथा साथ ही साथ भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है, नयी राष्ट्रीय खेल नीति को अंतिम रूप देते समय उनके विचारों तथा सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

क्षय रोग उन्मूलन

***31. डॉ. जसवंत सिंह यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा क्षय रोग के उन्मूलन के लिये बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रतिशत सफलता मिली है;

(ग) क्या सरकार क्षय रोग के मरीजों को इलाज के लिए पूर्ण सहायता और दवाएं मुहैया कराती है;

(घ) यादि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने क्षय रोग के नियंत्रण हेतु केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया था। यह कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के साथ जुड़ा हुआ है और 446 जिला क्षय रोग केन्द्रों, 330 क्षय रोग क्लीनिकों और लगभग 47,600 पलंगों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। रोगियों को उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

एक संशोधित कार्यनीति, जिसका शुरू में 1993 में प्रायोगिक परीक्षण किया गया था, पर इस समय अमल किया जा रहा है और इसके अन्तर्गत 130 मिलियन लोगों को लाया गया है। प्रत्याशा है कि सन् 2000 के आरम्भ तक इस संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा और 100 मिलियन लोगों को कवर किया जाएगा।

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 10 में से 4 रोगियों (40 प्रतिशत) का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जबकि संशोधित कार्यनीति (संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम) के अन्तर्गत 10 में से 8 रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है।

वर्ष 1997 से औषधियां शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर प्रदान की जा रही हैं। पॉजीटिव (रोग की पुष्टि वाले) थूक वाले रोगियों के लिए औषधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे ही प्रदान की जा रही हैं, जबकि नेगेटिव थूक वाले रोगियों को औषधियां प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को नगद सहायता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन

***32. श्री टी.एम. सैल्वागनपति :**

श्री पी.सी. थामस :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने स्कूली पाठ्यक्रम और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए कार्य करने हेतु कोई ग्रुप गठित किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ग्रुप ने इस संबंध में रिपोर्ट/दस्तावेज तैयार किया है और क्या उसे प्रस्तुत कर दिया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नए पाठ्यक्रम में मुख्य राजनीतिक सिद्धांत के रूप में मार्क्सवाद को अमान्य कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने स्कूल पाठ्यचर्या के संशोधन के कार्य के लिए एक समूह गठित किया है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम का संशोधन इस पाठ्यचर्या समूह के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। राज्य बोर्ड और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यचर्या संशोधन के संबंध में स्वयं निर्णय लेते हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

जनसंख्या वृद्धि

***33. श्री शीशराम सिंह रवि :**

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश की कुल अनुमानित जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक उठाए गए सभी कदम निरर्थक सिद्ध हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा;

(ङ) क्या ग्राम स्तर पर कोई अभियान आरंभ किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) योजना आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमानों पर गठित तकनीकी दल द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार 1 अक्तूबर, 1999 को भारत की जनसंख्या 990.4 मिलियन होने का अनुमान है।

(ख) देश की जनसंख्या 1951 में 361.1 मिलियन से बढ़कर 1971 में 548.2 मिलियन और 1991 में 846.3 मिलियन हो गई थी। इस समय देश की जनसंख्या में 15.5 मिलियन की वार्षिक वृद्धि हो रही है। जन्म-दर 1951 में 40.7 से घटकर 1998 में 25.4 हुई है। समग्र प्रजनन दर 1951 में 6.0 थी जो 1997 में घटकर 3.3 हो गई है।

(ग) इस समस्या का सामना करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का एक एकीकृत एवं व्यापक कार्यक्रम, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन से संबंधित मुद्दे शामिल हैं;

(ii) छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम,

(iii) उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों के माध्यमों से परिवार कल्याण सेवाओं की व्यवस्था,

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार कल्याण के कुछ आधारभूत ढांचे की व्यवस्था के लिए सहायता।

(v) स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता।

(घ) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों का लक्ष्य निम्नलिखित है :

सूचक	लक्ष्य (वर्ष 2002 में)
अशोधित जन्म दर	23/1000
शिशु मृत्यु दर	50/1000
कुल प्रजननता दर	2.6
दम्पति सुरक्षा दर	60%

2. लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए समन्वित दृष्टिकोण है, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लक्षित आबादी की आवश्यकता आधारित, उपभोक्ता केन्द्रित, मांग आधारित और उच्च गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करता है। विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवार कल्याण सेवाओं की सुविधाओं में सुधार लाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।

3. दूरदर्शन और आकाशवाणी के अतिरिक्त, क्षेत्र विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों को कारगर बनाया गया है। ये कार्यकलाप जिला साक्षरता समितियों और नेहरू युवक केन्द्र के माध्यम से जिला स्तर पर एवं महिला स्वास्थ्य संघ के माध्यम से 1000 से अधिक आबादी (पहाड़ी क्षेत्रों में 500) वाले गांव में और गीत एवं नाटक प्रभाग के माध्यम से चलाई जा रही है। सहायक नर्स धात्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से चल रहे 1.36 लाख उपकेन्द्रों वाले स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की सेवाएं ग्रामीण स्तर पर ली जा रही हैं। गैर सरकारी संगठनों के सहयोग और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रसार भारती बोर्ड

*34. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रसार भारती बोर्ड को पूर्ण स्वायत्तता देने और इसके लिये विधान लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1997-98, 98-99 के दौरान प्रसार भारती बोर्ड को कितना लाभ और कितनी हानि हुई; और

(ङ) इन संगठनों की मौजूदा जवाबदेही और इस संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित परिवर्तनों के बाद की जवाबदेही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) प्रसार भारती जिसके दूरदर्शन और आकाशवाणी अंग हैं, वह पहले से ही प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के कानूनी ढांचे के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकाय है।

(घ) प्रसार भारती एक सार्वजनिक सेवा प्रसारण संगठन है और इसलिए इसके द्वारा लाभ-हानि लेखा का रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले दो वर्ष के दौरान प्रसार भारती के कुल व्यय एवं राजस्व संबंधी सूचना नीचे दी गई है :

	1997-98	1998-99
व्यय (करोड़ रु. में)	1333.36	1314.68
राजस्व अर्जन (करोड़ रु. में)	568.49	515.66

(ङ) प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा-13 में इस बात की देख-रेख हेतु एक संसदीय समिति का प्रावधान है कि उक्त निगम इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार काम करे। धारा-14 में एक प्रसारण परिषद का प्रावधान है जिसे शिकायतों पर विचार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। प्रत्येक वर्ष प्रसार भारती के लिए बजट में वार्षिक वित्तीय अनुदान की मात्रा का निर्धारण करते समय इसके कार्यकरण की समीक्षा की जाती है और इसकी आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। प्रसार भारती की वार्षिक रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस संस्था में एक प्रबंधन बोर्ड है जिसमें प्रतिष्ठित एवं विद्वान व्यक्ति शामिल हैं और यह संस्था के कार्यकरण के संबंध में निर्देशन एवं पर्यवेक्षण कार्य करता हैं। सरकार ने प्रसार भारती की व्यापक समीक्षा हेतु हाल ही में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है और इस समिति की रिपोर्ट के मद्देनज़र आगामी उपायों पर विचार किया जाएगा।

दूरदर्शन कार्यक्रमों की सेंसरशिप से संबंधित मानदण्ड

*35. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा सामाजिक विषयों और अन्य टी.वी. कार्यक्रमों, विशेषकर जिनमें सरकार के कार्यकरण नीतियों की आलोचना होती है, के कुछ अंशों को काटने या सेंसर करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रमों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसारण मीडिया के लिए 'नई नीति' के तहत निर्धारित नई नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था है कि राजनैतिक विवादों की जानकारी देने में प्रसारण मीडिया का लक्ष्यपरक एवं निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए। इसका उद्देश्य विचारों की भिन्नता का सही तरीके से प्रसारण होना चाहिए। यदि विचारों की भिन्नता एक ही बुलेटिन में नहीं दी जा सकती हो तो शेष को उचित समयावधि में प्रसारित किया जाना चाहिए।

सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं

*36. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**

प्रो. रासासिंह रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2000 तक सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कब तक इस लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) सभी नागरिकों को सन् 2000 तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितने डॉक्टरों की आवश्यकता होगी;

(ङ) राज्यों में चल रही केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) 1998-99 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और कहां तक लक्ष्यों की प्राप्ति हुई;

(छ) क्या सरकार का विचार ग्राम स्तर पर और अधिक स्वास्थ्य

केन्द्र खोलने और निजी स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को प्रोत्साहन देने का है;

(ज) यदि हां, तो उनके लिए क्या उपाय किए जाने/रियायतें दिए जाने की संभावना है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (च) जन स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक, संवर्धनात्मक और उपचारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत देश भर में 1,36,818 उपकेन्द्रों, 22,991 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2712 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स, कैंसर, आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम हैं। व्यापक रूप से "सभी के लिए स्वास्थ्य" की सुविधा प्रदान करने में सरकार की क्षमता वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण सीमित है।

इस प्रयोजन के लिए डाक्टरों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार एलोपैथिक डॉक्टरों का डॉक्टर जनसंख्या अनुपात लगभग 1:1980 है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमयोपैथी के व्यवसायियों को साथ मिलाया जाए तो यह अनुपात बेहतर हो जायेगा।

देश भर में चल रही प्रमुख केन्द्रीय प्रोयोजित स्वास्थ्य योजनाओं की सूची, इन योजनाओं के लिए नियत किए गए लक्ष्यों और 1998-99 के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) से (झ) कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 7686 उपकेन्द्र, 1521 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2903 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए नौवीं योजना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

देश की ग्रामीण और उच्च घनत्व वाली शहरी मलिन बस्ती की जनसंख्या को बेहतर चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, जहां मौजूदा चिकित्सा-परिचर्या संबंधी सुविधाएं अपर्याप्त हैं, ये नए अस्पताल/औषधालय स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण

प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत 1998-99 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम		लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2		3	4
1.	राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम			
	(i) 1999 के दौरान मलेरिया के लिए जांची गई जनसंख्या (25.10.1999 तक उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार) (लाखों में)			479.54
	(ii) वार्षिक रक्त जांच दर–1998		वर्ष में जांची जाने वाली 10 प्रतिशत जनंख्या	9.51
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम			
	रोगी का पता लगाना		2.86	7.83
	रोगी उपचार	(लाख में)	2.86	7.79
	रोगी की छुट्टी		6.12	7.73
3.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम :			
	स्मीयर पाजिटिव रोगी	(लाख में)	4.73	3.22
	थूक जांच		141.89	38.93
4.	राष्ट्रीय दृष्टि हीनता नियंत्रण कार्यक्रम			
	किए गए मोतियाबिन्द आपरेशन	(लाख में)	33.02	33.20

1	2	3	4
5.	परिवार कल्याण कार्यक्रम		
	(i) रोग प्रतिरक्षण कवरेज (लाख में)	अनुमानित आवश्यकता	
	डी.पी.टी.	251.17	233.05
	पोलियो (तीसरी खुराक)	251.17	236.82
	बी.सी.जी.	251.17	243.60
	खसरा	251.17	219.25
	टी.टी. (गर्भवती महिलाएं)	277.47	230 14
	(ii) परिवार नियोजन कवरेज (लाख में)		
	बन्ध्यकरण	कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया	41.82
	आई.यू.डी.	(1996-97 से आगे)	60-65
	पारम्परिक गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता		173.08
	मुख्य सेव्य गोली के उपयोगकर्ता		68.69
6.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण करने के लिए लक्ष्य नियत नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इस समय इनका कोई इलाज नहीं है। वैसे, एच.आई.वी./एड्स के निवारक और नियंत्रण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभीष्टतम प्रयास किए जा रहे हैं।	

*अन्तिम

प्रौढ़ शिक्षा योजना

*37. **श्री बाजू बन रियान :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु इस बीच कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर दिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) शिक्षा विभाग ने देश में संपूर्ण साक्षरता अभियानों की स्थिति तथा प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 1993 को प्रो. अरूण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। दल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.9.1994 को प्रस्तुत कर दी थी।

आवास क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*38. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास तथा शहरी बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकर्त्ताओं की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आपत्तियां उठाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों और ऐसे विदेशी व्यापारिक निकायों, जिनका स्वामित्व मुख्यतः अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के पास है और उनमें उनका कम-से कम 60% का हित लाभ हो, को आवास और स्थावर संपदा विकास क्षेत्र में विदेशी निवेश की पहले ही अनुमति है। आवास क्षेत्र में विदेशी पूंजी के प्रत्यक्ष निवेश की अभी अनुमति नहीं है।

(ग) और (घ) वित्त और विदेश मंत्रालयों सहित संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके स्कीम के उदारीकरण और सभी संभावित निवेशकों तक इसके विस्तार के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। उनकी टिप्पणियों पर विचार के बाद एक प्रस्ताव कैबिनेट के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया

हैं। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए एक मंत्रिदल का गठन किया है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी

***39. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के केन्द्रीय विद्यालयों, विशेष कर राजस्थान, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विषयवार और राज्यवार रिक्त पदों की कुल संख्या का पता लगाया है, और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भर दिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) देश भर के केन्द्रीय विद्यालयों में सभी श्रेणियों में 1.8.1999 तक शिक्षकों के लगभग 2809 पद खाली पड़े थे। रिक्त पदों के संबंध में क्षेत्रवार तथा विषयवार एक विवरण संलग्न है।

स्नातकोत्तर शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। प्रशिक्षित स्नातक, प्राथमिक तथा विविध श्रेणियों हेतु शिक्षकों के लिए यह प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी हैं। जहां नियमित नियुक्तियों में कुछ विलंब है, वहां प्रधानाचार्यों को अस्थाई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अधिकार दे दिए हैं।

विवरण

1.8.99 तक स्नातकोत्तर शिक्षकों हेतु रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	गणित	भौतिकी	रासा. विज्ञान	बायो.	इति.	भूगोल	अर्थशास्त्र	वाणिज्य	अंग्रेजी	हिन्दी	संस्कृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अहमदाबाद	07	01	03	01	02	–	07	03	15	06	–
2.	बंगलौर	02	01	02	02	01	–	–	–	01	04	–
3.	भोपाल	–	05	07	04	01	–	05	02	04	02	–
4.	मुम्बई	02	02	04	–	01	01	03	01	01	–	–
5.	कलकत्ता	05	03	06	03	–	–	12	05	10	04	–
6.	चंडीगढ़	02	11	09	10	04	–	08	04	07	01	–
7.	दिल्ली	01	06	06	03	06	03	09	11	04	03	–
8.	गुवाहाटी	05	14	13	15	07	–	07	03	18	09	–
9.	ग्वालियर	01	–	02	–	01	01	03	05	09	03	–
10.	हैदराबाद	–	01	–	–	–	–	06	–	03	01	–
11.	जबलपुर	01	05	05	08	01	–	–	02	12	01	–
12.	जम्मू	11	07	10	12	03	–	03	02	11	08	–
13.	जयपुर	03	01	05	09	03	–	06	01	05	01	–
14.	लखनऊ	01	02	01	06	01	–	04	02	05	–	–
15.	पटना	08	08	08	12	01	01	03	03	12	07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	सिल्चर	10	12	11	10	04	03	04	02	16	09	–
17.	भुवनेश्कर	01	–	02	02	–	04	02	01	08	02	–
18.	चेन्नई	–	–	–	–	01	01	03	01	02	05	–
19.	देहरादून	04	07	03	10	06	02	03	03	08	02	–
	कुल	64	86	97	106	42	16	88	51	151	68	–

1.8.99 तक टी.जी.टी./प्रधानाचार्य के रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	अंग्रेजी	हिन्दी	संस्कृत	सा.अध्य.	गणित	बायो.	एच/एम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अहमदाबाद	25	04	06	09	25	10	08
2.	बंगलौर	22	01	05	18	04	05	08
3.	भोपाल	19	–	12	04	08	–	08
4.	मुम्बई	33	07	06	14	07	05	10
5.	कलकत्ता	19	03	04	03	–	06	11
6.	चंडीगढ़	20	08	18	01	02	04	14
7.	दिल्ली	05	06	06	02	01	02	03
8.	गुवाहाटी	38	07	05	17	23	14	10
9.	ग्वालियर	02	01	04	–	06	05	05
10.	हैदराबाद	13	02	13	02	04	01	12
11.	जबलपुर	11	–	01	–	06	–	14
12.	जम्मू	14	01	–	05	08	07	11
13.	जयपुर	24	04	09	–	21	01	06
14.	लखनऊ	04	–	–	03	01	–	08
15.	पटना	05	–	–	–	01	02	06
16.	सिल्चर	12	–	14	19	25	14	11
17.	भुवनेश्वर	04	02	01	–	01	02	06
18.	चेन्नई	22	08	14	07	01	03	16
19.	देहरादून	14	–	05	02	07	02	09
	कुल	306	54	123	106	151	83	176

1.8.99 तक श्रेणीवार (पी.आर.टी./विविध शिक्षकों) और क्षेत्रवार रिक्तियों का विवरण

क्रम. सं.	क्षेत्र	पद/श्रेणी पी.आर.टी.	पी.ई.टी.	डब्ल्यू.ई.टी.	ड्रॉ. शि.	संगीत शि.	योग शि.	लाइब्रेरियन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अहमदाबाद	27	14	08	02	06	–	03
2.	बंगलौर	48	23	18	02	05	02	08
3.	भोपाल	42	14	08	03	(–)01	–	04
4.	भुवनेश्वर	(–)28	18	11	03	(–)01	–	–
5.	मुम्बई	06	10	15	01	(–)01	0.3	04
6.	कलकत्ता	19	07	11	02	(–)03	(–)05	02
7.	चंडीगढ़	27	22	30	01	04	–	04
8.	देहरादून	17	20	11	06	03	(–)03	03
9.	दिल्ली	34	07	20	09	(–)02	(–)02	02
10.	गुवाहाटी	32	36	23	02	–	–	07
11.	ग्वालियर	16	06	07	02	–	(–)01	03
12.	हैदराबाद	(–)09	15	09	02	01	0	02
13.	जबलपुर	(–)28	11	06	01	–	–	02
14.	जयपुर	07	12	09	–	–	01	03
15.	जम्मू	53	19	09	05	04	01	06
16.	लखनऊ	18	08	06	02	02	0	02
17.	चेन्नई	15	14	10	07	05	05	06
18.	पटना	(–)04	22	06	02	–	–	–
19.	सिल्चर	87	10	–	–	05	–	16
	कुल योग	379	288	217	52	27	01	77

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना

*40. **डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ग) परियोजना का प्रथम चरण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) समग्र परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) सरकार द्वारा अनुमोदित दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना के चरण-I की कुल अनुमानित लागत, अप्रैल 1996 की कीमतों के अनुसार 4,860.00 करोड़ रुपये है।

(ख) एक कोरीडोर के शाहदरा—तीस हजारी—खंड पर सिविल निर्माण कार्य अक्तूबर, 1998 में शुरू किया गया है और इस पर कार्य चल रहा है। मैट्रो कोरीडोर और रेल कोरीडोर के लिए निर्माण-पूर्व क्रियाकलाप पूरे कर लिए गए हैं। दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना (चरण-I) के लिए 6% वास्तविक कार्य और 4.5% वित्तीय कार्य, अक्तूबर, 1999 तक पूरा कर लिया गया है।

(ग) दिल्ली एम.आर.टी.एस. चरण-I परियोजना मार्च, 2005 तक पूरी की जानी है।

(घ) चूंकि सरकार द्वारा दिल्ली एम.आर.टी.एस. की पूरी प्रणाली के केवल चरण-I को अनुमोदित किया गया है इसलिए पूरी प्रणाली को पूरा होने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन

231. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुग्ण सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के कर्मचारियों ने सरकार से रुग्ण इकाई को पुनः चालू करने और जनवरी 1992 से पुनरीक्षण हेतु लंबित वेतन की समीक्षा का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के वेतन को अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के समतुल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा नवम्बर, 1992 में रुग्ण सार्वजनिक उपक्रम घोषित किया गया है। सरकार मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत, बी.आई.एफ.आर. के साथ दर्ज रुग्ण सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में वेतन संसाधन तथा अन्य लाभों की मंजूरी केवल तभी दी जाएगी यदि इस इकाई का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया है। पुनरुद्धार पैकेज में इस लेखे में विस्तृत दायित्व शामिल होना चाहिए।

एच.एफ.सी. के पुनर्वास प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है और एच.एफ.सी. की केवल नामरूप इकाइयों के पुनरुद्धार को अनुमोदित किया था जिसमें अन्य इकाइयों के संबंध में निर्णय को रोक लिया गया था। अब एच.एफ.सी. की बाकी इकाइयों के लिए एक विस्तृत पुनर्वास प्रस्ताव सरकार को तथा बी.आई.एफ.आर. की अंतिम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना है।

अलपुजा परियोजना

232. श्री बी.एम. सुधीरन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से अलपुजा नगरपालिका द्वारा तैयार की गई "स्वच्छ अलपुजा" परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसके कब तक मंजूर हो जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) अलपुजा नगर परिषद ने नवम्बर, 1996 में 385.85 लाख रु. की अनुमानित लागत की "स्वच्छ अलपुजा" नामक कचरा प्रबंधन पर 180 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए एक प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव भेजा था। अप्रैल, 1997 में इस मंत्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) द्वारा अलपुजा नगर परिषद को यह सूचित किया गया था कि केन्द्र की कचरा प्रबंधन हेतु कोई स्कीम नहीं है जिसके तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए भूमि का अधिग्रहण

233. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए कितने किसानों की कितनी-कितनी भूमि अधिगृहित की है;

(ख) प्रभावित किसानों को कितनी मुआवजा की राशि दी गई है;

(ग) सरकार ने प्रभावित किसानों के पुनर्वास के लिए क्या नीति अपनायी है;

(घ) पुनर्वास की सुविधा से कितने किसान अलग रखे गये हैं और इन किसानों को कब तक पुनर्वास का लाभ दे दिया जाएगा;

(ङ) क्या प्रभावित किसानों के पारिवारों के लिए रोजगार हेतु आरक्षण किया गया है;

(च) यदि हां, तो अब तक कितने परिवारों को रोजगार के अवसर दिए गए हैं और शेष परिवारों को इसका लाभ कब तक दिया जाएगा;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. ने अपनी थाल उर्वरक परियोजना को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में 385 कृषक परिवारों से 246.7222 हैक्टेयर जमीन अधिग्रहीत किए थे।

(ख) प्रभावित परिवारों को 83,90,143 रुपए की मुआवजे की राशि दी गई थी।

(ग) कंपनी के प्रबंध तंत्र ने पुनर्वास उपाय के रूप में यह निर्णय लिया था कि अधिग्रहीत की गई जमीन वाले प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार के लिए आवेदन करने वाले उन उम्मीदवारों से योग्यता तथा आयु में छूट देकर तरजीह दी जाएगी।

(घ) से (ज) 385 प्रभावित परिवारों में से कुल 615 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

राजस्थान में अन्य जातियों को ओबीसी में शामिल करना

234. **श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राजस्थान की विश्नोई, मेव, कायमखानी, सिरबी, पटेल, कालावी, अजाना, भोभिया, राजपूत जैसी जातियों को अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) भारत सरकार इस प्रयोजन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त सलाहों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने/संशोधन को अधिसूचित करती है। राजस्थान के संबंध में विश्नोई, मेव, कयमखानी, सिर्बी, पटेल, कलावी, अजाना, भोबिया तथा राजपूत जैसी जातियों के संबंध में कोई सलाह प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास

235. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में कितनी झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास किया जाना है;

(ख) उक्त बस्तियों में झुग्गियों की संख्या कितनी है और वहां की जनसंख्या कितनी है; और

(ग) इस प्रकार के पुनर्वास के लिए क्या पात्रताएं हैं तथा उनका पुनर्वास कब तक कर दिया जाएगा और शहर को कब तक झुग्गी बस्तियों से मुक्त कर दिया जायेगा ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि उसकी ओर से "सेन्टर फार रिसर्च इन रूरल एरियाज एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट" (सी आर आई डी) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार चंडीगढ़ में 26 अनधिकृत झुग्गी कालोनियां हैं जिनके पुनर्वास पर विचार किया जाना है।

(ख) उपर्युक्त अनधिकृत कालोनियों में 33,260 परिवार रहते हैं और इनकी आबादी 1,18,368 है।

(ग) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे मौजूदा नीति-निर्देशों के अनुसार पुनर्वास के लिए पात्र लाभार्थियों को चंडीगढ़ में श्रमिक कालोनी का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम 8.12.96 तक की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। नगर से स्लम हटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है चूंकि स्लम निवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। इसमें भूमि का अधिग्रहण, सेवाओं का विकास, लाभार्थियों की पहचान और उसके बाद उनके पुनर्वास जैसे क्रिया-कलाप शामिल हैं।

मोटल लाइसेंस

236. **श्री रामसागर रावत :**

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मोटल खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाइसेंस जारी करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में मोटल खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाइसेंस जारी करने हेतु लंबित आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) जिन मोटलों को खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं/परियोजना का निपटान किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजधानी में कुछ मोटल अवैध रूप से चल रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इन मोटलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ख) दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्तर्राज्यीय सड़कों पर ग्रामीण क्षेत्रों/हरित पट्टी और वाणिज्यिक क्षेत्रों में मोटलों की अनुमति है।

वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थित मोटलों पर होटलों पर लागू मानदण्ड और भवन निर्माण मानक लागू होंगे।

ग्रामीण क्षेत्र/हरित पट्टी में स्थित मोटलों पर निम्नलिखित मानदण्ड और भवन निर्माण मानक लागू होंगे :

(i) प्लाट का आकार कम-से-कम एक एकड़ होगा।

(ii) प्लाट में प्रवेश और प्लाट से निर्गम का रास्ता कम-से-कम 9 मीटर चौड़ा होगा।

(iii) कम-से-कम सेटबैक सामने से 15 मीटर और पार्श्व और पीछे का 9 मीटर होगा। यह सेटबैक कानून द्वारा निर्धारित सड़क की चौड़ाई से फ्री बफर के अतिरिक्त होगा।

(iv) पहले और दूसरे हेक्टेयर में 1500 वर्ग मी. की अधिकतम फर्श क्षेत्र की सीमा के अधीन फर्शी क्षेत्रफल अनुपात 15 होगा और शेष भूमि का 5% क्षेत्र कार्य स्थल में होगा बशर्ते कि यह अधिकतम 1500 वर्ग मीटर हो।

(v) अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज फर्शी क्षेत्रफल अनुपात के बराबर होगा।

(vi) निर्मित ढांचे 9 मीटर से अधिक ऊंचाई के नहीं होंगे।

(vii) एयरकन्डीशनिंग प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट, इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन, पार्किंग और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक सीमा तक ग्राउण्ड कवरेज के बराबर बेसमेन्ट फर्शी क्षेत्रफल के अनुपात में सम्मिलित न करना अनुमत्य होगा।

(viii) 1.67 ई.सी.ए. प्रति 100 वर्ग मीटर के फर्श क्षेत्र की न्यूनतम मात्रा पर पार्किंग स्थल मुहैया होगा जिसमें इस संबंध में बेसमेंट में किया गया प्रावधान शामिल होगा।

(ix) रिटेल और सर्विस शॉप्स फर्शी क्षेत्र के अधिकतम 5% तक सीमित होगी।

(x) जल और विद्युत आपूर्ति, जल-मल, जल-निकास और अन्य ऐसी अवस्थापना भवन निर्माण नियामक प्राधिकरण के मानकों के अनुसार मुहैया कराए जाएंगे।

(xi) भूमि उपयोग के लिए सभी प्रकार की अनुमतियों और स्वीकृतियों जो अनुमोदन या मंजूरी के लिए विकास के लिए सामान्य रूप से अपेक्षित होती हैं उन्हें संबंधित प्राधिकारियों से लिया जाएगा।

ऐसे मोटलों के संबंध में बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन स्थानीय निकायों/डी.डी.ए. द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मोटल मालिकों को निम्नलिखित अनुपात में "प्रयोग अनुमति प्रभार" का भुगतान करना होता है :

(i)	पहला हेक्टेयर	–	20 लाख रुपये
(ii)	दूसरा हेक्टेयर	–	10 लाख रुपये
(iii)	तीसरा हेक्टेयर और उससे अधिक	–	5 लाख रुपये

(ग) डी.डी.ए. को दो आवेदन प्राप्त हुए हैं जो प्रक्रियाधीन हैं। इसी प्रकार की सूचना एम.सी.डी. से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध कब्जा

237. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार सरकारी कॉलोनियों में पता लगाए गए अवैध कब्जों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में क्रमशः 14.8.98 और 17.11.97 को जारी किए गए सरकार के निर्देशों का पालन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के बाजारों में गलियारों में उसके आगे खुले स्थानों में तथा नई दिल्ली में सम्पदा निदेशालय के बाजारों में दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जे किए हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो अवैध कब्जों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा निदेशों का अनुपालन कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार द्वारा 14.8.96 और 17.11.97 को जारी अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसे अतिक्रमण जब कभी ध्यान में आते हैं तो नई दिल्ली नगर परिषद और संपदा निदेशालय द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ अतिक्रमण अभी भी मौजूद हैं। इस नाते अनेक दुकानों के आबंटन भी रद्द किए गए हैं।

(ङ) और (च) इन मामलों में किसी अधिकारी के जिम्मेदार पाये जाने पर उसके खिलाफ अनुशासन की कारवाई की जाती है। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी संबंधित संगठनों और एजेंसियों को भी सरकार हिदायत देती रहती है।

विवरण

दिल्ली में सरकारी कॉलोनी में अतिक्रमणों का क्षेत्रवार ब्यौरा 30.10.99 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	क्षेत्र	अतिक्रमण की किस्म (सं.)				
		वाणिज्यिक	धार्मिक	रिहायशी	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	**डी आई जैड क्षेत्र**					
	सेक्टर-I	1	3	61	–	65
	सेक्टर-II	1	2	452	–	455
	सेक्टर-III		1	306	–	307
	सेक्टर-IV		3	–	1	4
2.	आराम बाग	–	1	–	–	1
3.	मिन्टो रोड	123	20	–	–	143
4.	तिमारपुर	–	1	88	–	89
5.	बापा नगर	–	–	93	–	93
6.	कर्जन रोड अपार्टमेंट	17	1	–	–	18
7.	भारती नगर	2	1	–	–	3
8.	जाम नगर हाऊस	1	2	–	–	3
9.	जैसलमेर हाऊस	1	–	–	–	1
10.	**आर. के. पुरम**					
	सेक्टर-I	2	–	7	–	9
	सेक्टर-II	–	–	478	–	478
	सेक्टर-III	–	–	365	–	365
	सेक्टर-IV	6	1	67	1	75
	सेक्टर-V	–	23	–	–	23
	सेक्टर-VI (मार्किट)	16	–	–	–	16
	सेक्टर-VII	4	–	27	–	31
	सेक्टर-VIII	5	–	23	–	28
	सेक्टर-XIII	–	–	22	–	22
11.	नेताजी नगर	–	–	8	–	8

1	2	3	4	5	6	7
12.	मोती बाग	2	–	83	–	85
13.	नानकपुरा	–	–	85	–	85
14.	बसंत विहार	–	–	1	–	1
15.	सरोजिनी नगर	4	–	99	–	103
16.	नौरोजी नगर	1	3	10	1	15
17.	देवनगर	–	1	46	–	47
18.	लोधी रोड	–	–	1	–	1
19.	अलीगंज	1	–	–	–	1
20.	किदवई नगर (ईस्ट)	4	6	–	–	10
21.	लक्ष्मीबाई नगर	–	1	6	–	7
22.	पी.वी. होस्टल	19	–	–	–	19
23.	सेवा नगर	–	–	50	–	50
24.	पुराना सचिवालय के पास	–	–	17	–	17
25.	लांसर रोड	–	–	1	–	1
	मालरोड स्टेशन	–	–	–	–	–
26.	कस्तूरबा नगर	–	8	58	1	67
27.	त्यागराज नगर	–	9	78	2	89
28.	एन्ड्रयूजगंज	3	1	89	–	93
29.	सादिक नगर	1	1	45	1	48
30.	श्रीनिवास पुरी	2	2	450	–	454
31.	पुष्प विहार	266	5	–	–	271
32.	कडकड्डूमा	10	–	590	–	600
	योग	492	96	3606	7	4201

[हिन्दी]

मेडिकल कालेज का खोला जाना

238. श्री राजनारायण पासी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बांसगांव, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कालेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इच्छुक आवेदक को एक नया मेडिकल कालेज खोलने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 और उसके अधीन बने विनियमों के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है।

[अनुवाद]

खेल कर्मचारियों द्वारा विदेश यात्रा

239. **श्री टी. गोविन्दन : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खेल कर्मचारियों द्वारा की गई विदेश यात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक यात्रा में कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) ऐसी यात्राओं में खिलाड़ियों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) क्या इस संबंध में खर्च कम करने का केन्द्र सरकार का विचार है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.एच. चाओबा सिंह) : (क) से (ग) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले भारतीय शिष्टमंडल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों का दौरा किया है।

(घ) मितव्ययिता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, शिष्टमंडलों की संरचना कम-से-कम रखी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम	भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों का नाम	व्यय
1	2	3	4
1.	11.9.1998 से 21.9.1998 तक कुआलालम्पुर में आयोजित 16वें राष्ट्रमंडल खेल		6,70,870.00
	10.9.98 से 16.9.1998 तक समूह "क"	(1) डॉ. मुरली मनोहर जोशी, मानव संसाधन विकास मंत्री	
		(2) श्री वी. के. मल्होत्रा, संसद सदस्य	
		(3) श्री प्रेम सिंह चण्दू माजरा, संसद सदस्य	
		(4) श्री एस. चन्द्रा एम. रेड्डी, खेल और युवा कार्य सेवाएं मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार	
		(5) श्री जे.पी. सिंह, संयुक्त सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	
		(6) श्री संजीव दुबे, उप सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	
		(7) श्री रवि कपूर, मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव	
	15.9.98 से 22.9.1998 तक समूह "ख"	(1) श्री चेतन चौहान, संसद सदस्य	
		(2) श्री श्याम सुंदर शर्मा, खेल मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार	

1	2	3	4
		(3) श्री भास्कर बरूआ, सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	
		(4) श्री अरूण गुप्ता, महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	
		(5) श्री ए.एस.वी. प्रसाद कार्यकारी निदेशक (टीम) भारतीय खेल प्राधिकरण	
2.	6.12.1998 से 20.12.1998 तक बैंकाक, थाईलैण्ड में आयोजित 13वें एशियाई खेल		
	5.12.1998 से 14.12.1998 तक समूह "क"	(1) श्री प्रवीण शर्मा खेल मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार	7,23,091.00
		(2) श्री डी.के. मित्तल, महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	
		(3) श्री एस. के. पाण्डा, निदेशक (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	
	13.12.1998 से 21.12.1998 तक समूह "ख"	(1) श्री जे.पी. सिंह संयुक्त सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	
		(2) श्री ओ.पी. भाटिया, कार्यकारी निदेशक (टीम), भारतीय खेल प्राधिकरण	
		(3) श्री आर. आर. जोवेल, निदेशक (खेल), हरियाणा सरकार	
3.	25.9.1999 से 4.10.1999 तक 8वें दक्षिण एशियाई परिसंघ खेल, काठमांडू, नेपाल		
	24.9.1999 से 29.9.1999 तक समूह "क"	(1) श्री डी.के. मणवालन, सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	33,716.00
		(2) श्री डी.के. मित्तल, महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	(भोजन तथा आवास, मंहगाई भत्ता और आंतरिक परिवहन संबंधी बिल भारतीय दूतावास, नेपाल से प्राप्त होना है।)

1	2	3	4
	29.9.1999 से 5.10.1999 तक समूह "ख"	(1) श्री जे.पी. सिंह, संयुक्त सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	
		(2) श्री ओ.पी. भाटिया, कार्यकारी निदेशक, (टीम) भारतीय खेल प्राधिकरण	

आदिवासी छात्रावास

240. श्री बसुदेव आचार्य : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिवासियों के लिए राज्यवार कितने छात्रावास उपलब्ध हैं; और

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यवार कितने छात्रावासों का निर्माण किये जाने की संभावना है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कल्याणकारी योजनाएं

241. डॉ. जयन्त रंगपी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम के अनुसूचित क्षेत्रों (छठी अनुसूची के तहत जनजातीय जिले) की अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई कल्याण योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक विकास से संबंधित योजनाएं छठे अनुसूचित क्षेत्रों सहित असम राज्य में आरंभ की गई है। ये योजनाएं हैं : संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान, आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के होस्टल, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में स्वैच्छिक संगठन

242. श्री ब्रजमोहन राम : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जा रहे हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) गुजरात में अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या तथा वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान स्वीकृत अनुदान की धनराशि इस प्रकार है :

(लाख रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	गैर-सरकारी संगठनों की सं.	1998-99	1999-2000 (आज तक)
1	2	3	4	5
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए योजना	13	35.62	16.30
2.	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	03	71.19	शून्य
3.	शराबखोरी और नशीली दवा दुरुपयोग की योजना।	07	44.46	40.91

1	2	3	4	5
4.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	03	शून्य	5.56
5.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	02	2.84	शून्य
6.	कष्ट में पड़े पशुओं के लिए एम्बुलैंस के प्रावधान की योजना	04	4.50	11.01
7.	बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	10	55.73	33.72

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष के लिए सहायता दो किश्तों में निर्मुक्त की जाती है तथा दूसरी किश्त निरीक्षण रिपोर्टों तथा समुचित प्राधिकारियों की सिफारिश के प्राप्त होने पर जारी की जाती है। ये सिफारिशें, संगठनों के कार्यकरण का मूल्यांकन करते समय निधियों के उपयोग तथा की गई प्रगति के संबंध में भी सूचित करती हैं। मंत्रालय की योजनाएं सामान्यतः सम्पूर्ण देश के स्वैच्छिक संगठनों के लिए हैं। इन योजनाओं का प्रचार आवधिक रूप से किया जाता है जिससे देश भर में गैर-सरकारी संगठनों की अधिक संख्या को मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जा सके।

[अनुवाद]

निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

243. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मानने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर तक अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ङ) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए दिनांक 28 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1997 पेश किया गया था। इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं :

(1) राज्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा;

(2) राज्य उन शैक्षिक संस्थाओं जो राज्य द्वारा संचालित नहीं हैं अथवा जो राज्य की निधियों से सहायता प्राप्त नहीं कर रही है, के संबंध में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का कोई कानून नहीं बनाएगा;

(3) सक्षम विधान मंडल संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1997 के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू करने का कानून बनाएगा;

(4) संविधान के अनुच्छेद 45 को हटा दिया जाएगा; और

(5) 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलबध कराना ऐसे नागरिकों जो बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक हैं, का मौलिक कर्तव्य होगा।

यह विधेयक विभाग से संबद्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया था। उक्त समिति ने दिनांक 24 नवम्बर, 1997 को लोक सभा तथा राज्य सभा के सभा पटल पर इसकी रिपोर्ट रख दी जिसमें इस संशोधन विधेयक में कुछ संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। विधि मंत्रालय से परामर्श करके संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

अध्यापकों को बकाया राशियों का भुगतान

244. **श्री मोइनुल हसन :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में 1 जनवरी, 1996 से हुए संशोधन के फलस्वरूप उन्हें देय बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों को धन जारी किया है और यह धन किन शर्तों पर जारी किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या करण हैं और यह धन कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना के कार्यान्वयन के लिए मणिपुर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 179.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की है :

(i) केन्द्र सरकार उन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने संशोधन के कार्यान्वयन से सम्बद्ध 80% तक के अतिरिक्त व्यय से इन संशोधित वेतनमानों के लिए विकल्प दिया है।

(ii) राज्य सरकारें अपने ही स्रोतों से शेष 20% व्यय को वहन करेंगी।

(iii) ऊपर दर्शाई गई वित्तीय सहायता 1.1.96 से 31.3.2000 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

(iv) विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमानों, आदि के संशोधन के कारण संपूर्ण उत्तरदायित्व को राज्य सरकारों द्वारा 1.4.2000 से अपने हाथ में लिया जाएगा।

(v) केवल उन पदों के लिए, जो 1.1.1996 को अस्तित्व में थे तथा भरे गए थे उनके वेतनमानों के संशोधन हेतु केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

अन्य राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की उनके परामर्श से शीघ्र जांच की जा रही है।

गो-मूत्र का उपयोग

245. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति से नागपुर के निकट देवलापुर में गो-मूत्र से वैज्ञानिक रूप से तैयार औषधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों को बढ़ावा देने हेतु प्राभावकारिता की जांच करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने मैसर्स गोविद्यान अनुसंधान केन्द्र, देवलापुर, महाराष्ट्र को गोमूत्र से औषधों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है।

(ख) और (ग) गोमूत्र "मेदोहार अर्क" नामक एक आयुर्वेदिक औषध का विनिर्माण करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध एक पुस्तक "आयुर्वेद सार संग्रह" में निर्धारित एक सूत्र का एक अवयव है। इस प्रकार मैसर्स गोविद्यान अनुसंधान केन्द्र, देवलापुर ताल रामटेक, जिला नागपुर को इस आयुर्वेदिक औषध का विनिर्माण करने के लिए "फार्म 25 घ" में लाइसेंस प्रदान किया गया है। अतः प्रभावकारिता की छानबीन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह एक शास्त्रीय उपचार है। इसके अतिरिक्त रोग की उन स्थितियों, जिनमें गोमूत्र का इस्तेमाल करना बताया गया है, का अन्य जड़ी-बूटी, जड़ी-बूटी-खनिज प्रिपरेशनों द्वारा भी इलाज किया जाता है। इसलिए यह एक अनुसंधान प्राथमिकता नहीं रही है।

रसायनों और उर्वरकों का उत्पादन

246. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश अब तक रसायनों और उर्वरक के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार अभी तक आयातित यूरिया पर निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यूरिया के उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) देश मूलभूत रसायनों में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है, किन्तु कुछ विशिष्ट रसायनों के लिए आयात का सहारा लेना पड़ता है।

उर्वरक क्षेत्र में भारत सरकार का नीतिगत उद्देश्य आयात के माध्यम से पूरी की जाने वाली केवल सीमान्त मात्राओं को छोड़कर अपने स्वयं के फीडस्टाक के उपयोग के आधार पर नाइट्रोजन उत्पादन में अधिकतम आत्म निर्भरता प्राप्त करना रहा है।

उर्वरक क्षेत्र में वर्ष 1998-99 के दौरान नाइट्रोजन और फास्फेट, दोनों पोषकों की अनुमानित खपत का लगभग 88% उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन हुआ। पोटाश पोषक की सम्पूर्ण आवश्यकता का आयात करना पड़ता है क्योंकि देश में पोटाश के वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य कोई ज्ञात भंडार नहीं है। उर्वरकों की मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है।

दिनांक 24 जुलाई, 1991 को जारी किए गए औद्योगिक नीति विषयक विवरण के अनुसार अब उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। स्वदेशी उर्वरक उद्योग को कई किस्म के उपायों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनमें यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य सह-सबसिडी योजना और उर्वरक परियोजना की पूंजी लागत व उर्वरकों के उत्पादन/वितरण लागत को कम करने हेतु परिकल्पित रियायतें शामिल हैं। फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की योजना स्वदेशी उद्योग का अपना उत्पादन अनुकूलतम करने में भी सहायता करती है।

वर्ष 1995-96 से यूरिया आयातों के स्तर तथा आयातित यूरिया के बारे में सबसिडी खर्च में कमी हुई है जबकि स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि होने के कारण यूरिया की समग्र खपत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के लिए अधिमान फीडस्टाक प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं को देखते हुए यूरिया के उत्पादन में आत्म निर्भरता एक नीति विषयक उद्देश्य नहीं है।

विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

247. **श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थान-वार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय, क्षेत्रीय और मानित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय-वार स्वीकृत किए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ङ) क्या ऐसे अनुदान का लाभ उठाने में अन्तर-संस्थानिक विसंगतियां हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) इस समय देश में 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनके नाम और स्थिति को नीचे दर्शाया गया है :

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	अलीगढ़ (उ.प्र.)
2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	वाराणसी (उ.प्र)
3. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	लखनऊ (उ.प्र.)
4. दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली
5. जामिया मिलिया इस्लामिया	दिल्ली
6. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	दिल्ली
7. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्याल	दिल्ली
8. हैदराबाद विश्वविद्यालय	हैदराबाद (आ.प्र.)
9. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	हैदराबाद (आ.प्र.)
10. असम विश्वविद्यालय	सिल्चर (असम)
11. तेजपुर विश्वविद्यालय	तेजपुर (असम)
12. विश्व भारती	शांतिनिकेतन (प.बं.)
13. महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	वर्धा (महाराष्ट्र)
14. उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय	शिलांग (मेघालय)
15. नागालैण्ड विश्वविद्यालय	कोहिमा (नागालैण्ड)
16. पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	पाण्डिचेरी

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। विद्यमान केन्द्रीय विश्वविद्यालय कतिपय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा केन्द्र राज्य संबंधों के मद्देनजर स्थापित किए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह निहित है कि संस्थाओं में बहुमुखी सुधार लाने की आवश्यकता के विचार से यह प्रस्ताव किया गया है कि निकट भविष्य में विद्यमान संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं के समेकन और विस्तार पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। किन्तु इस संबंध में सरकार द्वारा पहले की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाएगा।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में स्वयंसेवी संगठन

248. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में लगे स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वाणिज्यिक दुकानों का आबंटन

249. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1996-1997 और 1998 के दौरान नई दिल्ली में किन-किन सरकारी कालोनियों में दुकानें आबंटित की गई हैं;

(ख) किन-किन कालोनियों में दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा बिना बिजली कनेक्शन/बिना बिजली केबल के दुकानें आबंटित की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा आबंटन से पूर्व आबंटियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे आबंटियों को कितनी राहत उपलब्ध कराये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन

250. श्री कृष्णमराजू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्पतालों में भेषज सेवा पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में भेषज संहिता आयोग स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन एक सांविधिक समिति, औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर संशोधन करना भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला एक सतत् कार्य है।

(ग) अस्पतालों में फार्मास्युटिकल सेवाएं औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अन्तर्गत नियंत्रित नहीं होती हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय भेषज कोश का कार्य इस समय भारतीय भेषजकोश समिति द्वारा किया जा रहा है। जो इस प्रयोजन के लिए स्थापित की गई है।

अस्थि रोग से पीड़ित विकलांग व्यक्ति

251. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार से "नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द आर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ड" के क्रियाकलापों को आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में शुरू करने के लिए कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द आर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ड" द्वारा आंध्र प्रदेश में अस्थि रोग से पीड़ित विकलांगों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के कुछ गैर-सरकारी संगठनों से आंध्र प्रदेश में चलन संबंधी विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए शिविरों का आयोजन करने हेतु राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। चलन संबंधी विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए फरवरी, 2000 के दौरान शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों दोनों से मांग आती है तो विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए देश के किसी भाग में आयोजित किए जाते हैं।

(ग) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान ने देश के विभिन्न भागों में 166 गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से परामर्शी सेवाएं उपलब्ध की हैं तथा इनमें से आंध्र प्रदेश राज्य में गैर सरकारी संगठन लाभान्वित हुए हैं।

गैरेज किराये पर देना

252. श्री नंदकुमार सिंह चौहान : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कालोमियों में विशेषकर मंदिर मार्ग के डी.आई.जैड. क्षेत्र के "डी" सेक्टर में बड़ी संख्या में गैरेज किराये पर दिए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैरेजों को किराये पर दिए जाने संबंधी मामलों की जांच हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) आर. के. पुरम सेक्टर-VIII में गैरेज किराए पर देने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, सेक्टर "डी", डी.आई.जैड, एरिया, मंदिर मार्ग के संबंध में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) यह सूचना मिली है कि आर. के. पुरम, सेक्टर-VIII में रिहायशी क्वार्टरों से जुड़े 284 गैरेजों को किराए पर दिया गया है।

(ग) कॉलोनी में आवास कल्याण संस्था से संपदा निदेशालय के कार्मिकों द्वारा इन गैरेजों के निरीक्षण कार्य में सहयोग करने को कहा गया है। किराए/दुरुपयोग के प्रमाणित मामले में आबंटन को रद्द करने सहित कार्रवाई आबंटन नियमों के अनुसार की जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

253. डॉ. जसवंत सिंह यादव :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) देश में वर्तमान में राज्य-वार और स्थान-वार चल रहे ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों से ऐसे विद्यालयों को खेलने के लिए कितने प्रस्ताव स्थान-वार लम्बित पड़े हैं;

(घ) क्या राजस्थान के अलवर और बिहार के औरंगाबाद शहरों में ऐसे विद्यालयों को खोलने के लिए कोई अनुरोध लम्बित पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहां पर केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के 1000 के लगभग स्थानांतरणीय कर्मचारी रहते हैं। प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा 15 एकड़ की जमीन मुफ्त या नाममात्र की दर पर, स्कूल के लिए अस्थायी भवन और शिक्षकों आदि के लिए रिहायशी आवास उपलब्ध कराना होता है।

(ख) देश में फिलहाल 869 केन्द्रीय विद्यालय काम कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) इस समय कुल 29 पूर्णनिर्णीत प्रस्ताव हैं। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.स.	राज्य	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	44
2.	असम	45
3.	बिहार	56
4.	गुजरात	41
5.	हरियाणा	26
6.	हिमाचल प्रदेश	18
7.	जम्मू व कश्मीर	26
8.	कर्नाटक	32
9.	केरल	27
10.	मध्य प्रदेश	90
11.	महाराष्ट्र	52
12.	मणिपुर	05
13.	मेघालय	07
14.	नागालैंड	07
15.	उड़ीसा	30
16.	पंजाब	40
17.	राजस्थान	52
18.	सिक्किम	01
19.	तमिलनाडु	29
20.	त्रिपुरा	05
21.	उत्तर प्रदेश	125
22.	पश्चिम बंगाल	49
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	03
24.	अरुणाचल प्रदेश	09
25.	चंडीगढ़	05
26.	दिल्ली	37
27.	गोवा	05
28.	पांडिचेरी	02
29.	मिजोरम	01
30.	काठमांडू/मास्को (विदेश)	02
	कुल	871

विवरण-II

नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के संबंध में लम्बित मामलों का राज्य-वार विवरण

क्र.स.	राज्य	प्रस्तावों की सं.
1	2	3
1.	असम	02
2.	आंध्र प्रदेश	01
3.	बिहार	03

1	2	3
4.	हरियाणा	01
5.	जम्मू व कश्मीर	01
6.	केरल	03
7.	कर्नाटक	02
8.	महाराष्ट्र	01
9.	उड़ीसा	02
10.	पंजाब	01
11.	त्रिपुरा	02
12.	उत्तर प्रदेश	04
13.	केन्द्र शासित क्षेत्र	04
14.	राजस्थान	02
	कुल	29

गोरखपुर में नया उर्वरक संयंत्र

254. श्री रामपाल सिंह :

श्री नारायण दत्त तिवारी :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोरखपुर में एक पुराने उर्वरक संयंत्र के स्थान पर कृषक भारती सहकारी कंपनी लि. द्वारा एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) प्रस्तावित संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) इस उर्वरक संयंत्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(च) उत्तर प्रदेश के बबराला, शाहजहांपुर तथा अनोला जगदीशपुर में सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ङ) कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) का उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थिति फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के बन्द पड़े एकक के मौजूदा स्थल पर नये अमोनिया यूरिया संयंत्र को स्थापित करने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप से अनुमोदित कर दिया गया है बशर्ते कि इसका सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा निवेश मूल्यांकन किए जाए। परियोजना की 1536 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है तथा वार्षिक यूरिया क्षमता 7.68 लाख टन होगी। इसका आरम्भण अंतिम निवेश अनुमोदन की तिथि से 36 महीने के भीतर होने की आशा है। पी आई बी ने अपनी 9.7.99 की हुई बैठक में परियोजना का निवेश मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है।

(च) 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सामान्यतः उर्वरक संयंत्र की स्थापना/विस्तार हेतु किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है तथा उद्यमी देश के किसी भी क्षेत्र में पर्यावरणीय मंजूरी के बाद उर्वरक परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार द्वारा अनुमोदित बबराला, शाहजहांपुर आंवला और जगदीशपुर में स्थापित किए जाने वाले गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र पहले से ही इन स्थानों पर कार्यरत हैं।

[अनुवाद]

कुमारानासन स्मारक

255. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम में "कुमारानासन स्मारक" के विकास के लिए वित्तीय सहायता की प्राप्ति हेतु केरल सरकार से कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राजय मंत्री (श्री टी एच. चाओबा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि, प्राप्त प्रस्ताव में वित्तीय सहायता के प्रयोजन का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए केरल राज्य सरकार से संबंधित ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया गया है, जो कि प्रतीक्षित है।

(ग) उक्त प्रस्ताव पर निर्णय केरल राज्य सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर ही लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

विदेश में चिकित्सा सुविधा के लिए दिशा-निर्देश

256. श्री राजैया मल्याला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में चिकित्सा सुविधा के लिए वर्तमान दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले एक दशक के दौरान अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधा पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साधारण सी.जी.एच.एस. कार्डधारियों को भी ऐसी सुविधाएं दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) विदेशों में उपचार संबंधी मामलों को केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 के नियम 11 के तहत निपटाया जाता है जिसके अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी उपर्युक्त नियमावली के तहत इस उद्देश्य से गठित स्थायी समिति की सिफारिश पर विदेश में इलाज करवाने का पात्र होता है। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और सदस्यों के रूप में महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा शामिल होते हैं।

(ख) पिछले एक दशक के दौरान अतिविशिष्ट व्यक्तियों पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :

9,08,18,637.20	रुपये
1,00,071.58	ब्रिटिश पौंड
51,755.22	अमेरिकी डॉलर

(ग) विदेशों में इलाज संबंधी सुविधाएं पेंशनरों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्डधारियों को प्रदान की जाती हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घटिया औषधियां

257. **श्रीमती श्यामा सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी संख्या में औषधि निर्माता घटिया किस्म की औषधियों/दवाओं का निर्माण कर रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों के औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों ने औषधियों/दवाओं की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में अच्छी गुणवत्ता वाली औषधियों/दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) देश में बहुत से औषध निर्माताओं के घटिया औषधियों के निर्माण में लगे होने, जिनसे मनुष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, की कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) अच्छी गुणवत्ता की औषधियों/दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केन्द्र सरकार के औषध नियंत्रण अधिकारी निर्माताओं, व्यापारियों आदि से औषधियों के नमूने लेते हैं और सरकारी प्रयोगशालाओं के माध्यम से उनकी गुणवत्ता की पुष्टि करते हैं। यदि कोई औषधि-मानक गुणवत्ता की नहीं पाई जाती है तो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के संगत उपबंधों के अधीन सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक औषध नियंत्रण संगठन द्वारा जांचे गए और घटिया पाए गए नमूनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनमें चलाए गए मुकदमों की संख्या भी दी गई है। सरकार ने औषध और प्रसाधम सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक अपेक्षाओं के रूप में अच्छी विनिर्माण पद्धतियों का निर्धारण भी किया है। भेषज संहिता संबंधी मानकों को और कड़ा करने, राज्यों को औषध सलाहकार समितियां गठित करने/उन्हें पुनः सक्रिय करने की सलाह देने, सन्देहास्पद गुणवत्ता वाली औषधियों को बेचने वाले सम्भावित डीलरों पर निगरानी रखने तथा राज्यों में औषध परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 की अवधि में जांचे गए घटिया/नकली पाए गए नमूनों की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष 1995-96					वर्ष 1996-97					वर्ष 1997-98				
नमूनों की संख्या			प्रतिशतता		नमूनों की संख्या			प्रतिशतता		नमूनों की संख्या			प्रतिशतता	
जांचे गए	घटिया	नकली	घटिया	नकली	जांचे गए	घटिया	नकली	घटिया	नकली	जांचे गए	घटिया	नकली	घटिया	नकली
32770	3490	100	10.64	0.30	2888.7	2573	109	8.90	0.37	25547	2491	132	9.75	0.51

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान मुकदमा चलाए गए, निर्णय किए गए, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के सजा पाए, केवल जुर्माना पाए और छोड़ दिए गए व्यक्तियों की संख्या

वर्ष 1995-96					वर्ष 1996-97					वर्ष 1997-98				
पी	सीडी	सी	एफ	ए	पी	सीडी	सी	एफ	ए	पी	सीडी	सी	एफ	ए
683	248	247	181	67	631	293	37	78	129	504	156	82	25	56

पी – मुकदमा चलाए गए
सीडी – निर्णय हुआ
सी – सजा पाए—जुर्माने या बिना जुर्माने के साथ
एफ – केवल जुर्माना
ए – छोड़ दिए गए

अतिविशिष्ट राजनीतिज्ञों की चिकित्सा

258. डॉ. एस. वेणुगोपाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष अतिविशिष्ट राजनीतिज्ञों की चिकित्सा पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या यह चिकित्सा सेवा देश में उपलब्ध कराई गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की चिकित्सा की अनुमति प्रदान करने हेतु पालन किये गये मानदण्ड क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) पिछले तीन वर्षों की सूचना नीचे दी गई है :

1996-97	1,17,34,707.58 रुपये
1997-98	1,15,25,376.08 रुपये
1998-99	3,63,56,553.54 रुपये
कुल	5,96,16,637.20 रुपये

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विदेश में उपचार कराने के मामलों पर केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 के नियम 11 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसके अनुसार कोई सरकारी सेवक उक्त नियमावली के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए गठित स्थायी समिति की सिफारिश पर विदेश में उपचार कराने के लिए पात्र होता है। इस समिति के अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और सदस्य महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा महानिदेशक, सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा होते हैं।

मोची समुदाय

259. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा मोची समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं। तथापि, गुजरात सरकार से मोची समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में केवल डांग जिले तथा वलसाद जिले के उमेरगांव तालुक में और सम्पूर्ण गुजरात राज्य में नहीं, विचार करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) यह प्रस्ताव विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों से प्राप्त अन्य इसी प्रकार के प्रस्तावों/दावों के साथ विचाराधीन है।

कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त होते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

खेल-कूद गतिविधियां

260. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए निश्चित सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) युवा और खेल-कूद गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित खिलाड़ियों के नाम तथा इन पुरस्कारों की श्रेणियां क्या हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी एच. चाओबा सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है :

राष्ट्रीय चैंपियनशिप

भोजन, आवास और परिवहन तथा प्रमाणपत्र और पदक सहित उपभोज्य उपस्कर के लिए सहायता।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट

भोजन, आवास और परिवहन तथा प्रमाणपत्र और पदकों सहित उपभोज्य उपस्कर के लिए सहायता।

विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए

(1) अंतर्राष्ट्रीय/स्वदेशीय यात्रा के लिए दोनों ओर से पर्यटन/किफायती श्रेणी, वीसा शुल्क, हवाई अड्डा शुल्क, अंतर-हवाई अड्डा स्थानांतरण के कारण आकस्मिक व्यय, बीमा, भोजन व आवास तथा उपस्करों को किराये पर लेने/परिवहन के लिए सहायता।

(2) भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाओं सहित प्रशिक्षण शिविर। शिविर के दौरान भोजन, आवास, प्रशिक्षण किट, दवाइयों तथा उपरि प्रभार आदि के लिए पूरी सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) युवाओं तथा खेल संबंधी विभिन्न कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए इस विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दर्शाये गए हैं।

(घ) खिलाड़ियों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जा रहे हैं–

(1) अर्जुन पुरस्कार

(2) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

(3) द्रोणाचार्य पुरस्कार (प्रशिक्षकों के लिए)

इसके अतिरिक्त, उन खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार दिए जा रहे हैं जिन्होंने चुनी हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ियों के नाम संलगन विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

खेलकूद के संवर्धन के लिए योजनाएं

1. भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा)

देश में खेलों के संवर्धन में मुख्य भूमिका निभाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई थी। यह केन्द्रीय सरकार की प्रमुख फील्ड एजेंसी है। इसका नई दिल्ली में एक कारपोरेट कार्यालय है तथा छः क्षेत्रीय और एक उप–क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय केन्द्र बंगलौर, गांधी नगर, दिल्ली, चण्डीगढ़, कलकत्ता तथा इम्फाल में स्थित हैं तथा एक उप–केन्द्र गुवाहाटी में स्थित है। भारतीय खेल प्राधिकरण देश में प्रतिभा का पता लगाने तथा अपेक्षित सहायता प्रदान करके उनका संवर्धन करने के लिए बहुत-सी योजनाएं कार्यान्वित करता है। यह राष्ट्रीय टीमों को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार करने में मुख्य भूमिका भी निभाता है तथा एशियाई खेल 1982 के दौरान दिल्ली में बने मुख्य स्टेडियमों के रख–रखाव तथा उपयोग की देखभाल करता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यों को मुख्यतया निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है :

(1) देश में खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना;

(2) प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का पता लगाना तथा उनका आगे विकास करना;

(3) विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(4) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करना;

(5) स्टेडियमों का प्रबंध, रख–रखाव एवं उपयोग करना।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं की समीक्षा टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसिस द्वारा किए गए अध्ययन से की गई थी। निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं को समेकित किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की मुख्य–मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)

यह योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य 9-12 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभाशाली स्कूली बच्चों की पहचान करना है। बच्चों का चयन 10 खेल विधाओं में "परीक्षण शृंखला" तथा विभिन्न स्तरों पर आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के जरिए किया जाता है। चयन के बाद, इन बच्चों को भाखेप्रा द्वारा अपनाए गए 29 स्कूलों में दाखिल किया जाता है। जहाँ उनके भोजन, आवास एवं अध्ययन शुल्क आदि पूर्णतया सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं। इन स्कूलों में प्रशिक्षक, उपस्कर तथा अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं उपलबध कराई जाती हैं।

विभिन्न विधाओं के अंतर्गत स्कूली सहपाठियों एवं दिवाछात्रों (डेस्कालर्स) दोनों के रूप में लगभग 750 बच्चे अपनाए गए स्कूलों में समाहित किए गए हैं। इन प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं।

विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)

1985 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य देश के जनजातीय, ग्रामीण तथा तटीय क्षेत्रों से तथा उन क्षेत्रों से जहां स्वाभाविक अथवा शारीरिक क्षमता विद्यमान है, विकासमान प्रतिभा का पता लगाना है तथा चयनित विधाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उनकी सहायता करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीरंदाजी, फैंसिंग, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, हॉकी, जलक्रीड़ा, साइक्लिंग विधाएं आती हैं। इस योजना में क्षेत्रों एवं भूभागों का सर्वेक्षण एवं पहचान, क्षमता के आकलन हेतु विशेष प्रतियोगिता का आयोजन, उदीयमान युवा लड़कों एवं लड़कियों का चयन तथा विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों में गहन प्रशिक्षण शामिल है तथा इन केन्द्रों में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक दोनों प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस समय 9 विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों में 361 (286 लड़कों और 75 लड़कियां) प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। ये प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग ले रहे हैं तथा देश के लिए पदक जीत रहे हैं।

भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र

भारतीय खेल प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा विभिन्न खेल संवर्धन योजनाओं की समीक्षा के आधार पर, पुरानी भाखेप्रा खेल छात्रावास योजना तथा खेल परियोजना विकास क्षेत्र योजना को भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना में मिला दिया गया है। ये केन्द्र 14-21 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के प्रशिक्षण एवं विकास की देखभाल करते हैं। फिलहाल 40 भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें 1713 (1579 लड़के तथा 134 लड़कियां) प्रशिक्षणार्थी हैं।

उत्कृष्टता केन्द्र

इस योजना के अंतर्गत, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जो भारतीय खेल प्राधिकरण तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, और अधिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए चयनित किया जाता है। आरंभ में 12.9.97 में बंगलौर में "हॉकी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र" की स्थापना की गई है। अन्य खेल विधाओं में इस प्रकार के उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव पर यथासमय विचार किया जाएगा।

सेना में बाल खेल कम्पनियां

यह योजना 1991-92 में आरंभ की गई थी तथा ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय क्षेत्रों से पता लगाए गए प्रतिभाशाली बालकों को (14 वर्ष की आयु तक के) खेलों में प्रशिक्षण देने के लिए इसे भाखेप्रा. तथा सेना प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। फिलहाल 16 बाल खेल कम्पनियां हैं, जिनमें 700 बच्चे हैं और वे मुक्केबाजी, तीरंदाजी, हॉकी, बास्केटबाल, एथलेटिक्स, फुटबाल, जिम्नास्टिक, तैराकी, बालीबाल, कुश्ती, रोइंग एवं कयाकिंग जैसी खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। खेल अवस्थापना के सृजन एवं विकास के लिए सहायता संबंधी खर्च एवं इन कम्पनियों पर होने वाले व्यय को सरकार वहन करती है। आवश्यक खेल उपस्कर की खरीद के लिए 3.00 लाख रु. की सहायता के अलावा, प्रशिक्षण किट के लिए 1.00 लाख रु. तक की राशि तथा 50,000/- रु. का वार्षिक रखरखाव अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रशिक्षक तैनात किए जाते हैं जो संबंधित राज्य खेल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं। वर्तमान नीति के अंतर्गत, प्रशिक्षक राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में तैनात किए जाते हैं जो क्रमशः 8 एवं 4 खेल विधाओं के लिए पता लगाई गई राज्य की राजधानियों एवं जिलों में स्थित हैं। इस योजना के अंतर्गत, देश में **1623 प्रशिक्षक** तैनात किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने एक अध्ययन किया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे ओलम्पिक, एशियाई, राष्ट्रमण्डल खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण संबंधित खेल परिसंघों के सहयोग से विशिष्ट एथलीटों एवं टीमों के लिए प्रशिक्षण भी चलाता है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए भोजन, आवास, खेल उपस्कर, चिकित्सा सहायता आदि हेतु वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण का अकादमिक स्कंध

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन.एस.एन.आई.एस.), पटियाला

यह संस्थान देश में खेलों के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण, तथा अनुसंधान सहायता प्रदान करने में संलग्न है। संस्थान ने अभी तक अपने विभिन्न नियमित कार्यक्रमों के जरिए 11,751 प्रशिक्षित प्रशिक्षक तैयार किए हैं। इसके चार उप केन्द्र हैं जो पटियाला, बंगलौर, कलकत्ता तथा गांधी नगर में स्थित हैं और उनमें 311 छात्र हैं। इसके अतिरिक्त, सामूहिक खेल सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत 6 सप्ताह की अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम इन केन्द्रों में आयोजित किए गए थे तथा अभी तक 356 खेल अनुदेशक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। एन.एस.एन.आई.एस. खेल चिकित्सा में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित करता है जिसमें फिलहाल 6 डॉक्टर पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, त्रिवेन्द्रम

शारीरिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करने के लिए यह कालेज 1985 में स्थापित किया गया था। यह कालेज शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.ई.) में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम तथा शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.पी.ई.) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है।

2. राष्ट्रीय खेल परिसंघ

राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) विशिष्ट खेल विधाओं के संवर्धन हेतु संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों तथा ओलम्पिक चार्टर एवं भारतीय ओलम्पिक संघ के संविधान में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप स्वायत्तशासी निकायों के रूप में संगठित किए गए हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सूची **अनुबंध-2** पर संलग्न है। **खेल परिसंघ** खेल विधाओं के समग्र प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण, नियमन, संवर्धन, विकास एवं प्रायोजन के लिए **पूर्णतया उत्तरदायी एवं जवाबदेह हैं** जिसके लिए उन्हें संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ से मान्यता प्राप्त है। खेल परिसंघ कतिपय निर्धारित पात्रता संबंधी मानदण्डों के अनुसार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। खेलों के संवर्धन हेतु तैयार की गई दीर्घावधिक विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए खेल परिसंघों को सहायता प्रदान की जा रही है जो प्राथमिकता तथा अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर करती है।

पिछली बार संशोधित की गई राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना 10 जुलाई, 1997 से प्रभावी हो गई थी। मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत, **खेल विधाएं तीन श्रेणियों में श्रेणीबद्ध की गई हैं,** जो हमारे देश में खेलों के स्तरों की तुलना में उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक स्तरों पर आधारित हैं। **"प्राथमिकता"** प्राप्त श्रेणी में वे खेल शामिल हैं जिनमें हमारा स्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक स्तर के समान अथवा समीप है तथा जिनमें टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों के पदक जीतने की संभावनाएं हैं। **"सामान्य"** श्रेणी में वे खेल शामिल हैं जिनमें प्रमाणित अभिरुचि है परंतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक स्तर के समीप नहीं हैं। **"अन्य"** श्रेणी में वे सभी अन्य खेल शामिल हैं जो उपरोक्त दो श्रेणियों में शामिल नहीं हैं। 21.4.99 को किए गए नवीनतम श्रेणीकरण के अनुसार, **प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में 14 विधाएं, सामान्य श्रेणी में 15 विधाएं तथा अन्य श्रेणी में शेष विधाएं हैं।** उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, तीन श्रेणियों में सम्मिलित खेलों के लिए **क्रमिक सहायता स्तर** प्रदान किया जा रहा है।

वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान की जा रही है :

(1) सीनियरों, जूनियरों तथा सब जूनियरों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना जिनके लिए यात्रा, भोजन एवं आवास, प्रशिक्षण किट, चिकित्सा कवरेज तथा बीमा के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(2) उपस्कर खरीद हेतु सहायता।

(3) सीनियर, जूनियर तथा सब जूनियर टीमों/खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा विदेशों में प्रशिक्षण में भाग लेना।

(4) विदेशी प्रशिक्षकों तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षक की नियुक्ति हेतु सहायता।

(5) सीनियरों, जूनियरों तथा सब जूनियरों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों का आयोजन।

(6) भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन।

(7) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

(8) परिसंघों के संयुक्त सचिवों तथा सहायक सचिवों के वेतन तथा भत्तों के लिए वित्तीय सहायता।

3. खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान

यह योजना, जो 25 वर्षों से अधिक समय से चल रही है, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों दोनों में वास्तविक अवस्थापना के सृजन पर बल देती है। योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों के निकायों को जो खेल मैदानों, इण्डोर/आउटडोर स्टेडियमों, तरणताल, साइकल बैलोड्रम, खेल छात्रावास आदि जैसी खेल अवस्थापना के सृजन हेतु खेल के क्षेत्र में सक्रिय हैं, 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परिसरों तथा जिला स्तरीय खेल परिसर की स्थापना के लिए राज्य सरकार की भी सहायता की जाती है तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परिसरों के लिए 4.00 करोड़ रु. तक का अधिकतम अनुदान स्वीकार्य है। पहाड़ी/जनजातीय, विशेष श्रेणी वाले राज्यों में चलाई जा रही परियोजनाओं के मामले में अनुमानित व्यय की 75 प्रतिशत तक की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। योजना में संशोधन किया गया है तथा संशोधित योजना 1.9.98 से चल रही है।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सैकण्ड्री/सीनियर सैकण्ड्री स्कूलों में खेल मैदानों के विकास के लिए खेल अवस्थापना के सृजन हेतु सहायता भी प्रदान करती है, जिन स्कूलों में अपेक्षित आकार का खेल मैदान, नियमित शारीरिक शिक्षा अध्यापक आदि हैं उनको खेल मैदान के विकास तथा गैर उपभोज्य एवं उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए अधिकतम 1.50 लाख रु. तक अनुदान 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। सहायता प्रति वर्ष प्रति ब्लॉक एक स्कूल तक सीमित है तथा पंचवर्षीय योजना के लिए प्रति ब्लॉक दो स्कूलों से ज्यादा के लिए नहीं होगी। यह योजना संशोधित हो चुकी है तथा संशोधित योजना 1.4.98 से प्रभावी हो गई है।

4. सिंथेटिक ट्रैक/कृत्रिम हॉकी तथा अन्य परतें बिछाना

प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं **सिंथेटिक परतों** पर आयोजित की जाती है। नौवीं योजना अवधि के दौरान, हमारे खिलाड़ियों को ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने

के योग्य बनाने के लिए, भारत सरकार ने केवल हॉकी टर्फों तथा एथलेटिक ट्रैक्टों पर ध्यान देने का निर्णय लिया है क्योंकि इन मामलों में निवेश बहुत ज्यादा है। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों, राज्य खेल संघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भारतीय खेल प्राधिकरण, आर.एस. सी.बी., स्थानीय निकायों आदि को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसकी अधिकतम उच्चतम सीमा एक करोड़ रु. है। यह योजना हाल ही में संशोधित की गई है तथा 1.9.98 से चल रही है।

5. विश्वविद्यालयों/कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान

इस योजना के अंतर्गत, कालेजों एवं विश्वविद्यालयों को खेल अवस्थापना के सृजन तथा टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। खेल अवस्थापना के सृजन हेतु कतिपय अधिकतम सीमा के अधीन, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों, पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में 75:25 तथा अन्य राज्यों के मामले में 50:50 के अनुपात में भारत सरकार तथा विश्वविद्यालयों/कालेजों के बीच लागत वहन की जाती है। खेल अवस्थापना के सृजन के लिए तकनीकी/चिकित्सा/कृषि कालेजों /विश्वविद्यालयों को विभाग द्वारा सीधे ही अनुदान प्रदान किया जाता है।

विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए, उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले, **अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों तथा कोचिंग/प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए** भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए. आई. यू.) को सहायता प्रदान की जाती है। ए.आई. यू. द्वारा संचालित अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों के समग्र विजेता सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय को सचल आधार पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी (माका) प्रदान की जाती है। खेल उपस्करों की खरीद के लिए प्रथम तीन स्थान जीतने वाले विश्वविद्यालयों को 1,00,000/- रु., 50,000/- रु. तथा 25,000/- रु. के नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। यह योजना हाल ही में संशोधित की गई है तथा 26.6.98 से चल रही है।

6. खेल कार्यकलापों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन

स्कूलों में खेलकूल का संवर्धन (पुरस्कार राशि)

यह योजना 1986 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को खेल संबंधी कार्यकलपों में अधिक रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इसे और सरल बनाने के उद्देश्य से योजना हाल ही में संशोधित की गई है तथा यह योजना भारतीय स्कूल खेल परिसंघ (एस.जी.एफ. आई.) के माध्यम से जिले से राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर स्कूल टूर्नामेंटों के आयोजन पर अधिक बल देती है। संशोधित योजना के अंतर्गत, स्कूलों में खेलकूद के संवर्धन के लिए 50,000/- रु. की दर से प्रति जिला, 2 लाख रु. की दर से प्रति राज्य तथा एक लाख रु. की दर से सर्वोत्कृष्ट राज्य को सहायता दी जाती है। संशोधित योजना 1.4.98 से कार्यान्वित की जा रही है।

7. ग्रामीण खेल कार्यक्रम

ग्रामीण खेल कार्यक्रम 1970-71 में शुरू किया गया था ताकि खेलकूद को विस्तृत आधार प्रदान किया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाया जा सके। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल जागृति की भावना उत्पन्न करना तथा सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। योजना देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने, ध्यान में आई ग्रामीण खेल प्रतिभा का पता लगाने एवं पोषण के लिए अवसर उपलब्ध कराने तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने पर बल देती है।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य सभी ब्लाकों, जिलों तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानियों में खेल टूर्नामेंटों का आयोजन करना है। टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को प्रति खेल विधा क्रमशः 30,000 रु. एवं 15,000 रु. की दर से तथा भाखेप्रा. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों के लिए प्रति खेल विधा 2 लाख रु. की दर से सहायता प्रदान करने के लिए योजना के संशोधन हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है। उपभोज्य तथा गैर-उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित खेल क्लबों/केन्द्रों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस घटक को युवा क्लाबों को दी जाने वाली सहायता के साथ मिलाने का प्रस्ताव है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में महसूस की जाने वाली विशेष प्राकृतिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इस योजना के अंतर्गत विशेष **उत्तर पूर्वी खेल महोत्सव** के आयोजन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

चूंकि यह एक पृथक योजना है, इसलिए इसे एक पृथक शीर्षक "महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव" दिए जाने की जरूरत है। **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव** की योजना वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष से संबंधित समारोहों के एक अंग के रूप में शुरू की गई थी। योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि महिलाओं में खेल जागृति उत्पन्न की जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियों के लिए इनको और अधिक अवसर भी प्रदान किए जा सकें। योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए निम्न स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रति ब्लाक 1,000/- रु. की दर से जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रति जिला 3,000/- रु. की दर से, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रति राज्य 10,000/- रु. की दर से, छोटे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रति राज्य 5,000/- रु. की दर से वित्तीय सहायता स्वीकृत है।

8. खेल छात्रवृत्ति योजना

यह योजना 1970-71 में आरम्भ की गई थी। इसके अंतर्गत, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लड़कों और लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर की तीन प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं। राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में विजेताओं को प्रतिमाह 600/- रु. की दर

से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति की संख्या की कोई सीमा नहीं है। राज्य स्तर के टूर्नामेंटों के विजेताओं को 450/- रु. प्रतिमाह की दर से अधिकतम 100 छात्रवृत्ति प्रति राज्य और 40 छात्रवृत्ति प्रति संघ शासित क्षेत्र को प्रदान की जाती है। यह योजना एन.एस.एन.आई.एस. पटियाला द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 750/- रु. प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति की जाती है। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या पर कोई रोक नहीं है।

वर्ष 1982-83 में महिलाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा के संवर्धन की एक योजना अलग से आरम्भ की गई थी। योजना का उद्देश्य महिलाओं में खेलों का संवर्धन है योजना के अंतर्गत खेलों में राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप सीनियर के लिए 1,000/- रु. प्रतिमाह की दर से, शारीरिक शिक्षा में एम.फिल./पी.एच.डी. करने वाली महिलाओं को 6,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से तथा डिप्लोमा करने वाली महिलाओं के लिए 6,000/- रु. प्रत्येक पाठ्यक्रम की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

9. उदीयमान खिलाड़ियों तथा सहायक कार्मिकों को सहायता

यह योजना 1990-91 में आरम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य हमारे प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक अनुकूलता विशेषज्ञों, खेल वैज्ञानिकों और अनुसंधान विशेषज्ञों को नवीनतम तकनीक, प्रशिक्षण, कोचिंग तथा अनुसंधान संबंधी सुविधाओं को प्रदान करना है ताकि देश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करने के लिए देश में ही विशेषज्ञों का एक पूल बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को संवर्धित और प्रोत्साहन करने के लिए खेल विशेषज्ञों को यात्रा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत यह विभाग महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक सम्मेलनों, आदि में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर होने वाला व्यय भी प्रदान करता है। इस योजना का क्षेत्र प्रशिक्षकों सहित अन्य खेल विशेषज्ञों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों की बढ़ती तथा बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन दोनों योजनाओं की समीक्षा की गई और उपर्युक्त नई योजना तैयार की गई है। इस योजना में उदीयमान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विदेशों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने, उपस्कर, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण तथा देश में टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए 5.00 लाख रु. तक की सहायता की व्यवस्था है। इसमें कोचों तथा अन्य खेल विशेषज्ञों के विदेशों में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

10. खेल पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार

1961 में स्थापित अर्जुन पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ियों को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के रूप में प्रति वर्ष दिया जाता है। यह उनके पिछले वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। जिन खिलाड़ियों ने खेलों में जीवन–पर्यन्त योगदान दिया है उन्हें शामिल करने के लिए इस पुरस्कार के क्षेत्र का विस्तार किया गया है, पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक सम्मान स्क्रोल तथा 1,50,000/- रु. का नकद पुरस्कार दिया जाता है। नकद पुरस्कारों की राशि 1999-2000 के दौरान बढ़ा दी गई थी।

द्रोणाचार्य पुरस्कार

यह पुरस्कार उन विशिष्ट प्रशिक्षकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जिनके खिलाड़ियों अथवा टीमों ने वर्ष के दौरान उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हों। इस पुरस्कार में नकद पुरस्कार, एक प्रतिमा, एक स्क्रोल, एक ब्लेजर और एक टाई/स्कार्फ शामिल है। नकद पुरस्कार को 1993-94 के दौरान 40,000/- रु. से बढ़ाकर 75,000/- रु. किया गया था और वर्ष 1999 से इसे बढाकर 2.5 लाख रु. कर दिया गया है। वर्ष 1998 में किए गये योगदान के लिए 01 सितम्बर, 1999 को तीन उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया था। अब तक 17 प्रशिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस पर हुआ व्यय गैर–योजनागत प्रावधान के अंतर्गत पूरा किया जाता है।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

यह योजना 1991-92 में, वर्ष के दौरान उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए शुरू की गई थी। इस पुरस्कार में एक लाख रु. का नकद पुरस्कार, एक सम्मान स्क्रोल तथा एक प्लाक दी जाती है। नकद पुरस्कार को बढ़ाकर 3 लाख रु. कर दिया गया है। वर्ष 1998-99 के लिए सुश्री ज्योतिर्मय सिकदर को यह पुरस्कार एक सितम्बर, 1999 को दिया गया था। अब तक 9 खिलाड़ियों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जा चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों के लिए विशेष पुरस्कार

"अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार" की योजना वर्ष 1986 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को और अधिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने एवं युवा पीढ़ी को खेलों को जीविका के रूप में अपनाने के लिए आकर्षित करने हेतु शुरू की गई थी। इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के भोजन, प्रशिक्षण, तैयारी के साथ ही खेल के प्रति उनके समर्पण के साथ और सेवा के कारण उन्हें जिन चीजों से वंचित रहना पड़ा, उसकी पूर्ति करना भी है। पुरस्कारों की राशि सीनियर के लिए 75,000/- रु. से 15 लाख रु. तक तथा जूनियर के लिए 5,000/- रु. से 15,000/- तक हैं। वर्ष 1998-99 में 200 खिलाड़ियों को 4,05,73,500/- रु. के पुरस्कार दिए गये थे।

11. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन

"उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन" की योजना वर्ष 1994 में शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत, उन पदक विजेताओं को पेंशन दी जाती है जिन्होंने ओलम्पिक, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिपों तथा एशियाई और राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ओलम्पिक खेलों के पदक विजेताओं और विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिपों के स्वर्ण पदक विजेताओं को 2500/- रु. प्रतिमास की दर से पेंशन दी जाती है और एशियाई खेलों के सभी स्वर्ण पदक विजेताओं को 2000/- रु. प्रतिमास की दर से पेंशन दी जाती है। पेंशन के हकदार खिलाड़ियों को 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात उनके शेष जीवन के लिए पेंशन दी जाती है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलाई जा रही है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 207 खिलाड़ियों को पेंशन स्वीकृति की जा चुकी है।

12. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष

"खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष" की स्थापना मार्च, 1982 में उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करने की दृष्टि से की गई थी जिन्होंने पिछले वर्षों में देश को खेलों के क्षेत्र में गौरव दिलाया है तथा जो दरिद्र अवस्था में रह रहे हैं। योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों तथा साथ ही साथ उनके परिवारों को पेंशन तथा एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिनकी आय 3,000/- रु. प्रतिमास से कम है, 2,500/- रु. प्रतिमास की पेंशन दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 46 खिलाड़ियों को पेंशन दी जा रही है।

13. पब्लिक/रिहायशी/केन्द्रीय विद्यालयों में एन. सी. सी.जूनियर डिवीज़न ट्रुप्स को अनुदान

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) का उद्देश्य विद्यालयों और महाविद्यालयों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे भारत के अनुशासित नागरिक बन सकें। इन कार्यकलापों के लिए केन्द्र और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से धन की पूर्ति की जाती है। केन्द्रीय, पब्लिक तथा रिहायशी विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना जूनियर डिवीजन ट्रुप्स के रखरखाव का खर्च मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) और रक्षा मंत्रालय के बीच 60:40 के अनुपात में वहन किया जाता है।

14. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एल.एन.आई.पी.ई.)

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एल.एन.आई.पी.ई.) 1957 में ग्वालियर में निम्नलिखित उद्देश्यों से एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था :

(क) शारीरिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट सुविधाएँ प्रदान करना।

(ग) आदर्श राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान विकसित करना।

यह महाविद्यालय एक सह-शिक्षा वाला तथा पूर्णतया रिहायशी संस्थान है और (1) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (5 वर्षीय), (2) शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (2 वर्षीय), (3) शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम 3 वर्षीय), (4) शारीरिक शिक्षा में एम.फिल. (3 वर्षीय) तथा पी.एच.डी. के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम चलाता है। उपर्युक्त नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, सेना से सेवामुक्त हो चुके व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा में अभिविन्यास पाठ्यक्रम के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण और अभिविन्यास पाठ्यक्रम के लिए सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

शारीरिक शिक्षा में गुणवत्ता-पूर्ण प्रशिक्षण, अनुसंधान के लिए उत्तम सुविधाएं तथा आदर्श राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का विकास करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर इस महाविद्यालय को "समकक्ष विश्वविद्यालय" के स्तर का संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले ही इसे "विश्वविद्यालय के समकक्ष" दर्जा दे चुका है जो कि 02 सितम्बर, 1995 से प्रभावी है।

शैक्षिक सत्र 1996-97 के लिए, बी.पी.ई. में 325 छात्र, एम.पी.ई. में 81 तथा एम.फिल. पाठ्यक्रम में 7 छात्र हैं। सितम्बर, 1996 के अंत तक इस संस्थान से कुल 2704 छात्र स्नातक और 1396 स्नातकोत्तर की परीक्षा पास कर चुके हैं। यह संस्थान व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने वाला राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र है।

15. अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.पी.ई.)

शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने संबंधी "कैब" समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के साथ अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.पी.ई.) को वैधानिक निकाय के रूप में गठित करना प्रस्तावित है। परिषद देश में शारीरिक शिक्षा के संवर्धन का ध्यान रखेगी तथा सरकार को शारीरिक शिक्षा से संबंधित मामलों, शारीरिक शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों को निधियों के आबंटन और संवितरण, नवीन कार्यों के संवर्धन, शारीरिक शिक्षा प्रणाली और अन्य विषयों के बीच अनुसंधान और विकास के संपर्क के रूप में कार्य करना, महिलाओं, विकलांगों, कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं तैयार करना; अध्यापकों को प्रारंभिक या सेवाकालीन प्रशिक्षण; शारीरिक शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करना; वर्तमान संगठनों को सुदृढ़ बनाना तथा नये संस्थानों की स्थापना करना, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के संबंध में न्यूनतम योग्यता के तथा पाठ्यक्रम के स्तर के संबंध में मानक मार्गदर्शी सिद्धान्त स्थापित करना, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा स्टाफ पैटर्न आदि संस्थागत सुविधाओं के संबंध में सरकार को सलाह देगी।

16. खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान

खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया गया है ताकि भारतीय टीमों/खिलाड़ियों को विदेशों में प्रदर्शन और विदेशों में कोचिंग/प्रशिक्षण के अवसर मिल सकें जो अत्यंत आवश्यक हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोचों/खिलाड़ियों की सेवाएं संबंधित देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान नयाचार/खेल नयाचार के अंतर्गत द्विपक्षीय समझौते के तहत उपलब्ध कराई जा रही हैं। विदेशी कोचों को भारत में उनके अनुबंध/नियोजन के दौरान हवाई यात्रा, किराया, वेतन, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, चिकित्सा व्यय और स्थानीय परिवहन आदि का भुगतान किया जाता है।

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए संस्कृति विभाग प्रमुख एजेंसी है। जब भी किसी अन्य देश के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम किया जाता है तो खेलों के संवर्धन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। संस्कृति विभाग के अलावा, इस विभाग ने भी खेलों के संवर्धन के लिए कुछ देशों नामतः कतर, मारीशस, क्यूबा और आस्ट्रेलिया के साथ नयाचार/समझौता–ज्ञापन किया है। आस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों के द्वारा भारत में कोचिंग शिविर आयोजित करने तथा भारतीय खिलाड़ियों को आगे प्रशिक्षण के लिए आस्ट्रेलिया भेजने के लिए कार्रवाई की जा रही है

17. खेलकूद संबंधी योजनाओं का मूल्यांकन

खेलों के संवर्धन के लिए वर्तमान योजनाओं का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है ताकि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी प्रभावोत्पादकता का पता लगाया जा सके। मूल्यांकन के अध्ययनों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं में संशोधन किया जाता है।

18. राष्ट्रीय खेल विकास निधि

खेलों के संवर्धन के लिए संसाधनों की समस्या से उबरने की दृष्टि से राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) स्थापित की गई है ताकि राज्य सरकारों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपकमों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, व्यक्तियों आदि विभिन्न स्रोतों से योगदान प्राप्त किया जा सके। इस निधि में किये जाने वाले अंशदान में आयकर में 100 प्रतिशत छूट दी जाती है। इसे शुरू करने के लिए सरकार ने 2.00 करोड़ रु. का आरंम्भिक अंशदान दिया हैं। इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स प्रत्येक से 5.00 लाख रु. तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से 10,000/- रु. प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक घरानों, निगमित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस निधि में उदारतापूर्वक योगदान देने के लिए कहा गया है।

युवा कार्यकलापों के संवर्धन की योजना

1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन

वर्ष 1987-88 में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में नेहरू युवा केन्द्र संगठन की स्थापना की गई थी।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के उद्देश्यों में जागरूकता उत्पन्न करना, युवा अधिकारिता जिसमें मूल्य, दृष्टिकोण और स्वैच्छिक कार्य पर बल दिया जाता है, के लिए संगठन और विकासात्मक कार्यों का संघटन, शामिल है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवा क्लब आंदोलन को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है।

महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन शासी मंडल का पदेन सदस्य–सचिव होता है। संसद (लोक सभा) के दो तथा राज्य सभा का एक सदस्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। इसके अलावा, युवा, खेल और संस्कृति के क्षेत्र से चार विख्यात व्यक्ति सदस्यों के रूप में भी नामित किए जाते हैं।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रम और कार्यकलाप

नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने निम्नलिखित मदों के अंतर्गत कार्यक्रमों और कार्यकलापों की तीन श्रेणियां बनाई हैं। नियमित कार्यक्रम, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की योजना तथा विभिन्न विभागों और एजेंसियों के सहयोग से चलने वाले कार्यक्रम।

(क) नियमित कार्यक्रम

चालू नौवीं योजना अवधि के दौरान, नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने 6924 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिससे लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 1,01813 है, 4145 युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लाभार्थी युवाओं की संख्या 448271 है, 2134 कार्यशिविरों में लाभार्थियों की संख्या 174660 हैं। इसके अलावा, नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने 999 युवा क्लब विकास कार्यक्रम 1887 खेल संवर्धन कार्यक्रम, 26068 सप्ताह और दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे क्रमशः 855503, 253760 और 3804354 व्यक्ति लाभान्वित हुए। वित्त वर्ष 1999-2000 के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन की अपने जिला स्तरीय कार्यालयों के माध्यम से 18,500 कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना है।

(ख) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की योजनाएं

पिछले तीन वर्षों के दौरान, नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की हैं। फलस्वरूप 451 युवा विकास केन्द्रों की स्थापना की गई थी, 2749 नये स्थापित युवा क्लबों को वित्तीय सहायता दी गई थी, 758 युवा क्लबों को उनके प्रशंशनीय कार्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा, नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने 13340 राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों को भी तैनात किया जिन्होंने नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय

चूंकि नेहरू युवा केन्द्र संगठन के पास उपलब्ध धनराशि ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और कल्याणकारी गतिविधियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए, नेहरू युवा केन्द्र संगठन

विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सफल प्रयास कर रहा है।

इस प्रयास के फलस्वरूप, सभी मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और कुछ शीर्ष गैर-सरकारी संगठनों के साथ सफल सम्पर्क स्थापित हुए हैं। इन सम्पर्कों के द्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठन ग्रामीण युवाओं के लाभार्थ विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। समन्वय के इन प्रयासों से ही 1993-94 से 1997-98 की अवधि के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन के संसाधनों से 53.90 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई।

2. **राष्ट्रीय सेवा योजना**

राष्ट्रीय सेवा योजना जो एन.एस.एस. के नाम से विख्यात है, गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में 37 विश्वविद्यालयों में शुरू की गई थी जिसमें सामुदायिक सेवा के माध्यम से 40,000 छात्रों को शामिल करते हुए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने की ओर प्राथमिक ध्यान दिया गया था। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना की नामावली में 175 विश्वविद्यालयों और 19 परिषदों के 10 लाख स्वयंसेवक शामिल हैं। इस सेवा के आरंभ होने की तारीख से, आज तक एन.एस.एस. स्वयंसेवकों के रूप में 1.52 करोड़ विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालयों/कालेजों और उच्च शिक्षा की संस्थाओं से छात्र स्वयंसेवक के रूप में एन.एस.एस. कार्यकलापों का लाभ उठाया है। अत्याधिक ख्याति तथा मांग की वजह से योजना को चयनित संस्थाओं में +2 छात्रों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत स्वयंसेवकों द्वारा दो प्रकार के कार्यक्रम अर्थात् "नियमित कार्यकलाप" और "विशेष शिविर कार्यक्रम" आयोजित किए जाते हैं। नियमित कार्यक्रमों के अंतर्गत, प्रत्येक राष्ट्रीय स्वयंसेवक से लगातार 2 वर्षों की अवधि के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना तथा इस प्रकार प्रत्येक वर्ष कम-से-कम 120 घंटे तक सेवा करनी अपेक्षित है। गतिविधियों में कालेज परिसरों में सुधार, वृक्षारोपण, अपनाए गए गांवों और गंदी बस्तियों में रचनात्मक कार्य, कल्याणकारी संस्थानों में कार्य, रक्तदान, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण, एड्स के विरुद्ध अभियान इत्यादि शामिल हैं। "विशेष शिविर कार्यक्रम" योजनाके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अपनाए गए क्षेत्रों में कुछ विशेष विषयों जैसे "अकाल के विरुद्ध युवा", "गंदगी और बीमारी के विरुद्ध युवा", "वृक्षारोपण और वन के विस्तार के लिए युवा", "ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए युवा", "सामाजिक सद्भाव के लिए युवा" पर 10 दिवसीय शिविर आयोजति किया जाता है। 1996-97 और 1997-98 के लिए विषय "सतत् विकास के लिय युवा" और "बंजर भूमि और जल संभरण प्रबंधन" था। वर्तमान वर्ष के लिए विषय "स्वस्थ समाज के लिए युवा" है।

राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना

वर्ष 1977-78 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना का उद्देश्य छात्रों को अवसर प्रदान करना है, ताकि वे स्वयं विशिष्ट अवधि या पूर्णकालिक आधार पर राष्ट्रनिर्माण संबंधी कार्यकलापों में स्वैच्छिक आधार पर शामिल हो सकें। कोई भी व्यक्ति जिसने अपना डिग्री पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तथा 25 वर्ष की आयु से कम है वह एक/दो वर्षों के लिए राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेक (एन.एस.वी.) के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकता/सकती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला स्वयंसेविकाओं के मामले में आयु तथा शैक्षिक योग्यता संबंधी अपेक्षाओं में छूट दी जाती है। प्रत्येक नामांकित स्वयंसेवक को 500/- रुपये प्रतिमाह वजीफा तथा 200/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब से नियत यात्रा भत्ता दिया जाता है उन्हें प्रति वर्ष 100/- रुपये का आकस्मिक अनुदान भी दिया जाता है। वजीफे को 700/- रुपये से 1200/- रुपये प्रति स्वयंसेवक के हिसाब से बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

1998-99 में 9400 स्वयंसेवक नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट व गाइड्स में तैनात थे। 1999-2000 में 5800 स्वयंसेवकों का आबंटन इन संगठनों में किया गया। इसके अतिरिक्त, 100 स्वयंसेवकों को गैर सरकारी संगठनों को आबंटित किया गया। राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र भी इन स्वयंसेवकों की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। 1999-2000 के दौरान बजट प्रावधान 600 लाख रुपये है।

4. **राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना**

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी नामक एक नई योजना प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी का सुअवसर प्रदान कराना है।

भारत के प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया और इसी प्रकार समूचे भारत में 30 जून, 1999 को इस योजना की शुरूआत की गई। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना 2 वर्षों के लिए प्रायोगिक आधार पर देश के 80 चुनिंदा पिछड़े जिलों में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रारंभ की गई है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन, जो कि युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का एक स्वायत्तशासी संगठन है, को इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

इस योजना के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से विभिन्न परियोजनाओं पर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी के स्वयंसेवकों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष अर्थात् 1999-2000 के दौरान 80 चुनिंदा जिलों में 8,000 राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा।

5. **राष्ट्रीय एकीकरण का विकास**

यह योजना राष्ट्रीय एकीकरण और साम्प्रदायिक सौहार्द के कार्य में लगी स्वैच्छिक एजेंसियों की अधिक सहभागिता और देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं में अधिक आदान-प्रदान तथा समझ-बूझ के लिए ढांचा प्रदान करती है। विभाग विभिन्न युवा कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए अंतर्राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम, के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है।

इस वर्ष 79 राष्ट्रीय एकीकरण शिविर और 9 अंतर्राज्यीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया।

6. स्काउटिंग और गाइडिंग

यह एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य आंदोलन है जो लड़के व लड़कियों को उनके चरित्र का विकास करने का अवसर प्रदान करता है और उनके मन में देशभक्ति, दूसरों के प्रति सहानुभूति और सामाजिक सेवा के भाव जागृत करता है। स्काउटिंग और गाइडिंग संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास का संवर्धन भी करता है।

भारत स्काउट और गाइड्स एक ऐसा संगठन है जो कि मुख्य रूप से भारत में इन गतिविधियों को बढ़ावा देता है और विभाग प्रशासनिक खर्चे और प्रशिक्षण शिविर, कौशल, रैलियां, प्रतियोगिताएं, समारोह और सभाओं जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सबसे बड़ा युवा संगठन है जिसमें 23 लाख नामांकन शामिल हैं और यह विश्व का तृतीय सबसे बड़ा संगठन है जो देश में फैले लगभग 85 हजार एककों में कार्य करता है। ये एकक संपूर्ण देश में प्रौढ़ साक्षरता, वृक्षारोपण, समुदाय सेवा, कुष्ठ के प्रति जागरूकता अभियान, शिल्प केन्द्र और स्वास्थ्य और स्वच्छता के विकास के क्षेत्रों में अपने सतत् कार्यकलाप चलाते हैं। भारत स्काउट और गाइड्स को डब्ल्यू.एच.ओ. और यूनिसेफ द्वारा 15 विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में सक्रिय अन्य संगठन अखिल भारतीय बाल स्काउट्स संघ हैं।

7. साहस का विकास

इस योजना में युवाओं में जोखिम लेने की भावना पैदा करने, सहनशीलता, सहयोगी तौर पर टीम कार्य करने, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सक्रिय कार्य करने को प्रोत्साहित करने और उनमें अनुशासन तथा धैर्य की भावना जागृत करने का उद्देश्य रखा गया है। संस्थाओं, समूहों, व्यक्तियों और स्वैच्छिक संगठनों को साहस कार्य शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। इस बीच साहस की अवधारणा में विचारणीय परिवर्तन आया है। वर्तमान योजना में दिखाया गया सहायता का स्तर योजना के वास्तविक प्रयोजन को पूरा करने के लिए अनुपयुक्त है। इस योजना का संशोधन हाल ही में युवा प्रभाग द्वारा किया गया है।

8. युवा छात्रावास

युवा छात्रावासों का निर्माण युवाओं में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ताकि वे हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव कर सकें। युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में माना गया है। केन्द्र सरकार निर्माण की लागत वहन करती है जबकि राज्य सरकार पानी, बिजली, पहुंच मार्गों तथा स्टॉफ क्वाटर्स सहित निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराती है। निर्माण पूरा हो जाने के बाद, युवा छात्रावास प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को सौंप दिए जाते हैं। आज की तारीख तक 59 युवा छात्रावासों का निर्माण किया जा चुका है (अनुबंध-1) और 15 छात्रावास निर्माणाधीन हैं।

9. युवाओं के लिए प्रदर्शनी

युवाओं के लिए प्रदर्शनी की योजना का उद्देश्य निम्नानुसार है :

(1) राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं द्वारा किए गए कार्यकलापों का कार्यान्वयन तथा मान्यता प्रदान करना एवं उनका योगदान।

(2) धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकीकरण, अनेकता में एकता की भावना को बढ़ावा देना और देश के विभिन्न भागों में रहने वाले युवाओं में भारतवासी होने का गर्व पैदा करना।

(3) देश के अन्य भागों की जीवनशैली और सांस्कृतिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, स्वतंत्रता आंदोलन और कला, संस्कृति शिक्षा, कृषि, उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में युवाओं को अधिक जानकारी देना।

लोकनृत्य, लोकसंगीत, चित्रकला, कला एवं शिल्प, पुस्तकें और विकास और युवाओं से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। स्वैच्छिक संगठनों, एन. एस. एस. क्षेत्रीय केन्द्रों, शैक्षिक संस्थानों (विश्वविद्यालय सहित), राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और युवा कार्यक्रम और खेल विभाग स्वयं भी ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करता है।

10. पिछड़ी जनजाति के युवाओं के लिए विशेष योजना

वर्ष 1990-91 के दौरान, पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित युवाओं में उनकी आवश्यकताओं और क्षमता पर आधारित युवा कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए यह विशेष योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों, एन.एस.एस. क्षेत्रीय केन्द्रों, शैक्षिक संस्थानों (विश्वविद्यालय समेत), नेहरू युवा केन्द्रों, भारत स्काउट् व गाइड्स और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन के लिए कार्यक्रम, अंतर्राज्यीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम, जनजातीय युवाओं के लिए प्रर्दशनियां और अन्य विभिन्न निरंतर रूप से चलने वाली युवा कल्याण योजनाओं के लिए सहायता दी जाती है।

11. युवा क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

यह योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यकलापों में युवाओं को शामिल करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत निकायों, सार्वजनिक न्यासों और लाभ न कमाने वाली कम्पनियों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में युवाओं के लिए स्वरोजगार बढ़ाने के लिए मुख्य मुद्दा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का रहा है। कृषि पर आधारित उद्योगों, सिलाई, कढ़ाई, बढ़ई इत्यादि के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सहायता दी जाती है ताकि गतिशील युवा व्यक्तियों

के संवर्ग का विकास किया जा सके, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करेंगे।

12. युवाओं को प्रशिक्षण

इस योजना का उद्‌देश्य स्वरोजगार व बेहतर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और प्रतिभा पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं की उत्पादनकारी कार्य क्षमता को सुधारना है। यह स्वैच्छिक संगठनों, नेहरू युवा केन्द्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय केन्द्रों, शैक्षिक संस्थाओं तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के विषय जैसे कृषि, पशुपालन, डेरी, मुर्गीपालन आदि; सहकारी समितियों की स्थापना, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण स्थानीय स्तरों पर प्रबंधन इत्यादि, वैज्ञानिक तरीकों जैसे धुंआरहित चूल्हा, बायोगैस संयंत्र और अन्य गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास और ग्रामीण युवाओं की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करने के लिए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

13. युवा क्लबों को सहायता

(क) उत्कृष्ट युवा क्लबों को सहायता

युवा क्लबों के योगदान को मान्यता प्रदान करने और उन्हें राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए, यह योजना 1992-93 के दौरान शुरू की गई थी। यह योजना नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना तीन स्तरों अर्थात् जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) युवा क्लबों को सहायता

देश में युवा आंदोलन को नया बल देने के विचार से विभाग द्वारा 1986-87 में युवा क्लबों के लिए सहायता की योजना प्रारंभ की गई थी। 1993-94 में मूल्य वृद्धि के कारण योजना में संशोधन किया गया था। यह योजना नेहरू युवा केन्द्र संगठन और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्‌देश्य नवस्थापित युवा क्लबों को प्रारंभिक स्तर पर सहायता देना है ताकि वे अपनी गतिविधियां शुरू और स्थापित करने के योग्य बन सकें। पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के युवा क्लबों को 5,000/- रुपये प्रति क्लब के हिसाब से एकबारगी अनुदान पहले ही दिया जा चुका है। अनुदान दरियों, टेबलों, कुर्सियों, पुस्तकालयों की पुस्तकों, स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार खेल और सांस्कृतिक उपकरण और किराये के भुगतान, लेखन सामग्री, अखबार और समारोह, प्रतियोगिताओं इत्यादि के आयोजन के लिए दिया जाता है। योजना के अंतर्गत युवा क्लबों को दिया जाने वाला अनुदान साधारण क्षेत्रों में 10,000/- रुपये प्रति युवा क्लब और जनजातीय क्षेत्रों में 15,000/- प्रति युवा क्लब के हिसाब से बढ़ा दिया गया है।

14. युवा विकास केन्द्र

विकास संबंधी कार्यकलापों में ग्रामीण युवाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से 1994-95 के दौरान 10 गांवों के प्रत्येक समूह के लिए युवा विकास केन्द्र स्थापित करने की एक नयी योजना प्रारंभ की गई थी। ये केन्द्र सूचना, खेल, प्रशिक्षण तथा ग्रामीण युवाओं के लिए अन्य युवा सूचना की सुविधाएं सृजित करने के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्र के लिए जमीन ग्रामपंचायत द्वारा दान में दी जाएगी। प्रत्येक केन्द्र को एक बार में 30,000/- रुपये तक की केन्द्रीय सहायता दी जाती है ताकि मूल फर्नीचर, उपस्कर, रेडियो तथा टी.वी./वी.सी.पी. की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रत्येक केन्द्र का प्रबंध एक समिति द्वारा किया जाएगा जो कि संघटक ग्रामों के युवाओं से चुनी जाएगी। संचालन और देखरेख संबंधी व्यय, समिति द्वारा जुटाये जाएंगे। यह योजना नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-II

वर्ष 1996 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता

क्र.सं.	पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम
1	2
1.	श्री अजीत भदुरिया
2.	सुश्री पद्मीनी थॉमस
3.	श्री राज कुमार सांगवान
4.	श्री एन्थोनी मारिया इरूदयम
5.	श्री जवागल श्रीनाथ
6.	श्री अमीत कृष्ण लूथरा
7.	श्री ए.बी. सुबैय्या
8.	श्री आशीष कुमार बल्लाल
9.	कुमारी पूनम चोपड़ा
10.	श्री श्रीराम भावसर
11.	सुश्री नीता मोरेश्वर दादवे
12.	श्री सुरेन्द्र सिंह वालडिया
13.	श्री मुराद ए. खान
14.	मास्टर वी. कुतरालीश्वरन
15.	श्री गौरव नन्दू नाटेकर
16.	स्व. लै. कमांडर कैली सुब्बानंद राव (मरणोपरांत)

1	2
17.	श्री संदीप सिंह ढिल्लो
18.	श्री कल्लै गौड़ा

वर्ष 1997 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता

क्र.सं.	पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम
1	2
1.	श्रीमती रीथ अब्राहम
2.	श्री अशोक हरिशंकर शांडिल्य
3.	श्री अजयसिंह दौलतसिंहजी जडेजा
4.	श्री सौरव गांगुली
5.	श्री ब्रहमानंद एस. के. शंखवालकर
6.	श्री हरमीत कहलोन
7.	श्री हरमीक सिंह
8.	श्री राजेन्दर सिंह
9.	श्री सुरिन्दर सिंह सोढी
10.	श्री रंधीर सिंह
11.	श्री सत्येन्द्र कुमार
12.	सुश्री शिल्पी सिंह
13.	सुश्री मिशा ग्रेवाल
14.	श्री चेतन पी. बबूर
15.	श्री आसीफ इस्माइल
16.	श्रीमती एन. लक्ष्मी
17.	श्री परमजीत शर्मा
18.	श्री जगदीश सिंह
19.	श्री संजय कुमार
20.	श्री एम. महादेव
21.	श्री नरेश कुमार शर्मा

वर्ष 1998 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता

1	2
1.	सुश्री नीलम जे. सिंह
2.	सुश्री रचिता मिस्त्री
3.	कैप्टन श्रीचन्द राम वी.एस.एम.
4.	श्री एस.डी. ईशान
5.	श्री परमजीत सिंह
6.	श्री टी.वी. पौली
7.	श्री एन.जी. डिंको सिंह
8.	श्री राहुल द्रविड़
9.	श्री नयन रामलाल मोंगिया
10.	श्री बैचुंग भूटिया
11.	सुश्री प्रीतम रानी
12.	श्रीमती एस. ओमाना कुमारी
13.	स्व. सरदार सुरजीत सिंह
14.	श्री बलजीत सिंह ढिल्लो
15.	श्री मोहम्मद रियाज
16.	श्री बलदेव सिंह
17.	श्री महाराज कृष्ण कौशिक
18.	श्री नरेन्द्र सिंह
19.	श्री आशान कुमार
20.	श्री विश्वाजीत पालित
21.	सुश्री शोभा नारायण
22.	सुश्री अंजू दुआ
23.	सुश्री रंजीनी रामानुजम
24.	सुश्री रूपा उन्नीकृष्णन
25.	श्री मानवजीत सिंह
26.	श्री भानु सचदेवा
27.	श्री सुब्रमणियन रमन
28.	श्री सतीशा राय
29.	श्री काका पवार
30.	श्री रोहताश सिंह दहिया

वर्ष 1996, 1997 और 1998 में प्रदान किए गए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

क्र.सं.	वर्ष	पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम
1.	1996	श्री लियण्डर अदरीह पेस
2.	1997	श्री सचिन रमेश तेंदुलकर
3.	1998	श्रीमती ज्योतिर्मय सिकदर

1996, 1997 और 1998 में दिए गए द्रोणाचार्य पुरस्कार

क्र.सं.	वर्ष	पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम
1.	1996	श्री विलसन जोन्स
2.	1996	श्री पाल सिंह सन्धु
3.	1997	श्री जोगिन्दर सिंह सैनी
4.	1998	श्री बहादुर सिंह
5.	1998	श्री हरगोविन्द एस. सन्धु
6.	1998	श्री जी.एस. सन्धु

वर्ष 1996 में प्रदान किए गए नकद पुरस्कार

क्र.सं.	खिलाड़ियों के नाम
1	2
1.	सुश्री कुंजरानी देवी
2.	सुश्री कर्णनम मल्लेश्वरी
3.	सुश्री सुनीता लाहा
4.	सुश्री वी. पांडेश्वरी
5.	श्री एन. गोजन सिंह
6.	सुश्री एस. वाहजा
7.	सुश्री सुनीता रानी
8.	सुश्री सरस्वती डे
9.	सुश्री परमजीत कौर
10.	श्री सुगन यादव
11.	श्री गुरदेव
12.	श्री शैलेन्द्र सिंह
13.	श्री अजय राज सिंह
14.	श्री ओम प्रकाश देवी
15.	सुश्री देवी बोस
16.	सुश्री इन्दु मती
17.	श्री जी.एस. हरि राजू
18.	श्री बैजु मराण्डी
19.	श्री सतीश सिंह
20.	श्री संजय कुमार
21.	सुश्री सुमिता दहिया
22.	सुश्री सोमा विस्वास
23.	सुरी शहानी ओरन
24.	सुश्री अमनदीप कौर
25.	सुश्री परमजीत कौर
26.	सुश्री जैसी थॉमस
27.	सुश्री प्रमिला जी. जी.
28.	सुश्री रूपीदर कौर
29.	सुश्री पूनम बेलीयापा
30.	श्री पी.एच. अब्दुल्ला
31.	श्री आर. श्रीनिवास राव
32.	श्री अनूप सिंह
33.	श्री क्लीफोर्ड जे. जोशना
34.	श्री श्रीकुमार
35.	श्री मुकेश सिंह
36.	श्री रमनदीप सिंह
37.	श्री साहिब सिंह
38.	सुश्री अर्पना पोपट
39.	सुश्री मृणालिनी कुंते
40.	सुश्री विजयलक्ष्मी सुब्बारमन
41.	श्री सूर्य शेखर गांगुली

1	2
42.	सुश्री सफीरा शहनाज
43.	श्रीमती सरिता एम. रेड्डी
44.	श्री के. शशिकिरण
45.	श्री पी. हरिकृष्ण
46.	श्री प्रवीन महादेव थीप्से
47.	श्री पी. मित्र कांत
48.	श्री अर्जुन सिंह
49.	श्री शिविन क्वात्रा
50.	श्री गौरव दिवान
51.	श्री संदीप स्याल
52.	सुश्री मीता शर्मा
53.	सुश्री सुनीता ठाकुर
54.	श्री नरेन्द्र सिंह
55.	श्री विनोद गिल
56.	श्री मिर्जा नजीव आगा
57.	श्री यशपाल सोलंकी
58.	श्री वीरपाल सिंह
59.	सुश्री कमला रावत
60.	सुश्री भावना भारती
61.	सुश्री रश्मि रानी
62.	श्री मुकेश खत्री

वर्ष 1997-1998 में प्रदान किए गए पुरस्कार

क्र.स.	नाम
1	2
1.	एम. के. कौशिक
2.	हरमीत कैहलन
3.	मानवजीत सिंह
4.	गीत सेठी
5.	गुरूचरन सिंह
6.	सय्यद फैजलुद्दीन
7.	जसपाल राणा
8.	एन. जी. डिंको सिंह
9.	ए. के. पाण्डियन
10.	जटा शंकर
11.	एम. अरूण
12.	जे.ई. कविता
13.	जसील पी. इस्माइल
14.	आरती रामास्वामी
15.	विंसेंट लोबो
16.	जोर्ज थॉमस
17.	मारकोश ब्रिस्टाब
18.	निखिल कानेतकर
19.	पी.वी.वी. लक्ष्मी
20.	पी. गोपी चन्द
21.	अर्चना देवधर
22.	मंजूषा कंवर
23.	शिल्पी सिंह
24.	ज्योतिर्मयी सिकदर
25.	जी.एस. नायर
26.	रचिता मिस्त्री
27.	राजेश पट्टू
28.	अरूप बसक
29.	पंकज शर्मा
30.	चेतन बबूर
31.	बीनू कूरीयन
32.	दलवीर सिंह राठौर
33.	बी. भूवनेश्वरी
34.	अमोलक जीत सिंह

1	2
35.	पलविन्दर सिंह
36.	के. शशिकिरन
37.	अशिम श्याम गुप्ता
38.	एन. मुकेश कुमार
39.	एन. निधि खुल्लर
40.	चपल दीप्ती
41.	लांशी शिक्यूरिया
42.	प्रवीन महादेव थिप्से
43.	तेजस रविन्द्र बाकरी
44.	देवेन्द्र जोशी
45.	एल. बल्ला
46.	अनिल कुमार
47.	दिलीप टिर्की
48.	समीर दाड
49.	आर. सिंह ढिल्लो
50.	जॉनसन जेवियर
51.	भारती सिंह
52.	डी. विलसन
53.	आर. खान
54.	एन. कुंजरानी देवी
55.	के. टी. चानू
56.	शक्ति सिंह
57.	बिट्टू
58.	बजीत सैनी
59.	लक्ष्मी श्री सी.
60.	आई. हिलानमरी
61.	रमनदीप सिंह
62.	प्रीतम
63.	सीता गुंसाईं
64.	अमनदीप कौर
65.	कमला दलाल
66.	नेहा सिंह
67.	सुनीता दलाल
68.	डब्ल्यू. सुरजलता देवी
69.	मेरीस्टैला टिर्की
70.	ज्योती सुनीता कुल्लू
71.	मंजीन्दर कौर
72.	लीजो डेवीड
73.	जिंसी फिलीप
74.	के.एम. बिनामोल
75.	पी. रमाचन्द्रन
76.	बहादुर सिंह
77.	रामपाल सिंह
78.	हरजीत सिंह
79.	रामवीर सिंह
80.	वीनीता त्रिपाठी
81.	किरण पाल
82.	अरबिंद सबूर
83.	तरलोचन सिंह
84.	पप्पी सिंह
85.	संजीव कुमार
86.	रूपिन्दर पाल सिंह
87.	शमशेर सिंह
88.	कासम खान
89.	संदीप कौर
90.	बी.सी. रमेश
91.	कुलवंत सिंह
92.	विश्वजीत पलीत

1	2	1	2
93.	सुबांशु सत्याप्रयागयन	121.	अशोक एच. शांडिल्य
94.	नीलम जे. सिंह	122.	एन. लक्ष्मी
95.	अर्जुन दत्ता	123.	मनशेर सिंह
96.	यादविन्दर सिंह	124.	सुनिता रानी
97.	गुरमीत कौर	125.	बहादुर प्रसाद
98.	अरुण डीसूजा	126.	ए.बी. सुबैय्या
99.	एन. मुहम्मद रियाज	127.	आशीष बलाल
100.	नीतीन किर्तने	128.	जितेन्द्र कुमार
101.	एस. त्रिमल बलवान	129.	अमनदीप कौर
102.	एल. प्रभाकर	130.	बी. मुर्गनाथम
103.	सतीश राय	131.	गुलाब चन्द
104.	राजेन्द्र शर्मा	132.	के.सी. रोजाकुट्टी
105.	के. नीलम चौधरी	133.	मनदीप कौर
106.	पंडित अशोक जे.	134.	सी. हौनप्पा
107.	बालचन्द्रन भास्कर	135.	सबरेश जून
108.	बीरबल सिंह	136.	भंवर लाल ढाका
109.	प्रहलाद श्रीनाथ	137.	वीरेन्द्र कुमार
110.	अनिल अलद्रीन	138.	वेद प्रकाश
111.	संदीप सौम्मया	139.	सतेन्द्र कुमार
112.	साहू वर्के	140.	राम मेहर सिंह
113.	धनराज पिल्लै	141.	जगजीत सिंह
114.	सुतापा दास	142.	मधुमीता बिष्ट
115.	के. मल्लेश्वरी	143.	श्री मुकेश कुमार
116.	सुमिता लाहा	144.	श्री करमवीर सिंह
117.	दिनेश रावत	145.	श्री अनुज कुमार
118.	परमजीत सिंह	146.	श्री संजय
119.	विवेक सिंह	147.	श्री सरबर सिंह
120.	एस. गीता	148.	श्री जगदीश

1	2
149.	श्री वेद कुमार
150.	श्री लालरेम सांगा
151.	श्री सत्या देव प्रसाद
152.	श्री पी.एस. संधु
153.	श्रीमती पी.टी. उषा

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रणाली

261. श्री अधीर चौधरी :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य–वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी है;

(ख) क्या सरकार इन केन्द्रों को स्थापित करने में अथवा वहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरत रही है;

(ग) इन केन्द्रों को स्थापित करने हेतु अब तक कितनी राशि आबंटित की गई तथा वर्तमान वर्ष में राज्य–वार कितनी राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार देश में प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के संबंध में भी लापरवाही बरत रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और रख–रखाव, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के जरिए राज्य बजटों/न्यूनतम **आवश्यकता कार्यक्रम तथा आधारभूत न्यूनतम** सेवा कार्यक्रम से किया जाता है। राज्य सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सहित सात आधारभूत न्यूनतम सेवाओं में से प्राथमिकता वाले क्षेत्र का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

क्र.सं.	राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	–	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	–	–
3.	असम	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–
5.	गोवा	–	–	–
6.	गुजरात	1	3	–
7.	हरियाणा	–	2	1
8.	हिमाचल प्रदेश	12	16	52
9.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	2
10.	कर्नाटक	20	37	–
11.	केरल	27	–	4
12.	मध्य प्रदेश	194	–	–
13.	महाराष्ट्र	–	–	4
14.	मणिपुर	2	–	–
15.	मेघालय	1	2	4
16.	मिजोरम	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–
18.	उड़ीसा	1	–	250*
19.	पंजाब	–	–	–
20.	राजस्थान	89	20	30
21.	सिक्किम	–	–	–
22.	तमिलनाडु	–	–	–
23.	त्रिपुरा	–	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	47*
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	–
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–

1	2	3	4	5
27.	चंडीगढ़	–	–	–
28.	दादर और नगर हवेली	–	–	–
29.	दमन और द्वीव	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–
31.	लक्ष्यद्वीप	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	17*	–
	अखिल भारत	365	99*	397

*स्थापना/उपलब्धि का वर्ष ज्ञात नहीं है।

[हिन्दी]

अधिकारियों की विदेश यात्रा

262. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–ओमान परियोजना के अन्तर्गत कृभको के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्राओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या इन यात्राओं में यूरोपीय देशों की यात्राएं भी शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन यात्राओं को औचित्यपूर्ण माना गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) अनंतिम रूप से लगाए गए अनुदान के अनुसार भारत–ओमान उर्वरक परियोजना के संबंध में कृभको ने अपने अधिकारियों की विदेश यात्रा पर अक्तूबर, 1999 तक 5.63 करोड़ रुपए खर्च किए।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ये यात्राएं इसलिए की गई क्योंकि परियोजना के कानूनी काउंसेल, वित्तीय सलाहकार विपणन परामर्शदाता तथा व्यवस्था करने वाले बैंक यूरोप में स्थित हैं और क्योंकि इस परियोजना को यूरोपीय देशों की निर्यात की निर्यात साख एजेंसियों द्वारा सहायता दी जा रही है। ओमान के सहभागियों की तर्कसंगत सुविधा की वजह से बैठकें समय–समय पर यूरोप में आयोजित किया जाना भी अपेक्षित था।

[अनुवाद]

संक्रामक रोगों की रोकथाम

263. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संक्रामक रोगों को रोकने तथा इससे पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संग्रामक रोगों के उन्मूलन के लिए और रोगियों को अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए कोई अनुसंधान कार्य चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय सरकार संचारी, गैर–संचारी और अन्य गंभीर बीमारियों से निबटने के लिए ठोस उपाय करती है। इस उद्देश्य से अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीधे ही चलाए जाते हैं जिससे मृत्युदर तथा रुग्णता में कमी लाने और आम आदमी के जीवन जीने के तरीके को बेहतर बनाने के प्रयासों पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। केन्द्रीय सरकार ने प्रकोप सूचना पद्धति को बेहतर बनाने तथा तत्काल प्रत्युत्तर क्षमता को बढ़ाने के लिए पूर्व चेतावनी संकेत तंत्र स्थापित करने और स्वास्थ्य निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए प्रायोगिक आधार पर चुनिंदा जिलों में एक राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है।

(ग) और (घ) भारत से चेचक का उन्मूलन किया जा चुका है। देश में 1996 से गिनी कृमि के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा कुष्ठ रोग तथा पोलियो के उन्मूलन हेतु अनुसंधान किए जा रहे हैं। क्षयरोग के क्षेत्र में भी क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई द्वारा अनुसंधान कार्यकलाप किए जा रहे हैं। मलेरिया के मामले में ऑपरेशनल अनुसंधान कार्यकलाप राष्ट्रीय मलेरियारोधी काकार्यक्रम निदेशालय द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के सहयोग से किए जा रहे हैं।

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र

264. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में चल रहे ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने इन केन्द्रों के रख–रखाव के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आबंटित की;

(ङ) क्या यह राशि इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा धनराशि को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) देश में चल रहे ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों की कुल संख्या 5435 है। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्यों के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन सेवाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एकीकृत सुविधाओं के जरिए प्रदान की जा रही हैं। अप्रैल, 1980 से कोई नया ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र मंजूर नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए बजट अनुमानों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रों की संख्या	बजट अनुमान (लाख रुपये में) वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	420	1540.00	2039.00	2700.00
2.	असम	146	543.00	782.00	1022.00
3.	बिहार	587	2153.00	2849.00	3770.00
4.	गोवा	13	48.00	63.00	80.00
5.	गुजरात	251	921.00	1219.00	1610.00
6.	हरियाणा	93	341.00	452.00	590.00
7.	हिमाचल प्रदेश	77	283.00	374.00	490.00
8.	जम्मू और कश्मीर	82	301.00	398.00	520.00
9.	कर्नाटक	269	987.00	1306.00	1730.00
10.	केरल	163	598.00	791.00	1040.00
11.	मध्य प्रदेश	460	1687.00	2233.00	2950.00
12.	महाराष्ट्र	428	1570.00	2077.00	2750.00
13.	मणिपुर	31	126.00	166.00	217.00

1	2	3	4	5	6
14.	मेघालय	23	93.00	123.00	161.00
15.	मिजोरम	14	57.00	75.00	98.00
16.	नागालैंड	7	28.00	38.00	49.00
17.	उड़ीसा	314	1150.00	1524.00	2010.00
18.	पंजाब	129	475.00	626.00	830.00
19.	राजस्थान	232	851.00	1126.00	1480.00
20.	सिक्किम	15	61.00	80.00	105.00
21.	तमिलनाडु	383	1405.00	1859.00	2463.00
22.	त्रिपुरा	35	142.00	186.00	245.00
23.	उत्तर प्रदेश	907	3327.00	4403.00	5820.00
24.	पश्चिम बंगाल	335	1229.00	1625.50	2150.00
25.	चंडीगढ़	1	11.00	13.50	20.00
26.	दिल्ली	8	29.00	29.00	45.00
27.	पांडिचेरी	12	44.00	43.00	55.00
	कुल	5435	20000.00	26500.00	35000.00

नवजात शिशुओं के लिए बी.सी.जी. टीकाकरण

265. **डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अभी भी नवजात शिशुओं के लिए बी.सी.जी. टीकाकरण किया जा रहा है जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंद किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बच्चों में हिपैटाइटिस बी. में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन सिफारिश करता है कि क्षय रोग संक्रमण की उच्च घटना वाले सभी देशों को जन्म के समय अथवा उसके तुरन्त बाद बी.सी.जी. की एकल खुराक के साथ प्रतिरक्षण करना चाहिए। भारत में प्रतिरक्षण कार्यक्रम में बी.सी.जी. की एकल खुराक के साथ नवजात शिशुओं के टीकारण की व्यवस्था है। कुछ अन्य देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत अनुसूची का पालन करते हैं।

(ग) इंजेक्शन निरापदता और उपयुक्त विसंक्रमण सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधा केन्द्रों पर प्रशिक्षण और उपस्कर उपलब्ध कराए गए हैं। रक्ताधान से पहले हैपाटाइटिस बी के लिए रक्त की जांच की जाती है। तथापि संसाधनों की तंगी के कारण बच्चों के लिए हैपाटाइटिस बी टीकाकरण शुरू करना सम्भव नहीं हुआ है।

अशक्तता संबंधी मुख्यमंत्री सम्मेलन

266. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1955 के शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) याचिका संबंधी समिति, राज्य सभा, ने देश में विकलांग व्यक्तियों की दशा पर अपनी अंतिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम के तेजी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मुख्य मंत्रियों तथा संबंधित राज्यों के कल्याण से संबंधित मंत्रियों का एक सम्मेलन शीघ्र आयोजित करना चाहिए जिससे उसके अधीन अपेक्षित लाभों को विकलांग व्यक्तियों की पहुंच में लाने में आगे कोई विलम्ब न हो। रिपोर्ट में यह भी उललेख है कि समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में बल दिया था कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री जी को अपने स्तर पर इस मामले को संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ उठाना चाहिए।

(ग) राज्य सभा की याचिका संबंधी समिति, की अंतरिम रिपोर्ट में इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रधान मंत्री जी द्वारा मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। अंतरिम रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि अधिनियम के कार्यान्वयन को वर्तमान दर्जा देकर यह एक अच्छा कार्य होगा यदि देश के प्रधानमंत्री संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ अधिनियम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए इस मामले को व्यक्तिगत स्तर पर उठाएं। तद्नुसार, प्रधानमंत्री जी ने संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ इस मामले को अपने दिनांक 9.9.1999 के पत्र के तहत उठाया, जिसमें इस अधिनियम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया गया था जहां तक संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने का संबंध है, जैसा कि समिति की अंतिम रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, सम्मेलन आयोजित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रधानमंत्री कार्यालय से परामर्श करके आरंभ की जा रही है।

[हिन्दी]

स्कूलों में कार्यकारी समितियां

267. श्री राधा मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू सत्र के दौरान स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समितियों में एक कार्यकारी समिति का गठन करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों को केन्द्रीय विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में विशेष नामांकन हेतु अधिकृत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका औचित्य क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालयों में स्थानीय निरीक्षण में सुधार करने के उद्‌देश्य से सभी केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध समितियों की कार्यकारी समितियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनौपचारिक शिक्षा

268. श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उक्त के अन्तर्गत बिहार और दूसरे राज्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों और इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों को दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्यों के लिए अलग-अलग आबंटन नहीं किया जाता। नौवीं योजना अवधि में इस योजना के लिए 1865.42 करोड़ रु. का आबंटन रखा गया है। योजना अवधि के दौरान (वर्षवार) भौतिक लक्ष्य निम्नवत् हैं :

वर्ष	केन्द्रों की संख्या
1997-98	2,90,477
1998-99	2,99,962
1999-2000	2,60,000
2000-2001	2,85,000
2001-2002	3,10,000

विवरण-I

अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम

वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान (अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान) राज्यवार केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	27,440	39,275	40,455	41,630	41,245
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	100	100
3.	असम	14,063	13,833	14,113	14,213	14,263
4.	बिहार	51,805	51,900	52,040	52,550	52,530
5.	गुजरात	3,850	1,845	1,480	1,480	1,480
6.	जम्मू और कश्मीर	3,930	3,930	2,170	2,771	2,771
7.	मध्य प्रदेश	34,760	35,235	35,510	35,985	35,960
8.	मणिपुर	2,650	2,600	1,400	2,585	4,012
9.	मिजोरम	200	200	200	200	200
10.	उड़ीसा	19,533	20,013	23,103	32,178	33,104
11.	राजस्थान	11,590	14,870	18,980	19,197	19,246
12.	तमिलनाडु	1,000	1,090	1,690	3,160	3,260
13.	उत्तर प्रदेश	62,995	63,995	64,025	65,231	65,181
14.	चंडीगढ़	100	100	100	105	105
15.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	100	100
16.	हरियाणा	760	500	725	750	640
17.	हिमाचल प्रदेश	350	450	450	450	350
18.	कर्नाटक	350	1,375	1,660	1,710	827
19.	महाराष्ट्र	1,400	2,225	1,825	1,900	2,165
20.	पश्चिम बंगाल	960	860	810	910	1,010
21.	केरल	150	–	–	–	–
22.	दिल्ली	275	225	225	250	250
	कुल	2,38,161	2,54,521	2,60,961	2,77,455	2,79,799

विवरण-II

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान (अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान) राज्यवार जारी किए गए अनुदान

क्र.सं.	राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
						(रु. लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	775.88	2,101.30	2,738.24	690.07	546.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	7.84	0.00
3.	असम	365.00	506.25	919.65	753.03	1,012.15
4.	बिहार	626.47	1,447.81	927.12	2,007.59	2,790.74
5.	गुजरात	98.78	113.86	133.05	59.24	83.84
6.	जम्मू और कश्मीर	54.46	57.04	67.77	99.86	21.99
7.	मध्य प्रदेश	657.02	1,830.19	1,826.10	2,453.67	2,819.28
8.	मणिपुर	47.38	94.10	74.07	138.29	295.09
9.	मिजोरम	2.96	8.58	10.48	6.55	8.70
10.	उड़ीसा	573.10	811.67	1,109.60	1,256.23	1,912.84
11.	राजस्थान	457.85	529.36	1,269.41	703.64	1,423.47
12.	तमिलनाडु	34.35	61.37	120.98	108.99	212.49
13.	उत्तर प्रदेश	1,631.90	2,798.81	3,573.87	3,895.81	4,303.46
14.	चंडीगढ़	1.29	4.79	6.12	3.52	5.65
15.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.67	9.53	3.17	4.55
16.	हरियाणा	34.45	41.74	63.81	36.89	48.01
17.	हिमाचल प्रदेश	12.72	23.52	25.54	6.70	12.00
18.	कर्नाटक	16.97	78.35	37.84	5.62	33.76
19.	महाराष्ट्र	71.82	101.91	98.01	57.38	153.84
20.	पश्चिम बंगाल	40.94	73.12	91.05	13.39	103.36
21.	केरल	3.49	–	–	–	–
22.	दिल्ली	29.52	11.85	23.46	12.32	23.38
	कुल	5,536.39	10,696.29	13,125.70	12,319.80	15,814.85

नए कौशल का प्रशिक्षण

269. **श्री अशोक प्रधान :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार सह आय सृजनात्मक सह उत्पादन एकक (एन.ओ.आर.ए.डी.) के अंतर्गत महिलाओं को नए कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक के लाभार्थियों की वर्ष–वार संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभाविन्त महिलाओं की वर्ष–वार संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1	1996-97	5,770
2.	1997-98	4015
3.	1998-99	2290
4.	1999-2000 (आज तक)	750

स्वैच्छिक संगठनों गैर-सरकारी संगठनों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुदान दिया जाना

270. **श्री सी. कुप्पुस्वामी :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य–वार प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि दी गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितना बजट आबंटित किया गया;

(घ) क्या संगठनों ने अतिरिक्त धनराशि जारी करने से पहले कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण–पत्र जमा कर दिए थे;

(ङ) धनराशि के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है;

(च) क्या धनराशि प्राप्त करने संबंधी आवेदनों की तेजी से जांच की जाती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) आवश्यकता पूरी करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के लिए विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई राशि को दर्शाने वाली सूचियां विवरण-I से V के रूप में संलग्न हैं।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को सहायता की योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन इस प्रकार हैं :

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना	रु. 62.29 करोड़
सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना	रु. 30.00 करोड़

(घ) से (ज) सहायता जारी रखने संबंधी आवेदनों पर पूर्व वर्षों की सहायता में से लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत पृष्ठांकित धनराशि के उपयोग के प्रमाणपत्र, निरीक्षण रिपोर्टों तथा राज्य सरकार की सिफारिशों, परीक्षित लेखे तथा संगठनों के कार्यकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है। सहायता दो किस्तों में निर्मुक्त की जाती है, पहली किस्त अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर तथा दूसरी किस्त राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट तथा सिफारिशों के आधार पर। यह मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजनाओं के अंतर्गत निधियों के बढ़े हुए आबंटन के अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रयासों में भाग लेने के लिए अधिक स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने हेतु इन योजनाओं का प्रचार भी करता है। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों की शीघ्रतापूर्वक जांच की जाती है और उन्हें निपटाया जाता है।

विवरण-I

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	408.99	467.24	261.61
अरुणाचल प्रदेश	2.86	3.78	3.71
असम	4.87	3.18	15.37
बिहार	80.04	62.2	65.81
चंडीगढ़	1.22	1.01	1.03
दिल्ली	137.26	144.37	183.7
गोवा	5.25	6.96	9.47
गुजरात	23.89	30.71	36.89
हरियाणा	15.61	16.28	29.92
हिमाचल प्रदेश	0	2.98	37.46
जम्मू और कश्मीर	2.71	3.05	1.78
कर्नाटक	231.86	204.94	261.23
केरल	136.29	123.54	527.08
मध्य प्रदेश	0.76	0.97	9.59
महाराष्ट्र	45.46	38.15	167.47
मणिपुर	9.41	11.54	23.98
मेघालय	5.36	3.7	13.15
मिजोरम	4.14	1.1	6.57
उड़ीसा	2.23	40.68	79.38
पांडिचेरी	0	2.6	0.64
पंजाब	17.15	20.01	42.7
राजस्थान	31.63	28.41	54.24
तमिलनाडु	82.18	95.97	151.91
त्रिपुरा	1.93	2.67	1.83
उत्तर प्रदेश	83.89	97.49	340.5
प. बंगाल	183.36	150.21	229.75

विवरण-II

विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए संगठनों को सहायता

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	19	25.3	24.19
अरुणाचल प्रदेश	2.86		
असम		0.36	
बिहार	4.29	21.53	
चंडीगढ़			
दिल्ली		1.88	100.94
गोवा			
गुजरात			
हरियाणा	6.13	7.34	6.75
हिमाचल प्रदेश			
जम्मू और कश्मीर			
कर्नाटक	2.81	1.47	0.7
केरल	4.94	10.4	3.89
मध्य प्रदेश		5.55	0.93
महाराष्ट्र			1.57
मणिपुर	1.2	3.67	5.56
मेघालय		0.62	1.47
मिजोरम			
उड़ीसा	13.67	20.67	8.23
पांडिचेरी			
पंजाब		0.58	3.47
राजस्थान	1.93	0.89	1.25
तमिलनाडु	20.21	16.43	1.75
त्रिपुरा			
उत्तर प्रदेश		15.93	
प. बंगाल		1.65	

विवरण-III

कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
अण्डमान व निको.	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.81	2.35
दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	0.00	0.00
जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00
केरल	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	2.25	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	13.05	12.10	23.16
मणिपुर	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	6.12
पंजाब	0.00	2.00	0.00
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	56.00	72.64	161.37
प. बंगाल	0.00	4.82	1.40

विवरण-IV

प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
अण्डमान व निको.	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	4.01	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	2.50	0.00	301.40
दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	0.00	0.00
जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00
केरल	0.00	25.00	302.47
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	3.12	0.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
प. बंगाल	2.54	6.11	1.06

विवरण-V

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	39.61	40.38	201.83
अरुणाचल प्रदेश	0.5	5.5	
असम			1.32
बिहार	24.61	43.29	58.22
चण्डीगढ़	0.04		22.19
दिल्ली	23.66	51.97	377.51
गोवा	0.17	0.69	0.35
गुजरात	15.46	27	76.59
हरियाणा	85.3	122.56	138.52
हिमाचल प्रदेश	12	6	10
जम्मू व कश्मीर	72		12
कर्नाटक	1.74	15	34.33
केरल	12.5	39.25	65.44
मध्य प्रदेश	44.12	54.8	142.15
महाराष्ट्र	15.36	18.79	56.26
मणिपुर	3		34.28
मेघालय			
मिजोरम		9.47	
उड़ीसा	6	10	272.05
पांडिचेरी			
पंजाब	91	29.53	146.69
राजस्थान	57.75	140	286.27
तमिलनाडु	15.25	34.21	46.52
त्रिपुरा	6	8.91	2.9
उत्तर प्रदेश	121.81	170.74	353.45
पं. बंगाल	43.8	62.55	79.75
दादरा व नगर हवेली .		3.21	

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय की स्थापना

271. **श्री भीम दाहाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने गंगटोक में सिक्किम–मणिपाल स्वास्थ्य, चिकित्सा और प्रौद्योगिकीय विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक मूल्यांकन कर लिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) सिक्किम में चिकित्सा कॉलेज की स्थापना करने संबंधी सिक्किम मणिपाल स्वास्थ्य, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का मूल्यांकन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा

अक्तूबर, 1999 में निरीक्षण आयोजित करके किया गया।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए विनियम के प्रावधानों के अधीन यथा निर्धारित आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी पायी गई विभिन्न कमियों को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सिक्किम में प्रस्तावित चिकित्सा कॉलेज की स्थापना हेतु आशयपत्र जारी करने की सिफारिश नहीं की है।

[हिन्दी]

मानसिक अस्पतालों में उपकरण और सुविधाएं

272. **श्री रामटहल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कांके, रांची के मानसिक अस्पतालों में नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) कांके, रांची में दो मानसिक अस्पताल हैं, (i) केन्द्रीय सरकार के अधीन केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान में रोगियों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु अपेक्षित आधुनिक प्रौद्योगिकी है। (ii) रांची तंत्रिका मनश्चिकित्सा और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान बिहार राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान है। संस्थान के नैदानिक केन्द्र में आधुनिक उपकरण प्रदान करके उसका दर्जा बढ़ाया गया है।

[अनुवाद]

मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं

273. **श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अक्तूबर, को इस वर्ष भी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया;

(ख) यदि हां, तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या क्या है और उचित सामाजिक और चिकित्सा सहायता द्वारा कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा सकता है;

(ग) क्या ऐसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) यह अनुमान है कि 1% जनसंख्या मनोविक्षिप्त विकारों जैसे किसी–न–किसी प्रकार के गंभीर अथवा प्रमुख मानसिक विकारों से पीड़ित है और लगभग 5% विभिन्न विक्षिप्त और अवसादित विकारों से पीड़ित है। यह अनुमान है कि विभिन्न मानसिक विकारों से पीड़ित इन व्यक्तियों के एक–तिहाई से कम का पर्याप्त उपचार किया जाता है अथवा पुनर्वास किया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996-97 में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। इस समय यह कार्यक्रम देश के 18 राज्यों को कवर करते हुए 20 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अनतर्गत प्रत्येक राज्य मानसिक रूप से बीमार रोगियों और उनके परिवारों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक जिला मानसिक स्वास्थ्य दल बनाता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

274. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों की जांच कर ली है;

(घ) सरकार द्वारा इन सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में धर्मान्तरण कानूनों में भी फेर–बदल किए जाने की सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सरकार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की जानकारी है। तथापि, मंत्रालय ने इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश प्राप्त नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) डॉ. जेम्स मैसी द्वारा तैयार "धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अलपसंख्यकों का अधिकार" संबंधी अध्ययन ने तीन राज्यों के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियमों में कुछ स्पष्टीकरणों को शामिल करने के लिए सुझाव दिया है जिसकी जांच की जा रही है।

मेगा सिटी प्रोजेक्ट

275. **श्री दिन्शा पटेल : क्या शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद शहर को मेगा सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए गुजरात सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) मेगा सिटी प्रोजेक्ट के लिए शहरों के चयन के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) अहमदाबाद शहर को मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव गुजरात के मुख्य मंत्री से प्राप्त हुआ था। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार चूंकि अहमदाबाद शहर की आबादी 33 मिलियन होने से यह शहर मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

(ग) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जिन शहरों की आबादी 4 मिलियन से अधिक है, वे मेगा शहरों के अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत शामिल करने बाबत पात्र हैं।

साक्षरता में वृद्धि

276. **श्री के. येरननायडू :**

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

श्री अधीर चौधरी :

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पुरुष और महिला साक्षरता की वार्षिक वृद्धि दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) एक दशक के भीतर देश में शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) देश में पिछले तीन वर्ष की साक्षरता वृद्धि की राज्यवार वार्षिक दर उपलब्ध नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने अभी हाल ही में वर्ष 1997 के अन्त में देश की साक्षरता दर को दर्शाने वाले सर्वेक्षण के 53वें दौर के आंकड़ों को प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के निष्कर्षों के राज्य/संघ क्षेत्रवार तथा महिला-पुरुषवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) देश में समयबद्ध रूप से संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने की दृष्टि से वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी और इसे जिलों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं के आधार पर शुरू किए गए स्वयंसेवक आधारित संपूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से 15-35 वर्ष की आयु वर्ग में 100 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाने का दायित्व सौंपा गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान, जिला साक्षरता समितियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं जिनमें स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रतिनिधि भी होते हैं। जिन क्षेत्रों में अभी तक संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू नहीं किए जा सके हैं, उन क्षेत्रों के छोटे-छोटे भागों में साक्षरता संबंधी कार्य आरंभ करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

वर्ष 1997 के अन्त में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 53वें दौर के परिणाम

भारत/राज्य		साक्षरता दर (1999)		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
भारत		62	73	50
राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	54	64	43
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	69	48
3.	असम	75	82	66
4.	बिहार	49	62	34
5.	दिल्ली	85	91	76
6.	गोवा	86	93	79
7.	गुजरात	68	80	57
8.	हरियाणा	65	76	52
9.	हिमाचल प्रदेश	77	87	70
10.	जम्मू और कश्मीर	59	71	48
11.	कर्नाटक	58	67	50
12.	केरल	93	96	90
13.	मध्य प्रदेश	56	70	41
14.	महाराष्ट्र	74	84	63
15.	मणिपुर	76	86	66
16.	मेघालय	77	79	74

1	2	3	4	5
17.	मिजोरम	95	96	95
18.	नागालैंड	84	91	77
19.	उड़ीसा	51	64	38
20.	पंजाब	67	72	62
21.	राजस्थान	55	73	35
22.	सिक्किम	79	86	72
23.	तमिलनाडु	70	80	60
24.	त्रिपुरा	73	79	67
25.	उत्तर प्रदेश	56	69	41
26.	पश्चिम बंगाल	72	81	63
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	97	100	94
2.	चंडीगढ़	83	90	74
3.	दादरा और नगर हवेली	49	66	30
4.	दमन और दीव	86	95	73
5.	लक्षद्वीप	96	98	93
6.	पांडिचेरी	90	94	96

[हिन्दी]

नेत्रहीन लोगों की संख्या

277. श्रीमती शीला गौतम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दुनिया में सर्वाधिक नेत्रहीन व्यक्तियों वाले देशों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय राज्यवार कितने नेत्रहीन व्यक्ति हैं;

(घ) नेत्रहीनता की समस्या से निपटने के लिए गत तीन वर्षों से अब तक प्रतिवर्ष राज्य–वार कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई है; और

(ङ) नेत्रहीनता की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में लगभग 1.2 करोड़ दृष्टिहीन व्यक्ति हैं। मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है। अन्य कारणों में अपवर्तन संबंधी दोष और कार्नियल दृष्टिहीनता शामिल हैं।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यकलापों को चलाने के लिए राज्य सरकारों और जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों को निधियां जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ङ) दृष्टिहीनता के नियंत्रण की समस्या सरकार के लिए एक सर्वोपरि प्रमुखता का क्षेत्र है और देश में दृष्टिहीनता की घटना को कम करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेत्र परिचर्या बुनियादी ढांचे का विकास, कार्मिकशक्ति का प्रशिक्षण, गैर सरकारी संगठनों की सहायता, नेत्र शिविरों का आयोजन, नेत्रदान को बढ़ावा तथा स्कूलों में नेत्र जांच इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चलाई जा रही गतिविधियां हैं। इस कार्यक्रम को डेनिश सरकार और विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है।

विवरण-I

भारत में दृष्टिहीनता की व्यापकता और अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति

राज्य	जनसंख्या* (लाख में)	जिले	प्रति 10,000 जनसंख्या पर दृष्टिहीनता की व्यापकता**	अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति*** (लाख में)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	665.08	23	150	10.88
अरुणाचल प्रदेश	8.65	11	123	0.14

1	2	3	4	5
असम	224.14	23	134	3.00
बिहार	863.74	50	128	10.66
दिल्ली	94.21	7	63	0.62
गोवा	11.70	2	203	0.25
गुजरात	413.10	19	144	5.83
हरियाणा	164.64	16	113	1.83
हिमाचल प्रदेश	51.71	12	87	0.45
जम्मू व कश्मीर	77.19	14	280	2.11
कर्नाटक	449.77	20	129	5.59
केरल	290.99	14	131	3.67
मध्य प्रदेश	661.81	45	201	13.22
महाराष्ट्र	789.37	30	164	12.52
मणिपुर	18.37	8	65	0.11
मेघालय	17.75	6	22	0.03
मिजोरम	6.90	4	NA	NA
नागालैण्ड	12.10	7	38	0.04
उड़ीसा	316.60	30	172	5.38
पंजाब	202.82	15	73	1.40
राजस्थान	440.06	31	224	9.38
सिक्किम	4.06	4	45	0.03
तमिलनाडु	558.59	29	165	9.22
त्रिपुरा	27.57	4	118	0.34
उत्तर प्रदेश	1391.12	83	158	20.98
पश्चिम बंगाल	680.78	17	96	6.54
अन्डमान व निको. द्वीप समूह	2.81	2	67	0.02
चंडीगढ़	6.42	1	189	0.11
दादरा व नगर हवेली	1.38	1	NA	NA
दमन व दीव	1.02	2	NA	NA
लक्षद्वीप	0.52	1	89	0.01
पांडिचेरी	8.08	1	NA	NA
सभी राज्य	8385.84	532	149	124.36

*1991 की जनगणना के अनुसार

**स्त्रोत–विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत सरकार राष्ट्रीय सर्वेक्षण (1986-89)

***1991 की जनसंख्या के लिए प्रक्षेपित सर्वेक्षण परिणाम

विवरण-II

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्यों को दिए गए सहायता अनुदान की स्थिति

(लाख रुपये में)

राज्य	1996-97 के दौरान सहायता अनुदान	1997-98 के दौरान सहायता अनुदान	1998-99 के दौरान सहायता अनुदान
1	2	3	4
विश्व बैंक परियोजना राज्य			
आन्ध्र प्रदेश	38.44	204.34	88.50
मध्य प्रदेश	405.07	138.40	568.67
महाराष्ट्र	117.80	99.27	87.00
उड़ीसा	67.18	312.20	331.08
राजस्थान	78.62	46.60	35.50
तमिलनाडु	106.54	444.47	551.00
उत्तर प्रदेश	725.97	138.28	207.25
उप-योग	1,539.62	1,383.56	1,869.00
अन्य राज्य			
अरुणाचल प्रदेश	3.82	4.04	4.50
असम	1.82	4.54	49.65
बिहार	0.00	7.44	19.50
दिल्ली	0.00	1.25	11.20
गोवा	7.24	5.25	63.00
गुजरात	0.00	4.01	39.99
हरियाणा	3.71	2.97	37.50
हिमाचल प्रदेश	0.00	2.97	34.03
जम्मू व कश्मीर	40.97	20.66	52.50
कर्नाटक	76.58	11.78	62.01
केरल	8.10	6.84	16.07
मणिपुर	0.00	1.77	16.76
मेघालय	5.27	4.56	11.60
मिजोरम	11.30	1.54	16.60
नागालैण्ड	0.00	3.85	56.95
पंजाब	3.83	4.15	5.10
सिक्किम	11.46	7.92	26.30
त्रिपुरा	9.71	7.77	37.74
पश्चिम बंगाल	0.00	3.25	6.20
अण्डमान व निको. द्वीपसमूह	1.30	4.00	3.80
चंडीगढ़	5.74	4.00	3.60
दादरा व नगर हवेली	2.00	4.00	3.70
दमन व दीव	1.50	4.00	3.70
लक्षद्वीप	1.50	7.04	17.70
पांडिचेरी	1.50	4.00	2.30
उप-योग	197.35	133.60	602.00
महायोग	1,736.97	1,517.16	2,471.00

विवरण-III

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों को दिए गए सहायता अनुदान की स्थिति

(लाख रुपये में)

राज्य	1996-97 के दौरान सहायता अनुदान	1997-98 के दौरान सहायता अनुदान	1998-99 के दौरान सहायता अनुदान
1	2	3	4
विश्व बैंक परियोजना राज्य			
आन्ध्र प्रदेश	135.00	257.00	364.00
मध्य प्रदेश	301.00	455.00	408.00
महाराष्ट्र	123.00	313.00	362.00
उड़ीसा	111.00	204.00	220.00
राजस्थान	117.00	243.00	289.00

1	2	3	4
तमिलनाडु	108.00	219.00	316.00
उत्तर प्रदेश	285.00	564.00	599.50
उप–योग	1,180.00	2,255.00	2,558.50
अन्य राज्य			
अरुणाचल प्रदेश	0.00	5.00	4.00
असम	6.00	85.50	57.50
बिहार	54.00	167.50	184.50
दिल्ली	0.00	11.50	13.50
गोवा	0.00	3.50	15,000.00
गुजरात	27.00	125.50	114.15
हरियाणा	3.00	54.50	63.50
हिमाचल प्रदेश	6.00	29.50	49.50
जम्मू व कश्मीर	0.00	19.00	39.50
कर्नाटक	81.00	159.00	196.00
केरल	9.00	54.50	75.50
मणिपुर	6.00	8.50	9.15
मेघालय	3.00	17.50	15.15
मिजोरम	9.00	5.00	9.15
नागालैण्ड	0.00	2.50	7.15
पंजाब	18.00	52.50	51.50
सिक्किम	0.00	0.00	12.00
त्रिपुरा	6.00	12.50	13.50
पश्चिम बंगाल	12.00	54.00	135.50
अण्डमान निको. द्वीप समूह	0.00	3.00	4.00
चंडीगढ़	3.00	3.00	7.00
दादरा व नगर हवेली	0.00	3.00	3.00
दमन व दीव	0.00	0.00	4.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.00	0.00	3.00
उप–योग	243.00	876.50	16,071.40
महायोग	1,423.00	3,131.50	18,629.90

[अनुवाद]

बच्चों और महिलाओं के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम

278. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं और बच्चों के लिए शुरू किए गए प्रतिरक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्यक्रम का विस्तार करके इसमें हेपीटाइटस बी और टेट्नस आदि को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) देश में 1985-86 में आरंभ किये गए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशुओं को टीके से निवारणीय छह रोगों अर्थात् शैशव क्षय रोग, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिट्नस, पोलियो और खसरा के लिए टीका लगाया जाता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को भी टिटनस से प्रतिरक्षित किया जाता है।

भारत वर्ष 2000 के अंत तक पोलियो की शून्य घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण अभियान 1995-96 में चलाया गया। इस अभियान में 5 वर्षों तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक एक ही दिन में पिलायी जाती है। 1998-99 तक पल्स पोलियो अभियान के दो दौर दिसम्बर और जनवरी में प्रति वर्ष चलाये गये। ये प्रयत्न अब तेज कर दिए गए हैं और 1999-2000 की अवधि में चार दौरों में पल्स पोलियो रोगप्रतिरक्षण अभियान समस्त देश में चलाया जाना है जिसके बाद असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के अधिक जोखिमपूर्ण 8 राज्यों में दो अतिरिक्त दौर चलाए जाने हैं। चार राष्ट्रव्यापी दौरों में से दो दौर 24.10.99 तथा 21.11.99 को पूरे हो चुके हैं।

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण इस कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी को शामिल करना इस समय संभव नहीं हो पाया है। टिटनस से प्रतिरक्षण करना व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम का भाग है।

गौण स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

279. **श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों में गौण स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के संबंध में राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित राज्यों में विश्व बैंक सहायता से राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्धेश्य द्वितीयक स्तर को स्वास्थ्य पद्धति में सुधार करना/उसका दर्जा बढ़ाना है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य के नाम	परियोजना अवधि	परियोजना परिव्यय (करोड़ रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	1.3.95 से 6½ वर्षों के लिए	608.00
पश्चिम बंगाल	27.6.96 से 5½ वर्षों के लिए	698.00
कर्नाटक	27.6.96 से 5½ वर्षों के लिए	546.00
पंजाब	27.6.96 से 5½ वर्षों के लिए	425.00
उड़ीसा	सितम्बर, 1998 से 5 वर्षों के लिए	415.57
महाराष्ट्र	14.2.99 से 5½ वर्षों के लिए	727.00

इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और केरल राज्यों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राजस्थान, असम, तमिलनाडु और केरल के परियोजना प्रस्तावों का तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा पहले ही मूल्यांकन किया गया है और इन टिप्पणियों के आलोक में परियोजना रिपोर्टों की पुनरीक्षा करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को पहले ही भेज दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में परियोजना प्रस्ताव जांच अभिकरणों को मूल्यांकन करने और उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु परिचालित कर दिया गया है। तथापि, ऐसी परियोजनाएं विश्व बैंक से विस्तृत विचार–विमर्श करके तैयार किए जाते हैं और पिछले अनुभव से पता चला है कि वे फलीभूत होने के लिए 12 से 24 महीने लेती हैं जो राज्य द्वारा परियोजना के डिजाइन और उसे तैयार करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है।

नवोदय विद्यालय

280. कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. धनी राम शांडिल्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में कितने नवोदय विद्यालय चल रहे हैं और इनमें अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विद्यालयों में सभी रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) इस समय हिमाचल प्रदेश राज्य में 3455 छात्रों के साथ कुल 10 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एक विशेष जवाहर नवोदय विद्यालय को आबंटित विषयों के अनुसार निर्धारित की जाती है। अध्यापकों के सभी संस्वीकृत पद भरने के प्रयत्न किए जाते हैं। परंतु पदोन्नति कोटा के अधीन तथा आरक्षित श्रेणियों से सम्बद्ध कुछ पद उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त पड़े रह जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 10 जवाहर नवोदय विद्यालयों में कुल संस्वीकृत 206 पदों में से केवल 187 पद भरे गए हैं। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ–साथ रिक्तियां संविदा/अशंकालिक आधार पर भरी जा रही हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई में रुकावट न आए।

बीमारियों से मरने वाले व्यक्ति

281. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हाल ही में आए चक्रवात के कारण हैजा, अतिसार और अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या चक्रवात प्रभावित लोग दवाइयों के लिए घोर संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकार और केन्द्र सरकार चक्रवात पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त औषधियां प्रदान करने में सफल नहीं रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) 29.10.99 को भारी वर्षा के साथ–साथ आए अभूतपूर्व महा चक्रवात से उड़ीसा में जीवन और संपति को व्यापक क्षति पहुंची। जैसाकि इस चक्रवात के बाद राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया, 76 व्यक्ति अतिसारीय विकारों, चार व्यक्ति सर्पदंशों और 4 व्यक्ति ज्वर तथा अन्य मामूली रोगों के कारण मौत के शिकार हुए। हैजा के कारण मौतें नहीं हुई थीं।

(ख) उड़ीसा में चिकित्सा राहत कार्यकलापों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली से 215 डॉक्टरों का एक दल भेजा गया। भुवनेश्वर स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यूनिटों और निसेड (एन आई सी ई डी) कलकत्ता की सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में लगाई गई हैं और उनका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकलापों में किया जा रहा है। 4 कोट विज्ञानियों और जानपदिक रोग विज्ञानियों का एक दल एन.ए.एम.पी. और एन.आई.सी.डी. से 3.11.99 को भुवनेश्वर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। उसने किसी प्रकार की महामारी के प्रकोप के निवारण/नियंत्रण के लिए अपेक्षित जन स्वास्थ्य उपायों के बारे में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को

सलाह दी, जन स्वास्थ्य के 4 वरिष्ठ विशेषज्ञों के एक उच्चस्तरीय दल ने जन स्वास्थ्य कार्यकलापों की समीक्षा करने तथा इसमें राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए 8 से 13 नवम्बर, 99 तक प्रभावित जिलों का दौरा किया।

राज्य सरकार ने अतिरिक्त 749 डॉक्टर, 469 पराचिकित्सक, 103 चल दल, तूफान प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किये। ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन और क्लोरिन की गोलियां पर्याप्त मात्रा में समस्त गांवों और परिवारों में बांटी गई हैं ताकि पीने के पानी के स्रोतों को विसंक्रमित किया जा सके। कुंओं को विसंक्रमित करने के पहले और दूसरे दौर पूरे हो गए हैं। 80% व्याप्ति वाले तीसरे और चौथे दौरे प्रगति पर हैं। सभी उप–केन्द्रों, पंचायतों ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. केन्द्रों और ग्रामीण स्तरीय स्वयं सेवकों को सुलभता से उपयोग करने के लिए ओ.आर.एम. के पैकेट काफी मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। अतिसार रोधी दवाइयों, सर्पविष रोधी सीरम, मलेरिया रोधी औषधियां और दवाइयां काफी मात्रा में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप–केन्द्र के स्तर पर मुहैया कराई गई हैं। इन्ट्रावेनस फ्लुड तथा सेट भी तमाम स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। अतिसारीय रोगों और मामूली विकारों के निवारक पहलुओं पर विस्तृत सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां सभी प्रभावित गांवों में चलाई गई हैं।

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इन्ट्रावेनस फ्लुडों, मुखीय पुनर्जलपूर्णता लवण, एंटीबायोटिक, हैलोजन की गोलियों, अतिसारीय, बाल चिकित्सीय औषधियों, सर्पविषरोधी सीरम आदि समेत लगभग 600 मीट्रिक टन की मात्रा में चिकित्सा राहत सामग्रियां तुरन्त भेजीं। 2 लाख लीटर फिनायल तथा 350 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर भी मुहैया कराया गया। इन सामग्रियों का अनुमानित मूल्य 2.76 करोड़ रुपये है। पहला परेक्षण 4 नवम्बर, 1999 को भुवनेश्वर पहुंचा। इन सामग्रियों को वायु, सड़क और रेल मार्ग से पहुंचाया गया। ऑटो डिस्ट्रिक्ट सिरिंजों के साथ–साथ टीकाकरण हेतु खसरे के टीके राहत शिविरों में मुहैया कराए गए। राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार सभी दवाएं सप्लाई की जा चुकी हैं।

मलेरिया रोधी कार्यकलापों के लिए पर्याप्त मात्रा में डी डी टी, मलेथियन और रोगहरक प्रयोजन हेतु औषधियां सप्लाई की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दवाइयों की कालाबाजारी

282. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंहगी दवाइयां और भी अधिक मूल्य पर बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) अनुसूचित प्रपुंज औषधों और उस पर आधारित सूत्रयोगों की कीमतें औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 95 के उपबन्धों के अनुसार एन.पी.पी.ए. द्वारा निर्धारित की जाती है। अधिक वसूली के मामले भी इस आदेश के अन्तर्गत निपटाए जाते हैं।

[अनुवाद]

जनन संवृद्धि केन्द्र

283. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के लाभ के लिए जनन प्रौद्योगिकी विकसित करने और उसका विस्तार करने हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जनन संवृद्धि केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने जनन आधारित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) रोपण सामग्री की आनुवांशिक क्षमता में संवर्धन के लिए विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में कई अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की गई है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर में और अन्य विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में नामतः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; दिल्ली विश्वविद्यालय साऊथ कैम्पस, नई दिल्ली; मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै; ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद; राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और बोस संस्थान, कलकत्ता में पादप आण्विक जीवविज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये आनुवंशिकता वृद्धि क्षमताओं के साथ पादपों का विकास करने में अपने अनुसंधान को जारी रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन के साथ–साथ सुधारात्मक जैवउर्वरकों और जैवकीटनाशी संरूपणों के लिए प्रौद्योगिकियां पहले ही दी जा चुकी हैं। चिह्नक सहायता प्राप्त प्रजनन कार्यक्रम को शुरू करके इस प्रयत्न को और आगे बढ़ाया जा रहा है।

(ग) परिष्कृत विशेषकों और किसानों तक उनके विस्तार के वैधीकरण हेतु प्रजनन, पराजीनों के इन्ट्रोग्रेशन, मूल्यांकन, प्रायोगिक खेत

परीक्षणों के लिए जीनोम अधारित प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। रोग, कीट प्रतिरोध और गुणता वृद्धि के लिए अभिनिर्धारित आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जीनों की मैपिंग एवं क्लोनिंग पर जोर देने के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है। कम उर्वरकों एवं कीटनाशियों के साथ उत्पादकता में वृद्धि और पोषण गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग उपस्करों का किसानों द्वारा प्रयोग करके इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आनुवांशिक दृष्टि से बेहतर, उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री/बीजों को उपलब्ध कराना है।

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग

284. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की कोई योजना शुरू की है ताकि उन्हें सरकारी नौकरी में भर्ती हेतु परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों के साथ बराबरी के साथ प्रतियोगिता करने के योग्य बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक तथा सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना आरंभ की है। इस योजना का लक्ष्य अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं में उन्हें प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने के लिए कोचिंग देना/प्रशिक्षित करना है। इन परीक्षाओं में शामिल हैं :

(1) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रम, बैंक, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम आदि तथा रक्षा बल, राज्य तथा केन्द्रीय पुलिस बल तथा अर्द्धसैनिक बल।

(2) तकनीकी, व्यावसायिक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि प्रबंध पाठ्यक्रमों आदि में दाखिला।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छात्रवृत्तियां

285. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संगीत कला, नृत्य, पेंटिंग, मूर्तिकला, नाटक और लोक कला के क्षेत्र में 18-35 वर्ष के आयु वर्ग में कितने युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां मिल रही हैं;

(ख) उन को प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में कलाकारों को दी जाने वाली ऐसी सहायता राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की स्कीम के अन्तर्गत, वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला आदि के क्षेत्र में प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या क्रमशः 200, 250 और 374 थी।

(ख) से (घ) यह छात्रवृत्ति चयनित कलाकारों को 2000 रु. प्रति माह की दर से प्रदान की जाती है। यह दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। हाल ही में इस स्कीम की समीक्षा की गयी और छात्रवृत्तियों की संख्या व छात्रवृत्ति-राशि में संशोधन करके वृद्धि की गयी। स्कीम की और समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

286. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हुडको से सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश की गई/प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अनुमोदित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई है ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न एजेंसियों से हुडको को योजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	करोड़ रुपये योजनाओं की संख्या
1997-98	62
1998-99	31
1999-2000 (31.10.99 तक)	10
कुल	103

(ख) इन 103 योजनाओं में से हडको ने 554.56 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की 88 योजनाओं को स्वीकृत किया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवास		शहरी अवस्थापना		जोड़	
	योजनाओं की संख्या	ऋण राशि	योजनाओं की संख्या	ऋण राशि	योजनाओं की संख्या	ऋण राशि
1997-98	43	137.01	11	107.50	54	244.51
1998-99	19	183.59	6	62.98	25	246.57
1999-2000 (31.10.99) तक	6	40.98	3	22.60	9	63.58
कुल	68	361.58	20	193.08	88	554.66

कन्या शिशु हत्या

287. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कन्या शिशु हत्या की घटनाओं से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) धर्मपुरी में "डानिडा" प्रायोजित योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) राज्य में धर्मपुरी और मदुरै में इस योजना के अन्तर्गत कन्या शिशु हत्या उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कन्या शिशु हत्या जनित संभावित मौतों की सरकार को जानकारी है।

(ख) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना 51.50 करोड़ रुपये की लागत पर 5 वर्षों की अवधि के लिए अगस्त, 1997 से तमिलनाडु के धर्मपुरी, तिरूवरूर, नगापट्टिनम, और तंजावूर जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं। कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में चल रही इस परियोजना पर इसकी लागत का लगभग 35 प्रतिशत व्यय हो गया है।

(घ) इस परियोजना के अन्तर्गत कन्या शिशु हत्या का उन्मूलन करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

राज्य और जिला स्तरीय समस्त पद धारियों को सुग्राही बनाने के लिए कन्या शिशु हत्या पर राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित करना। कन्या शिशु हत्या को नियंत्रित करने के लिए कार्यनीतियां तैयार कर ली गई हैं।

इन दो जिलों में शिशु मौतों की घटना के सम्पूर्ण सर्वेक्षण के जरिए कन्या शिशु हत्या के कारण होने वाली संभावित मौतों का पता लगाया गया।

स्वास्थ्य और लैंगिक समानता पर जनता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एकजुट और अभिप्रेरित करने के लिए अत्याधिक नवपरिवर्तनकारी अभियान शुरू करना। घूमते–फिरते नुक्कड़ नाटक मण्डलियों का उपयोग करते हुए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप कन्या शिशु हत्या के बारे में जानकारी देने के लिए आरम्भ किए गए जिनसे कन्या शिशु हत्या की घटना में कमी आई।

कन्या शिशु हत्या की रोकथाम करने के लिए समाज कल्याण विभाग और जिला समाहर्ताओं के द्वारा अलग से मुहिम चलाना।

मोपेडों के लिए ऋण के जरिए फील्ड कार्यकर्ताओं की गतिशीलता बढ़ाकर और उन्हें संचार कुशलता का प्रशिक्षण देकर उनकी नियमित निगरानी करना।

गांवों के मध्य में उप–केन्द्र के निर्माण में जनता की भागीदारी पर जोर देना जिससे कि ग्रामीण स्वास्थ्य नर्सों का ठहरना और सामान्य प्रसव कराना सरल हो।

ग्राम स्तरीय समितियां निर्मित करना तथा नियमित अन्तरालों पर बैठकें आयोजित करना ताकि कन्या शिशु हत्या पर विचार विमर्श हो सके और उसका समाधान निकल सके।

मातृ और शिशु मौतों के वास्तविक कारणों की छानबीन करने के लिए चिकित्सीय आडिट कराना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्रथम रेफरल यूनिटों में आप्टिकल मार्क रीडर फार्मट को उपयोग में लाते हुए संस्थागत प्रसवों संबंधी आंकड़े एकत्र करने और उनकी समीक्षा करने वाली अनुवीक्षण प्रणाली को मजबूत करना।

अन्य विभागों के साथ बेहतर तालमेल कायम करने हेतु मातृ शिशु स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आयुक्त का एक पद सृजित करना।

विवरण

कन्या शिशु हत्या के सभांवित मामलों की संख्या 1999
धर्मपुरी जिला

क्र.सं.	प्रखण्ड का नाम	मामलों की संख्या
1.	पेन्नाग्राम	279
2.	नल्लामपल्ली	168
3.	मोरापपुर	86
4.	पालाकोड	138
5.	करीमंगलम	106
6.	धर्मपुरी	109
7.	हरूर	47
8.	पप्पीरेड्डीपट्टी	52
9.	उथंगरई	47
10.	बरगर	49
11.	शूलगिरी	23
12.	थाली	3
13.	होसर	0
14.	कृष्णागिरी	4
15.	कावेरीपट्टिनम	70
16.	केलामंगलम	7
17.	माथुर	48
18.	वेप्पानापल्ली	4
	कुल जिले	1240

तम्बाकू उत्पादों के बुरे प्रभाव

288. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को तंबाकू उत्पादों का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तंबाकू के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने तम्बाकू और इसके उत्पादों के इस्तेमाल को निरुत्साहित करने हेतु कुछ उपाय शुरू किए हैं।

सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण का विनियमन) अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सिगरेट के विनिर्माताओं और सिगरेट के व्यापार में लगे व्यक्तियों को बिक्री हेतु रखे जाने वाले सिगरेट के सभी कार्टनों/पैकेटों पर एक सांविधिक चेतावनी "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना जरूरी होता है। एक ऐसी ही चेतावनी सभी विज्ञापनों पर भी प्रदर्शित करनी अपेक्षित है।

अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सम्मेलन कक्षों, घरेलू हवाई उड़ानों, रेलगाड़ियों में वातानुकूलित शयनयानों उपनगरीय रेलगाड़ियों, वातानुकूलित बसों आदि जैसे कुछ स्थानों में धूम्रपान को निषेध करने हेतु प्रशासकीय अनुदेश जारी किए गए हैं।

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर तम्बाकू अथवा तम्बाकू से संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अधीन खाने के तम्बाकू के हर पैकेट पर "तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।

[हिन्दी]

तकनीकी शब्दावली का उपयोग

289. **डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार इसके सभी विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों/परिषदों द्वारा इनके प्रकाशनों/पुस्तकों में मंत्रालय की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्धारित समान तकनीकी शब्दावली का उपयोग किया जाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके पालन हेतु क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्रियों तथा प्रश्न पत्रों में एक समान तकनीकी शब्दावली का उपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ग) राजभाषा विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 11014/3/76 आर. तथा ए.यू.–रा.भा. यूनिट, दिनांक 27.4.78 तथा 11034/8/87 आर. तथा ए., दिनांक 21.6.88 के जरिए सभी मंत्रालयों तथा विभागों को निर्देश दिया है कि वे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग करें। कार्यालय ज्ञापनों की प्रतियां संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

राजभाषा विभाग के दिनांक 27.4.78 के का.ज्ञा.सं. 11014/3/76 अ. वि. एकक की प्रतिलिपि

विषय : मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक तथा विधिक शब्दावली में एकरूपता।

राजभाषा विभाग को प्रायः यह सूचना मिलती रहती है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों द्वारा अपने पत्रों, विज्ञापनों तथा अन्य सरकारी कामों में शिक्षा और विधि मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित शब्दावली का उचित रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार प्रशासनिक और विधिक क्षेत्र में शब्दों के मनमाने प्रयोग से न केवल भाषा की अराजकता फैलती है बल्कि पढ़ने वाले व्यक्तियों को तकनीकी शब्दों का ठीक–ठीक अर्थ समझने में भी कठिनाई होती है।

27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश (अधिसूचना सं. 2/8/60 रा.भा.) के पैरा 3 के अनुसार तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली के निर्माण का कार्य शिक्षा मंत्रालय को और पैरा 13 के अनुसार विधि शब्दावली के निर्माण का काम विधि मंत्रालय को सौंपा गया है। इन दोनों मंत्रालयों ने क्रमशः वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और राजभाषा (विधायी आयोग) स्थापित कर इन कार्यों को अब तक लगभग पूरा कर लिया है। इन दोनों अभिकरणों (एजेंसियों) ने राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार कार्य किया है। अतः इनके द्वारा अनुमोदित शब्दावली का सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाना चाहिए, किन्तु जहां कहीं, इनमें विभिन्नता दिखाई पड़े वहां केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (राजभाषा विभाग) के अधीन गठित "शब्दावली समन्वय समिति" द्वारा अनुमोदित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

सरकार की यह सुविचारित नीति है कि सरकारी, कामकाज में सरल, सहज और सुबोध भाषा का प्रयोग किया जाये, किन्तु जहां प्रशासनिक या विधिक शब्दों का तकनीकी अर्थ में प्रयोग करना हो वहां उपर्युक्त अभिकरणों द्वारा अनुमोदित शब्दों का ही प्रयोग करना वांछनीय है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि किसी अंग्रेजी शब्द के लिए हिन्दी में कई अनुमोदित पर्याय सुलभ हो, तो उनमें से उसी पर्याय का प्रयोग करने की कोशिश की जाए जो अधिक सरल और प्रचलित हों। इसके अलावा यदि अनुमोदित तकनीकी; शब्द कठिन और प्रचलित प्रतीत हों तो कोष्ठक में उसका अंग्रेजी पर्याय भी लिख देना फिलहाल बेहतर होगा।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे विधि के क्षेत्र में, विधि मंत्रालय और तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अद्यतन शब्दावलियां अपने यहां मंगा लें और उनमें अनुमोदित शब्दों का ही प्रयोग करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों आदि को भी, ऐसा ही करने के लिए समुचित अनुदेश दें। सुविधा के लिए, उन कार्यालयों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं, जहां से प्रशासनिक या विधिक शब्दावली संबंधी पुस्तकें अथवा शब्द सूचियां प्राप्त की जा सकती हैं :

1. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, (शिक्षा मंत्रालय) वेस्ट ब्लाक.७ए रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
2. राजभाषा खण्ड, विधायी विभाग (विधि मंत्रालय), भगवान दास रोड, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (राजभाषा विभाग) : नागालैण्ड गेस्ट हाऊस, मोती बाग, नई दिल्ली।

विवरण-II

244. का.ज्ञा.सं. 11034/34/8/87 अ.वि. एकक दिनांक 21.6.88

विषय : सरकारी कामकाज में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधायी विभाग (विधि मंत्रालय) के राजभाषा खण्ड द्वारा तैयार की गई शब्दावलियों का प्रयोग।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के दिनांक 5.5.76 के का.ज्ञा.सं. 11/13017/12/75 रा.भा. (ग) और दिनांक 23.9.87 के समसंख्यक ज्ञापन के अनुक्रम में उल्लेख है कि कई मंत्रालयों/विभागों में समय–समय पर अपने मंत्रालय/विभाग से संबंधित शब्दावली तैयार करने का काम किया जा रहा है। वस्तुतः जिन तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों के हिन्दी पर्याय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा बनाकर छापे जा चुके हैं, उनके नए पर्याय ढूंढ़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु विभिन्न शब्दावलियों में से किसी विभाग के कार्य में से इस्तेमाल होने वाले शब्दों को चुनकर इकट्ठा करने और उसे विभाग के प्रयोजनों के लिए छपवाने में कोई आपत्ति नहीं है। जिन तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय अभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने किसी शब्दावली में नहीं छपवाये हैं, उनके हिन्दी पर्याय बनाए जा सकते हैं। विभिन्न शब्दावलियों में समन्वय के उद्देश्य से यह निदेश दिए गए हैं कि ऐसी शब्दावलियां जारी करने से पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग से अनुमोदित करवा ली जाए। ऐसा करते समय सारी शब्दावली की बजाय केवल उन्हीं शब्दों को आयोग से अनुमोदित करवाने के लिए भेजा जाए जो आयोग द्वारा नहीं बनाए हैं।

यदि व्यावहारिक दृष्टि से केवल नए शब्दों की सूची भेजने में कोई कठिनाई हो तो विभाग द्वारा बनाई गई शब्दावली में ऐसे शब्दों पर कोई चिह्न लगा दिया जाए ताकि आयोग में केवल उन्हीं शब्दों की उपयुक्तता पर विचार किया जाए। ऐसा करने से विभागों द्वारा बनाई जा रही शब्दावलियों का आयोग द्वारा अनुमोदन जल्दी हो सकेगा और आयोग में संबंधित अधिकारियों का समय भी व्यर्थ नष्ट नहीं होगा।

इस संबंध में जारी किए जाने वाले आदेशों की जानकारी कृपया इस विभाग को भी करा दी जाए।

अवैध कब्जा

290. डॉ. बलिराम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्किट के डलहौजी निकोल्सन, विल्सन, हैस्टिंग जैसे कई स्क्वेअर खाली पड़े हैं तथा इनमें से अनेकों पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन्हें खाली कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त भूमि पर कब तक कब्जा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस भूमि को खाली कराये जाने के पश्चात् इनका किस प्रकार उपयोग किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) गोल मार्किट में डलहौजी, निकोल्सन, विल्सन, हैस्टिंग्स स्क्वेयर में 70 क्वार्टर हैं, जो पुराने हैं तथा गिराए जाने हैं। इनमें से वर्तमान में 10 क्वार्टरों पर कब्जा है और शेष खाली हैं। कोई भी क्वार्टर असामाजिक तत्वों के कब्जे में नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भूमि पहले ही सरकार के कब्जे में है तथा समाज सदन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा केन्द्र, शॉपिंग सेंटर और पार्किंग, मेला ग्राउंड तथा सरांय के निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

आई.जी.आई.सी.एच. द्वारा भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद को भेजी गयी परियोजनाएं

291. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ" बंगलौर द्वारा अनुदान सहायता के लिए भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद को भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान के लिए इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान, बंगलौर के निदेशक से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जो इस प्रकार हैं :

(i) बच्चों के बीच गंभीर श्वसनी संक्रमण का एक निदान शास्त्रीय और क्लीनिकल अध्ययन;

(ii) नवजात शिशुओं और युवा बच्चों में तीव्र अतिसार से संबद्ध वैक्टीरिया, परजीवी और वायरल रोगजनकों का एक जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययन; और

(ii) बंगलौर शहर में प्रमुख क्षयरोग संस्थाओं में निदान किए गए क्षय रोग के रोगियों के संपर्क में आने से बच्चों के प्रभावित होने के खतरे पर एक अध्ययन।

यद्यपि पहले दो प्रस्तावों की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परियोजना पुनरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और उन्हें वित्त पोषण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, तीसरे प्रस्ताव पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में विचार करना शुरू कर दिया गया है।

अनाथों की दयनीय स्थिति

292. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में अक्तूबर, 1999 में आये विनाशकारी चक्रवात के कारण अनाथ हुए बच्चों और बेसहारा महिलाओं की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उड़ीसा में चक्रवात से पीड़ितों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :

(1) खाद्यान्न की आपूर्ति — 78750 मीट्रिक टन।

(2) दवाइयां तथा चिकित्सा संबंधी सामान, राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार संघ सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। 145 डॉक्टर तथा 392, अर्द्धचिकित्सा संबंधी जनशक्ति तथा 38 मोबाइल यूनिटें, पहले ही उपलब्ध कराई गईं, चिकित्सा संबंधी जनशक्ति के अतिरिक्त कार्य पर लगाई गई हैं।

(3) अवसंरचना तथा रेलवे, सड़कें, पैट्रोलियम उत्पाद, विद्युत, पेयजल, फसल उत्पादन, पशु पालन तथा डेयरी, आवास आदि जैसी अन्य सेवाओं में सुधार लाने के सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

(4) **कार्य बल** : चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्य बल का गठन 10.11.1999 को किया गया है जिसकी बैठकें निरंतर हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, एक अन्तर–मंत्रालयीन समन्वय समूह द्वारा स्थिति की समीक्षा और मानीटर करने के लिए नियमित आधार पर बैठकें की जा रही हैं।

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चक्रवात के परिणामस्वरूप अनाथ हुए बच्चों तथा बेघर और निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को आश्रय, देखभाल तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए 7 (सात) परिसरों, जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, जयपुर, कटक, गंजम, भद्रक तथा खुर्दा के जिलों में प्रत्येक में 1 (एक) की स्थापना करने के लिए सहायता की व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया है। इन परिसरों में से प्रत्येक परिसर को 25 लाख रु. का अनुदाम दिया जाएगा तथा 25 लाख रु. का एक तदर्थ अनुदान एक्शन एड इंडिया, नई दिल्ली को निर्मुक्त की जा रही है, जो कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

विवरण

प्रभावी जिले

17-18 अक्तूबर का प्रचंड चक्रवात (4)

(1) गंजम (2) पुरी (3) खुर्दा (4) गजपथी

29 अक्तूबर का सुपर चक्रवात (12)

(1) बालासोर (2) भद्रक (3) जाजपुर (4) केन्द्रपाड़ा (5) जगतसिंहपुर (6) खुर्दा (7) पुरी (8) कटक (9) नयागढ़ (10) किंझार (11) मयूरभंज (12) धेनकनाल।

चक्रवात

क्षति की सीमा	17/18-10-99	29.10.99
1	2	3
जनसंख्या गांव		
ब्लाक/यूएलबी	44/23	97/26
फसल क्षेत्र	1.58 लाख है.	17.11 लाख है.
मकान	3.31 लाख	17.33 लाख
मानव जीवन की हानि		
गंजाम	197	–
गजपथी	2	–
पुरी	2	301
खुर्दा	4	91
किंझोर		31
केन्द्रपाडा		469
कटक		456
भद्रक		98
नयागढ़		3
धेनकनाल		51
जगतसिंहपुर		8119
मयुरभंज		10
बालासोर		49
जाजपुर		188
कुल	205	9866
घायल व्यक्ति	406	2507
गुमशुदा	3	40
पशुधन की हानि	10,578	4.06 लाख

फार्मासिस्टों के रिक्त पद

293. **श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के अस्तपालों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित फार्मासिस्टों के अस्पताल–वार कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) इन खाली पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में अनुसूचित्त जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी फार्मासिस्ट का कोई पद खाली नहीं पड़ा है।

उर्वरक की आपूर्ति

294. श्री राम मोहन गाडडे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से गत दो वर्षों के दौरान उर्वरक की आपूर्ति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उर्वरक की कुल मांग कितनी है तथा गत दो वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राज्य–वार कुल कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) आंध्र प्रदेश की मांग को पूरा करने की लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) यूरिया केवल ऐसा उर्वरक है जो भारत सरकार के मूल्य, वितरण और संचालन के नियंत्रणाधीन है तथा जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आबंटन किया जाता है। गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश के किसी राज्य में यूरिया का अभाव नहीं रहा है। फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं और इनकी उपलब्धता रियायत योजना के मानकों के अंतर्गत प्रचलित मांग और आपूर्ति बाजार–शक्तियों से निर्धारित होती है। भारत सरकार इन उर्वरकों का कोई आबंटन नहीं करती है।

तथापि, खरीफ, 98 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न नियंत्रणमुक्त उर्वरकों विशेषकर म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करने में सहायता का अनुरोध किया गया था। रियायत योजना के तहत रियायत निर्धारित न किए जाने/इसके निर्धारण में विलम्ब के परिणामस्वरूप आयातों के कम स्तर के कारण राज्य सरकार को एम ओ पी के अभाव होने की आशंका हुई। इंडियन पोटाश लि. से एम ओ पी और एस ओ पी अतिरिक्त आपूर्तियां प्राप्त करने में सहायता करके राज्य सरकार की आवश्यक सहायता की गई थी।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान यूरिया की राज्यवार आकलित आवश्यकता और आबंटन दर्शाने वाला ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत दो वर्षों के दौरान यूरिया की राज्यवार आवश्यकता और संवितरण दर्शाने वाला विवरण पत्र

(000 मी. टनों में)

क्रम सं.	राज्य	खरीफ 1998		रबी 1998–99		खरीफ 1999		रबी 1999–2000	
		मांग	आबंटन	मांग	आबंटन	मांग	आबंटन	मांग	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	960.00	1150.64	1050.00	1206.54	1000.00	1198.27	1101.50	1210.55
2.	कर्नाटक	590.00	682.45	360.00	426.55	600.00	678.86	396.00	418.00
3.	केरल	72.00	95.82	65.00	72.68	70.00	78.50	60.00	66.00
4.	तमिलनाडू	375.00	436.38	525.00	594.86	360.00	434.61	510.00	545.60
5.	गुजरात	600.00	651.33	700.00	704.43	600.00	699.92	690.00	671.00
6.	मध्य प्रदेश	700.00	795.46	780.00	794.36	675.00	695.91	700.00	597.30
7.	महाराष्ट्र	1125.00	1211.28	650.00	730.75	1100.00	1301.03	730.00	719.40
8.	राजस्थान	485.00	599.68	800.00	794.48	450.00	542.20	650.00	715.00
9.	गोवा	4.50	4.86	2.00	2.00	4.20	5.00	2.20	2.42
10.	हरियाणा	600.00	646.92	760.00	889.33	580.00	628.85	800.00	804.11
11.	पंजाब	1000.00	1016.59	1050.00	1139.32	1055.00	1074.59	1125.00	1062.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	उत्तर प्रदेश	2225.00	2693.76	2730.00	3116.80	2400.00	2721.53	2700.00	2945.89
13.	हिमाचल प्रदेश	30.00	29.77	22.00	19.11	30.00	33.34	22.00	15.85
14.	जम्मू एण्ड कश्मीर	75.00	80.82	45.00	57.77	60.00	49.40	44.96	49.39
15.	दिल्ली	13.50	16.53	30.00	35.21	13.00	17.30	20.00	21.91
16.	बिहार	700.00	869.25	630.00	831.98	725.00	859.26	650.00	714.73
17.	उड़ीसा	325.00	430.41	145.00	198.62	300.00	375.18	120.00	116.78
18.	प. बंगाल	460.00	566.47	600.00	657.32	450.00	532.94	675.00	680.28
19.	असम	50.00	54.68	50.00	63.58	60.00	120.75	65.00	69.38
20.	त्रिपुरा	12.00	11.87	13.00	11.11	10.00	8.06	13.00	7.25
21.	मणीपुर	23.00	26.38	7.50	10.51	24.00	27.16	7.50	8.25
22.	मेघालय	3.00	3.31	3.00	3.42	3.00	3.56	2.75	2.98
23.	नागालैण्ड	0.50	0.62	0.55	1.10	0.50	1.60	0.50	0.51
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.35	0.46	0.50	0.99	0.50	1.42	0.35	0.37
25.	मिजोरम	0.40	0.73	0.50	1.28	0.50	1.45	0.50	0.55
26.	सिक्किम	0.50	0.54	0.55	0.93	0.65	1.18	0.55	0.61
	अन्य	49.94	55.79	54.47	59.25	47.92	14.93	12.06	12.67
	अंखिल भारतीय	10479.69	12132.80	11074.07	12424.28	10619.27	12106.80	11098.87	11458.80

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फोन परामर्शी सेवा

295. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फोन परामर्शी सेवा अर्थात् सी. वी. एस. ई. हैल्पलाइन शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान क्या उपलब्धि प्राप्त की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस सेवा का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी;

(घ) क्या इससे सम्बद्ध सभी स्कूलों के परामर्शी सेवाओं को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि जून, 1998 में प्रायोगिक आधार पर एक पाक्षिक के लिए बोर्ड द्वारा शुरू की गई 'हेल्पलाईन' के नाम से फोन परामर्शी सेवा के लिए आम जनता द्वारा उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। तदनुरूप सेवा मार्च और जून, 1999 में जारी रखी गई। इस फोन में लगाए गए परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए परामर्श से बड़ी संख्या में अभिभावक और विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(घ) और (ङ) बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों में परामर्शी सेवा को अनिवार्य बनाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले से ही कार्य शुरू कर दिया है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

296. श्री वाई. एस. विवेकनंद रेड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आई. डी. पी. एल. द्वारा आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड को देय विद्युत प्रभार की बकाया देय राशि के भुगतान हेतु

आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हां।

(ख) आई डी पी एल को बिजली की आपूर्ति के लिए एपीटीसीएल/एपीजीपीसीएल को 1.11.99 तक बकाया राशि निम्नलिखित है :–

(1) आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	33.46 करोड़ रुपए
(2) आंध्र प्रदेश गैस पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	6.29 करोड़ रुपए
कुल	39.75 करोड़ रुपए

(ग) आई डी पी एल के पुनरुद्धार से संबंधित निर्णय के अनुसार इन बकाया रकमों का निपटारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय अस्थि रोग संस्थान की स्थापना

297. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अस्थि रोग संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त संस्थान कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सम्पत्ति परिवर्तन

298. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और चंडीगढ़ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्रमशः कितनी है जिन्होंने अपनी लीज होल्ड सम्पत्ति के अधिकारों को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) दोनों शहरों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लीज होल्ड *की आवासीय इकाइयों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है;*

(ग) परिवर्तन की उक्त योजना के सफलतापूर्वक न चल पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा योजना को आकर्षक, त्रुटि मुक्त और जनोन्मुखी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) (I) दिल्ली/नई दिल्ली

डी. डी. ए.–62,284 (31.10.99 तक)

एल. एण्ड डी ओ. 16,388 (15.11.99 तक)

(II) चण्डीगढ़–2065

(ख) पट्टों की संख्या

दिल्ली/नई दिल्ली

डी. डी. ए. : 4,58,016

एल. एण्ड डी. ओ. : 54,000 (लगभग)

एम. सी. डी. : 1,178

चण्डीगढ़ : 46,951

(ग) चूंकि योजना वैकल्पिक है और कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि लोगों का रुख संतोषजनक है या नहीं।

(घ) योजना को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने दिल्ली में सम्पत्तियों के परिवर्तन प्रभार की दरों को जून, 1999 में कम कर दिया है और लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। प्रेस के जरिए लोगों में आवश्यक प्रचार किया गया है।

चण्डीगढ़ प्रशासन ने बताया है कि रेजिडेन्शियल लीज होल्ड लैण्ड टेन्योर को फ्रीहोल्ड टेन्योर रूल्स, 1996 में परिवर्तन करने और भवन निर्माण विनियमनों की समीक्षा की जा रही है ताकि बदलते हुए समय के अनुसार इनमें से कुछ प्रावधानों को बदला जा सके। उक्त प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त निर्णयों के बाद कुछ और आबंटी अपनी सम्पत्ति का लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन का लाभ उठा सकेंगे।

अवैध पार्किंग

299. श्री रामसागर रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'रैकेट्स अबाउंड इन नेहरू प्लेस' शीर्षक से *प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;*

(ख) यदि हां, तो इसमें छपी रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलों में अतिरिक्त कमरे

300. श्री चन्द्र नाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित बंगलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी कालोनियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से आहाते के भीतर अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त जगह पर अतिरिक्त कमरा बनाने पर पूछताछ की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य लोगों के साथ समान बर्ताव करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से सरकारी कालोनियों में निर्माण कार्य किया जाता है तो उसे निश्चित अवधि में उस निर्माण को हटाने के लिए नोटिस दिया जाता है।

(घ) इस बारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

आई डी पी एल यूनिट हैदराबाद का पुनः चालू होना

301. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से आई डी पी एल, हैदराबाद को पुनः चालू करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों को समय पर अपना बकाया और सेवानिवृत्ति सुविधा नहीं मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : *(क) और (ख) आई डी पी एल की पुनरुद्धार योजना को अन्तिम रूप* देने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) आई डी पी एल की वित्तीय अड़चनों के कारण कर्मचारियों को वेतन के भुगतान तथा सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पर उपदान, अवकाश नकदीकरण तथा यात्रा भत्ते के भुगतान में विलम्ब हो रहा है।

(ङ) सरकार वेतन के भुगतान के लिए आई डी पी एल को योजनेतर सहायता प्रदान कर रही है।

[हिन्दी],

निजी अस्पतालों में काम करने की चिकित्सकों की मानसिकता

302. श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी अस्पतालों विशेष रूप से दिल्ली के बड़े अस्पतालों और देश के अन्य भागों के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं विशेषज्ञ निजी अस्पतालों में कार्य करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी सेवाओं को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निजी अस्पतालों से जुड़ने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों और शल्य-चिकित्सकों का प्रतिशत क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के बहुत ही कम अधिकारियों ने पिछले वर्षों के दौरान सेवा से त्याग-पत्र दिया है। इन डॉक्टरों ने व्यक्तिगत आधारों पर त्याग-पत्र दिए हैं और प्राइवेट अस्पतालों में अपनी नियुक्ति होने पर ज्वाइन करने के बारे में सूचित नहीं किया है।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप डॉक्टरों की कार्यस्थितियों में सुधार करने के अलावा, डॉक्टरों को यात्रा करने, अपने ज्ञान का विस्तार करने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोध-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करके उनके तुष्टि स्तर में वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

केरल में सी. जी. एच. एस. सुविधाओं का विस्तार

303. श्री टी. गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सी. जी. एच. एस. सुविधाओं का विस्तार करने के लिए मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास लंबित अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) और अधिक औषधालय, एवं प्रयोगशाला, आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक औषधालय (एक-एक) खोलने सम्बंधी अनुरोध प्राप्त हुए थे। तथापि संसाधनों की तंगी को देखते हुए और एस आई यू रिपोर्ट के लागू न होने के कारण इस समय कोई नया औषाधल्य खोलना सम्भव नहीं है।

केबल आपरेटरों द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण

304. श्री बसुदेव आचार्य : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में डी. डी-7 के कार्यक्रमों सहित दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों का अनिवार्य रूप से प्रसारण करने के वास्ते सभी केबल आपरेटरों को दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश/निदेश जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में वर्तमान में केबल दो दूरदर्शन चैनलों को दिखाने की अनिवार्यता की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम

305. श्री ब्रजमोहन राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस विभाग की प्रशिक्षण और रोजगार स्कीम के अन्तर्गत हमें जब भी गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और यदि ये प्रस्ताव राज्य सरकार से विधिवत् संस्तुत होते हैं तो हम उनका अनुमोदन कर देते हैं, यदि निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण

306. श्री रमेश चेन्नितला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले मलयाली व्यक्तियों के लिए मलयालम कार्यक्रम प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल से यह प्रसारण को शुरू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) प्रसार भारती (आकाशवाणी) ने पहले ही दिनांक 1.11.99 से मलयालम में खाड़ी सेवा शुरू कर दी है। यह सेवा रात्रि 11.00 बजे 12.00 बजे मध्यरात्रि तक आकाशवाणी तिरुवनन्तपुरम से प्रसारित की जाती है और इसमें रात्रि 11.15 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक दिल्ली से प्रसारित किए जाने वाली समाचार और समाचार कमेन्टरी शामिल होती है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली से प्रसारित होने वाले समाचार और समाचार कॉमेन्टरी को छोड़कर सम्पूर्ण खाड़ी सेवा तिरुवनन्तपुरम से प्रसारित की जाती है। चूंकि दिल्ली में पूर्ण रूप से सुसज्जित मलयालम समाचार एकक के अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाचार बैकअप दोनों के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं हैं इसलिए दिल्ली से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटि को शिफ्ट करना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाएं

307. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में स्थान-वार कितनी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक अनुसंधान के लिए कितना वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इनमें से कोई संस्थान बजट आबंटनों का उपयोग करने में असफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूर्य मंदिर को क्षति

308. श्रीमोइनुल हसन : क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुरातत्व विशेषज्ञों ने हाल ही में आए चक्रवात से कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्षति होने के बारे में आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्षति का अनुमान लगाने के लिये तथा सूर्य मंदिर की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मंदिर के आस–पास पुनः पौधे लगाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां, लेकिन सूर्य मंदिर, कोणार्क के संरचनात्मक अंगों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूर्य मंदिर, कोणार्क के चारों ओर दीवार के भीतर क्षतिग्रसत हरित पट्टी को पुनः बहाल करने के लिए आकलन तैयार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से स्मारक के चारों ओर सघन हरित पट्टी पुनः बहाल करने के लिए सम्पर्क किया गया है।

आक्सीटोसीन का उपयोग

309. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुओं, सब्जियों और फलों में आक्सीटोसीन के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आक्सीटोसीन पाउडर भारत में तैयार किया जाता है अथवा विदेशों से आयात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आक्सीटोसिन के उत्पादन को नियंत्रित करने और इसके अवैध प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अनुसार आक्सीटोसिन की उच्च मात्रा युक्त दूध अथवा गोमांस के दुष्प्रभावों पर कोई प्रकाशित (वैज्ञानिक) रिपोर्ट नहीं है। जब आक्सीटोसिन का इन्जेक्शन दिया जाता है, तो जिगर और गुर्दे में हारमोन में न पता लगाए जा सकने वाले स्तरों तक तीव्रता से चयापचय हो जाता है। आक्सीटोसिन की हाफ लाइफ 3 से 12 मिनट तक भिन्न–भिन्न होती है। अतः दूध अथवा गोमांस में आक्सीटोसिन की सतत उपस्थिति की संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) भारत में आक्सीटोसिन पाउडर का निर्माण और आयात किया जाता है। बल्क पाउडर और बल्क लिक्विड के रूप में आक्सीटोसिन का निर्माण मैसर्स जर्मन रेमेडीज, मैसर्स नोवार्तीज लिमिटेड और मैसर्स के रतन फार्मा, मुम्बई बल्क पाउडर के रूप में आक्सीटोसिन का आयात करती है।

(घ) औषध आक्सीटोसिन इन्जेक्शन को औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अन्तर्गत अनुसूची 'एच' (प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति/रोगी/दुग्ध विक्रेता पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी और पंजीकृत पशुचिकित्सक के अपेक्षित नुस्खे के बिना यह औषध खरीद न सके। सभी राज्य औषध नियंत्रकों और केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के जोनल अधिकारियों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को दग्ध विक्रेताओं द्वारा गायों से अधिक दूध निकालने के लिए आक्सीटोसिन इन्जेक्शन के सूचित किए गए दुरुपयोग को रोकने के लिए सतर्क कर दिया जाता है।

रोजगार के अवसर

310. श्री कृष्णमराजू : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक रोजगार सृजन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान इस कार्य हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) दिनांक 1.12.1997 से यह मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे के शहरी गरीबों को स्व–रोजगार और मजदूरी रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को क्रियान्वित कर रहा है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के घटकों शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम (यू एस ई पी) और शहरी क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डी डब्ल्यू ई पी) और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू डब्ल्यू ई पी)

के अधीन जारी की गई केन्द्रीय राशि और भौतिक प्रगति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अधीन लक्ष्यों का निर्धारण राज्यों पर उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर छोड़ दिया गया है।

(घ) भारत सरकार कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को कह रही है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	यू. एस. ई. पी.* एवं डी.डब्ल्यू. सी.यू.ए.		यू. डब्ल्यू ई. पी.	
		जारी केन्द्रीय राशि (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त व्यक्ति	जारी केन्द्रीय राशि (लाख रु. में)	सृजित कार्य दिवस (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	999.32	13111	690.81	5.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	58.95	सूचना नहीं	14.19	1.04
3.	असम	573.66	सूचना नहीं	433.32	शून्य
4.	बिहार	576.45	590	378.98	4.65
5.	गोवा	21.08	सूचना नहीं	11.75	सूचना नहीं
6.	गुजरात	577.49	4402	435.32	0.90
7.	हरियाणा	105.57	1193	53.32	0.44
8.	हिमाचल प्रदेश	65.26	263	20.50	3.99
9.	जम्मू व कश्मीर	76.15	1711	10.63	0.15
10.	कर्नाटक	810.92	802	577.94	6.40
11.	केरल	274.40	17029	172.44	1.79
12.	मध्य प्रदेश	1103.75	39234	761.96	14.58
13.	महाराष्ट्र	1501.04	10502	1083.73	6.79
14.	मणिपुर	132.38	सूचना नहीं	100.36	सूचना नहीं
15.	मेघालय	88.27	सूचना नहीं	63.49	0.25
16.	मिजोरम	88.27	978	61.17	0.92
17.	नागालैण्ड	68.45	सूचना नहीं	29.52	0.27
18.	उड़ीसा	264.16	3707	183.52	6.79
19.	पंजाब	102.72	1645	42.08	2.15
20.	राजस्थान	453.59	8449	262.20	3.60
21.	सिक्किम	21.76	सूचना नहीं	5.50	0.44

1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु	1078.16	606	799.50	40.03
23.	त्रिपुरा	1010.32	38	30.05	1.50
24.	उत्तर प्रदेश	1451.89	44936	964.38	27.65
25.	प. बंगाल	598.99	573	429.41	11.60
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	43.22	सूचना नहीं	108.88	0.53
27.	चंडीगढ़	82.18	50	--	
28.	दादरा एवं नगर हवेली	4.12	16	20.78	0.62
29.	दमन और दीव	34.98	20	50.44	0.04
30.	दिल्ली	145.70	11		
31.	पांडिचेरी	22.80	199	47.80	0.15
	कुल	11536.00	150065	7893.90	143.03

*यू. एस. ई. पी.=शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम

*डी. डब्ल्यू. सी. यू. ए.=शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास

*यू डब्ल्यू ई पी.=शहरी दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम

मलेरिया का उन्मूलन

311. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार मलेरिया उन्मूलन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) देश में मलेरिया के शोध और नियंत्रण हेतु शीर्ष संगठन का नाम क्या है;

(ग) क्या इस संगठन ने देश भर में मलेरिया फैलने के बारे में सरकार को सतर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार निधियों के आबंटन के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय राज्यों के राष्ट्रीय मलेरिया रौधी कार्यक्रमों के एककों के माध्यम से देश में मलेरिया नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों के समन्वय के लिए शीर्षस्थ केन्द्रीय संगठन है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान आदि के अन्तर्गत मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, वैक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र जैसे अनुसंधान संस्थानों के साथ राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय प्रचालनात्मक अनुसंधान से संबंधित कार्यकलापों का समन्वय करता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय इस रोग की संचरण ऋतु से पहले हर वर्ष नियंत्रण संबंधी उपायों को तेज करने के लिए राज्य सरकारों को सतर्क करता है। इसके अतिरिक्त, मलेरिया के जानपदिक रोग विज्ञानीय परिदृश्य और मौसम विज्ञानीय स्थिति मुख्यतः वर्षा के आधार पर संबंधित राज्यों को समय–समय पर महामारी के लिए तैयारी करने और उसको रोकने के लिए तीव्रता से उपाय करने के लिए चेतावनी दी जाती है। रोगी का पता लगाने और वेक्टर नियंत्रण संबंधी उपाय करने के लिए राज्यों को विशिष्ट दिशानिर्देश प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	634.63	617	482.93
अरुणाचल प्रदेश	126.9	297.5	186.61

1	2	3	4
असम	1660.83	2618	2170.42
बिहार	206.76	348.98	403.05
गोवा	3.46	5.18	7.12
गुजरात	471.75	726.77	611.11
हरियाणा	327.77	291.08	260.39
हिमाचल प्रदेश	118.33	90.84	51.47
जम्मू व कश्मीर	120.62	78.62	72.57
कर्नाटक	853.62	568.62	264.47
केरल	53.65	63.6	102.73
मध्य प्रदेश	769.35	1072.77	454.49
महाराष्ट्र	2405.71	1028.44	260.36
मणिपुर	303.28	273.91	377.34
मेघालय	222.93	196.96	231.55
मिजोरम	106.07	132.55	172.53
नागालैण्ड	122.45	212.62	183.34
उड़ीसा	248.15	233.43	385.14
पंजाब	282.79	183.26	290.67
राजस्थान	2025.35	1799.74	1994.15
सिक्किम	39.34	1.77	1.47
तमिलनाडु	150.39	204.88	240.72
त्रिपुरा	300.67	414.05	356.97
उत्तर प्रदेश	941.71	505.73	1121.92
प. बंगाल	772.7	125.71	330.9
संघ क्षेत्र			
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	94.04	93.83	155.68
चंडीगढ़	64.33	48.53	45.3
दादरा एवं नगर हवेली	12.73	24.70	24.9
दमन और दीव	8.8	12.37	10.98
दिल्ली	117.88	66.04	37.21
लक्षद्वीप	2.1	3.48	5.24
पांडिचेरी	16.12	12.48	6.15
कुल	13567.94	12353.94	11305.5

वेश्यावृत्ति

312. **श्री अनंत गंगाराम गीते** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वेश्यावृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इसे रोकने हेतु कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) देश में वेश्याओं की संख्या के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत सरकार ने वेश्याओं, बाल वेश्याओं, वेश्याओं के बच्चों पर वर्ष 1997 में एक समिति स्थापित की थी। समिति ने 1998 में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया तथा महिलाओं एवं बच्चों के पणन तथा वाणिज्यिक यौन शोषण की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार की, जिसके कुछ कार्य बिन्दु इस प्रकार हैं : निवारण–पणन, जागरूकता विकास तथा सामाजिक संघटन, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, शिक्षा तथा बाल–देखभाल, आवास, आश्रय तथा नागरिक सुविधाएं, आर्थिक शक्ति–सम्पन्नता, कानूनी सुधार तथा पुनर्वास। कार्य योजना को कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा महिला शक्ति–सम्पन्नता के जरिए तथा प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, महिलाओं के लिए रोजगार–सह–आयोत्पादक एकक स्थापित करना, सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला कोष, स्वर्णजयन्ती रोजगार योजना जैसी रोजगार और आयोत्पादक स्कीमों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों, विशेषकर लड़कियों की स्थिति में समग्र सुधार लाने के प्रयास भी कर रही है।

(ग) जी, नहीं। अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 पहले से ही लागू है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा चक्रवात का पूर्वानुमान

313. **श्री उत्तमराव ढिकले** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि उड़ीसा में चक्रवात के बारे में उचित चेतावनी समय पर नहीं दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या मौसम विभाग राष्ट्रीय विनाश के बारे में पूर्वानुमान लगाने में असफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस विभाग का पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन

314. **श्री रामशकल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेश गये वैज्ञानिकों को भारत में वापिस लाने हेतु उनको आकर्षित करने के लिये कोई योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या क्या है जो परमाणु परीक्षण के बाद भारत वापस आने की अपनी इच्छा जता रहे हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं (विवरण संलग्न है)।

(ग) और (घ) ये योजनाएं सभी वैज्ञानिकों के लिए खुली हैं, जिनमें वे वैज्ञानिक भी शामिल हैं जो विदेश चले गए हैं और भारत वापस आकर काम करना चाहते हैं।

(ङ) और (च) सरकार को उन वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी नहीं है जो परमाणु परीक्षण के बाद भारत वापस आने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तथापि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद कुछ वैज्ञानिकों को प्रत्यावर्तित किया गया है। प्रत्यावर्तित वैज्ञानिकों के हितों की देखभाल करने तथा उनकी विशेषता का देश के अन्दर उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा डी एस टी में एक सेल स्थापित किया गया है जो **प्रत्यावर्तित वैज्ञानिकों के लिए सेल (सी आर एस)** के नाम से जाना जाता है।

विवरण

(i) **युवा वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं**—इस योजना के तहत 35 वर्ष की आयु तक के आवश्यक पृष्ठभूमि युक्त प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। परियोजनाओं का मूल्यांकन पीयर रिव्यू मेकेनिज्म के माध्यम से किया जाता है और उन्हें युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रबन्धन सलाहकार समिति के समक्ष उनकी सिफारिशों के लिए रखा जाता है। युवा वैज्ञानिक परियोजना निधि से वेतन भी प्राप्त कर सकता है।

(ii)) **ब्यायसकास्ट अध्येतावृत्तियां**—इस योजना का उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीनतम घटनाओं से अवगत कराया जा सके तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके। निधियों में यात्रा, अध्येतावृत्ति एवं आकस्मिकताएं तथा मेजबान राष्ट्र के अन्दर संस्थानों अथवा सम्मेलनों में भाग लेने हेतु यात्रा शामिल है।

(iii) **स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियां**—स्वर्ण जयन्ती अध्येतावृत्ति योजना हमारी स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आरम्भ की गई। इसका उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए योगदानों को मान्यता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि वे विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान में उत्कृष्टता का मानदंड प्राप्त कर सकें। 30–40 वर्ष की उम्र सीमा के प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक इन अध्येतावृत्तियों के पात्र होंगे।

(iv) **विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों/विभागों के माध्यम से अध्येतावृत्तियां**—यह कार्यक्रम राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में शामिल करने तथा उन्हें राज्य स्तर पर सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। प्रत्येक वर्ष राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों/विभागों द्वारा लगभग 20 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(v) **सम्पर्क कार्यक्रम**—इस योजना का उद्देश्य प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को प्रख्यात वैज्ञानिकों एवं संस्थानों के संपर्क में लाकर उन्हें अनुसंधान एवं विकास को एक कैरियर के रूप में शुरू करने हेतु आकर्षित एवं प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण देना भी शामिल है।

(vi) **एस ई आर सी स्कूल्स**—एस ई आर सी स्कूल्स का आयोजन युवा वैज्ञानिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय जानकारी प्रदान करने हेतु किया जाता है।

(vii) **एस ई आर सी अध्येतावृत्ति**—वैज्ञानिकों के लिए ऐसी कई अध्येतावृत्तियां हैं जिनके द्वारा वे भारत तथा विदेशों में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों का दौरा कर सकें ताकि वे विज्ञान एवं इंजीनियरी के संभावनापूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष शोध प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

(viii) **यात्रा के लिए सहयोग**—वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

नई औषध नीति

315. श्री नरेश पुगलिया : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औषध नीनि तैयार करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) जी, नहीं। सरकार ने मार्च, 1999 में सचिव, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अध्यक्षता में औषध मूल्य नियंत्रण पुनरीक्षा नामक समिति गठित की थी। यह समिति मौजूदा औषध मूल्य नियंत्रण तंत्र की पुनरीक्षा करने के लिए गठित की गई थी न कि स्वभावतः औषध नीति की।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

316. डॉ. जयंत रंगपी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में योग्यता प्राप्त डॉक्टर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, उन केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है जिसमें कोई डॉक्टर कार्यरत नही है;

(ग) बेरोजगार डॉक्टरों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में योग्यता प्राप्त डॉक्टरों को ही नियुक्त किया जाए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) सभी औषधालयों में अर्हताप्राप्त डॉक्टर लगाए गए हैं। तथापि, कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की कमी है।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की कमी का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति/तैनाती करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करता है और रिक्त पदों को भरने के उपायों की सलाह देता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य कर रहे प्रा. स्वा. केन्द्रों की कुल सं.	4+ डॉक्टर	3 डॉक्टर	2 डॉक्टर	1 डॉक्टर	बिना डॉक्टर	पी. क्यू. आर. की नवीनतम तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**आंध्र प्रदेश**	1335	48	15	391	826	55	31.3.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	47	--		2	34		31.12.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	619	26	16	146	17	--	31.12.91
4.	बिहार	2209	———	———	अप्राप्त	———	———	31.3.85
5.	गोवा	18	10		--	7		30.6.98
6.	गुजरात	960	--	--		960	54	30.6.98
7.	हरियाणा	400	20	26	220	94	35	31.12.97
8.	हिमाचल प्रदेश	322	1	24	82	86	39	31.3.95
9.	जम्मू व कश्मीर	337	———	———	अप्राप्त	———	———	31.3.85
10.	कर्नाटक	1601	9	75	279	1025	213	31.3.98
11.	केरल	960	40	58	72	688	98	30.6.98
12.	मध्य प्रदेश	1814	--	469		874	471	31.12.97
13.	महाराष्ट्र	1699	--	--	1363	332	--	31.3.98
14.	मणिपुर	69	--	3	20	42	4	30.6.98
15.	मेघालय	85	--		5	76		30.6.98
16.	मिजोरम	38	--		5	42	9	31.6.98
17.	नागालैंड	33	--		1	29		31.3.95
18.	उड़ीसा	1352	--	--	186	1166	--	31.3.98
19.	पंजाब	484	--	--	130	354	--	31.12.97
20.	राजस्थान	1646	92	59	217	1118	160	30.6.98
21.	सिक्किम	24	--	2	13	9		30.6.98
22.	तमिलनाडु	1436	28	15	1227	156	--	30.6.98
23	त्रिपुरा	58	11	10	15	16		30.6.94
24.	उत्तर प्रदेश	3808	51	133	256	289	289	31.12.92
25.	पश्चिम बंगाल	1556	--	--		--	104	31.3.95
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	17	--		8	9		31.3.98
27.	चण्डीगढ़	--	--				--	30.9.96
28.	दादर व नगर हवेली	6	--		--	6	--	31.6.98
29.	दमन व दीव	3	-	2		1		30.6.98
30.	दिल्ली	8	———	———	अप्राप्त	———	———	30.9.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	लक्षद्वीप	4	—	—	2	2	—	31.3.98
32.	पाण्डिचेरी	43	—	6	18	6	—	30.9.95
	अखिल भारत	22991	336	913	4658	8264	1531	

आंकड़े अनन्तिम

— = शून्य

टिप्पणी = कई राज्यों में 4+, 3, 2, 1, या बिना डॉक्टर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या उस राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या से मेल नहीं खाती है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरण

317. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरण कई–कई महीनों से अनुप्रयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो अस्पतालवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन चिकित्सीय उपकरणों को पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान ऐसी अनियमितताएं बरतने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल में काम नहीं कर रहे चिकित्सा उपकरणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपकरणों को काम करने के लायक बनाने के लिए संबंधित अस्पतालों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी इसकी मानिटरिंग कर रहा है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में अप्रयुक्त पड़े उपकरणों/यंत्रों से संबंधित सूचना

क्रम सं.	उपकरण का नाम
1	2
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल :	
1.	कॉलर डाप्लर इको मशीन
2.	मिनगोग्राफ–7
3.	मेद्राद प्रेसर डाई इन्जेक्टर
4.	नोवा ब्लड गैस एनालाइज़र
5.	32 चैनल डिजिटल ईसीजी मशीन और 4 चैनल ईएमजी मशीन
सफदरजंग अस्पताल :	
1.	डीफाइब्रिलेटर सह-मानिटर लोहेमियर
2.	1000 एम ए मशीन (रेडियोलॉजी)
3.	आरगन लेज़र (नेत्र)
4.	सीसमेक्स के–1000 (मेडिसीन)
5.	वैक्यूम स्टीम स्टेराइलाइज़र (सीसीएसडी)
6.	टी एम टी मशीन (बार्डयोलाजी)
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल	
1.	बरा सेनटीनल–4
2.	वैरियोथार्म
3.	टीमपेनिक डिस्प्लेसमेन्ट एनाइलाइज़जर
4.	विडियो स्ट्रोबोस्कॉपर
5.	पीक्यू–सीटी स्केनर

विधवाओं के लिये स्वरोजगार कार्यक्रम

318. डॉ. अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विधवाओं के कल्याण हेतु कोई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके लिये स्वरोजगार कार्यक्रम आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) हालांकि, सरकार के पास कोई स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, सरकार पहले से ही महिलाओं के लिए विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रम, जैसे रोजगार–सह–आयोत्पादन इकाइयों की स्थापना (नोराड), प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (स्टेप), सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं के लिए शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम चला रही है, जिनके अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के मामले में इस प्रकार की सीमान्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सीमान्त महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय महिला कोष भी कुछ कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिनके अन्तर्गत गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से स्व–रोजगार कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

यूरिया उत्पादन

319. श्री बाजू बन रियान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने यूरिया और अन्य उर्वरकों के उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) उनमें वस्तुतः कितना उत्पादन हुआ :

(ग) क्या उत्पादन में कोई कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये जिम्मेदार कारक कौन–कौन से हैं; और

(ङ) उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उत्पादक उपक्रमों द्वारा लक्ष्य के संदर्भ में यूरिया और अन्य उर्वरकों को उत्पादन के संबंधित समेकित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) यद्यपि उर्वरक उत्पादों के रूप में वृद्धि का मिला–जुला रुझान है किन्तु नीचे दी गई सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में पोषकों के रूप में उर्वरक उत्पादन में समनुरूप वृद्धि थी :–

सार्वजनिक क्षेत्र में पोषकों का वर्षवार उत्पादन

(लाख टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फेट
1996–97	27.34	6.23
1997–98	33.34	7.28
1998–99	33.53	7.70

(ङ) उर्वरक उद्योग ने उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित रणनीति अपनाई है :–

(i) विद्यमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रोफिटिंग/रेवेम्पिंग।

(ii) नेफथा आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करके तथा विद्यमान संयंत्रों और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में दोहरी ईंधन/फीडस्टाक सुविधाएं स्थापित करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में आने वाली बाआधों पर काबू पाना; और

(iii) प्रचुर और सस्ते कच्चे माल के स्रोत रखने वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करना।

देश में यूरिया के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :–

(i) सामान्यतः उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ii) नये संयंत्रों की स्थापना/मौजूदा एककों का आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजीगत मालों के आयात पर नाममात्र का मूलभूत सीमा शुल्क।

(iii) उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात सम लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली पद्धति के तहत की जाए।

(iv) उर्वरक कच्चे मालों तथा मध्यवर्तियों के आयात पर नाममात्र का शुल्क।

(v) उद्यमियों को, वर्तमान में यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य सह सब्सिडी योजना के तहत निवेश पर मुनासिब लाभ।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों द्वारा वर्ष 1996–97 के दौरान उत्पाद–वार लक्ष्य और उत्पादन

('000' मी. टन)

यूरिया	5547.9	4729.9	5888.6	6006.7	6250.0	5861.5
अमोनियम सल्फेट	304.8	325.1	340.0	289.7	282.4	299.0
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	418.5	277.5	406.5	270.6	361.4	314.2
डाई अमोनियम फास्फेट	573.0	421.2	736.0	786.6	660.0	757.3
सिंगल सुपर फास्फेट	318.0	278.3	370.0	317.5	308.0	157.7
कम्प्लेक्सिज	1490.0	1293.1	1451.0	1050.6	1410.0	1374.1
योग	9240.7	7983.6	9842.1	9363.4	9921.8	9501.8

अल्पसंख्यक आयोग

320. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान पदाधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो आयोग को बनाए रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पद को धारित करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का वर्तमान कार्यकाल

क्र. सं. नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यकाल समाप्त होने की तारीख
1. प्रोफेसर (डॉ.) ताहिर महमूद	अध्यक्ष	26.11.1996	25.11.1999
2. प्रोफेसर बावा सिंह	उपाध्यक्ष	27.11.1996	26.11.1999
3. श्री जफर अली नकवी	सदस्य	27.11.1996	26.11.1999
4. डॉ. कमला सांकृत्यायन	सदस्य	02.12.1996	01.12.1999
5. रेव. डॉ. जेम्स कासे	सदस्य	03.12.1996	02.12.1999
6. श्री मरजबन जे. ए. पत्रावाला	सदस्य	29.11.1996	28.11.1999 (त्यागपत्र)
7. श्री नेमीनाथ के.	सदस्य	12.12.1996	11.12.1999

विकलांगों हेतु संस्थान

321. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उपकरण और सहायता प्रदान करने के लिए अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव सरकार तथा गैर–सरकारी क्षेत्र दोनों से प्राप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, केरल राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेरुदंड क्षतिग्रस्त तथा अन्य अस्थि विकलांगताओं के लिए क्षेत्रीय संयुक्त केन्द्रों और पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी नेटवर्क का विस्तार/उन्नयन

322. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नौवीं योजना अवधि के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन का विस्तार/उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक में विद्यमान किसी दूरदर्शन केन्द्र का उन्नयन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूरदर्शन नेटवर्क में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ख) जी, हां। वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कर्नाटक में हसन, मंगलौर, मैसूर और राचूर में एक–एक अर्थात चार अल्प शक्ति टीवी ट्रांसमीटरों के स्थान पर नौवीं योजना स्कीमों के हिस्से के रूप में क्रमशः चार उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का विचार है।

(ङ) प्रसार भारती क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सतत् रूप से प्रयत्न करता रहता है। सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के लिए विशिष्ट चैनल पहले से ही प्रचालन में हैं।

विवरण

राज्य/सं. शा. क्षेत्र	स्टूडियो परियोजनाएं	ट्रा. परि–योजनाएं	आकाशवाणी ट्रांसमीटर
1	2	3	4
असम	–	4	1
आन्ध्र प्रदेश	1	24	4
अरुणाचल प्रदेश	–	5	2
बिहार	1	9	1
गोवा	–	1	–
गुजरात		3	5
हरियाणा	1	6	1
हिमाचल प्रदेश	–	11	–
जम्मू और कश्मीर	–	10	16
केरल	2	9	3
कर्नाटक	–	18	4
मध्य प्रदेश	3	21	7
मेघालय		2	2
महाराष्ट्र		27	5
मणिपुर		1	3
मिजोरम		2	3
नागालैण्ड	–	2	2
उड़ीसा	1	23	2
पंजाब	1	1	
राजस्थान	1	23	3
सिक्किम	1	1	1
तमिलनाडु	2	14	4
त्रिपुरा	–	4	4
उत्तर प्रदेश	1	33	4
प. बंगाल		10	2

1	2	3	4
चण्डीगढ़	1	—	—
दिल्ली	1	—	—
पांडिचेरी		1	
	17	265	79

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड

323. **श्री पी. सी. थामस :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार को विनिवेश समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिससे कैप्रोलेक्टम, यूरिया और अमोनिया संयंत्रों का कार्यकरण प्रभावित हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या सरकार ने एफ. ए. सी. टी. के विकास और आधुनिकीकरण की कोई योजना बनायी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) जो वर्ष 1983–84 के दौरान लाभ दर्ज करती रही थी, ने वर्ष 1998–99 के दौरान 48.26 करोड़ रुपए की हानि उठाई। 1998–99 के दौरान हानि के मुख्य कारण मार्च, 1999 में प्रारम्भ हुए अमोनिया रिप्लेसमेंट प्लांट से अमोनिया की उच्च्य लागत, सरकारी ऋण पर भारी ब्याज का बोझ स्वदेशी कैप्रोलैक्टम के लिए निराशाजनक विपणन परिस्थिति, कम्पलैक्स/मिश्रित उर्वरकों के अलाभप्रद मूल्य, नेफथा, ईंधन तेल आदि जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भारी वृद्धि है।

(ग) और (घ) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय राहतों की मंजूरी संबंधी मसले उठाए गए हैं, इनमें ब्याज की माफी सरकारी ऋणों पर ब्याज की दर में कमी तथा अमोनिया रिप्लेसमेंट प्लांट में उत्पादन की ऑफ सेटिंग लागत के लिए अन्य उपायों कैप्रोलैक्टम पर उत्पाद शुल्क तथा अनिवेश शामिल है।

(ड.) और (च) फैक्ट आवश्यकतानुसार नवीकरण/प्रतिस्थापन/उन्नयन योजनाएं चला रहा है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

324. **श्री पी. एस. गढ़वी :**

श्री दिन्शा पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य के छः और जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कार्यक्रम के प्रसार हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार निधि प्रदान की जा रही है।

खून की कमी

325. **श्री अशोक ना. मोहोल :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशेषतः दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के सरकारी अस्पालों में खून की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुसार यह कमी कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में खून की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) देश में कुल मिलाकर रक्त की कोई कमी नही है। वैसे, देश के विभिन्न भागों में रक्त की मौसमी और कभी–कभार कमी

हो सकती है। रक्ताधान के लिए रक्त की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मानदंड हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानदंड 7 यूनिट रक्त प्रति अस्पताल पलंग प्रति वर्ष है। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड लागू किए जाते हैं तो हमें 42.00 लाख यूनिट रक्त प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी जब कि यह अनुमान लगाया गया है कि देश में लगभग 30.00 लाख यूनिट रक्त संगृहीत किया जाता है। वैसे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में काफी अधिक पलंगों के लिए 7 यूनिट रक्त प्रतिवर्ष का उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है, रक्त की कमी गंभीर नहीं है।

(घ) स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के माध्यम से रक्त काफी मात्रा में एकत्र करने के लिए भारत सरकार ने दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार अभियान चलाने, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सम्प्रेषण के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी सामग्री तैयार करने, हर वर्ष पहली अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाने, क्लीनिकविदों में रक्त युक्तिसंगत उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्वैच्छिक रक्तदान के कार्य को समर्थन देने के लिए जन–साधारण को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाने जैसे कई कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक संयंत्र

326. श्री रामदास आठवले : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार रसायन/उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में पांडेरपुर में उर्वरक संयंत्र लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) उर्वरक संयंत्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

देश में रसायन क्षेत्र में विस्तृत श्रेणी के रसायनों का उत्पादन करने वाले भारी, मध्यम और लघु एककों की संख्या बड़ी है। जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू होने से जोखिम रहित/लाइसेंसमुक्त रसायन उद्योगों के संबंध में कुछेक औद्योगिक एककों को छोड़कर देश में रसायन उद्योगों की स्थापना औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करने के पश्चात बिना औद्योगिक लाइसेंस के की जा सकती है। इन एककों के बारे में राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। इन ब्यौरों के संग्रहण में लगने वाले समय, श्रम और लागत प्राप्त होने वाले सम्भावित परिलाभों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) से (घ) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प के अनुसार नई उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को प्रदत्त शक्तियों से अधिक पूंजी व्यय करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। महाराष्ट्र के पांडेरपुर में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों द्वारा सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विवरण

प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की राज्यवार कुल संख्या

राज्य	उर्वरक संयंत्रों की संख्या
असम	3
मणिपुर	
आन्ध्र प्रदेश	6
तमिलनाडु	5
केरल	3
गोवा	1
महाराष्ट्र	5
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	3
राजस्थान	3
गुजरात	8
पंजाब	4
दिल्ली	—
उत्तर प्रदेश	9
हरियाणा	1
बिहार	4
उड़ीसा	4
प. बंगाल	4
योग (अखिल भारतीय)	64

[अनुवाद]

देश में आवास सुविधा

327. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अपने लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया;

(ग) लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) आवास, विशेष रूप से निर्धनों के लिए मकान मुहैया कराने में सरकार का हस्तक्षेप मुख्यतया आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) के माध्यम से है। 1998–99 में आरम्भ किया गया दो मिलियन आवास कार्यक्रम आवास स्टॉक की कमी को पूरा करने के लिए विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर (ई डब्ल्यू एस) तथा निम्न आय वर्ग (एल आई जी) श्रेणियों हेतु अतिरिक्त मकानों (ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख इकाइयां तथा शहरी क्षेत्रों में 7 लाख इकाइयां) का निर्माण सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। हडको ने इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 6.35 लाख इकाइयों तथा शहरी क्षेत्रों में 54.30 लाख इकाइयों के लिए धनराशि स्वीकृत की है।

दो मिलियन आवास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपए में)

1998–99 लक्ष्य-शहरी		प्राप्ति
हडको	4.00	4.30
सहकारी संस्थाएं	1.00	0.74
आवास वित्त संस्थान	1.50	1.36
अन्य स्रोत	0.50	0.17
योग	7.00	6.57

लक्ष्य–ग्रामीण		प्राप्ति
हडको	6.00	6.35
इंदिरा आवास योजना	9.87	8.36
1999–2000 लक्ष्य		**प्राप्ति**
शहरी	7.00	योजना चल रही है।
ग्रामीण	13.00	-वही-
इंदिरा आवास योजना	12.72	2.71 (अक्तूबर, 99तक)

इन कार्यक्रमों के माध्यम से आवास लक्ष्य काफी हद तक पूरे होने की आशा है।

(घ) 2 मिलियन आवास कार्यक्रम तथा इन्दिरा आवास योजना के तहत अतिरिक्त आवासीय इकाइयों के निर्माण से देश में आवास की आवश्यकता में काफी कमी होने की आशा है। इस क्षेत्र में आने वाले विभिन्न अवरोधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) हडको के माध्यम से ई डब्ल्यू एस तथा एल आई जी आवास के लिए बाजार दरों से कम ब्याज दर पर वित्त की व्यवस्था।

(ii) निर्मित केन्द्रों तथा भव निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद के माययम से लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का प्रचार।

(iii) देश में आवास क्रियाकलापों को कारगर बनाने के लिए कानूनी हस्तक्षेप तथा वित्तीय रियायतें।

[हिन्दी]

जनसंख्या–एक राष्ट्रीय समस्या

328. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण हेतु सरकार की क्या योजना है;

(ख) इस समस्या को नियंत्रित करने में अभी तक अपेक्षित सफलता प्राप्त न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अपनी जनसंख्या नीति तैयार करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सफलता प्राप्त देशों के अनुभवों से लाभ उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं–

(i) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का एक एकीकृत गहन कार्यक्रम जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण शामिल है।

(ii) छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम।

(iii) उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों के माध्यम से गर्भनिरोधन की व्यवस्था।

(iv) परिवार कल्याण के कुछ आधारभूत ढांचे की व्यवस्था के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता।

(v) स्वैच्छिक संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों को परिवार कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सहायता।

(ख) समग्र देश के रूप में परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां काफी ठोस रही हैं। केरल, तमिलनाडु और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने सन् 2000 के लिए रखे गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य लक्ष्य प्राप्ति के निकट हैं। फिर भी, कुछ राज्य मुख्य रूप से सामाजिक–आर्थिक सूचकों की धीमी उपलब्धि के कारण पीछे हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का एक प्रारूप मंत्रिमंडल के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) सरकार को बहुत से देशों द्वारा अपनी जनसंख्या को स्थिर करने में उन्हें प्राप्त हुई महत्त्वपूर्ण सफलता की जानकारी है। इन पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इन्हें बहुत से धर्मों को मानने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए भी अपनाया जाना होगा।

अनधिकृत कब्जा

329. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी भूमि पर झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने वाले कितने व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है;

(ख) इनके पुनर्वास के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) दिल्ली में झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने वाले सभी व्यक्तियों का कब तक पुनर्वास किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में सरकारी भूमि पर नई झुग्गियों के निर्माण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) स्लम तथा झुग्गी झोंपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) ने सूचित किया है कि दिल्ली में मोटे तौर पर, करीब 30 लाख लोग झुग्गियों में रह रहे हैं।

(ख) दिल्ली सरकार/भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा 1990–91 से लागू वर्तमान नीति के अनुसार स्लम तथा झुग्गी–झोंपड़ी विभाग केवल उन्हीं ठिकानाहीन परिवारों का पुनर्वास करता है जिनके द्वारा अवैध कब्जा वाले भूखंडों की संबंधित भूस्वामी एजेंसी को सार्वजनिक महत्त्व की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जरूरत हो तथा भूस्वामी एजेंसी पुनर्वास की लागत, जो इस समय प्रति पात्र ठिकानाहीन परिवार 29,000/–रुपये है, में अपना हिस्सा देने के लिए सहमत हो। पात्रता मानदंड 31.1.1990 को धारित तारीख का राशन कार्ड है।

(ग) इस समस्या की व्यापकता और झुग्गी–झोंपड़ी समूहों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण, दिल्ली में सभी स्लम वासियों के पुनर्वास के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

(घ) भूस्वामी एजेंसियों को नियमित रूप से निदेश जारी किए जाते हैं कि वे अपनी भूमि पर नई झुग्गियों के निर्माण को नियंत्रित करें/रोकें।

स्टेडियमों का निर्माण

330. श्री राजो सिंह :

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हेतु बिहार सरकार को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान राज्य को कितनी सहायता दी जानी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्टेडियम निर्माण हेतु प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार कितने स्टेडियमों का निर्माण पूरा हो चुका है/कितने स्टेडियम निर्माणाधीन हैं;

(घ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों/जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक खेल परिसरों/स्टेडियम के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(ङ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में एक खेल विद्यालय खोलने पर विचार कर रहा है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) बिहार सरकार को 1992–93 से 1998–99

के दौरान 'खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान' योजना के तहत खेल सुविधाओं के सृजन हेतु प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

	परियोजना	स्वीकृत राशि (रुपयों में)
1.	आरा, भोजपुर में वीर कंवर सिंह स्टेडियम	4.36 लाख
2.	लहेरिया सराय, दरभंगा में पोलो मैदान स्टेडियम में पैवेलियनों का विकास	5.00 लाख
3.	पटना में राज्य स्तरीय खेल परिसर	186.25 लाख

योजना में राज्य-वार धनराशि नहीं रखी जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, खेल अवस्थापना के लिए अनुदानों की मंजूरी के प्रश्न पर बिहार सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेडियमों के निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) 1992-93 से 1998-99 तक मंजूर किए गए स्टेडियमों के राज्य-वार ब्यौरे और पूरे हो चुके तथा निर्माणाधीन स्टेडियमों की संख्या संलग्न विवरण II में दर्शाई गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण खेल विद्यालय नहीं खोलता और तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में खेल विद्यालय खोलने का उसका कोई विचार नहीं है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई राशि रुपयों में		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	45,00,000	–
2.	अरुणाचल प्रदेश		–	15,00,000
3.	असम	8,00,000	97,50,000	2,00,000
4.	बिहार	–		23,79,000
5.	गोवा	–	–	
6.	गुजरात	–	5,50,000	10,62,000
7.	हरियाणा	97,83,400	–	7,50,600
8.	हिमाचल प्रदेश	87,98,800	48,22,000	29,26,600
9.	जम्मू व कश्मीर	–	43,90,000	
10.	कर्नाटक	36,27,500	70,01,650	21,02,500
11.	केरल	27,74,232	–	66,000
12.	मध्य प्रदेश	–	21,60,000	–
13.	महाराष्ट्र	18,00,000	1,00,000	26,00,000
14.	मिजोरम	86,19,000		21,54,900

1	2	3	4	5
15.	मणिपुर	43,50,000	—	—
16.	मेघालय	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	30,00,000	70,00,000
18.	उड़ीसा	90,00,000	—	—
19.	पंजाब	2,50,000	—	—
20.	राजस्थान	13,30,000	55,000	4,50,000
21.	सिक्किम	7,20,000	8,10,000	—
22.	तमिलनाडु	25,00,000	22,25,000	—
23.	त्रिपुरा	14,50,000	66,30,000	—
24.	उत्तर प्रदेश	8,00,000	—	15,00,000
25.	पश्चिम बंगाल	35,00,000	—	—
26.	दिल्ली	2,50,000	—	8,11,000
संघ शासित क्षेत्र				
27.	चण्डीगढ़	—	17,50,000	—
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
29.	दमन व दीव	—	2,82,000	
30.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—
31.	लक्षद्वीप		—	—
32.	पाण्डिचेरी	—	—	—

विवरण—II

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन स्टेडियमों की संख्या जिनके लिए 1992—93 से 1998—99 के बीच केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई थी और जिनका कार्य प्रगति पर है	1992—93 से 1998—99 तक स्वीकृत किए गए स्टेडियमों की संख्या जो 1998—99 तक पूरे हो चुके हैं।
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	—
3.	असम	6	—

1	2	3	4
4.	बिहार	3	—
5.	गोवा	—	—
6.	गुजरात	1	—
7.	हरियाणा	2	2
8.	हिमाचल प्रदेश	3	2
9.	जम्मू व कश्मीर	1	1
10.	कर्नाटक	26	2
11.	केरल	7	1
12.	मध्य प्रदेश	8	—
13.	महाराष्ट्र	10	1
14.	मिजोरम	—	9
15.	मणिपुर	—	1
16.	मेघालय	—	—
17.	नागालैण्ड	1	1
18.	उड़ीसा	1	1
19.	पंजाब	—	1
20.	राजस्थान	1	2
21.	सिक्किम	2	—
22.	तमिलनाडु	1	1
23.	त्रिपुरा	—	2
24.	उत्तर प्रदेश	3	—
25.	पश्चिम बंगाल	4	—
26.	दिल्ली	1	2
संघ शासित क्षेत्र			
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—
28.	चण्डीगढ़	—	1
29.	दमन व दीव	—	1
30.	दादरा व नगर हवेली	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पाण्डिचेरी	—	—

[अनुवाद]

पेय जल की आपूर्ति

331. **श्री अशोक प्रधान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उ. प्र. में पेय जल आपूर्ति संबंधी योजना केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ लंबित है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए यह मंत्रालय त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) नामक केन्द्र प्रवर्तित योजना चला रहा है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से अब तक प्राप्त 129 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं और फिलहाल कोई अन्य योजना विचार के लिए लंबित नहीं है।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ताज ट्रेपोज़ियम ज़ोन के अंतर्गत 203.05 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से आगरा के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु पूर्व-अभिकल्प लागत प्राक्कलन प्रस्तुत किए गए। यह योजना तकनीकी दृष्टि से इस मंत्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी पी एच ई ई ओ) द्वारा फरवरी 1998 में 192.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित की गई। उक्त योजना के 20 विभिन्न घटकों तथा मथुरा व वृन्दावन कस्बों की जल आपूर्ति में वृद्धि की एक परियोजना (चरण–I तथा II) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च तथा सितम्बर, 1999 के बीच सी पी एच ई ई ओ को तकनीकी अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई। इनमें से आगरा की जल आपूर्ति व्यवस्था में वृद्धि (11 विकसित ज़ोन) नामक एक योजना सी पी एच ई ई ओ द्वारा तकनीकी दृष्टि से मार्च, 1999 में 592.05 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदन की गई। शेष योजनाओं के लिए संबंधित परियोजना एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं कें तकनीकी अनुमोदन के लिए अभी कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह संबंधित परियोजना एजेंसियों द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण भेजने में लगने वाले समय पर निर्भर है।

राष्ट्रीय शिक्षा अभियान

332. **श्री भीम दाहाल : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998–99 के दौरान सिक्किम और अन्य राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को राज्यवार कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है और 1999–2000 के दौरान कितनी सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार इन राज्यों में कुल कितने लोगों को शिक्षा प्रदान की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 (31.10.1999 तक) के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा इन राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न में है।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत से इन राज्यों में साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1998–99 के दौरान जारी की गई निधियां	वर्ष 1999–2000 के (31.10.1999 तक) दौरान जारी की गई निधियां
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
2.	असम	195.61	240.42
3.	मणिपुर	25.55	7.00

1	2	3	4
4.	मेघालय	16.00	12.50
5.	मिजोरम	49.52	—
6.	नागालैंड	27.89	—
7.	सिक्किम	—	—
8.	त्रिपुरा	61.32	5.00
	कुल	375.89	264.92

विवरण—II

(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.80
2.	असम	14.23
3.	मणिपुर	0.90
4.	मेघालय	1.13
5.	मिजोरम	0.64
6.	नागालैंड	0.63
7.	सिक्किम	0.27
8.	त्रिपुरा	4.40

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं

333. **श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन करने या एक नया कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बतलाया है कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के दायरे में नहीं आती हैं और इसके लिए इस अधिनियम में संशोधन करने अथवा ऐसे प्रयोजनों के लिए नया विधान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों द्वारा आम तौर पर लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अमोनिया संयंत्र

334. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच महीनों से निवेश मूल्य में भारी वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में स्वदेशी अमोनिया संयंत्र बन्द होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) अब तक बन्द हो चुके संयंत्रों की संख्या क्या है; और

(घ) बन्द हो चुकी इकाइयों को फिर से चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) हालांकि निवेश मूल्य में भारी वृद्धि सही है, परन्तु बड़ी संख्या में यूनिटों के बंद होने के कगार पर होने की ऐसी कोई सूचना नहीं है।

जूनागढ़, गुजरात में एफएम/टी. वी. ट्रांसमीटर

335. **श्री दिन्शा पटेल : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात के द्वारका और भुज क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के अत्यंत घटिया प्रसारण से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जूनागढ़ में उच्च क्षमता वाले टी. वी.

ट्रांसमीटर लगाने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ख) हालांकि आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की सामान्य रूप से कार्य करने की सूचना मिली है तथापि, वर्तमान में, द्वारका स्थित दूरदर्शन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर अत्याधिक आद्रता और उमसभरी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण टावर और ट्रांसमीटर अवयवों में जंग लगने के कारण कम शक्ति पर कार्य कर रहा है। 300 मीटर टावर के चालू हो जाने के बाद भुज स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के प्रसारण में काफी सुधार हो गया है।

(ग) जी, हां। गुजरात सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(घ) नौवीं योजना में निधियों की कमी के कारण स्कीम को शुरू नहीं किया जा सका।

सहायक स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

[हिन्दी]

336. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सहायक स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकारों से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हां। राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) सरकार को 12 राज्यों से राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ये राज्य हैं—आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, तमिलनाडु और केरल।

आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों के परियोजना प्रस्तावों का सरकार द्वारा मूल्यांकन किया गया था और उन्हें वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक को भेजा गया। इन्हें इस समय क्रियान्वित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के प्रस्ताव के संबंध में परियोजना तैयार की जा रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और केरल के प्रस्ताव भी प्राप्त हो गए हैं और इस समय उनकी छान–बीन की जा रही है।

प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी नौवीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में चलाया जा रहा है जिसके लिए अन्तरर्राष्ट्रीय अभिकरणों से 1 बिलियन अमेरिकी डालर की सहायता आंशिक वित्त पोषण के रूप में प्राप्त हुई है। इसमें राज्यों में औषधियों, उपस्करों, सिविल निर्माण कार्यों, प्रशिक्षण और सहायक कर्मी आदि जुटाने के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की व्यवस्था है।

विवरण–I

कार्यान्वित की जा रही राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाएं

राज्य का नाम	परियोजना अवधि	परियोजना परिव्यय
आंध्र प्रदेश	1.3.95 से 6–1/2 वर्ष के लिए	608.00 करोड़ रुपए
पश्चिम बंगाल	27.6.96 से 5–1/2 वर्ष के लिए	698.00 करोड़ रुपए
कर्नाटक	27.6.96 से 5–1/2 वर्ष के लिए	546.00 करोड़ रुपए
पंजाब	27.6.96 से 5–1/2 वर्ष के लिए	425.00 करोड़ रुपए
उड़ीसा	सितम्बर, 98 से 5 वर्ष के लिए	416.57 करोड़ रुपए
महाराष्ट्र	14.2.99 से 5–1/2 वर्ष के लिए	827.00 करोड़ रुपए

विवरण—II

विश्व बैंक सहायता प्राप्त विचाराधीन राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना प्राप्ति की तारीख	प्रस्ताव का सार	लागत और अवधि	स्थिति	विश्व बैंक दृष्टिकोण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु	संशोधित प्रस्ताव 15.3.99 को प्राप्त हुआ	राज्य में प्रथम रेफरल स्वास्थ्य प्रणाली को समुन्नत करने के लिए विश्व बैंक से सहायता हेतु अनुरोध	1086 करोड़ रुपए 5 वर्ष	परियोजना रिपोर्ट की जांचकर्ता अभिकरणों ने छानबीन कर ली है राज्य सरकार से जांच कर्ता अभिकरणों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करने और संशोधित कागजात प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।	प्रस्ताव को अभी विश्व बैंक को भेजा जाना है।	
2.	उत्तर प्रदेश	परियोजना प्रस्ताव 19 नवम्बर, 1999 को प्राप्त हुआ	माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध	549.92 करोड़ रुपए 5 वर्ष	परियोजना रिपोर्ट को जांचकर्ता अभिकरणों की टिप्पणियों के लिए भेजा गया है	प्रस्ताव को अभी विश्व बैंक को भेजा जाना है	
3.	असम	15 सितम्बर, 1998	माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सृदृढ़ करने के लिए विश्व	[illegible]6.47 करोड़ रुपए 5 वर्ष	परियोजना रिपोर्ट की जांचकर्ता अभिकरणों ने जांच कर ली है। राज्य सरकार से विशेषज्ञों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते		प्रस्ताव को अभी विश्व बैंक को भेजा जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			बैंक से सहायता हेतु अनुरोध		हुए परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए हमारे 17 नवम्बर, 1999 के पत्र सं एल–20028/16/98–आईसी के तहत अनुरोध किया गया है और उनसे इस मंत्रालय को परियोजना रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।		
4.	केरल	24.5.97, राज्य से विभिन्न विशेषज्ञ अभिकरणों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अपेक्षित संख्या में प्रतियां भेजने को कहा गया था। ये 5.7.99 को प्राप्त हुई हैं	केरल में माध्यमिक स्तर के अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक से सहायता	423.65 करोड़ रुपए	परियोजना रिपोर्ट की विशेषज्ञ अभिकरणों द्वारा जांच कर ली गई है। राज्य सरकार से विशेषज्ञों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करने और संशोधित कागजात प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।		प्रस्ताव को अभी विश्व बैंक को भेजा जाना है।
5.	राजस्थान	रिपोर्ट की अपेक्षित प्रतियां 14.6.99 को प्राप्त हुई थी।	राजस्थान में माध्यमिक स्तर के अस्पतालों को सुदृढ़ करना	536.32 करोड़ रुपए 5 वर्ष	परियोजना रिपोर्ट की विशेषज्ञ अभिकरणों ने जांच कर ली है। राज्य सरकार से विशेषज्ञों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करने और संशोधित कागजात प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।	प्रस्ताव को अभी विश्व बैंक को भेजा जाना है।	

[अनुवाद]

आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय

337. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कितने आवासीय विद्यालय आरंभ किये गये हैं; और

(ख) इनसे कितने छात्र लाभान्वित हो रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) महाराष्ट्र राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता तथा अन्य पिछड़े के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजनाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आवासीय योजनाओं का प्रावधान नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य में विगत दो वर्षों के दौरान आदिवासी छात्रों के लिए चार आवासीय योजनाएं हैं :

(1) अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए होस्टल।

(2) अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल।

(3) आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल।

(4) आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर।

(ख) (1) अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के होस्टलों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के होस्टलों के संबंध में सूचना राज्य सरकार से मंगाई जा रही है।

(2) शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत कुल 240 छात्र लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

विशेष आरक्षण कोटा

338. **श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवकों को शहरी क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा अवसर प्राप्त कराने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें विशेष आरक्षण कोटा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के पिछड़े जिलों विशेषकर तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में शिक्षित युवाओं को आरक्षण कोटा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : *(क) यह मंत्रालय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले और कक्षा 1X तक शिक्षित, देश के सभी शहरी गरीबों के लिए स्वःरोजगार* उद्यम स्थापित करके और सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन के ज़रिये मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के लिए भी केन्द्र प्रवर्तित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) का क्रियान्वयन कर रहा है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवकों के लिए विशेष आरक्षण कोटा मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विकलांगों को स्वैच्छिक सहायता

339. **श्री राजैया मल्याला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों से संबंधी सर्वेक्षण, अनुसंधान, शिक्षा, पुनर्वास तथा कानूनी सलाह के प्रोत्साहन संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को 1999–2000 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस तरह की सहायता के लिए आवेदन के निपटान हेतु सामान्यतः कितना समय लिया जाता है ?

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठन निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल सभी कार्यकलापों समेत उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। स्वैच्छिक संगठन उपर्युक्त अनेक कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान हेतु भी आवेदन करते रहे हैं।

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान उपर्युक्त कार्यकलापों सहित विकलांगताओं के क्षेत्र से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों के लिए 92.30 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान है।

(घ) स्वैच्छिक संगठनों से निधियों के लिए दो किस्तों में आवेदन करना अपेक्षित है। पहली किस्त दस्तावेजों मे प्रस्तुत करने पर निर्मुक्त की जाती है जबकि दूसरी किस्त इस योजना के अंतर्गत निर्धारित दस्तावेजों के साथ समुचित प्राधिकारियों से निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्मुक्त की जाती है।

इसी प्रकार, नए मामलों के लिए स्वैच्छिक संगठनों से उन समुचित प्राधिकारियों के माध्यम से आवेदन करना अपेक्षित है जो संगठन का निरीक्षण करते हैं और सहायता अनुदान की सिफारिश करते हैं। सब प्रकार से पूर्ण आवेदनों से प्राप्त होने के बाद मंत्रालय का प्रयास यथा संभव शीघ्र धनराशि निर्मुक्त करने का होता है।

विश्व विरासत स्थल

340. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विशेष योजनाओं के अधीन विकास हेतु प्रस्तावित विश्व विरासत स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1999–2000 के दौरान प्रत्येक स्थल हेतु कितनी राशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) कर्नाटक राज्य में दो विश्व विरासत स्थल हैं–(i) हम्पी में स्मारकों का समूह, तथा (ii) बगलकोट जिला में पट्टाडकल में स्मारकों का समूह।

(ख) स्मारकों के संरक्षण, पर्यावरणीय विकास तथा रासायनिक परिरक्षण के लिए वर्ष 1999–2000 के दौरान हम्पी में स्मारकों के लिए 24,70,000 रुपए तथा पट्टाडकल में स्मारकों के समूह के लिए 12,93,000 रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

[हिन्दी]

अस्पतालों में खराब पड़ी मशीनें

341. डॉ. बलिराम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जे. पी. अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के विभिन्न विभागों में लंबे समय से मशीनें खराब पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मशीनों की मरम्मत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न अस्पतालों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मशीनों के रख–रखाव के लिए खर्च की गई राशि क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास रख–रखाव के नाम पर सार्वजनिक कोष के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो सरकार का इस खर्च को किस प्रकार रोकने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में खराब पड़े उपकरणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसे उपकरणों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत जयप्रकाश अस्पताल में काम नहीं कर रहे उपकरणों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में विगत 3 वर्षों के दौरान उपकरणों के रख–रखाव पर हुए खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	सफदरजंग अस्पताल
1996–97	21.50	111.35
1997–98	26.00	42.98
1998–99	32.00	134.58

लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) से (छ) रख–रखाव के नाम पर सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग का कोई भी मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

विवरण

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में अप्रयुक्त पड़े उपकरणों/यंत्रों के बारे में सूचना

क्र. सं	उपकरण के नाम
1	2
राम मनोहर लोहिया अस्पताल :	
1.	कालर डाप्लर इको मशीन
2.	मिन्गो ग्राफ–7
3.	मेद्राद प्रेसर डाई इन्जेक्टर
4.	नोवा ब्लड गैस एनालाइजर
5.	32 चैनल डिजिटल ई सी जी मशीन और
	4 चैनल ई एम जी मशीन
सफदरजंग अस्पताल	
1	डेफिनीलेटर–सह–मानिटरलीहेमिपर
2.	1000 एम ए मशीन

1	2
3.	आरगान लेजर
4.	सीसमेक्स के–1000
5.	वेक्यूम स्टीम स्टेराइलाइजर
6.	टी एम टी मशीन

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए विशेष पैकेज

342. श्री बाजूबन रियान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इंदिरा महिला योजना, ग्रामीण महिलाओं का विकास और अधिकारिता परियोजना नाम से विशेष पैकेज कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितना आबंटन किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां रहीं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सरकार 1995 से 238 खण्डों में प्रायोगिक आधार पर इन्दिरा महिला योजना कार्यान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं की समग्र शक्ति–सम्पन्नता है। यह एक प्रायोगिक परियोजना है और इसके लिए एकमुश्त अनुदान दिया गया था, इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तथापि, वर्ष 1999–2000 के बजट प्राक्कलन में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इन्दिरा महिला योजना के अन्तर्गत पूरे देश में 40 हजार से भी अधिक महिला दल गठित किये गए हैं।

ग्रामीण महिला विकास तथा शक्ति–सम्पन्नता परियोजना वर्ष 1998–99 में बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में ग्रामीण महिलाओं के विकास तथा शक्ति सम्पन्नता के उद्देश्य से शुरू की गई। यह परियोजना संबंधित राज्यों के महिला विकास निगमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

इस परियोजना के अन्तर्गत, कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् महिला विकास निगमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार राशि प्रदान की जाती है और इसलिए राशि का कोई नियमित/वार्षिक आबंटन नहीं किया जाता। वर्ष 1998 में इन निगमों को निर्मुक्त राशि इस प्रकार है :

निगम का परियोजना राज्य	निर्मुक्त राशि (रु. में)
1	2
बिहार	97,05,000
गुजरात	1,17,53,000
हरियाणा	1,01,44,000
कर्नाटक	1,17,53,000
मध्य प्रदेश	1,11,68,000
उत्तर प्रदेश	2,03,60,000
कुल	7,48,83,000

वर्ष 1999–2000 के लिए इन निगमों को राशि निर्मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना राज्यों में महिला विकास निगमों ने अपेक्षित कर्मचारियों को नियुक्त किया है और उनमें से अधिकांश निगमों ने चयनित परियोजना क्षेत्रों में लक्षित महिलाओं के स्व–सहायता दलों के गठन हेतु उपयुक्त गैर–सरकारी संगठनों के साथ करार कर लिया है। इसके अलावा, इन निगमों ने कार्यशालाओं के आयोजन सहित प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक कार्य शुरू करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ करार कर लिया है/कर रहे हैं।

सफाई की बिगड़ती हुई समस्या

343. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चंडीगढ़ में सफाई की स्थिति और खराब हुई है और खुले मैदान में शौच करने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि चंडीगढ़ में सफाई की स्थिति गत तीन वर्षों के दौरान खराब नहीं रही। तथापि, सरकारी भूमि पर प्रवासी श्रमिकों के बड़े पैमाने पर अनधिकृत बसाव के कारण कुछेक खुले स्थानों पर शौच करने के बारे में पता चला है।

(ख) चंडीगढ़ नगर निगम को इस समस्या की जानकारी है, इसलिए गत तीन वर्षों के दौरान 24 सुलभ शौचालय बनाए गए हैं तथा 42 मोबाइल गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं। ये सुलभ शौचालय तथा मोबाइल गाड़ियां श्रमिक कालोनियों के पास रखी गई हैं ताकि खुले में शौच करने की समस्या को रोका जा सके। इससे पहले केवल 5 सुलभ शौचालय तथा 5 मोबाइल गाड़ियां थीं। 17 अतिरिक्त सुलभ शौचालय निर्माणाधीन हैं तथा इनके मार्च, 2000 तक चालू हो जाने की संभावना है।

मेगा-सिटी विकास योजना

344. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितनी मेगा–सिटी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रति वर्ष कुल कितनी सहायता प्रदान की है; और

(ग) सरकार ने चालू योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) मेगा सिटी स्कीम के तहत हैदराबाद में 92 परियोजानाएं चल रही हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा हैदराबाद शहर को केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

1996.97	11.71 करोड़ रुपए
1997.98	12.22 करोड़ रुपए
1998.99	13.90 करोड़ रुपए

(ग) केन्द्र सरकार का अंश (1990–2000 के लिए पहली किश्त) प्रदान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इतनी ही राशि का अंशदान किया जाएगा तथा सांस्थानिक वित्त नोडल एजेंसी अर्थात् आंध्र प्रदेश अरबन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेबलपमेंट कॉरपोरेशन (ए पी यू एफ आई डी सी) द्वारा जुटाया जाना है।

राज्य सरकार को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी ओर से आवश्यक वित्त की व्यवस्था करें तथा चल रही योजनाओं को स्वीकृति समिति की बैठकों, जिनमें केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि उपस्थित है, के दौरान शीघ्रता से पूरा कर लें।

[हिन्दी]

बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा

345. **श्री सुरेश चंदेल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने संबंधी कोई व्यापक योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के विचाराधीन एक योजना के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में कुछ सूचना भेजी थी।

[अनुवाद]

फाइलेरिया रोग के फैलने के संबंध में सर्वेक्षण

346. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने एलूरू, आंध्र प्रदेश में फाइलेरिया रोग के फैलने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या इन परिणामों से राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश के एलूरू नगर में फाइलेरिया की व्यापकता का आकलन करने के लिए दिसम्बर, 1997 में नमूना सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में अध्ययन किए गए लोगों में माइक्रोफाइलेरिया की दर 4.4 प्रतिशत और रोग दर 1.6 प्रतिशत पाई गई।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट और सिफारिशें राज्य सरकार को भेज दी गई हैं और यह सुझाव दिया गया है कि रोग का शुरू में ही पता लगाने के काम को बढावा देने, समुचित चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने और रोगाणु नियंत्रण के उपाय करने के लिए उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

युवा नीति

347. **श्री रामशकल** : क्या **संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई युवा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार युवा खिलाड़ियो के विकास के लिए कौन–कौन सी योजनाएं शुरू कर रही है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय युवा नीति वर्ष 1988 में संसद के समक्ष रखी गई थी जिसमें युवाओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के अतिरिक्त, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने तथा युवाओं को रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के योग्य बनाने की दृष्टि से, उपयुक्त व्यावसायिक तथा जीविका–संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

इस नीति में युवाओं में आत्मनिर्भरता, सही ढंग से कार्य करने और अनुशासन के गुणों का विकास करने और संविधान तथा देश की

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया गया है।

(ग) वर्तमान योजनाओं में युवा खिलाड़ियों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है।

[अनुवाद]

प्रसार भारती

348. श्री नरेश पुगलिया :

श्री सी. श्रीनिवासन :

डॉ. वी. सरोजा :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसार भारती एवं केबल टी. वी. कानूनों में व्यापक परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; तथा अब सरकार द्वारा वर्तमान कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रसार भारती अधिनियम तथा केबल टी. वी. कानूनों में सुधार लाए जाने के लिए कौन–कौन से उपाय किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) नीचे भाग 'ग' में दी गई स्थिति के अलावा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती की सेवाओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और व्यावसायिकता के संदर्भ में इसके कार्यकारण में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रसार भारती के कार्यकरण का अध्ययन करने और इसके संगठनात्मक ढांचे, कानूनी ढांचे, प्रणाली और अन्य संगत क्षेत्रों के बारे में उपयुक्त सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गयी है। जहां तक केबल टीवी कानूनों में सुधार का संबंध है, दूरदर्शन के स्थलीय संकेतों में हस्तक्षेप के बगैर प्राइम बैण्ड में कम-से-कम दो दूरदर्शन चैनलों को प्रसारित करने के लिए केबल प्रचालकों को निदेश देते हुए एक अधिसूचना जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित प्रसारण कानून के साथ–साथ केबल कानूनों की व्यावहारिकता एवं प्रभावोत्पादकता में सुधार करने के लिए केबल प्रचालक संघों सहित केबल/उपग्रह चैनल प्रचालकों के विचार जानने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

[हिन्दी]

दिल्ली के अस्पतालों में स्वच्छता की स्थिति

349. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में औषधियों की कमी है तथा वहां स्वच्छता की स्थिति असंतोषजनक है; और

(ख) सरकार द्वारा दिल्ली के अस्पतालों में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली के अस्पतालों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक है। फिर भी सफाई की स्थिति में और सुधार लाने के लिए सम्बन्धित अस्पतालों के प्राधिकारियों द्वारा निरंतर मानीटरिंग की जा रही है।

[अनुवाद]

एशियन विकास बैंक द्वारा राजस्थान शहरी विकास परियोजना की पुनरीक्षा

350. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त–पोषित राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) एशियन विकास बैंक द्वारा देश में वित्त पोषित की जा रही शहरी आधारभूत विकास परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक बोर्ड ने राजस्थान शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के लिए 3 दिसम्बर, 1998 को 250 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण मंजूर किया था। परियोजना का उद्देश्य शहरी प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाकर शहरी संरचनाओं में प्राथमिकता पूर्ण निवेश में मदद देकर नीतिगत सुधारों द्वारा शहरी राजस्थान में अधिकतम आर्थिक तथा समाजार्थिक विकास करना है। चूंकि यह ऋण अभी प्रभावी नहीं हुआ है अतः समीक्षा का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एशियाई विकास बैंक से धन प्राप्त शहरी अवस्थापना विकास परियोजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

1. कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास परियोजना

1. एशियाई विकास बैंक द्वारा उपर्युक्त परियोजना के लिए दिसंबर, 1995 में 105 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण मंजूर हुआ था। इसमें से 20 मिलियन अमेरिकी डालर आवास विकास वित्त निगम (एच डी एफ सी) के लिए तथा 85 मिलियन अमेरिकी डालर कर्नाटक सरकार के लिए थे। एच डी एफ सी के 20 मिलियन अमेरिकी डालर के हिस्से का पूरा उपयोग किया जा चुका है। कर्नाटक सरकार ने 85 मिलियन अमेरिकी डालर ऋण में से सितंबर, 1999 तक 16.262 मिलियन डालर का उपयोग कर लिया था।

2. आवास वित्त हेतु हडको को ऋण

एशियाई विकास बैंक ने हडको को भारतीय आवास वित्त परियोजना के लिए 1996–97 में 100 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण मंजूर किया था। हडको के साथ–साथ राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास विकास वित्त निगम को भी इसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जा रही है। हडको को 100 मिलियन अमेरिकी डालर के स्वीकृत ऋण में से 1998–99 में 50 मिलियन अमेरिकी डालर प्राप्त हुए तथा यह ऋण राज्य आवास बोर्डों व स्थानीय निकायों की वित्त योजनाओं, वर्कशेड एवं आवास योजनाओं, स्लम सुधार योजनाओं तथा सहकारी आवास योजनाओं के लिए है।

सरकारी कालोनियों में अनधिकृत निर्माण

351. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का अधिकांश कार्य ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ठेकेदार अपने मजदूरों/गोदामों के लिए सरकारी जमीन पर अनाधिकृत निर्माण कर रहे हैं, जिससे सरकारी कालोनियां झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में बदलती जा रही हैं; और

(घ) यदि हां तो ऐसी झुग्गियों/गोदामों को सरकारी जमीन से हटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न स्थलों पर अनेक निर्माण कार्य करने के लिए अपेक्षित कामगार संख्या के आलोक में स्थायी आधार पर कामगारों को रखना किफायती नहीं होगा।

(ग) और (घ) ठेकेदार काम पूरा होने तक ठेके की शर्तों के अनुसार अपने कामगारों के रहने और सामान रखने के लिए सरकारी भूमि पर झुग्गियां बना देते हैं ? काम पूरा होने के बाद ठेकेदारों से इन झुग्गियों को हटा देने की अपेक्षा की जाती है। किन्तु देखने में आया है कि कुछ ठेकेदार झुग्गियां नहीं हटाते हैं, इसलिए यह निदेश जारी किए गए हैं कि निर्माण कार्य के दौरान बनाई गई झुग्गियों को हटा नहीं दिया जाता तब तक ठेकेदार के अन्तिम बिल का भुगतान नहीं किया जाए। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी जहां कहीं पुरानी झुग्गियां मौजूद हैं, उन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

पेट्रो-रसायन परिसर

352. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में पर्यावरण के अनुकूल उच्च तकनीकी पेट्रो–रसायन परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या इस प्रकार का कोई परिसर मराठवाड़ा क्षेत्र विशेषकर पारभनी के पिछड़े जिला में स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) राज्य सरकार के सहयोग से, समेकित पोर्ट पर आधारित रासायनिक औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने की जरूरत का पता लगाया गया है। इस प्रकार के एस्टेटों के विकास या उनके स्थान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सिर पर मैला ढोने की प्रथा

353. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2000 के अंत तक सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में वांछित सफलता प्राप्त कर ली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना 9वीं पंचवर्षीय तक हाथ से मैला साफ करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए आरंभ की है।

(ग) 127364 सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 290308 सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित किया जा चुका है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठन

354. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक राज्य में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की स्थान–वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे संगठनों को सरकार और निजी अभिकरणों द्वारा क्या ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या इन संगठनों के कार्यकरण के बारे में सरकार द्वारा कोई समीक्षा कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) विवरण–I के रूप में एक सूची संलग्न है।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के ब्यौरे विवरण–II के रूप में संलग्न हैं। निजी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के संबंध में सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) मंत्रालय प्रत्येक वर्ष समुचित प्राधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट सिफारिश के आधार पर संगठन को सहायता अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए संगठनों से उपयोग प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि जैसे विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण-I

स्थान/जिले का नाम	गैर सरकारी संगठनों की सं.
1	2
बंगलौर	47
बेलगांव	4
चित्रा दुर्गा	6
देवानगरे	5
धारवार	6
कोलार	10
बीजापुर	3
हावेरी	1
बिदर	8
गुलबर्गा	4
हरिहर	2
हसन	3
रायचूर	2
मैसूर	6
बेल्लारी	1
सिरसी	1
हुबली	1
मंगलौर	3
मांदया	1
सिमोगा	1

विवरण-II

(रु. लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए योजना	216.40	204.42	261.23
2.	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	1.74	15.00	34.33

1	2	3	4	5
3.	शराबखोरी और नशीली दवा दुरुपयोग की योजना	23.74	31.30	41.21
4.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	22.70	15.94	17.07
5.	बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	11.78	7.19	6.21
6.	अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।	134.81	167.80	209.92
7.	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			3.40
8.	पशुओं के लिए आश्रय		24.27	
9.	कष्ट में पड़े पशुओं के लिए एम्बूलैंस सेवा		7.69	12.50
10.	आवारा कुत्तों का जन्म नियंत्रण तथा प्रतिरक्षण		3.36	

मध्यम और छोटे नगरों हेतु ई. ई. सी. निधि

355. **श्री पी. सी. थामसः** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने विभिन्न मध्यम और छोटे नगरों में बाजारों, कृषि केन्द्रों और अन्य कार्यकलापों के लिए धन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुवत्तुपुज्जा केरल में ऐसा बाजार स्थापित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना हेतु केन्द्र सरकार की यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा मंजूर की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या उस परियोजना के अंतर्गत छोटे और मध्यम नगरों के एकीकृत विकास हेतु कोई ऋण दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ईईसी) ने केरल में कृषि बाजारों के विकास के लिए एक परियोजना को धन दिया है। परियोजना के तहत निम्नलिखित स्थानों पर 6 कृषि थोक बाजारों का निर्माण किया जा रहा है।

शहरी थोक बाजार

1. अनायारा, तिरुअनन्तपुरम
2. मराड़ु, इरनाकुलम
3. वेन्गेरी, कालीकट

ग्रामीण थोक बाजार

1. नेडुमानगड, तिरुअनन्तपुरम
2. मुवत्तुपुझा, इरनाकुलम
3. सुल्थान बदेरी, वायनाड

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त परियोजना की कुल लागत 71.50 करोड़ रुपए है। जिसमें से 32.38 करोड़ रुपए ई.ई.सी का अंश है जो पहले ही भारत सरकार को दे दिया गया है। राज्य का अंश 39.12 करोड़ रुपए है।

(ड.) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनधिकृत कालोनियों का नियमित किया जाना

356. **श्री पी. एस. गढ़वी :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों, दुकानों/व्यापारिक केन्द्रों को नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में जल आपूर्ति और सिवरेज सिस्टम अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से पहले दिल्ली के निवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने का है; और

(ड.) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं. 4771/93 में अपने दिनांक 13.10.1993 के आदेश द्वारा सरकार को आगे आदेश होने तक दिल्ली में अनधिकृत कालोनी को नियमित करने से रोक दिया है। मामला अभी भी न्यायाधीन है।

(ग) से (ड.) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि मौजूदा 750 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एम. जी. डी) की मांग के बदले करीब 600 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एम. जी. डी) पानी की आपूर्ति का जा रही है। जहां तक मल जल का संबंध है करीब 480 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एम. जी. डी) मलजल पैदा हो रहा है जबकि दिल्ली जल बोर्ड की शोधन क्षमता 334 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एम. जी. डी) है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 15 नए मलजल शोधन संयत्र तैयार होने के विभिन्न चरणों में हैं और तैयार होने पर शोधन क्षमता बढ़कर 497.4 (एम. जी. डी) हो जाएगी। महरौली में 5 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एम. जी. डी) के मलजल शोधन संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव भी है जिससे 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मलजल शोधन संयंत्र की क्षमता और बढ़कर 502.4 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एम. जी डी.) हो जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

357. डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) अब तक कितने भू-क्षेत्र को उपयोग में लाया गया है;

(ग) अप्राधिकृत रूप से कितनी डी. डी. ए. भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा अवैध कब्जों के जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड.) सरकार द्वारा अवैध कब्जे से भूमि को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली सरकार ने अधिग्रहण के बाद करीब 61900 एकड़ नजूल भूमि डी. डी. ए. को सौंपी है।

(ख) 60450 एकड़।

(ग) करीब 1450 एकड़।

(घ) और (ड.) भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए डी. डी. ए. ने 6 जोन बनाए हैं, जिनमें प्रत्येक का प्रमुख संयुक्त निदेशक/उप निदेशक स्तर पर एक अधिकारी होगा। प्रत्येक जोनल अधिकारी सहायक कर्मचारियों की मदद से अपने चार्ज में आने वाली भूमि का प्रबंध करेगा। जोनल अधिकारी, अतिक्रमणों/अनधिकृत को रोकने के लिए पुलिस की सहायता से नियमित रूप में इन्हें गिराते रहते हैं। हर सप्ताह के अंत में/अवकाश में विकास सदन में डिमोलिशन स्क्वाड सहित एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यदि कोई अधिकारी अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण की सूचना देने में लापरवाह पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

तकनीकी शिक्षा

358. श्री राजो सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तकनीकी शिक्षा के प्रसार और उसके स्तर को सुधारने के लिये कोई व्यापक योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार और अन्य राज्य सरकारों से तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पुनर्गठन और उसको सुदृढ़ बनाने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अपने विभिन्न अध्ययन बोर्डों तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन् बोर्ड के माध्यम से तकनीकी शिक्षा का योजनापूर्ण तथा समन्वित ढंग से सतत विकास सुनिश्चित करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तत्पश्चात विनियम अधिसूचित किए हैं जिसका लक्ष्य देश में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार लाना है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों की संघटक इकाइयां हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छात्रावास

359. श्री अशोक प्रधान : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रत्येक जिले में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में लड़कों के लिए छात्रावास निर्माण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यवार और क्षेत्रवार कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया है;

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्षों में क्षेत्रवार ऐसे कितने छात्रावासों के निर्माण के प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय फार्मेसी संस्थान

360. श्री भीम दाहाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे क्षेत्रीय फार्मेसी संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों के कोटे में से राज्यों से राज्यवार कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया;

(ग) क्या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रत्येक राज्य की आनुपातिक भागीदारी कुछ वर्षों से लांबित है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय क्षेत्रीय फार्मेसी संस्थान, अगरतला (त्रिपुरा) उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान कर रहा है।

(ख) डिप्लोमा स्तर में दाखिला क्षमता 60 और डिग्री स्तर पर 30 है।

वर्ष 1998-99 सत्र के दौरान राज्यवार दाखिले इस प्रकार हैं :

डिप्लोमा	त्रिपुरा	–	24
	मणिपुर	–	15

नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों ने पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया और मिजोरम ने पूर्व-सूचना देकर सीट छोड़ दी थी।

डिग्री :	त्रिपुरा	–	7
	मणिपुर	–	3
	अरुणाचल प्रदेश	–	3
	मेघालय	–	2
	असम	–	2

(ग) से (ड.) वर्ष 1998-99 के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लम्बित यथा-अनुपात अंशदान इस प्रकार है :

अरुणाचल प्रदेश	52,500 रुपए
मिजोरम	35,000 रुपए
मणिपुर	13, 47,000 रुपए
नागालैंड	1,75,000 रुपए

उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा वर्ष 1998-99 का तुरंत भुगतान करने के लिए मामले पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा रही है।

समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं

361. बसुदेव आचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कुल कितनी आई. सी. डी. एस. (समेकित बाल विकास सेवा) परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं से वांछित परिणाम हासिल हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 4200 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं। इनकी राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) अध्ययनों से पता चला है कि समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पोषाहार तथा स्वास्थ्य स्तर और स्कूलों में नामांकन जैसे सामाजिक संसूचक गैर-आई. सी. डी. एस. क्षेत्रों की तुलना में बेहतर हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संचालित आई सी. डी. एस. परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संचालित आई.सी.डी.एस परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	209
2	अरुणाचल प्रदेश	45
3.	असम	107
4.	बिहार	323
5.	गोवा	11
6.	गुजरात	203
7.	हरियाणा	114
8.	हिमाचल प्रदेश	72

1	2	3
9.	जम्मू व कश्मीर	113
10.	कर्नाटक	185
11.	केरल	120
12.	मध्य प्रदेश	355
13.	महाराष्ट्र	271
14.	मणिपुर	32
15.	मेघालय	30
16.	मिजोरम	21
17.	नागालैण्ड	41
18.	उड़ीसा	279
19.	पंजाब	110
20.	राजस्थान	191
21.	सिक्किम	5
22.	तमिलनाडु	432
23.	त्रिपुरा	31
24.	उत्तर प्रदेश	560
25.	पं. बंगाल	294
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5
27.	चंडीगढ़	3
28.	दिल्ली	29
29.	दादरा व नगर हवेली	1
30.	दमन एवं दीव	2
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पाण्डिचेरी	5
	योग	4200

सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा पर व्यय

362. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा पर व्यय संबंधी विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम छः प्रतिशत खर्च किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो समिति ने कौन–कौन सी अन्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) इस विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीन लक्ष्य हासिल करने, अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने संबंधी उपायों पर सुझाव देने तथा केन्द्र और राज्यों के बीच उचित अंशदान की व्यवस्थाओं का निर्धारण करने की दिशा में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करने के लिए जून, 1997 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। प्रो. तापस मजुमदार की अध्यक्षता में इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस दल के प्रमुख निष्कर्ष एवं सिफारिशें निम्नवत हैं :

(i) प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीन लक्ष्य हासिल करने के लिए दस वर्ष की अवधि में अनुमानित 1,36,822 करोड़ रु. की अतिरिक्त आवश्यकता।

(ii) इस अवधि के अन्तर्गत वास्तविक स्थिति में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर मानकर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के सरकारी आबंटन में वृद्धि करना।

(iii) कर–राजस्वों में वृद्धि, गैर कर राजस्वों में बढ़ोत्तरी तथा शिक्षा के सरकारी व्यय की पुनः संरचना के जरिए प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीन लक्ष्य हासिल करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करना।

राज्य सरकारों से परामर्श करके इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

केसरगाडे, केरल में दूरदर्शन/एफ. एम. रेडियो का उच्च शक्ति वाला प्रसारण केन्द्र

363. श्री टी. गोविन्दन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केसरगाडे केरल में दूरदर्शन और एफ. एम. रेडियो का एक उच्च शक्ति वाला प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) कसारगोड़ में एक उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर और एक एफ. एम. रेडियो केन्द्र की स्थापना करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, इनकी स्थापना करने के लिए वर्तमान में कोई स्कीम नहीं है।

स्कूली बच्चों के लिये बीमा योजना

364. **श्री उत्तमराव ढिकले : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पब्लिक और सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रयोगशाला में तैयार किए गए 'ट्रांसजेनिक' चूहे के आयात में विलंब

365. **श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान द्वारा 'एड्स' रोग हेतु एक प्रभावी टीका तैयार करने की दृष्टि से इसके रोग जीवाणु को समझने तथा इसकी प्रतिक्रिया सबंधी महत्त्वपूर्ण अनुसंधान कार्य प्रयोगशाला में तैयार किए गए 'ट्रांसजेनिक' चूहे के आयात में विलंब किए जाने के कारण नौ महीने से अधिक समय से ठप्प पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो विलंब में कितनी क्षति हुई है तथा आयात की अनुमति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं तथा वास्तव में कितने चूहों का आयात किया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों के लिए उपयुक्त नैदानिकी, टीकों तथा जैविक् अभिकर्मकों के विकास हेतु मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान–कार्यक्रम चला रहा है। इसके लिए संस्थान रोगाणुरहित और आनुवंशिकतः निरूपित एवं प्रयोगशाला में प्रजनित प्रायोगिक पशुओं का आयात करता है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सामाजिक न्याय तथा अधिकार मंत्रालय के अन्तर्गत पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण एवं निगरानी के प्रयोजन संबंधी समिति (सी पी सी एस ई ए) की अनुमति प्राप्त करनी होती है। प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर संस्थान ने आनुवंशिकतः निरूपित एवं प्रयोगशाला में प्रजनित प्रायोगिक चूहों का आयात करने के लिए सी पी सी एस ई ए की अनुमति प्राप्त कर ली है।

डॉ. अम्बेडकर स्मारक का शिलान्यास

366. **श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 10 करोड़ रुपया डॉ. अम्बेडकर स्मारक के शिलान्यास हेतु 26–अलीपुर, दिल्ली के अधिग्रहण के लिए डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा दिल्ली सरकार को वास्तव में कितनी राशि दी गई; और

(ग) 26–अलीपुर रोड, दिल्ली के अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमति मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने राष्ट्रीय राजधानी खेत्र दिल्ली सरकार को 7.12 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की है।

(ग) यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ परामर्श से अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एल. पी. टी.

367. **श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के हरूर तालुक में सिट्टेरी हिल्स में और निम्न शक्ति के प्रसारण केन्द्र शुरू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) हालांकि वर्तमान में ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में भिन्न–भिन्न क्षमताओं के 265 टी. वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं तथापि, वर्तमान में, तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के हरूर तालुक में सिट्टेरी हिल्स पर टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रुग्ण उर्वरक संयंत्र

368. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सिन्दरी और बरौनी स्थित उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनके पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) इनका कब तक पुनरुद्धार किए जाने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) सिन्दरी एकक सहित फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआई) तथा बरौनी एकक सहित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) के सम्बन्ध में एककवार तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित संशोधित विस्तृत पुनरुद्धार प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किये जाने हैं। ये कंपनियां बीआईएफआर को विनिर्दिष्ट हैं, इसलिए अगली कार्रवाई सरकार के निर्णय तथा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार बीआईएफआर की अंतिम मंजूरी के पश्चात की जायेगी।

[अनुवाद]

मास्को में केन्द्रीय विद्यालय

369. श्री राजैया मल्याला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मास्को स्थिति केन्द्रीय विद्यालय में वर्तमान स्टाफ और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन इस विद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करता है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) इस समय केन्द्रीय विद्यालय, मॉस्को में स्टाफ की कुल क्षमता 33 है जिनमें 8 अंशकालिक कर्मचारी शामिल हैं और विद्यालय में नामांकित कुल छात्रों की संख्या 213 है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय, मॉस्को एक स्व–वित्त पोषित विद्यालय है तथा सामान्यतया संगठन इसे कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। तथापि, 1997–98 के दौरान, केन्द्रीय विद्यालय, मॉस्को को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अवसंरचना हेतु 5 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई थी।

इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान को बाल-चिकित्सा परिचर्या के लिए अनुदान सहायता

370. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998–99 के दौरान बाल चिकित्सा परिचर्या के लिए इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान बंगलौर नामक एक स्वास्थ्य संस्थान को वार्षिक अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त संस्थान को वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के लिए अनुदान देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1998–99 के दौरान इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान, बंगलौर को 125 लाख रु. की सहायता अनुदान रिलीज की है। वर्ष 1999–2000 के दौरान राज्य योजना के अंतर्गत 80 लाख रु. का बजटीय प्रावधान उपलब्ध है। सहायता अनुदान रिलीज करने के लिए इस संस्थान का कोई भी अनुरोध भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

स्कूलों में योग शिक्षा आरम्भ करना

371. डॉ. बलिराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्कूलों अथवा अन्य माध्यमों पर योग शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिनन राज्यों के शिक्षण संस्थानों में योग प्रशिक्षण देने हेतु मंजूरी देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे और पाठ्यक्रम दिशा-निर्देशों में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्कूल पाठ्यचर्या में योग को शामिल करने का प्रावधान है।

(ख) और (ग) सरकार स्कूलों में योग को बढ़ावा देने के लिए 1989–90 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है। योग में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सहायता देने के उद्देश्य से इस योजना को हाल ही में संशोधित किया गया है। अखिल भारतीय चरित्र के योग संस्थानों को रखरखाव, अनुसंधान तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देव नगर सरकारी कालोनी

3720. श्री सुरेश चन्देल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देव नगर, करोल बाग में सरकारी आवास आबंटन बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सभी आवास खाली कर दिए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो यह कब तक खाली कर दिए जाएंगे;

(ड.) क्या कालोनी के बाकी निवासियों के लिए वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार ने इस सम्बंध में क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) देव नगर, करोल बाग क्षेत्र का पुनर्विकास करने के लिए तथा भूमि के रिक्त पाकेटों का उपयोग सामान्य पूल आवास के क्वार्टरों का निर्माण करने हेतु एक योजना है। वहां 453 टाईप-सी क्वार्टर थे (जो टाइप 'ई' क्वार्टरों के नाम से जाने जाते हैं)। अब ये क्वार्टर वैकल्पिक आवास दिए जाने के पश्चात खाली कराए जा चुके हैं। खाली क्वार्टर व भूमि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की देख-रेख/रख-रखाव में हैं।

(ग) और (घ) 7 क्वार्टर जो दिल्ली नगर निगम तथा केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी के पास हैं, को छोड़कर सभी क्वार्टर अब तक खाली कराए जा चुके हैं। इन क्वार्टरों को भी खाली कराने की कोशिश की जा रही है।

(ड.) से (छ) चूंकि पुनर्विकास योजना के अर्न्तगत इस क्षेत्र में कोई रिहाइश नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया है इसलिए इस क्षेत्र में अधिक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी

373. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(ख) क्या कुष्ट रोग के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से निपटने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) मार्च 1999 के विभिन्न राज्यों में कुष्ठ से पीड़ित रोगियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) जी हां, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही "कुष्ठ से ठीक हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना" अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी मलिन बस्ती वाले दोनों क्षेत्रों के गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कुष्ठ के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करती है। इस योजना में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं :

(1) चिकित्सा, शैक्षणिक और परामर्श संबंधी सहायता के संदर्भ में शुरू में ही उपचार संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(2) उन स्थानों, जहां पर क्षेत्रीय कर्मचारी घर पर ही पुनर्वास सेवाएं और परामर्शी निवेश प्रदान करते हैं, पर पहुंच-वाह्य (आउटरीच) सामुदायिक आधारित कार्यक्रम कार्यान्वित करना।

(3) कुष्ठ से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार सेवाएं और घर की व्यवस्था के पहलुओं को कवर करते हुए व्यापक पुनर्वास के लिए कार्यक्रम लागू करना।

इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में आयोजित राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेषतौर से संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियानों के दौरान सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी कार्यकलाप और गहन जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

विवरण

रिकार्ड के अनुसार मार्च, 1999 को रोगी

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	मास के अन्त में दर्ज रोगी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	35052
2	अरुणाचल प्रदेश	440
3.	असम	5227
4.	बिहार	162848
5.	गोवा	533
6.	गुजरात	7473
7.	हरियाणा	1021
8.	हिमाचल प्रदेश	625
9.	जम्मू व कश्मीर	1403
10.	कर्नाटक	12639
11.	केरल	4208
12.	मध्य प्रदेश	34385
13.	महाराष्ट्र	30977
14.	मणिपुर	522
15.	मेघालय	492
16.	मिजोरम	106

1	2	3
17.	नागालैण्ड	61
18.	उड़ीसा	34452
19.	पंजाब	1752
20.	राजस्थान	9863
21.	सिक्किम	110
22.	तमिलनाडु	32713
23.	त्रिपुरा	579
24.	उत्तर प्रदेश	75992
25.	पश्चिम बंगाल	52012
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	89
27.	चंडीगढ़	582
28.	दादरा और नगर हवेली	258
29.	दमन एवं दीव	46
30.	दिल्ली	2352
31.	लक्षद्वीप	12
32.	पाण्डिचेरी	284
	योग	509108

[हिन्दी]

फिल्मों का प्रमाणन

374. श्री रामशकल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी फिल्मों को मंजूरी दी;

(ख) क्या इनमें से कुछ फिल्में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान प्रमाणित भारतीय एवं विदेशी फिल्मों (फीचर फिल्मों, लघु फिल्मों तथा अन्य फिल्मों) की संख्या नीचे दी गई है :

	1996	1997	1998
थियेटर में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्में (35 मि. मी. आदि)	1974	2064	2177
वीडियो फिल्में	1263	1295	1029
जोड़	3237	3359	3206

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणन प्रक्रिया की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले गानों और फिल्मों के ट्रेलरों की जांच करना;

(2) प्रमाणन प्रक्रिया में और अधिक लैंगिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से जांच और पुनरीक्षा समितियों के सदस्यों में से 50 % महिला सदस्यों को रखने का प्रावधान करना;

(3) बारंबार उल्लंघन किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अर्थ–निर्णय के बारे में बोर्ड द्वारा विशिष्ट स्पष्टीकरण जारी करना; और

(4) किसी फिल्म को प्रदान किए गए प्रमाण–पत्र में जांच/पुनरीक्षा समिति तथा फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के उन सदस्यों के नाम प्रदर्शित करना जिनकी सिफारिश पर संबंधित फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु स्वीकृत किया जाता है, ताकि इस विषय में और अधिक जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा सके।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण

375. श्री नरेश पुगलिया :
श्री अधीर चौधरी :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण ने पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधियों/दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में वृद्धि प्रतिशत दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महत्त्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य में लगातार वृद्धि से गरीब लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो औषधियों/दवाइयों के मूल्यों में लगातार वृद्धि से गरीब लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ड.) यदि हां, तो औषधियों/दवाइयों के मूल्यों में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(च) दवाइयों के मूल्यों में बारंबार होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ड.) गत वर्षों के दौरान राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) ने डी पी सी ओ, 95 के अन्तर्गत 897 अनुसूचित सूत्रयोग पैकों की कीमतें निर्धारित/संशोधित की हैं। उक्त 897 सूत्रयोग पैकों में 378 पैकों की कीमतें बढ़ाई गई थी, 372 पैकों की कीमतें कम की गई थी, 31 पैकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और 116 पैकों की कीमतें पहली बार निर्धारित की गई थी। 378 पैकों के सम्बन्ध में प्रतिशत वृद्धि निम्न प्रकार है :

प्रतिशत वृद्धि	पैकों की संख्या
0 से 25	327
25 से 50	46
50 से ऊपर	5
कुल	378

डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार मूल्यवृद्धि अनुमत्य है। दवाइयों की कीमतें औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में दिए गए तंत्र के माध्यम से विनियमित की जाती हैं।

इंटरनेट प्रौद्योगिकी का प्रयोग

376. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इंटरनेट प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए गरीबी समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रोफेशनल के साथ सहयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में गरीबी मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1999–2000 के दौरान किस सीमा तक मदद और सहायता प्रदान की है ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) कार्यालय से पता चला है कि भारत में उनके सहायता कार्यक्रम में दक्षिण भारत में परंपरागत चमड़ा क्षेत्र को मजबूत बनाकर उस क्षेत्र के 4000 गरीब भारतीय कारीगर परिवारों की मदद की पहल भी शामिल है। यू. एन. डी. पी. गरीबी उन्मूलन तथा महिलाओं के उत्थान के लिए स्थानीय मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से एक समुदाय–नीत व स्वामित्व का आदर्श प्रस्तुत करने में मदद कर रहा है।

यू. एन. डी. पी. के सहयोग के दक्षिण एशियाई गरीबी उपशमन नामक एक अन्य कार्यक्रम है, जिससे आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में व गरीबों व उपेक्षित वर्गों विशेषतया महिलाओं को, सामाजिक गतिशीलता कौशल विकास तथा पूंजी सृजन के जरिए शक्तिशाली बनाने में मदद मिली है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एशिया पैसिफिक डवलपमैंट इंफोरमेशन प्रोग्राम तथा सिस्को सिस्टम्स के हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) तथा फिरोजपुर (पंजाब) में दो लोकल नैटवर्किंग एकेडमी स्थापित करने के लिए पहले ही सहयोग कर लिया है।

(ग) और (घ) जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से पता चला है भारत सरकार/यू. एन. डी. पी. सी. सी. एफ–1 (कामन कंट्री फ्रेमवर्क) के अंतर्गत कार्यक्रमों तथा उन्हें दी गई सहायता के ब्यौरे वर्ष 1999–2000 के नहीं हैं बल्कि 1997–2001 तक की अवधि के हैं, जो इस प्रकार है :

	कार्यक्रम	कुल नियतन (मिलियन डालर)
1	2	3
1.	टैक्नोलोजी मैनेजमैंट प्रोग्राम स्पोर्ट	8.725
2.	कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी एडूकेशन	8.700
3.	कम्युनिटी बेस्ड प्रो–पूअर इनीसिएटिव्स	11.107
4.	एनवारयमैंट प्रोग्राम सपोर्ट	8.004
5.	प्रोग्राम सपोर्ट फार फूड सिक्योरिटी	10.166
6.	लैदर	9.850

1	2	3
7.	रूरल एनर्जीप्रोग्राम सपोर्ट	3.200
8.	फाइबर्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स	6.940
9.	स्माल स्केल इंडस्ट्रीज	3.376
10.	सैंड ड्यून प्रोजैक्ट्स	3.224
11.	कैपेसिटी बिल्डिंग इन पब्लिक	9.250
12.	इकानोमिक रिफोर्म्स प्रोग्राम रिपोर्ट	1.840
13.	हैल्थ प्रोग्राम सपोर्ट	4.500

उपर्युक्त सी. सी एफ.–I कार्यक्रमों के अलावा, 39.085 मिलियन डालर के पिछले बजट की चालू परियोजनाएं भी हैं। नवंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार, 56.978 मिलियन डालर की वचनबद्धता थी। अगले वर्ष तक 31.504 मिलियन डालर का वचन मिलने की संभावना है।

सफदरजंग अस्पताल में मशीनों का काम नहीं करना

377. श्री सुरेश रामराव जाधव :

श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में बहुत सारी मशीनें खराब पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मशीनों का ब्यौरा क्या है और उन मशीनों के खराब होने क्या कारण हैं;

(ग) ये मशीनें कब से प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं; और

(घ) सरकार ने सफदरजंग अस्पताल में पड़ी उन मशीनों के मरम्मत कराने के लिए और वहां कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) अस्थाई रूप से खराब पड़ी मशीनों की संख्या इस प्रकार है :

विभाग का नाम	मशीनों की सं.
संवेदन हरण विज्ञान	एक
विकिरण विज्ञान	एक
नेत्र मेडिसिन	एक
सी. एस. एस. डी.	एक
हृदय रोग (कार्डियोलोजी)	एक

(ख) से (घ) अतिरिक्त पुर्जों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नवम्बर 1999 में कार्य न कर रहे उपस्करों की सूची

क्र. सं.	उपस्कर का नाम	जब से कार्य नहीं कर रहे हैं।
1.	डेफिब्रिलेटर–कम मानीटर–लोहिमीयर	1/99
2.	1000 एम ए एक्स–रे मशीन	11/96
3.	आरगॉन लेजर	5/94
4.	सिस्मेक्स के–1000	9/97
5.	वेक्यूम स्टीम स्टेरिलाइजर	8/96
6.	टी एम टी मशीन	1996

महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के लिए सहायता

378. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गयी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी महिलायें लाभान्वित हुईं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) तथा महिला आर्थिक कार्यक्रम (नोराड) नामक दो स्कीमों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। इन स्कीमों के अन्तर्गत राशि का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी महिलाओं की राज्य–वार तथा वर्ष–वार संख्या

क्र. संख्या	राज्य का नाम	लाभार्थियों की वर्ष–वार संख्या		
		1996–97	1997–98	1998–99
1.	आन्ध्र प्रदेश	28420	7575	2420
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	50	—
3.	असम	—	—	1920
4.	बिहार	1240	270	8905
5.	चण्डीगढ़	—	—	60
6.	दिल्ली	1560	1560	19970*
7.	गोवा	60	—	—
8.	गुजरात	530	580	2300
9.	हरियाणा	855	13990	590
10.	हिमाचल प्रदेश	—	1045	2500
11.	जम्मू व कश्मीर	630	530	1975
12.	केरल	2030	850	1000
13.	कर्नाटक	47910	10400	290
14.	महाराष्ट्र	230	10775	10865
15.	मध्य प्रदेश	1660	1020	190
16.	मणिपुर	1920	1360	1525
17.	मेघालय	115	—	—
18.	उड़ीसा	410	330	4280
19.	पंजाब	2870	1720	1480
20.	राजस्थान	580	290	400
21.	तमिलनाडु	2175	440	560
22.	त्रिपुरा	—	2500	4200
23.	उत्तर प्रदेश	11120	24015	27340
24.	प. बंगाल	130	11695	450

*इसमें राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के लाभार्थी भी शामिल हैं, जिन्हें नई दिल्ली में राशि स्वीकृत की जाती है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषाएं

379. श्री एस. बी. एन. आर. वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृत को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए और इस हेतु प्रत्येक राज्य और विशेषकर केन्द्रीय क्षेत्रीय भाषा संस्थान, मैसूर को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) इस हेतु नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए कौन सी योजना तैयार की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय सिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार, क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृत की प्रोन्मति के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सरकार विभिम्न संगठनों जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, आदर्श महाविद्यालय/शोध संस्थानों, महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान आदि के माध्यम से संस्कृत को प्रोन्नत करती है। सभी योजनाएं चालू पंचवर्षीय योजना में भी जारी हैं। क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृत की प्रभावशाली प्रोननयन के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और इसके क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों सहित कई संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। योजमाओं में अन्य बातों के साथ–साथ, वैयक्तिक, स्वैच्छिक संगठनों और राज्यों को पुस्तकों की खरीद, प्रकाशन, शोध, प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संस्कृत सहित सभी भाषाओं के विकास के लिए 68.45 करोड़ रु. का वित्तीय परिव्यय था। नौंवी पंचवर्षीय योजमा के लिए यह 258.95 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की परियोजनाएं

380. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई सभी परियोजनाओं की पुनरीक्षा करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की उसकी स्थापना के समय से उसके उद्देश्यों के संबंध में प्रगति एवं कार्य की समीक्षा के लिए श्री ए. के. रे. की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की है। यह समीक्षा

मात्रात्मक एवं गुणात्मक, दोनों प्रकार की होगी।

सी. बी. एस. ई. परीक्षाओं में अंकों का पुनर्मूल्यांकन

381. **श्री पी. सी. थामस :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. बी. एस. ई. द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षाओं में मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और अंकतालिका तैयार करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा, 1999 के परिणामों की घोषणा के बाद अंकों की जांच के लिए प्राप्त आवेदनों और इस संबंध में बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

अंकों की जांच के लिए प्राप्त आवेदनों की सं.	जांच में शामिल उत्तर पुस्तिकाओं की सं.	ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं की सं. जिनमें विसंगति पाई गई
कक्षा X–24411	36749	1025
कक्षा XII–29302	47877	1097

उत्तर पुस्तिकाओं और अंकों की जांच के बाद आवेदकों को परिणामों की सूचना दे दी गई।

सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

382. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) हैदराबाद में इन कर्मचारियों के लिए रेफरल अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार की आवासीय कालोनियों के पास के कुछ अस्पतालों को रेफरल अस्पतालों में शामिल करने के लिए जांच/सर्वेक्षण किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) रेफरल अस्पतालों की सूची में और अधिक अस्पतालों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हैदराबाद में 24 रेफरल अस्पताल हैं। जिनमें 7 सुपर स्पेशियलिटीज, 12 नर्सिंग होम और 5 निदान केन्द्र हैं। ये अस्पताल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक दूरी पर स्थित हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) ऊपर (ग) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार के लिए आवास योजनाएं

383. **श्री राजो सिंह :** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कोई आवास योजना स्वीकृति और वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो योजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं की योजनावार स्थिति क्या है ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ग) शहरी आवास के लिए प्रत्यक्ष ऋण/सब्सिडी सहायता मुहैया करने के लिए कोई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम नहीं है और बिहार सरकार ने शहरी आवास को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार को कोई स्कीम नहीं भेजी है। तथापि, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने बिहार राज्य में 30.10.1999 तक 30 नगरों/कस्बों में फैली 210 आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 387.58 करोड़ रु. की परियोजना लागत में से हडको ने इन परियोजनाओं के लिए 248.15 करोड़ रुपये के ऋण के वचन दिए हैं।

बिहार में आवासीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए वर्ष 1999–2000 के लिए 64.26 करोड़ रुपए के नियतन में से चालू वर्ष में 31.10.99 तक हडको ने 3.16 करोड रुपए की 4 स्वीकृत परियोजनाओं में 1.86 करोड़ रुपए के ऋण को स्वीकृत किया है। 72.24 लाख रुपए के हडको से ऋण मांगने वाली 2 आवास परियोजनाओं को हडको को भेजा गया है और ये विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

वक्फ बोर्ड

384. श्री अशोक प्रधान : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को वक्फ बोर्ड के प्रावधानों के तहत कोई अधिसूचना जारी करने हेतु कोई निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12.7.1996 के आदेश में निर्देश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संघ राज्य के उप राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार 1995 के वक्फ अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने तथा राज्य सरकार के कार्यों को निभाने के लिए शक्ति प्रदान करते हुए अधिसूचना जारी करेगी।

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा का. आ. सं. 573 (ई) दिनांक 19.8.1996 के तहत संबंधित अधिसूचना 19.8.1996 को जारी की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन/आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना

385. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों को निष्पक्ष बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) दूरदर्शन और आकाशवाणी 23 नवम्बर, 1997 से प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के कानूनी पैरामीटरों के अन्तर्गत प्रसार भारती के अधीन काम कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक इकाइयां बन्द करना

386. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी उर्वरक इकाइयां बन्द की गईं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या बंद की गई और रुग्ण उर्वरक इकाइयों को दोबारा चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ख) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के निम्नलिखित संयंत्रों का उत्पादन सुरक्षा/फीडस्टाक बाध्यताओं अथवा अव्यवहार्यता के कारण बन्द करना पड़ा :

1. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के गोरखपुर रामागुण्डम और तलचर स्थित अमोनिया–यूरिया इकाइयां।
2. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. के दुर्गापुर, बरौनी और नामरूप I और II स्थित अमोनिया–यूरिया इकाइयां।
3. पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि. के देहरादून (मसूरी फास), अमझौर और सलादीपुरा (एसएसपी) इकाइयां।
4. ट्राम्बे स्थित राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. का यूरिया–I इकाई।

(ग) एफसीआई की गोरखपुर इकाई का पुनरुद्धार तकनीकी–आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। प्रक्रिया जारी है ताकि कृभको मौजूदा स्थल पर एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित कर सके।

एफसीआई के रामागुण्डम और तालचर इकाइयों तथा एचएफसी के दुर्गापुर और बरौनी इकाइयों हेतु एककवार तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर विस्तृत पुनरुद्धार प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किये जाने हैं और तत्पश्चात औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

सरकार ने एचएफसी की नामरूप इकाइयों के पुनरुद्धार 350 करोड़ रुपये के अनुमानित नवनिवेश पर अनुमोदित कर दिया है। इन इकाइयों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में वृद्धि करने की भी व्यवस्था की गई है। नामरूप–I का अमोनियम सल्फेट संयंत्र को बन्द कर दिया जायेगा क्योंकि इसका प्रचालन असुरक्षित और अव्यवहार्य पाया गया है।

पीपीसीएल के देहरादून, अमझौर और सलादीपुरा एककों के पुनर्गठन हेतु अन्तर्मन्त्रालयीय परामर्श चल रहा है।

आरसीएफ के ट्राम्बे–I यूरिया संयंत्र को पुनः प्रारम्भ करने के लिए बड़ी मरम्मतों की आवश्यकता है जो तकनीकी–आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाई गई इसलिए कम्पनी ने इस संयंत्र को न चलाने का निर्णय लिया है।

एड्स से पीड़ित रोगियों की वृद्धि

387. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री एच. जी. रामुलू :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री चन्द्राकांत खैरे :

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा :

डॉ. बलिराम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 नवम्बर 1999 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचार पत्र में 3.5 मिलीयन इंडियंस कैरी एड्स वायरस शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) देश में एड्स के मामलों की वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार एड्स के कितने–कितने मरीजों की पहचान की गई है;

(ड.) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में कितने औषधालय और अस्पताल खोले गये हैं तथा वर्ष 2001 तक कितने औषधालय और अस्पताल खोले जाएंगे;

(च) क्या एड्स के रोगियों के लिए इलाज के लिए किसी दवा की खोज हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1999–2000 के दौरान विभिन्न राज्यों में अभी तक राज्य–वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ञ) देश में एड्स के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) जी हां।

अगस्त–अक्तूबर 1999 के दौरान एकत्र किए गए प्रहरी निगरानी आंकड़ों के आधार पर 3.5 मिलियन एच आई वी संक्रमण का अनुमान लगाया गया है।

(ग) एच आई वी संक्रमण चिरकालिक संक्रमण है जिसकी उत्पत्ति 5–10 वर्ष की लम्बी अवधि में होती है।

इस अवधि के दौरान संक्रमित व्यक्ति में कोई नैदानिक लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन वह इस संक्रमण को समाज में फैला सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई औषध नहीं है जो एक बार एच आई वी से संक्रमित हो जाने वाले पर उस व्यक्ति से एच आई वी संक्रमण का उन्मूलन कर सकती हो। इस प्रकार नियंत्रण उपायों के बावजूद एच आई वी/एड्स संक्रमणों की संचयी संख्या में वृद्धि होती रहती है।

(च) विगत 3 वर्षों में पता लगाए गए एड्स के रोगियों की संख्या निम्नलिखित है:

1997–1984

1998–1548

1999 (अक्तूबर 1999 तक) 2802

(ड.) दिल्ली सरकार द्वारा 1996–98 की कैलेंडर अवधि के दौरान 15 औषधालय खोले गए हैं। मार्च 2000 तक 20 औषधालय और मार्च 2001 तक 20 औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

(च) से (ज) जी हां। एड्स के रोगियों के उपचार के लिए एन्टी रीट्रोवाइरल जैसी दवाइयां और संयोगिक संक्रमण के लिए औषधें उपलब्ध हैं। वे सिर्फ एच आई वी/एड्स के रोगियों के जीवन को लंबा करते हैं और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाते हैं न कि इस रोग से मुक्ति दिलाते हैं।

(झ) एक विवरण संलग्न है।

(ञ) भारत में एच आई वी/एड्स को फैलने से रोकने और उसको नियंत्रित करने के लिए देश भर में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में वर्तमान में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसकी मुख्य कार्यनीति निम्नलिखित है :

- केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं का सुदृढ़ करना
- उच्च जोखिम आचरण वाले समूहों और सामान्य जनता के बीच एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

  यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण
- रक्त बैंकों को समुचित लाइसेंस प्रदान करके और स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करके रक्त की सुरक्षा और रक्त के युक्ति संगत उपयोग को बढ़ावा देना।
- निगरानी और निदान क्षमता को सुदृढ़ करना; और
- एच आई वी/एड्स के रोगियों के नैदानिक प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करना।

विवरण

वर्ष 1999–2000 के दौरान खर्च किए गए खर्च का विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम–

वर्ष 1999–2000 के दौरान रिलीज की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य के नाम	कुल
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	950.00
2	अरुणाचल प्रदेश	159.00
3.	असम	172.00
4.	बिहार	55.00
5.	गोवा	48.00
6.	गुजरात	446.00
7.	हरियाणा	70.00
8.	हिमाचल प्रदेश	88.00
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00
10.	कर्नाटक	282.00
11.	केरल	30..00
12.	मध्य प्रदेश	352.31
13.	महाराष्ट्र	400.00
14.	मणिपुर	182.71
15.	मेघालय	70.14
16.	मिजोरम	58.00
17.	नागालैण्ड	210.00
18.	उड़ीसा	50.00
19.	पंजाब	237.39
20.	राजस्थान	50.00
21.	सिक्किम	25.00
22.	तमिलनाडु	670.00
23.	त्रिपुरा	25.00
24.	उत्तर प्रदेश	451.00
25.	पश्चिम बंगाल	175.00
26.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	233.00
27.	पांडिचेरी	25.00
28.	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	50.00
29.	चंडीगढ़	90.00
30.	दादरा एवं नगर हवेली	25.00
31.	दमन एवं दीव	45.00
32.	लक्षदीप	25.00
33.	एमडीएसीएस, मुम्बई	570.00
34.	अहमदाबाद	75.00
35.	चेन्नई एम सी	25.00
	कुल	6554.55

रोजगार सृजन कार्यक्रम

388. श्री टी. गोविन्दन : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने/सृजन के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लाभान्वित होने वाले राज्यवार और योजनावार व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। तथापि, यह मंत्रालय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीबों को स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) 1997–98 और 1998–99 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय धनराशि तथा प्राप्त वास्तविक प्रगति के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

क्रम सं.	राज्य/संघ प्रदेश	यू.एस.ई.पी. तथा यू.डब्लू.ई.पी. के अंतर्गत जारी केन्द्रीय धनराशि		लघु उद्यम स्थापित करने में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सं.		सृजित श्रम दिवस की सं.
		1997–98 लाख रुपए	1998–99 लाख रुपए में	1997–98	1998–99	1997–98+1998-99 लाखों में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आन्ध्र प्रदेश	742.06	948.07	सूचना नहीं	1460	5.76
2	अरुणाचल प्रदेश	29.03	44.11	–वही–	सूचना नहीं	1.04
3.	असम	444.94	562.04	–वही–	–वही–	शून्य
4.	बिहार	414.43	541.00	–वही–	102	4.65
5.	गोवा	13.36	19.47	–वही–	सूचना नहीं	सूचना नहीं
6.	गुजरात	465.03	547.78	–वही–	2599	0.90
7.	हरियाणा	65.72	93.17	–वही–	167	0.44
8.	हिमाचल प्रदेश	32.62	53.14	–वही–	सूचना नहीं	3.99
9.	जम्मू व कश्मीर	38.07	48.71	–वही–	82	0.15
10.	कर्नाटक	619.35	769.51	–वही–	सूचना नहीं	6.40
11.	केरल	186.45	260.39	–वही–	–वही–	1.79
12.	मध्य प्रदेश	818.12	1047.59	10366	9328	14.58
13.	महाराष्ट्र	1183.69	1401.08	सूचना नहीं	1850	6.79
14.	मणिपुर	102.83	129.91	–वही–	सूचना नहीं	सूचना नहीं
15.	मेघालय	68.17	83.59	–वही–	–वही–	0.25
16.	मिजोरम	64.56	84.88	–वही–	978	0.92
17.	नागालैण्ड	37.54	60.43	–वही–	सूचना नहीं	0.27
18.	उड़ीसा	196.98	250.70	–वही–	253	6.79
19.	पंजाब	51.33	93.40	–वही–	93	2.15
20.	राजस्थान	285.36	430.43	–वही–	4946	3.60
21.	सिक्किम	10.88	16.38	–वही–	सूचना नहीं	0.44
22.	तमिलनाडु	854.48	1023.18	–वही–	2468	40.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	त्रिपुरा	83.63	106.74	–वही–	सूचना नहीं	1.50
24.	उत्तर प्रदेश	1038.36	1377.91	–वही–	18072	27.65
25.	प. बंगाल	460.01	568.39	वही ·	167	11.60
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	59.85	92.25	–वही–	सूचना नहीं	0.53
27.	चंडीगढ़	41.00	41.18	–वही–	5	–
28.	दादरा एवं नगर हवेली	7.00	17.90	16	3	0.62
29.	दमन और दीव	42.75	42.67	सूचना नहीं	20	0.04
30.	दिल्ली	24.41	121.29	–वही–	सूचना नहीं	–
31.	पांडिचेरी	20.89	49.71	–वही–	50	0.15
	कुल	8502.90	10927.00	10382	42643	143.03

यू. एस. ई. पी.=शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम

डी. डब्ल्यू. ई. पी.=शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

बेसमेंट स्थल का उपयोग

389. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पटपड़गंज डिपो के आसपास डी. डी. ए. ग्रुप आवास समितियों तथा दिल्ली ग्रुप आवास समिति के सदस्यों को आबंटित किए गए निर्मित विशाल बेसमेंट स्थल कई वर्षों से बिना उपयोग किए बिना बंद पड़े है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित सदस्यों को इन स्थलों का स्वामित्व सुर्पुद न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नीति/भवन निर्माण उप नियमों के अनुसार बेसमेंट सब के लिए पार्किंग और सेवाओं के लिए है, यह किसी एक सदस्य को अलाट नहीं की गई है। बेसमेंट का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए हो जिनके लिए यह निर्दिष्ट है यह जिम्मेदारी प्रत्येक सोसायटी की प्रबन्ध समिति की है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

390. **श्री रामदास आठवले :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक और वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के निष्कर्षों/निर्णयों को लागू नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग के निष्कर्षों/निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) 1996 के रिकार्ड से यह पता चलता है कि किसी मामले की सूचना नहीं है, जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के निष्कर्षों/निर्णयों को नामंजूर किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के संबंध में 1996 से 30 मामलों में अपने निष्कर्ष/निर्णय सूचित किए हैं। इन 30 मामलों में से 10 कार्यान्वित कर लिए गए हैं। 3 निष्कर्षों का अनुपालन आंशिक रूप से किया गया जबकि 17 निष्कर्षों के मामले में या तो संबंधित संस्थाओं ने न्यायालय में मामले दर्ज किए हैं या उन्हें आयोग को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजा गया है।

मीडिया द्वारा एड्स जागरूकता/शिक्षा कार्यक्रम

391. **श्री पी. डी. एलानगोवन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, फील्ड प्रचार निदेशालय और मास–मीडिया कैम्पों की गतिविधियों को समृद्ध बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो फील्ड प्रचार निदेशालय और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा एड्स जागरूकता और पूर्ण साक्षरता अभियान आदि जैसे शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) एड्स और साक्षरता जागरूकता अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय एड्स के बारे में जागरूकता हेतु हिन्दी तथा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 'जियो और जीने दो' नामक 10 मिनट के प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम का निर्माण करता आ रहा है। इस कार्यक्रम को समस्त देश में 30 विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों से प्रसारित किया जा रहा है।

(2) एड्स के बारे में जागरूकता हेतु 'आई ई सी पैकेज़ेज' नामक तीन पुस्तकें और दो फोल्डर प्रकाशित किए गए हैं और इन्हें गैर-सरकारी संगठनों और परियोजना निदेशकों को वितरित किया जा रहा है।

(3) साक्षरता के मामले में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 'अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस' के अवसर पर एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन परिशिष्ट जारी किया था। इसके अलावा, अखिल भारत स्तर पर "रीडिंग, राइटिंग अन्डर स्टेंडिंग-आउर विंडो टू दी वर्ल्ड" नामक दो और विज्ञापन भी जारी किए गए थे।

(4) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय एड्स के बारे में विभिन्न वर्गों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नवीन संचार तकनीकों का प्रयोग करता आ रहा है। वर्ष 1998-99 के दौरान 3344 फिल्म शो और फोटो प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा, 2100 विशेष कार्यक्रमों और 4000 सामूहिक चर्चाओं का भी आयोजन किया गया जिसमें विशेषज्ञों ने एड्स और इसके फैलने के बारे में भ्रान्तियों तथा गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास किया।

दूरदर्शन चैनल

392. **श्री राजैया मल्याला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नेटवर्क पर इस समय कितने दूरदर्शन चैनल उपलब्ध हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक चैनल की अवधि और प्रसारण क्षेत्र कितना है; और

(ग) दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए दूरदर्शन के कितने चैनल काम कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) दूरदर्शन दो स्थलीय नेटवर्कों अर्थात् डी. डी. I और डी. डी.-II का संचालन करता है। दूरदर्शन-I की स्थलीय पहुंच भारत में 74.4 % भौगोलिक क्षेत्र तथा 87.9 % जनसंख्या तक है। वर्तमान में दूरदर्शन-II की सेवा लगभग साठ शहरों तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध है। दूरदर्शन ग्यारह क्षेत्रीय भाषा चैनल, एक खेल चैनल तथा एक समाचार चैनल को भी संचालित करता है जिसे डिश एन्टिना/केबल नेटवर्क के जरिए पूरे देश में देखा जा सकता है। भारत से बाहर के दर्शकों के लिए एक विशिष्ट उपग्रह चैनल लक्ष्यित है।

इन सभी चैनलों के प्रसारण की अवधि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दूरदर्शन चैनल

प्रसारण की अवधि तथा अनुमानित पहुंच

चैनल	प्रसारण की अवधि (प्रति सप्ताह घंटे में)
डी डी-1 राष्ट्रीय	168
डी डी-2 मेट्रो मनोरंजन	168
डी डी-स्पोर्ट्स	86
दूरदर्शन न्यूज	168
डी डी-इंडिया इन्टरनेशनल	126
डी डी-4 मलयालम (क्षे. भा. उ. चै.)	78
डी डी-5 तमिल (क्षे. भा. उ. चै.)	93
डी डी-6 उड़िया (क्षे. भा. उ. चै.)	53
डी डी-7 बंगाली (क्षे. भा. उ. चै.)	72
डी डी-8 तेलगु (क्षे. भा. उ. चै.)	75
डी डी-9 कन्नड़ (क्षे. भा. उ. चै.)	72
डी डी-10 मराठी (क्षे. भा. उ. चै.)	61
डी डी-11 गुजराती (क्षे. भा. उ. चै.)	74
डी डी-12 कश्मीरी (क्षे. भा. उ. चै.)	54
डी डी-13 असमिया तथा उत्तर पूर्व के भाषा (क्षे. भा. उ. चै.)	56
डी डी-18 पंजाबी (क्षे. भा. उ. चै.)	41

क्षे. भा. उ. चै.-क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल

कन्नड़ चैनल की स्थापना

393. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय दूरदर्शन नेटवर्क पर कन्नड़ चैनल स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार इस व्यय का कुछ हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना की समीक्षा

394. श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के कार्यकरण की समीक्षा और आकलन करने के लिए गठित की गयी विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने किस तारीख को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई कारवाई की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इस समिति की सिफारिशें कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समिति ने नवम्बर 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

(1) अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर, गोवा, दमण व दीव में इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश ने इस योजना को समाप्त कर दिया है।

(2) असम, हरियाणा और गुजरात ने पुरुष स्वास्थ्य गाइडों की सेवाएं छोड़ दी हैं।

(3) केवल महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य इस योजना को जारी रखने के पक्ष में हैं। वे सभी केन्द्रीय सहायता और मानदेय को 500/–रू. प्रति मास तक बढ़ाना चाहते हैं।

(4) ग्राम स्वास्थ्य गाइड संघ इस योजना को जारी रखने और मानदेय को बढ़ाने की मांग करते हैं।

(5) यह योजना बन्द हो गई है। राज्य सरकारों के पास उनकी नामावली में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की सूचियां नहीं हैं और इसलिए ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की आयु अथवा अर्हता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ ग्राम स्वास्थ्य गाइडों द्वारा उपचार किए जाने की बात भी सूचित की गई है।

(6) समिति ने संस्तुति की कि हालांकि समुदाय और स्वास्थ्य ढांचे के बीच सम्पर्क कार्यकर्ता होने की आवश्यकता है; पर यह व्यवस्था स्थान–विशिष्ट और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। यह योजना इस प्रकार से बेकार पड़ गई है कि इसे वास्तविक रूप से पुनः जीवित अथवा लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता है।

(ग) से (ड.) यह मामला सरकार के विचाराधीन और इस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

[अनुवाद]

देश में विश्वविद्यालय

395. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कितने विश्वविद्यालय हैं और इनमें कितने विद्यार्थी नामांकित हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) देश में विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। 1997–98 में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में 70.78 लाख छात्र नामांकित किए गए थे।

(ख) और (ग) सरकार का सामान्य दृष्टिकोण और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को स्थापित करके इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध अत्यल्प संसाधनों का फैलाव करने के बजाय पहले ही स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने और उनके एकीकरण का है। किन्तु, इस सम्बंध में पहले ही की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाएगा।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय
1	2
(क) विश्वविद्यालय	
आन्ध्र प्रदेश	
1.	उस्मानिया
2.	आन्ध्र
3.	श्री वेंकटेशवरा
4.	आचार्य एन. जी. रंग कृषि
5.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी
6.	हैदराबाद
7.	काकातैया
8.	नागार्जुन
9.	श्री कृष्णदेवराय
10.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर खुला
11.	श्री पदमावती महिला
12.	पोती श्रीरामूलू तेलगू
13.	आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
14.	श्री वेंक्टेशवरा आयुर्विज्ञान संस्थान
15.	द्रविड़म् विश्वविद्यालय
16.	राष्ट्रीय मौलाना आजाद उर्दू
अरुणाचल प्रदेश	
17.	अरुणाचल
असम	
18.	गुहावटी
19.	डिब्रूगढ़
20.	असम कृषि
21.	असम
22.	तेजपुर
बिहार	
23.	पटना
24.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
25.	टी. एम. भागलपुर
26.	रांची
27.	के. एस. दरभंगा संस्कृत
28.	मगध
29.	राजेन्द्र कृषि
30.	ललित नारायण मिथिला
31.	बिरसा कृषि
32.	सिधू कान्हू
33.	भूपेन्द्र नारायण मंडल
34.	बिनोबा भावे
35.	वीर कुमार सिंह
36.	जय प्रकाश
37.	नालान्दा खुला
गोवा	
38.	गोवा
गुजरात	
39.	महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा
40.	गुजरात
41.	सरदार पटेल
42.	सौराष्ट्र
43.	दक्षिण गुजरात
44.	गुजरात आयुर्वेद
45.	गुजरात कृषि
46.	भावनगर
47.	उत्तर गुजरात

1	2
48.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर खुला
हरियाणा	
49.	कुरुक्षेत्र
50.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि
51.	महर्षि दयानन्द
52.	गुरु झम्बेश्वर
हिमाचल प्रदेश	
53.	हिमाचल प्रदेश
54.	हिमाचल प्रदेश कृषि
55.	डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
जम्मू और कश्मीर	
56.	कश्मीर
57.	जम्मू
58.	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
कर्नाटक	
59.	मैसूर
60.	कर्नाटक
61.	बंगलौर
62.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर
63.	गुलबर्गा
64.	मंगलूर
65.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड
66.	कुबरम्पू
67.	कन्नड़
68.	राष्ट्रीय विधि विद्यालय, भारत
69.	कर्नाटक राज्य खुला विश्वविद्यालय
70.	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
केरल	
71.	केरल
72.	कालीकट

1	2
73.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय
74.	केरल कृषि
75	महात्मा गांधी
76.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय
77.	कन्नूर विश्वविद्यालय
मध्य प्रदेश	
78.	डां. हरि सिंह गौड
79.	इंदिरा कला संगीत
80.	रानी दुर्गा देवी
81.	विक्रम
82.	देवी अहिल्या
83.	जवाहरलाल नेहरू कृषि
84.	जिवाजी
85.	रवि शंकर
86.	अवधेश प्रताप सिंह
87.	बरकतुला
88.	गुरु घासीदास
89.	इंदिरा गांधी कृषि
90.	चित्रकूट ग्रामोदय
91.	मक्खन लाल ग्रामोदय चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
92.	म. प्र. भोज खुला
महाराष्ट्र	
93.	मुम्बई
94.	नागपुर
95.	पूना
96.	श्रीमती नत्थी बाई दामोदर ठाकरसे
97.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मराठवाडा
98.	शिवाजी
99.	महात्मा

1	2
100.	पंजाब राव कृषि
101.	कोंकण कृषि विद्यापीठ
102.	मराठवाडा कृषि
103.	अमरावती
104.	यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र खुला
105.	उत्तर महाराष्ट्र
106.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी
107.	स्वामी रामानंद तीरथ मराठवाडा
108.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय
मणिपुर	
109.	मणिपुर
मेघालय	
110	उत्तर पूर्वी पर्वतीय
नागालैंड	
111.	नागालैंड
उड़ीसा	
112.	उत्कल
113.	उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
114.	बेरहामपुर
115.	सम्बलपुर
116.	श्री जगन्नाथ संस्कृत
पंजाब	
167.	पंजाब
118.	पंजाब कृषि
119.	पंजाबी
120.	गुरु नानक देव
राजस्थान	
121.	राजस्थान
122.	जय नारायण व्यास

1	2
123.	मोहन लाल सुखाडिया
124.	कोटा खुला
125.	महर्षि दयानन्द सरस्वती
126.	राजस्थान कृषि
तमिलनाडु	
127.	मद्रास
128.	अन्नामलाई
129.	मदुराई कामराज
130.	तमिलनाडु कृषि
131.	अन्ना
132.	तमिल
133.	भारथियार
134.	भारतीदासन
135.	मदर टेरेसा महिला
136.	अलगप्पा
137.	तमिलनाडु डॉ. एम. जी. आर. आयुर्वेद
138.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान
139.	मनोनमनियन सुन्दरनार
140.	पेरियार विश्वविद्यालय
त्रिपुरा	
141.	त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	
142.	इलाहाबाद
143.	बनारस हिन्दू
144.	अलीगढ़ मुस्लिम
145.	लखनऊ
146.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय
147.	रूड़की
148.	गोरखपुर

1	2
149.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत
150.	जी. बी. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
151.	चौधरी चरण सिंह
152	श्री साहूजी महाराज
153.	हेमवती नन्दन बहुगुणा
154.	कुमाऊं
155.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
156.	काशी विद्यापीठ
157.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
158.	डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध
159.	बुन्देलखण्ड
160.	रोहेलखण्ड
161.	पूर्वांचल
162.	बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
पश्चिम बंगाल	
163.	कलकत्ता
164.	विश्व भारती
165.	जादवपुर
166.	बुरबर्द्धवान
167.	कल्याणी
168.	उत्तर बंगाल
169.	रविन्द्र भारती
170.	विधान चन्द्र कृषि
171.	विद्या सागर
172.	पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
173.	नेताजी सुभाष खुला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
174.	दिल्ली
175.	जवाहर लाल नेहरू
176.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला
177.	जामिया मिलिया इस्लामिया
पांडिचेरी (संघ राज्य)	
178.	पांडिचेरी

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सुरक्षा

396. श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने में भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में निराशाजनक रिकार्ड है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अशक्तता अधिनियम को अब तक पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(घ) देश में इस समय कुल कितने विकलांग व्यक्ति हैं; और

(ङ.) सम्पूर्ण देश में विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री(श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। अधिनियम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1991 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 16.15 मीलियन व्यक्ति दृष्टि, श्रवण, वाणी तथा चलन संबंधी विकलांगताओं से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1999 में किए गए अन्य नमूना सर्वेक्षण 1–14 वर्षों के आयु वर्ग के विलम्बित मानसिक विकास वाले व्यक्तियों के लिए नमूना सर्वेक्षण का अनुमान है कि कुल जनसंख्या का लगभग 3% का विलम्बित मानसिक विकास है।

(ङ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 33 के अंतर्गत, प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में रिक्तियों की ऐसी प्रतिशतता को नियुक्त करेगी जो विकलांगताओं वाले व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत से कम नहीं होगी, जिसमें से निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पदों में एक प्रतिशत आरक्षित होगी :

(1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि

(2) श्रवण विकलांगता,

(3) चलन संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात।

वर्तमान में, देश भर में विकलांग व्यक्तियों के लिए उन्हें लाभकारी रोजगार के लिए पंजीकृत करवाने के लिए 51 विशेष रोजगार कार्यालय और 39 विशेष प्रकोष्ठ हैं।

तकनीकी शिक्षा

397. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय बैंक सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम कौन–कौन से राज्यों में लागू किए जा रहे हैं;

(ख) क्या कर्नाटक में और खासकर मैसूर में ऐसा कोई कार्यक्रम लागू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिक्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) विश्व बैंक की सहायता से देश में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने की एक परियोजना भारत सरकार द्वारा दो चरणों में शुरू की गई थी। परियोजना का प्रथम चरण दिसम्बर, 1990 में शुरू हुआ और 30.9.98 को समाप्त हो गया। द्वितीय चरण जनवरी, 1992 में शुरू हुआ और 31.10.99 को समाप्त हुआ।

परियोजना के प्रथम चरण में बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को शामिल किया गया था। परियोजना के दूसरे चरण में आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी को शामिल किया गया था।

(ख) और (ग) जी, हा। कर्नाटक को परियोजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया था। कुल 39 पॉलिटेक्निकों को विकसित किया गया था जिनमें से तीन मैसूर में स्थित हैं।

परियोजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों के शारीरिक विकलांगों के लिए 120 छात्रों की दाखिला क्षमता वाला एक नया पॉलिटेक्निक मैसूर में स्थापित किया गया था।

परियोजना के अन्तर्गत जे. एस. एस. महिला पॉलिटेक्निक (सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक) और सी. पी. सी. राजकीय पॉलिटेक्निक मैसूर की शैक्षिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार के रिले केन्द्र

398. श्री राजो सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने गांवों में स्थानीय रिले केन्द्रों और राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रम पहुंच रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इनकी रेंज बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) दूरदर्शन ट्रांसमीटर बिहार की 94.2 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को कवर करते हैं। तथापि, बिहार में टी. वी. सेवा की ग्राम–वार कवरेज का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) बिहार में टी. वी. कवरेज का और विस्तार करने के लिए निम्नलिखित परियोजाएं इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं :

(1) जमशेदपुर और पटना स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

(2) रांची और मुजफ्फरपुर में डी. डी.–II के लिए दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

(3) बडहरया, छत्रा, रौसेरा और रामनगर में डी. डी.–I के लिए नए अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आवश्यक औषधियों संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यक्रम

399. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आवश्यक औषधियों के संबंध में नई दिल्ली में कोई कार्यक्रम आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में विभिन्न राज्यों में चालू वर्ष के दौरान चल रहे तथा अगले वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई;

(ग) यदि हां; तो बैठक किन मुख्य निर्णयों पर पहुंची; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान कौन–सी परियोजनायें शुरू किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

जनजातीय विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन

400. श्री टी. गोबिन्दन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय विकास के लिए सरकार द्वारा राज्यों को कितनी सहायता दी गई है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों को दी गई सहायता में कमी आ रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता में से अनुदान अनुमोदित मानदंडों के आधार पर राज्यों को आबंटित किए जाते हैं परन्तु वास्तविक निर्मुक्तियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पिछले वर्षों की निर्मुक्तियों के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के आधार पर की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2287.52	2581.54	2728.47
2.	असम	1524.71	1460.00	2069.56
3.	बिहार	3364.00	0.0	0.00
4.	गुजरात	2642.95	2632.77	3689.70
5.	हिमाचल प्रदेश	622.44	521.89	689.44
6.	जम्मू व कश्मीर	681.54	521.80	739.22
7.	कर्नाटक	569.50	500.00	686.64
8.	केरल	153.71	196.12	408.17
9.	मध्य प्रदेश	7695.71	9207.83	9476.17
10.	महाराष्ट्र	3160.78	3400.89	3532.21
11.	मणिपुर	653.22	950.00	779.52
12.	उड़ीसा	4411.44	5576.27	5911.86
13.	राजस्थान	2467.32	2341.13	3475.72
14.	सिक्किम	138.41	60.00	60.00
15	तमिलनाडु	238.81	243.71	295.91
16.	त्रिपुरा	594.48	885.00	977.77
17.	उत्तर प्रदेश	90.39	112.91	57.54

1	2	3	4	5
18.	पश्चिम बंगाल	1558.07	1600.39	2222.10
19.	अंडमान व निकोबार	95.18	118.00	133.90
20.	दमन व दीव	49.82	50.75	66.10
	कुल	33000.00	32961.00	38000.00

टिप्पणी : उपर्युक्त निर्मुक्ति में राज्य सरकारों को उनके प्रस्तावों के मुकाबले दी गई अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है।

केन्द्रीकृत दुर्घटना और सदमा प्रणाली

401. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कोई केन्द्रीकृत दुर्घटना और सदमा प्रणाली चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अन्तर्गत चलने वाली एम्बुलैंसों और अन्य वैनों की संख्या कितनी है;

(ग) एक मोबाइल एम्बुलैंस को दुर्घटना स्थल तक पहुंचने में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या इस प्रणाली के सवंर्धन पर विचार किया जा रहा है;

(ड.) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीकृत दुर्घटना और अभिघात सेवाएं हैं।

(ख) केन्द्रीकृत दुर्घटना और अभिघात सेवाओं के पास 21 एम्बुलैंस हैं जिन्हें 21 विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। ये एम्बुलैंस वायरलेस और प्राथमिक उपचार से संबंधित अन्य आधुनिक उपकरणों से लैस हैं।

(ग) 10 से 15 मिनट।

(घ) से (च) इस प्रणाली के संवर्धन हेतु केन्द्रीकृत दुर्घटना और अभिघात सेवाओं के लिए नए एम्बुलैंस वैन खरीदने की योजना है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में परिवर्तन

402. श्री रामदास आठवले :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र में निम्न शक्ति/उच्च शक्ति वाले कार्यरत टी. वी. ट्रांसमीटरों की स्थानवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य से निम्न शक्ति से उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) संलग्न विवरण में दिए अनुसार इस समय महाराष्ट्र में भिन्न--भिन्न शक्तियों के 87 ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) चन्द्रपुर, जलगांव, रत्नागिरि और नागपुर (डी. डी. 2) स्थित चार अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

(घ) हाल ही में राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ड.) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

महाराष्ट्र में मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर

(क) उ. श. ट्रां. (6)

अम्बोजोगई

औरंगाबाद

मुम्बई

मुम्बई (डी. डी. 2)

नागपुर

पुणे

(ख) अ. श. ट्रां. (71)

अचलपुर	गोंदिया	नवापुर
आकोट	हिंगनघाट	उस्मानाबाद
अहेरी	हिंगोली	पंढ़रपुर
अहमदनगर	इचलकरंजी	परभणी
अकलूज	जलगांव	पुसद
अकोला	जालना	राजापुर
अमलनेर	कंकौली	रत्नागिरि
अमरावती	कराड	रिसोड
आर्वी	कारांजा	संगमनेर
अम्बाजोगई (डी. डी. 2)	खामगांव	सांगली
बरसी	खोपोली	सतना
भण्डारा	किनवत	सतारा
भुसावल	कोल्हापुर	शहाड
बीड	महाड	शीरपुर
ब्रह्मपुरी	मालेगांव	शोलापुर
बुलढ़ाणा	मानगांव	सिरोंचा
चन्द्रपुर	मनमाड	तुगसर
चांदुर	मेहेकर	उमेरगा
चिखली	म्हासले	उमरखेड
चिपलून	मोर्शी	वणी
देवरूख	नागपुर (डी. डी. 2)	वर्धा
धूले	नांदेड	वशिम
दिगलूर	नन्दुरबार	यवतमाल
गढ़चिरोली	नाशिक	

(ग) अ. अ. श. ट्रां. (9)

बदलापुर	खेड
भोकार	कोरेगांव
चिकलधरा	मल्कापुर
जून्नार मालवां	
करजात	

(घ) ट्रांसपोजर (1)

औरंगाबाद

[अनुवाद]

लम्बाडी समुदाय

403. **श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध लम्बाडी समुदाय को तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समुदाय को तमिलनाडु में पिछड़ा समुदाय माना गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य के संबंध में लंबाडी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है अपितु इसे अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है। लंबाडी समुदाय को तमिलनाडु की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) लम्बाडी समुदाय को तमिलनाडु में अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में घोषित किया गया है क्योंकि यह एक पिछड़े वर्ग समुदाय के मानदंडों को पूरा करता है।

(ङ.) इस मामले की जांच भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.6.1999 को अनुमोदित की गई रूपरेखा (मॉडेलिटीज) के अनुसार की जा रही है।

निजी चैनल

404. श्री राजैया मल्याला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केबल नेटवर्क द्वारा कितने प्राइवेट चैनल उपलब्ध हैं;

(ख) उन स्थलों का ब्यौरा क्या है, जहां से इन चैनलों का संचालन हो रहा है;

(ग) क्या कुछ नये प्राइवेट चैनल शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) जिन भारतीय उपग्रह चैनलों/कम्पनियों को देश से अपलिंक करने की अनुमति दी गयी है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कई विदेशी उपग्रह चैनल भी देश में उपलब्ध हैं जिन्हें देश के बाहर से प्रचालित किया जा रहा है और जो भारतीय प्राधिकारियों से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस प्रकार, उनके प्रचालन स्थल, भावी कार्यकलापों आदि से संबंधित सूचना का रख–रखाव सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	कम्पनी/चैनलों का नाम	प्रचालन स्थल
1.	टी. वी. इन्टरनेशनल	दिल्ली
2.	उदय टी. वी. प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई
3.	जेमिनी टी. वी.	चेन्नई
4.	सुमंगली पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	चेन्नई
5.	ईनाडु टी. वी.	हैदराबाद
6.	एशियानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	चेन्नई
7.	विजय टी. वी.	चेन्नई
8.	जैन टी वी.	दिल्ली

'इग्नू' में नए पाठ्यक्रम

405. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का विचार नए पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां; तो कर्नाटक में शुरू किए जाने वाले नए पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) अगले शैक्षिक वर्ष से शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित नये कार्यक्रम हैं—पर्यटन में निष्णात और सामर्थ्यवान स्वयंसेवी वर्गों में प्रमाण पत्र कार्यक्रम। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और इसके सभी कार्यक्रम पूरे देशभर में चलाये जाते हैं।

शुरू किया जाने वाला प्रस्तावित नया कार्यक्रम बंगलौर स्थित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र के माध्यम से कर्नाटक में भी चलाया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण

406. श्री अनंत गंगाराम गीते :

श्री किरीट सौमैया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों को अस्पतालों में भर्ती होने पर अस्पताल को भुगतान करने हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी वरिष्ठ नागरिक संगठन से इन कठिनाइयों को उजागर करने वाला कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछेक बिस्तर आरक्षित किये जाने के सुझाव भी दिये गये हैं; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रेणियों के नागरिकों को बहिरंग रोगी विभाग और सामान्य वार्ड की सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। वैसे, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कुछ विशिष्टीकृत जांचों के लिए रोगियों से नाममात्र के प्रभार लिये जाते हैं।

(ख) से (ङ.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से दो अभ्यावेदन, पहला वरिष्ठ नागरिक परिषद, पंजाब और दूसरा रामप्रस्थ वरिष्ठ नागरिक संघ, गाजियाबाद से प्राप्त हुआ है। इन अभ्यावेदनों में वरिष्ठ नागरिकों को अस्पताल में दाखिल होने पर अस्पतालों को भुगतान करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पड़ते हैं की बात का उल्लेख नहीं किया गया है। वैसे, उन्होंने सुझाव दिया है

कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ पलंग आरक्षित करने चाहिए और इसके साथ–साथ उपचार के प्रभारों को भी उचित रूप से कम करना चाहिए। इस मामले में समुचित कार्रवाई करने के लिए इन अभ्यावेदनों को सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को भेज दिया गया है। वृद्धों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए चलते-फिरते चिकित्सा-परिचर्या एकक चलाने के लिए "वृद्धों हेतु एकीकृत कार्यक्रम" के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सहायतानुदान प्रदान कर रहा है और इस मंत्रालय ने वृद्धों पर एक राष्ट्रीय नीति भी तैयार की है और इस नीति की कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करने और विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

जनस्वास्थ्य प्रणाली की विफलता

407. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता के कारण अतिसार और मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऐसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) वर्ष 1997 से मलेरिया के रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। तीव्र अतिसार रोग दूषित भोजन एवं जल और निम्न पर्यावरणिक स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के कारण होता है।

(ख) मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1953 में एक संगठित जन स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। मलेरिया के उच्च स्थानिकमारी क्षेत्रों की देखरेख करने के लिए दिसम्बर, 1994 से सात उत्तर–पूर्वी राज्यों को मलेरिया नियंत्रण के लिए शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। विश्व बैंक की सहायता से सितम्बर, 1997 से एक बृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना शुरू की गई है। केन्द्रीय सरकार के अतिसार रोगों सहित संचारी रोगों के फैलने के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगाने के लिए चुनिंदा जिलों में संचारी रोगों के लिए प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है।

केन्द्रीय सरकार भी प्रत्येक वर्ष इन रोगों के संचरण समय से पहले राज्य सरकारों को सचेत करती है कि वे इन रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास तेज कर दें।

(ग) और (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, पीड़ितों को किसी प्रकार की राहत/मुआवजे का भुगतान करना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

क्षयरोग प्रतिरोधक टीका

408. श्री नरेश पुगलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यह पाया है कि क्षयरोग की रोकथाम करने के लिए उपलब्ध एकमात्र टीके से न तो वयस्कों को कोई लाभ होता है और न ही यह बच्चों की प्रतिरक्षा करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में क्षयरोग के कारण सबसे अधिक वयस्कों की मृत्यु होती है;

(घ) यदि हां, तो देश में प्रत्येक वर्ष इस बीमारी से अनुमानतः कितनी मौतें होती हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्षयरोग के उपचार के लिए वैकल्पिक दवा विकसित करने और प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) यह वैक्सीन (टीका) वयस्कों का समग्र बचाव नहीं करता, लेकिन बच्चों में पल्मनरी क्षयरोग के लिए कम स्तर का समग्र बचाव (लगभग) 27 प्रतिशत प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बी. सी. जी. वैक्सीन बच्चों (लगभग 80 प्रतिशत) में क्षयरोग के मिलियरी और मेनिनगोल रूपों के लिए बचाव प्रदान करता है।

(ग) से (ङ) भारत में किसी अन्य संक्रामक रोग की अपेक्षा क्षयरोग से वयस्कों की अधिक मौतें होती हैं और यह वयस्कों में परिहार्य मौतों का प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 1999 में 4,47,000 मौतें होंगी। इस समय उपलब्ध औषधियां वस्तुतः उन सभी रोगियों को ठीक करती हैं जो उन्हें पूरी अवधि के लिए यथानिर्धारित तरीके से लेते हैं। भारत सहित विश्व–भर की कई प्रयोगशालाओं में क्षयरोग के लिए एक बेहतर टीके का आविष्कार करने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं। क्षयरोग से मृत्यु और रुग्णता दर पर ध्यान देने के लिए सरकार एक संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को चरणबार ढंग से कार्यान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा खोलना

409. श्री सुरेश रामाराव जाधव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का प्रस्ताव यमुनापार क्षेत्र में अपनी शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस शाखा में कौन–कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होंगी; और

(ग) इसे कब तक खोला जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, संस्थान ने हाल ही में दिल्ली मिड–टाउन रोटरी ट्रस्ट, जो एक पंजीकृत सोसायटी है, से त्रिलोकपुरी/कल्याणपुरी स्थित मिड–टाउन रोटरी आई/डेन्टल क्लिनिक–सह–अस्पताल का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया है। संस्थान ने एकान्तर दिवसों में दन्त और नेत्र क्लिनिक शुरू कर दिए हैं। आने वाले कुछ समय में संस्थान अपने कैंसर खोज कार्यक्रम के लिए सामुदायिक मेडीसिन विभाग और इन्स्टीच्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल के माध्यम से विस्तार कार्यक्रम चलाने की योजना रखता है।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

410. डॉ. अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

प्रो. रासासिंह रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के संविधान में संशोधन की आवश्यकता संबंधी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों की सर्वसम्मत राय को ध्यान में रखते सांविधानिक एवं विधिक आधार पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस विधान बनाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग), 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए दिनांक 28 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1997 पेश किया गया था। इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं :

1. राज्य 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

2. राज्य उन शैक्षिक संस्थाओं जो राज्य द्वारा संचालित नहीं हैं अथवा जो राज्य की निधियों से सहायता प्राप्त नहीं कर रही हैं, के संबंध में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का कोई कानून नहीं बनाएगा;

3. सक्षम विधान मंडल, संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1997 के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू करने का कानून बनाएगा;

4. संविधान के अनुच्छेद 45 को हटा दिया जाएगा; और

5. 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, ऐसे नागरिकों जो बच्चों के माता–पिता अथवा अभिभावक हैं; का मौलिक कर्तव्य होगा।

यह विधेयक विभाग से संबद्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया था। उक्त समिति ने दिनांक 24 नवम्बर, 1997 को लोक सभा तथा राज्य सभा के सभा पटल पर इसकी रिपोर्ट रख दी जिसमें इस संशोधन विधेयक में कुछ संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। विधि मंत्रालय से परामर्श करके संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) मुख्य विधि सलाहकार, उपमुख्य विधि सलाहकार, कनिष्ठ विधि अधिकारी और विधि सहायक भर्ती विनियम जो 15 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 36 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, उपनिदेशक भर्ती विनियम, 1998 जो 26 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 147 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम जो 3 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 716 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, निजी सचिव और सहायक निपटान अधिकारी के पदों के लिए भर्ती नियम जो 27 जून, 1997

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 7 (45)/95/एल. एण्ड बी./एल. ए./6524 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दिल्ली शहरी हैरीटेज फाउंडेशन विनियम, 1999 जो 28 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 791 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद (1) में (एक) से (चार) तक उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 167/99]

(3) 31 दिसम्बर, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार 5 प्रतिशत विवेकाधीन कोटा के अन्तर्गत किये गये बिना बारी के आबंटनों को दर्शाने वाले वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 168/99]

(4) (एक) नेशनल केपीटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

(दो) नेशनल कैपीटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।

(5) उपयुर्क्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 169/99]

(6) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड और शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 170/99]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) ट्रायबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डवलपमेंट फैडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रायबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डबलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 171/99]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय रसायन तथा उर्वरक लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 172/99]

(2) उर्वरक तथा रसायन त्रावनकोर लिमिटेड और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 173/99]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): महोदय; मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 174/99]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 175/99]

(2) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 176/99]

(4) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 177/99]

(6) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तथा परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 1999–2000, के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 178/99]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 179/99]

(3) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 180/99]

(4) (एक) सरदार बल्लभभाई रीजनल इंजीनियरिंग कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार बल्लभभाई रीजनल इंजीनिररिंग कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. ट्री. 181/99]

(6) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 182/99]

(8) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मुम्बई (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुम्बई) के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मुम्बई (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुम्बई) के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 183/99]

(10) (एक) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 184/99]

(12) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 185/99]

(14) (एक) श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 186/99]

(16) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 187/99]

(18) (एक) रीजनरल इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचेरापल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचेरापल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 188/99]

अपराह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : मैं 25 अक्टूबर, 1999 को सभा को दी गई सूचना के बाद से तेरहवीं लोक सभा के पहले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) आयकर (संशोधन) विधेयक, 1999

(दो) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1999

मैं तेरहवीं लोक सभा के पहले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त एवं महासचिव राज्य सभा द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1999 की एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.0½ बजे

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप–नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 30 सदस्यों को 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अविध के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचन करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप–नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 30 सदस्यों को 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) लोक लेखा समिति

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप–नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 15 सदस्यों को 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप–नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 15 सदस्यों को 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वासित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक लेखा समिति

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 321 ख के उप–नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 15 सदस्यों को 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312 ख के उप–नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 15 सदस्यों को 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचति करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए और राज्य

सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप–नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 20 सदस्यों को 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 ख के उप–नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 20 सदस्यों को 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) चाय बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : महोदय; मैं श्री मुरासोली मारन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) और 5 (1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) और 5 (1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) रबड़ बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : महोदय, मैं श्री मुरासोली मारन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ड.) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन बोर्ड के शेष कार्यकाल अर्थात् 21.4. 2000 तक की अवधि के लिए रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के साथ पतित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ड.) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन बोर्ड के शेष कार्यकाल अर्थात् 21.4. 2000 तक की अवधि के लिए रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(सात) मसाला बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : महोदय, मैं श्री मुरासोली मारन की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि मसाला बोर्ड अधिनियम, 1987 के नियम 4 (1) (ख) और 5(2) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मसाला बोर्ड अधिनियम, 1987 के नियम 4 (1) (ख) और 5(2) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(आठ) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्याय विकास प्राधिकरण

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : महोदय, मैं श्री मुरासोली मारन की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अधिनियम 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(नौ) प्रसवपूर्व निदान तकनीक हेतु केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री एन. टी. षणमुगम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 (2) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 (2) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दस) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञॉन संस्थान की शासी परिषद्

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग, के नियम 4 (ख) के साथ पठित नियम 3 (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन उत्तरपूर्व इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग, के नियम 4 (ख) के साथ पठित नियम 3 (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन उत्तरपूर्व इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब शून्य काल की कार्यवाही शुरू करेगी। अब श्री जे. एस. बराड़ अपनी बात कहेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को उनकी देय राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार को गन्ना उत्पादकों के हितों का ख्याल रखना चाहिए।... *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को वास्तव में उत्पीड़ित किया जा रहा है। उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की है। किसान मारे-मारे फिर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक मारे-मारे फिर रहे हैं...*(व्यवधान)* सरकार को इस गंभीर मामले पर एक वक्तव्य जारी करना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जे. एस. बराड़ का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : स्पीकर साहब, मैंने क़िसानों के एक अहम मसले के लिए नोटिस दिया है। मान्यवर, मुझे मौका दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्राहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज 26 सदस्यों ने शून्य काल के दौरान अपने मुद्दे उठाने के लिए सूचना दी है। मैं उन सबको बोलने का मौका देना चाहता हूं। इसीलिए कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जे. एस. बराड़ बोलेंगे।

श्री जे. एस. बराड़ : (फरीदकोट) : महोदय, मैं अपना मुद्दा कैसे उठा सकता हूं ? वे सभी चिल्ला रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कांतिलाल भूरिया जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने सदस्य को ही बोलने नहीं दे रहे हैं। मैंने श्री. जे. एस. बराड़ को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों की शूगर समस्या के लिए नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. सी. जोस, आप भी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह सब क्या है ? जब अध्यक्ष खड़े हों, तो आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, यह मुद्दा काफी महत्त्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। कृपया श्री जे. एस. बराड़ को बोलने दीजिए। मैंने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी 26 सदस्यों को बोलने के लिए समय देना चाहता हूं जिन्होंने 'शून्य काल' के दौरान अपने-अपने मुद्दे उठाने के लिए सूचनाएं दी हैं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस : और भी कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, अत्यावश्यक और महत्त्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। मैं उन्हें उठाने के लिए सदस्यों को बुलाऊंगा। कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, इस सूचना प्रथा को बद किया जाना चाहिए। सभी ने सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जे एस बराड बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक क्यों नहीं रखा ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जे. एस. बराड़ के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक संवेदनशील मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, पूरी सभा यहां है। संगमा जी के कार्यकाल के दौरान, जब वे अध्यक्ष थे, कार्यमंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया कि 'शून्य काल' के अंतर्गत मुद्दे उठाने के लिए आपको लिखित रूप में सूचना देनी होगी। लेकिन मेरे विचार से, सूचना देते ही 'शून्य काल' की पूरी भावना समाप्त हो जाती है। मेरे विचार से, इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। सूचना के द्वारा आप कई प्रस्तावों के अंतर्गत कई मुद्दे उठा सकते हैं।

श्री जे. एस. बराड़ : तब तो हमें शून्य काल के दौरान बोलने का कभी कोई अवसर नहीं मिलेगा।

श्री राजेश पायलट : शून्य काल के दौरान, सदस्यों द्वारा मामले तभी उठाये जाने चाहिए जब उन्हें ऐसा करना आवश्यक लगे और सूचनाएं उनके लिए अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। यदि आप इस 'शून्य काल' की प्रथा को सूचना सहित बनाए रखना चाहते हैं तब यह एक प्रस्ताव बन जाता है। यह सही नहीं है। तब आप प्रस्ताव करते हैं। 'शून्य काल' प्रस्तावों के द्वारा नियमित करने के लिए नहीं है...*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं, महोदय...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह जैसा चल रहा है, चलने दीजिए। पूर्व सूचना देने से प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिलता है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ऐसे कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाना है। लेकिन किसी भी सदस्य को बगैर सूचना के बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ : आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। इसलिए, कृपया मुझे बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कल भी माननीय सदस्यों ने नेताओं की बैठक में कुछ चर्चा की है। नेता भी अब शून्य काल के दौरान इस संबंध में कुछ और परिवर्तन करने का सुझाव दे रहे हैं कि शून्य काल को किस प्रकार नियमित किया जाये। आज हम इस बात पर सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे कि शून्य काल को किस प्रकार नियमित किया जाये। आज के लिए सूचनाएं हमें पहले से ही मिल चुकी हैं। अब श्री जे. एस. बराड़ बोलेंगे।

श्री जे. एस. बराड़ : आपने पिछली बेंचों पर बैठे हुये माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है। जब माननीय अध्यक्ष महोदय बोलने के लिए खड़े हों, तो हमें बैठ जाने की शालीनता बरतनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[हिन्दी]

महोदय, कारगिल कॉनफिलक्ट के बाद जो शानदान फतह देश की हुई है, उससे सारा देश गद्‌गद् हुआ है लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में जो बहुत बड़ी चिन्ता इस वक्त बनी हुई है, पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने फिर सत्ता संभाली है। मैं आपके जरिये सदन और सरकार को कहना चाहता हूं और सारे देश की भावनाएं इस बात से जुड़ी हैं कि इस मुल्क पर आधे दर्जन जो पहले आक्रमण हुए हैं वह सारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किये हैं और बॉर्डर पर टेन्शन बनी हुई है।

अपराह्न 12.17 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

जब से जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप की सत्ता संभाली है, ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर वार इस मुल्क में किसी भी वक्त हो सकता है। मैं इसके बाद महत्त्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा क्योंकि सारे सम्माननीय सदस्य यहां बैठे हैं। श्री वाजपेयी ने डर्बन में कॉमनवैल्थ की जो मीटिंग हुई, उसके बाद कहा कि हम जनाब नवाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधान मंत्री मानते हैं, लेकिन इतना बड़ा बयान देने के बाद कि हम उनको देश का प्रधान मंत्री मानते हैं और डेमोक्रेसी के ऊपर इतना बड़ा प्रहार हुआ और प्रधान मंत्री खुद वहां बस यात्रा करके आए थे। मैं कहना चाहता हूं कि जो दोस्ती और प्यार का वातावरण बना था, उसका मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने मुकम्मल सफाया कर दिया है और अगर देश के प्रधान मंत्री और सरकार कहती है कि हम नवाज शरीफ को देश का प्रधान मंत्री मानते हैं तो 4 दिसम्बर को उनकी गवाहियां अंतिम मुकम्मल होने जा रही हैं और नवाज शरीफ को फांसी भी लगाई जा सकती है। अगर आप उनको उस मुल्क का प्रधान मंत्री मानते हैं तो मैं सारे सदन से दर्ख्वास्त करूंगा और विशेषकर रूलिंग पार्टी और प्राइम मिनस्टिर से कहना चाहूंगा कि वह अपने जरिये से डिप्लोमेटिकली जो भी संभव हो, पार्लियामेंट का स्पेशल डेलिगेशन वहां भेजें। जो करप्शन का मुद्दा है और दूसरे मुद्दे हैं, उन पर केस चले, हमें उस पर कोई चिन्ता नहीं है, लेकिन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगने की जो

बात है, और प्रधान मंत्री जी का यह कहना कि हम उनको उस देश का प्रधान मंत्री मानते हैं, उसके बाद कोई कदम प्रधान मंत्री जी और सरकार ने नहीं उठाया है। इस पर तुरन्त कोई कदम उठाना चाहिए। जसवन्त सिंह जी की मीटिंगें अमेरिका में होती नजर आती हैं। कम-से-कम एक डेलिगेशन सभी पार्टियों का जाए और प्रधान मंत्री इससे इंटरवीन करे। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मसला है।...*(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बहुत गम्भीर समस्या है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम लिस्ट में नही है।

श्री सईदुज्जमा : मान्यवर, मैंने सुबह नोटिस दिया है। किसानों की गन्ने की कीमत की बहुत गम्भीर समस्या है। मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम यहां नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने केवल श्री टी. गोविन्दन को बोलने की अनुमति दी है।

*(व्यवधान)**

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़) : महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सीमित करने और केरल में इसके कारण हुये भारी विरोध संबंधी रिपोर्टों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना और केरल को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न के मासिक आबंटन का एक इतिहास है। पिछले पचास वर्षों से केरल का कृषि सेक्टर धान की फसल से हटकर नकदी फसलों में बदलता रहा है। केरल की नगदी फसलें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में केन्द्रीय सरकार की सहायता कर रही हैं...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि केरल द्वारा अर्जित की गयी औसत विदेशी मुद्रा किसी भी अन्य राज्य द्वारा अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा से अधिक है ! यही पृष्ठभूमि है जिसमें केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गयी थी। इससे केरल के लोगों के विकास को आधार मिला है। अभी भी लोग धान की फसल से नगदी फसलों की ओर मुड़ रहे हैं !

आजकल, महत्त्वपूर्ण नगदी फसलें रबर और नारियल गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। 36 लाख लोग नारियल सेक्टर में और लगभग दस लाख लोग रबर सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में, जबकि कृषकों का एक बड़ा वर्ग कठिनाइयों का सामना कर रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कटौती करने का केन्द्रीय सरकार का कदम अत्याधिक आपत्तिजनक है।...*(व्यवधान)* दुर्भाग्यवश, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे धान उत्पादक राज्यों से खाद्यान्नों के आवागमन में व्यवधान आ जाने के कारण पहले भी केरल के लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है। इससे कम और मध्यम आय वाले लोग बाजार में शोषण के लिए बाध्य हो जाएंगे। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल में सार्वजनिक विरण प्रणाली को सुदृढ़ करे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री एन. एन. कृष्णदास को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे एक मिनट बोलने का अवसर देंगे ?

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : उन्होंने मेरा नाम पुकारा है !

श्री ए. सी. जोस : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु आपका नाम सूची में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : यह अत्यन्त गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल उनका समर्थन कर रहे हैं। आप और अधिक नहीं बोलेंगे। आपको कहना है कि "मैं श्री गोविन्दन द्वारा उल्लिखित मद का समर्थन करता हूं।"

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, यह एक अलग मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने एक प्रणाली विकसित की है।

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : केरल में नारियल की फसल माइट नामक कीट का शिकार हो गयी है। यह फसल को व्यापक क्षति पहुंचा रहा है!

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय से संबंधित आपका कोई नोटिस नहीं है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, मैंने इसी विषय के संबंध में नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन. एन. कृष्णदास : मैं जानता हूं, मैंने कौन सा नोटिस दिया है। मैंने इसी विषय के संबंध में नोटिस दिया है !

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास सूची है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : मैं उसे देख सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको केवल समर्थन करना है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : किन्तु मैंने अलग से नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, मुझे खेद है कि आपका नाम सूची में नहीं है। मैं आपको अनुमति किस प्रकार दे सकता हूं।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, मैंने आज प्रातः 8.30 बजे नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : चूंकि आपने इनका नाम पुकारा है, इसलिए इन्हें अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया आप इन्हें दो मिनट बोलने की अनुमति दे दीजिए ! यह अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर देंगे। यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है ...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : मैंने कल नोटिस दिया था किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम नहीं पुकारा था। मैंने आज भी नोटिस दिया है...*(व्यवधान)* यही वास्तविकता है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र केरल का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। नारियल की फसल मन्डारी बिमारी से प्रभावित हो गयी है।...*(व्यवधान)* आपको मेरे साथ कुछ रियायत बरतनी होगी। मैंने नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* केरल में नारियल की फसल माइट नामक कीट का शिकार बन गयी है जिससे फसल को व्यापक क्षति पहुंची है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, अब, कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ! कृपया आप मेरी बात सुनें। मैं आपकी समस्या का ही समाधान खोज रहा हूं।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरी बात सुनें और उसके बाद आपकी समस्या समाप्त हो जायेगी। आपने किसी दूसरी मद के लिए नोटिस दिया है ! जब उस मद का नम्बर आयेगा तो आपका नाम पुकारा जायेगा। किसी दूसरी मद के संबंध में आपका नाम है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, मैंने प्रातः 8.30 बजे अपना नोटिस दिया है ! यह कैसे हो सकता है कि मेरा नाम सूची में शामिल नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही काफी समय ले लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, मैं इस सभा के अत्याधिक आज्ञाकारी सदस्यों में से एक हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं !

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, मैं इस सभा के अत्याधिक आज्ञाकारी सदस्यों में से एक हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनने का कष्ट करेंगे? माननीय अध्यक्ष ने पहले ही उल्लेख किया है कि सूची में 26 नाम शामिल थे और सभी नामों को पुकारा जायेगा ! किन्तु आपका नाम किसी अन्य मद के लिए सूचीबद्ध है !

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : आपने मेरा नाम पुकारा है।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। हम बैठकर इसे समाप्त करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप फिर खड़े हो रहे हैं ? कृपया बैठ जायें। नोटिस प्राप्त होने के समय के अनुसार ही सदस्यों का नाम लिखा गया है। पूरी सूची यहां मौजूद है। अतः कृपया चुप रहें। मैं एक-एक करके नाम पुकारुंगा। अन्य सदस्य अपना नम्बर आने की प्रतीक्षा करें।

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : आपने पहले ही मेरा नाम पुकारा है और मैंने अपने विचार व्यक्त करना भी शुरू कर दिया है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको पूरी तरह से मेरी बात सुननी होगी। आपका नाम क्रम सं. 8 पर दिया गया है; कुल मिलाकर 26 नाम हैं और आपको मौका दिया जायेगा। अब, श्री वी. एम. सुधीरन बोलेंगे। प्रत्येक सदस्य दो मिनट का समय लेंगे और हम सूची पूरी कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री वी. एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, केरल में कुटकी (कीट) लगने के कारण नारियल के उत्पाद पर अत्याधिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुटकी रोग खतरनाक ढंग से फैलता ही जा रहा है। यह अनुमान है कि दस लाख किसानों की लगभग पांच करोड़ खजूर की उपज पर इस विनाशकारी कीट, जिसे कुटकी कहा जाता है और जो उत्पादन को अत्याधिक कम कर देता है, का प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप नारियल की जातियां नष्ट हो सकती हैं तथा राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा कुटकी की समस्या से निपटने के लिए उपचारात्मक उपाय किए गए हैं, तथापि धन की कमी के कारण वे उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। चूंकि नारियल उत्पादन कृषि व्यवस्था का आधार है, अतः, यह उपयुक्त समय है जब हम इस विनाशकारी कुटकी को समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास करें। कुटकी संकट को एक राष्ट्रीय आपदा मानकर केन्द्र सरकार को उपचारात्मक केरल राज्य की सहायतार्थ कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपयों की सरकारी राशि मंजूर करनी चाहिए। चूंकि यह एक अत्याधिक संवेदनशील मामला है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर टिप्पणी करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में, श्री कृष्णदास ने नोटिस भी दिया है। अब, श्री कृष्णदास अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री. ए. सी. जोस : मैंने भी कल नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची तथा उसे प्रस्तुत किए जाने के समय के अनुसार कार्य करूंगा। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ? यदि आपने भी नोटिस दिया है, तो आपको उनके बाद मौका मिलेगा। क्रम संख्या के अनुसार मौका मिलना चाहिए। यह क्या बात है ? श्री जोस, आप केरल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। मैं इस सभा को किस प्रकार नियंत्रित कर सकता हूं ?

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, केरल में नारियल की फसल कुटकी नामक विनाशकारी कीट की वजह से नष्ट हो गई है। इस विनाशकारी कीट के कारण उस फसल का अत्याधिक नुकसान हो रहा है। दस लाख से अधिक किसानों की पांच करोड़ से अधिक की नारियल, खजूर की फसल पर प्रभाव पड़ा है। केरल सरकार हमारे राज्य में इस कुटकी समस्या को नियंत्रित करने के लिए जोरदार प्रयास कर रही है।...*(व्यवधान)* जो वे कर रहे हैं, वह क्या है ?...*(व्यवधान)* महोदय, केरल सरकार ने समुचित सहायता प्राप्त करने के लिए संघ सरकार को एक ज्ञापन दिया है। नारियल की खेती केरल की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। कुटकी के आतंक ने राज्य की कृषि की नींव के लिए ही खतरा उत्पन्न कर दिया है। अतः, इसे एक राष्ट्रीय आपदा माना जाना चाहिए तथा केन्द्र सरकार को नारियल की फसल की रक्षा के लिए नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से इस कार्य हेतु कम-से-कम 100 करोड़ रुपये मंजूर करने चाहिए।

श्री ए. सी. जोस : केरल के सभी माननीय सदस्यों की इस मामले में एक राय है। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है और मैं श्री गोविन्दन, श्री कृष्णदास एवं श्री सुधीरन द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ स्वयं जुड़ा हूं। यही मेरा अनुरोध है। केरल में नारियल विकास बोर्ड है।...*(व्यवधान)* महोदय, नारियल विकास बोर्ड...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? मैं जीरो आवर कंडक्ट कर रहा हूं और आप बीच में खडे हो रहे हैं। आप तो ट्रेझरी बैंच के लोग हैं। आप कृपया बैठिए। सीनियरिटी के मुताबिक जो नाम आ रहे हैं, मैं उनको बुला रहा हूं और उन्हें बोलने का टाइम दे रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं। आप सीनियर मैम्बर हैं। यदि आपने इसी प्रकार से करना है, तो आपको चांस भी नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : हमें बोलने का चांस ही नहीं मिल रहा है।...*(व्यवधान)* हमने भी बोलने के लिए नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी नोटिस है।...*(व्यवधान)* इन्हें ही बोलने का अवसर दिया जा रहा है. ..*(व्यवधान)* हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुनः क्यों खड़े हो रहे हैं ? मैंने श्री जोस का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस : महोदय, केरल राज्य के लिए यह एक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वास्तविक संकट है। केरल राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था खतरे में है। नारियल विकास बोर्ड ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव पेश किया है--जो मैं समझता हूं--195 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर करने से संबंधित है। जब तक केन्द्र सरकार वह रकम प्रदान नहीं करती है, संकट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे केरल राज्य की संकटग्रस्त कृषि अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किशन सिंह सांगवान।

(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैंने भी अपना नाम दिया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किशन सिंह सांगवान।...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : जी हां, महोदय। मैं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किशन सिंह सांगवान। ...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान : जी हां, महोदय। मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश का किसान आज बहुत बर्बाद है। ...*(व्यवधान)* हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में पैडी की फसल खरीदने वाला कोई नहीं है।...*(व्यवधान)* सरकारी एजेंसियां चुप बैठी हैं।...*(व्यवधान)* किसान बर्बाद हो रहा है।...*(व्यवधान)* सपोर्ट प्राइस के नीचे किसानों की पैडी बिक रही है।...*(व्यवधान)* एक्सपोर्टर्स ने चावल की गलत क्वालिटी सप्लाई की जिसकी वजह से चावल रिजैक्ट हो गया।...*(व्यवधान)* सारे देश का किसान बर्बाद हो रहा है...*(व्यवधान)* किसानों की पैडी खरीदने वाला कोई नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपने नोटिस दिया है तो आपका नाम होगा। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह सांगवान : लिस्ट में मेरा नाम है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैम्बर्स लिस्ट में आपका नाम जब दिया है तभी आपका मैम्बर आयेगा।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह सांगवान : आपने मेरा नाम बुलाया था इसलिए मैं बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)* आप उनको बैठाइये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप मेरी सहायता कर रहे हैं, यह मुझे मालूम है।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : परंतु, महोदय, वे आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि सूची में 26 नाम हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान : मेरी बात तो रिकार्ड में आई नहीं है।...*(व्यवधान)* ये सारा समय शोर मचाते रहे हैं।...*(व्यवधान)* सारे देश में किसानों का मामला है।...*(व्यवधान)* पूरे देश के किसान बर्बाद हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं फिर भी आप खड़े हो गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर गोबिन्दन ने जिस आइटम पर नोटिस दिया है, उस पर बोलने के लिए तीन--चार सदस्यों का नाम है। आपसे पहले मिस्टर थामस का नाम है। मैंने गलती से आपको बुला लिया था। अब आप इनके बाद बोलिये।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह सांगवान : आपने मेरा नाम बुलाया तभी मैं खड़ा हुआ।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर किशन सिंह सांगवान का नाम इनके नाम के बाद है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही--वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

श्री पी. सी. थामस : महोदय, आपको भी इस बात की जानकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी, जानकारी है।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, जो पहले कहा जा चुका है मैं उसमे कुछ और जोड़ना चाहता हूं। यह समस्या मात्र केरल में नहीं है।...*(व्यवधान)* महोदय, प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अकेले केरल की ही समस्या नहीं है। यह राष्ट्रीय समस्या है। यह शीघ्र ही लक्ष्यद्वीप को भी प्रभावित करने जा रही है; न केवल लक्ष्यद्वीप को ही

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपितु उन अन्य स्थानों को भी प्रभावित करने जा रही है जहां नारियल की खेती होती है। यह ऐसा खतरा है जो कि फैलता जा रहा है। नारियल की सम्पूर्ण खेती उजड़ने अथवा नष्ट होने जा रही है।

यह ऐसी बीमारी है जिससे हम सभी को–किसानों, वैज्ञानिकों तथा सम्बंधित राज्य सरकारों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। यह केवल राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया जा सकता। इस मामले में भारत सरकार की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारत सरकार को इस समस्या के उपचार का पता लगाने के लिए तत्काल वैज्ञानिकों का एक दल भेजना चाहिए। आज तक कोई हल नहीं खोजा गया है। केरल सरकार ने अवश्य ही इस सम्बंध में कुछ किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है। परन्तु केरल की राज्य सरकार को कुछ और अधिक करना पड़ेगा तथा केन्द्र सरकार को पूरी सहायता करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : केरल राज्य के सभी माननीय सदस्य अपने को इस मामले के साथ जोड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : हम इस मामले पर बहस कराना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी. सी. थामस, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि केरल तथा अन्य राज्यों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से मैं माननीय कृषि मंत्री को अवगत करा दूंगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई. अहमद, आप और क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : हम माननीय कृषि मंत्री से वक्तव्य चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी. सी. थामस, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको याद होगा कि 'शून्य काल' के दौरान भी माननीय मंत्री जी ने आपकी मांगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुनील सुरेश, कृपया व्यवधान न डालें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज पैडी की फसल को सारे देश में, विशेष तौर पर उत्तरी भारत में, कोई खरीदने वाला नहीं है। कोई सरकारी एजैंसी, प्राईवेट एजैंसी खरीदने वाली नहीं है। सरकार ने जो सपोर्ट प्राइस फिक्स किया था, उससे भी कम दाम पर धान बिक रहा है जबकि मार्किट में चावल का रेट वही चल रहा है जो पहले से चल रहा था। एक्सपोर्टर्स ने विदेशों में गलत सैम्पल्स भेजे। वह चावल रिजैक्ट हो गया जिसकी वजह से विदेशी कम्पनियों ने चावल नहीं खरीदा। आज किसान बर्बाद हो रहे हैं। पिछले साल जो बासमती 2200 रुपये क्विंटल बिकता था, आज 800 रुपये में पिट रहा है। पी. आर. किस्म के चावल का सरकारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 520 रुपये है लेकिन वह 300 रुपये में बिक रहा है। कोई खरीदने वाला नहीं है। किसान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। फर्टिलाइजर, डीजल की वजह से दूसरे ऐग्रीकल्चरल इनपुट्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। मार्किट में कोई एजैंसी नहीं है। आज भी धान पड़ा है।...*(व्यवधान)* सरकार इस पर गौर करे। किसानों को कम्पैन्सेट करे। अब गेहूं की फसल बोई जा रही है लेकिन आज तक उसका कोई प्राइस फिक्स नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)* सरकार इसपर ध्यान दे। सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी धान की खेती यहां नहीं करेंगे तो वह लक्षद्वीप में भी नहीं जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि माननीय मंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें तो ये कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत हतोत्साहित करने वाली है कि भारत सरकार सिद्ध रिसर्च इंस्टीट्यूट को पलायमकोट्टई, तमिलनाडु से बंगलोर स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। सिद्ध विंग एक अच्छी और पुरानी संस्था है जो टी. वी. तथा एड्स जैसी भयंकर व्याधियों के लिए इलाज उपलब्ध कराती है।

अब डॉ. एम. जी. आर. मेडिकल यूनीवर्सिटी तक पलायमकोट्टई सिद्ध रिसर्च विंग में कैंसर संबंधी शोध चल रहा है। इस मौके पर भारत सरकार द्वारा इस संस्थान को बंगलोर स्थानांतरित करने का कदम बहुत निदंनीय है। हाल ही में भारत सरकार ने ताबंरम में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सिद्ध में एक रिसर्च विंग स्थापित करने के लिए कदम उठाये हैं। पलायमकोट्टई में औषधि संबंधी पौधों की खेती की जा रही है। पलायमकोट्टई में सभी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। काफी धन खर्च किया गया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें और इस संस्थान को पलायमकोट्टई में ही बना रहने दें। यह न केवल मेरे दल अन्ना द्रमुक की भावना है बल्कि तमिलनाडु के लोगों की भी भावना है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, पश्चिम बंगाल की कुछ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की इकाइयां विनिवेश

के संकट का सामना कर रही हैं। एन. जे. एम. सी., राष्ट्रीय जूट उत्पादक निगम के अधीन कुछ जूट मिलें हैं। परन्तु यह एन. जे. एम. सी. स्वयं भी बन्दी की आशंका का सामना कर रहा है। एन. ज. एम. सी. की कुछ इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जूट निगम का प्रबंधन एन. जे. एम. सी. की देखभाल कर रहा है! हमारी मांग है कि एन. जे. एम. सी. के लिए एक पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की तुरंत आवश्यकता है और इसके लिए संसाधन भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए। कुल मिलाकर इसकी विभिन्न इकाइयों में लगभग 24,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन इकाइयों के लगभग 12000 से 15000 तक कर्मचारी पहले ही बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए एक तरफ तो सरकारी क्षेत्र के कारखानों में विनिवेश का यह हश्र है और दूसरी ओर एन. जे. एम. सी. मिलों की बंदी की आशंका है। हमारे राज्य के लोग वास्तव में यंत्रणा झेल रहे हैं। केन्द्र सरकार को इस समस्या के अविलम्ब समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं भी इस मामले में श्री बंद्योपाध्याय के साथ हिस्सा लेता हूं। एन. जे. एम. सी. मिलें जिनमें लगभग 24,000 कर्मचारी हैं, गम्भीर संकट का सामना कर रही हैं। कच्चे जूट की आपूर्ति न होना इसका एक प्रमुख कारण है। जे. सी. आई. के चेयरमैन एक मिल के प्रबन्ध निदेशक हैं। उसी अधिकारी ने दस वर्ष पूर्व भी समस्या पैदा कर दी थी जो दोनों उत्तरदायित्व निभा रहा है। इसलिए यह एक पुरानी समस्या है। अब एन. जे. एम. सी. कर्मचारियों के वेतन रोक दिए गए हैं। भविष्य में उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा। यह एक गम्भीर स्थिति है। मैं वस्त्र मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में वक्तव्य दें और यह सुनिश्चित करें कि मिलों को जूट की आपूर्ति की जा रही है, कामगारों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है और सरकार द्वारा मिल को समुचित रूप से चलाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है तो आपका नाम आयेगा। अगर नाम है तो आयेगा। आप लोग शान्त रहेंगे तो चांस मिलेगा। अशान्ति होगी तो चांस नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस अवसर पर भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा उठाई जा रही भारी हानि से सम्बंधित मामले पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार ने 70 रुपए प्रति शेयर के बहुत कम मूल्य पर 135 मिलियन शेयर विदेशी बाजार में बेचने का निर्णय किया है। इसका कुल परिणाम यह होगा कि सरकार को भारी हानि होगी। यह विनिवेश नीति के तहत किया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के शेयर बेचने का भी निर्णय किया है जिससे भारी हानि होगी क्योंकि यह निश्चित है कि विदेशी बाजार में गैस अथॉरिटी के शेयर 70 रुपए प्रति शेयर से बहुत ज्यादा हैं।

अब, कुल परिणाम यह है कि हम कम मूल्य पर शेयर बेच रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, हम इस मामले में सी. बी. आई. जांच की मांग करते हैं। यह बहुत गम्भीर आरोप है। सरकार पिछले दो माह से बड़े गुप्त रूप में यह कर रही है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह एक अत्याधिक गंभीर मामला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका निर्णय किसने किया है, क्या किसी मंत्री ने या विभाग के किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया है ? मुझे यह भय और आशंका है कि कोई गुप्त लेन–देन किया गया है। मैं यह मांग करता हूं कि मामले की जांच किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री उत्तमराव बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, आप अपने मामले के संबंध में बता चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं पूर्व वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम का भी जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने भी बहुत ही कम मूल्य निर्धारित किया था।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, जो यहां कहा जाता है, उसका संबंध किसी-न-किसी गंभीर मामले से होता है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं माननीय सदस्य, जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, द्वारा कहे गए वाक्य का जोरदार विरोध करता हूं। महोदय, आपको संसदीय कार्यप्रणाली की जानकारी है कि 'शून्य काल' के दौरान महत्त्वपूर्ण मामले उठाए जाते हैं। कोई भी मंत्री उनका उत्तर तुरंत देने की स्थिति में नहीं होता है। सरकार संसद में चर्चा किए जाने वाले सभी मामलों पर ध्यान देती है। यह कहना कि कोई व्यक्ति मौन है और ऐसा करने का कारण बता रहा है, उचित नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने 'कोई व्यक्ति' नहीं कहा। मैंने कहा कि सरकार मौन है। मैं इस बात को दोहराता हूं।

श्री प्रमोद महाजन : आपने कहा कि मंत्री मौन हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम होना

चाहिए कि 'शून्य काल' के दौरान, अत्यावश्यक लोक महत्त्व के मामले उठाए जाते हैं तथा सरकार इसका ध्यान रखती है। यह समय विस्तृत वक्तव्य देने तथा सरकार से उत्तर मांगने का नहीं होता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कोई भी बात कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र में प्याज उत्पादन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने आपको लिखित रूप में सूचना दी है और आपने इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षिप्त रूप में यह बताइए कि भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, हमारे देश में प्याज की पैदावार कुछ ज्यादा ही होने वाली है और ऐसी स्थिति में हमारे देश में प्याज को खरीदने के लिए ग्राहक नहीं होगा। ग्राहक न होने की स्थिति में दिन–ब–दिन प्याज के दाम गिरते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह बताइए कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, किसानों के सामने समस्या यह है कि वह प्याज को कहां रखे। प्याज थोड़े दिनों में खराब हो जाती है। प्याज का अच्छा दाम न मिलने से किसान प्याज को खेत से मार्केट में भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उत्पादन खर्च और वाहन खर्च भी नहीं मिलता है। किसानों ने बैंकों से कर्जा लिया है, ऐसी स्थिति में वे ब्याज भी नहीं दे सकेंगे, तो कर्जा कहां से देंगे।

मैं आपसे विनती करता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वह नासिक जिला महाराष्ट्र में प्याज के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में पूना, सतारा, अहमदनगर जिले प्याज की बहुत ऊपज करते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि प्याज के निर्यात के ऊपर जो पाबंदी लगाई हुई है वह उठाई जाये और प्याज को अति आवश्यक गुड्स से निकाला जाये, जिससे किसानों को कम-से-कम प्याज का समर्थन मूल्य तो दिया जाये।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष जी, किसानों को कम-से-कम समर्थन मूल्य तो दिलाया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को बाध्य नही कर सकता।

[हिन्दी]

सरकार ने आपकी मांग सुन ली है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : मैं भारत सरकार का ध्यान अत्यन्त महत्त्व के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। छह नवम्बर के दौरान जागरण में आया है कि भारत नेपाल सीमा पर गोरखपुर में 3100 क्विंटल आर. डी. एक्स. पुलिस ने जब्त किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से 2200 क्विंटल आर. डी. एक्स. वहां से गायब हो गया। यह मामला बहुत संवेदनशील है। गोरखपुर भारत नेपाल सीमा पर है और वहां पर पाकिस्तानी एजेंसी आई. एस. आई. की राष्ट्र–विरोधी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर पटाखों की आड़ में जो आर. डी. एक्स. गोदामों में भरा पड़ा है उसकी सी. बी. आई. जांच हो, जिससे कोई विस्फोटक स्थिति आने से पूर्व ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। आपके माध्यम से मेरी भारत सरकार से मांग है कि जो 2200 क्विंटल आर. डी. एक्स. गायब हो गया है उसमें संलिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा चलाये जा रहे बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम की ओर खींचना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो राज्य सरकार का विषय है, इसे आप यहां उठा नहीं सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : अनुदान केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट सब्जैक्ट है, इसे आप यहां उठा नहीं सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, परंतु प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री यहां नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि कौन इन सभी समस्याओं को समझेगा। त्रिपुरा में राज्य सरकार की मदद के लिए केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती में अपर्याप्तता तथा विद्रोही कार्यों का सामना करने के लिए सेना की अनुपस्थिति के कारण सामान्य जनता के समक्ष बढे हुए विद्रोहों और आक्रमणों सहित गंभीर सुरक्षा की समस्या है। 16 नवम्बर से 24 नवम्बर

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तक, केवल आठ दिनों में, यह सूचना प्राप्त हुई है कि उग्रवादियों ने आम लोगों, पुरुषों एवं महिलाओं, आठ सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों की तथा तीन सशस्त्र वन रक्षकों की हत्या की है। यह स्थित है वहां। बढ़े हुए विद्रोही आक्रमणों के साथ, आदिवासियों और गैर–आदिवासियों के बीच जातीय तनाव बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से किस कार्य की अपेक्षा करते हैं ?

श्री समर चौधरी : केन्द्र सरकार को इस विद्रोह के नियंत्रण और दमन के लिए सशस्त्र सुरक्षा बल तथा सेना तुरंत भेजनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, इस पर ध्यान दिया गया है।

श्री समर चौधरी : राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने अपने पास उपलब्ध समस्त सुरक्षा बलों को तैयार किया है। त्रिपुरा में, 90 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र के लिए केवल एक बटालियन को तैनात किया गया है। परंतु कश्मीर में 15 किलोमीटर के लिए, एक बटालियन तैनात की गई है।

श्री कृष्णमराजू (नरसापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंध्र प्रदेश और विशेषकर पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावारी जिलों में किसानों से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं। भारतीय खाद्य निगम ने पिछले वर्ष 14 प्रतिशत सम्मिश्रण के लिए चावल एम. टी. यू. 1001 की खरीद की है। अब, दुर्भाग्यवश उन्होंने उसे 10 प्रतिशत सम्मिश्रण तक सीमित कर दिया है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले ही इसे उत्तम किस्म का मान लियां है। जब सम्मिश्रण 14 प्रतिशत कर दिया जाएगा, तब यह किस्म सर्वोत्तम किस्म हो जाएगी। पंजाब में भारतीय खाद्य निगम जो धान खरीद रहा है, उसमें मिल संबंधी व्यय शामिल है और वह लगभग आंध्र प्रदेश के 14 प्रतिशत सम्मिश्रण के समान है। कुछ समय पहले, उन्होंने 20 प्रतिशत में भी उसकी खरीद की। परंतु आंध्र प्रदेश में, उन्होंने उसे कम कर दिया है। अतः, किसान इस मामले को लेकर पहले ही क्षुब्ध हैं। मैं केन्द्रीय मंत्री से यह अनुरोध कर रहा हूं कि किसानों के हित में चावल की विविध किस्मों को उत्तम किस्म माना जाए और संमिश्रण को 14 प्रतिशत निर्धारित किया जाए।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में प्रत्येक वर्ष बाद भयंकरतम तांडव होता है। इस वर्ष भी 23 जिलों में भयंकर बाढ़ आई। बागमती, अदवारा समूह, कमला–बालान और कोसी नदियों में नेपाल से हाई डैम बना कर और तकनीकी जल अयोग बना कर नेपाल–भारत के सहयोग से बाढ़ को रोका जा सकता है। पहले भारत सरकार ने इस मामले को गम्भीरता से टेक अप किया था लेकिन 1995 से यह काम बंद है। इस बारे में नेपाल से वार्ता करके, इन नदियों को गहरा करके तथा नेपाल के मैदानी इलाकों में हाई डैम बना कर बाढ़ को रोका जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल संसाधन मंत्रालय गम्भीरता से इसे टेक अप करे। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, सहरसा और मधुबनी इत्यादि जिलों को बाढ़ के संकट से उबारने के लिए भारत नेपाल के साथ बातचीत करे। नेपाल में हाई डैम बना कर उत्तर बिहार को बाढ़ मुक्त किया जाए और किसान मजूदरों की रक्षा करने का काम किया जाए। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से ले।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप शान्त बैठे थे तो आपको बोलने का मौका मिला। अगर अशान्ति पैदा करते तो बोलने का चांस नहीं मिलता।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : महोदय, ऊपर शांति है लेकिन भीतर अशांति है।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच में गन्ना किसानों को कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों किसान जो गन्ना बो रहे हैं, वे आज भूखे मर रहे हैं। वे 35–40 रुपए क्विंटल गन्ना कोल्हू को दे रहे हैं। आज उत्तर भारत में चीनी मिलों की हालत बहुत खराब है। चीनी निगम की 35 मिलें हैं। उनमें से पांच मिलें बाराबंकी, बरेली, महोली, नवाबगंज और नथगंज में हैं। उन्हें पहले से ही बंद कर दिया गया है। मेरठ, रामपुर, हरदोई, मंडेरवा, छितौनी, घुघली, पड़रौना, कठ कुइंया और गौरी बाजार की चीनी मिलें भी पहले से बंद हैं। 14 मिलें बंद हो गई हैं। भटनी, बैतापुर, देवरिया, रामकोला, खेतान और लक्ष्मीगंज मिलें बंद होने जा रही हैं। गन्ना किसान कहां जाकर रोए, किस दरबार में जाकर रोंए ? गन्ना किसानों का अरबों रुपया बाकी है। लोग जेल जा रहे हैं। हम भी जेल गए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं जेल में जाऊं या आपके यहां फरियाद करूं या मंदिर में फरियाद करूं। मैं कहां जाऊं और किस देश में जाऊं ? प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम गन्ना किसानों की रक्षा करेंगे।

अपराह्न 1.00 बजे

आज दोनों जगह हमारी हुकूमत है, हम किस के यहां फरियाद करें ? गन्ना मिल पर किसानों का अरबों रुपया बाकी है लेकिन गन्ना मिलें बन्द हो रही हैं। गन्ना किसान मर रहा है, आन्दोलन हो रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं और पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें गन्ना किसान का क्या कसूर है, इनके साथ न्याय कब होगा ? इस सदन में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि गन्ना किसानों के बारे में कृषि मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करके सदन को सूचित करेंगे लेकिन वह नहीं हुआ। मैंने नियम 193 के अधीन नोटिस दिया है। मैं आपसे और अपने विरोधियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस मामले में सहयोग करें। मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यहां मंत्री जी कम-से-कम यह आश्वासन तो दें कि किसानों के प्रति न्याय किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी बयान दें।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : उपाध्यक्ष जी, मैं श्री मिश्रा जी की बातों से सहमत हूं। बिहार में भी गन्ना किसानों का मामला है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिश्रा जी, मैं सरकार को कम्पैल नहीं कर सकता। यदि वह रिएक्ट करना चाहे तो कर सकती है। इसलिये आपका जो अनुरोध है, वह कह दीजिये।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से कौन यहां उठाये जा रहे सभी मामलों को नोट कर रहे हैं...*(व्यवधान)* सरकार की तरफ से कौन इनको नोट कर रहा है, ताकि उन मसलों को उपयुक्त मंत्रालय की जानकारी में लाया जाए। हमें यह जानने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी शून्य काल में कोई भी इन बातों को नोट नहीं करता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या इसका अर्थ यह है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं ? हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दास मुंशी, कृपया मेरी बता सुनिए। शून्य काल के दौरान जब कोई मामला लिया जाता है या उठाया जाता है तो यदि सरकार तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है, तो वह व्यक्त कर देती है, अन्यथा वह इसे बता देंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अभी–अभी श्री प्रमोद महाजन ने सरकार की ओर से यह कहा है कि शून्य काल के दौरान मंत्री अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते परन्तु सरकार प्रत्येक बात को नोट करती है और उसे संबंधित मंत्रियों को सम्प्रेषित कर देती है। इसलिए श्री प्रमोद महाजन की ही तरह मैं पूछ रहा हूं कि यहां उठाये जा रहे मुद्दों को कौन नोट कर रहा है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का हमारा अधिकार है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यदि आप नहीं सुनते तो बोलते रहिये।

श्री जे. एस. बराड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने का सवाल हमारे सामने भी है। पंजाब में चाहे कॉटन हो...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम क्रम संख्या 17 तक पहुंचे हैं और अभी बोलने के लिए और सदस्य बचे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। जब शून्य काल के दौरान कोई मामला उठाया जाता है, तो यदि सरकार तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है तो जरूर करती है। अन्यथा वे चुपचाप नोट करते रहते हैं। यह बात नहीं है कि वह इसे नोट नहीं करती है। वह इसका ध्यान रखती है।

अब इस मामले में मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

आप सीनियर मैम्बर हैं। मैं सरकार को तो कम्पैल नहीं कर सकता। हां, अगर वे करना चाहें तो कर सकते हैं। अन्यथा मैं, अगला विषय लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यहां तक तो ठीक है शून्य काल के दौरान एक विषय से संबंधित मुद्दों को लिया/उठाया जाता है। नियमानुसार हम सरकार को तुरन्त उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे यहां उठाये गये सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होंगे।

परन्तु यह कहना कि सरकार इन बातों पर गौर नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि इसका कोई जवाब नहीं है। आपको स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए थी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वे इसका ध्यान नहीं रखते हैं।

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : महोदय, सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में रहने वाले गन्ना उत्पादकों की समस्याओं का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया है ...*(व्यवधान)* कृषि मंत्री आगे की कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के बयान से संतुष्ट नहीं हूं। एक निवेदन है, जब अपनी शक्ति काम नहीं करती है तो भगवान का ही भरोसा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भगवान पर भरोसा रखिए।

श्री राम नगीना मिश्र : आप गन्ना किसानों की व्यथा सुन लीजिए।

"अभागा हमरे देसवा के गन्ना किसान।

गाज़ी मियां मुर्गा मांगे,

काली माई मांगेली चिरकी और कान।

नेता लोग वोट मांगे, गवर्नमेंट टैक्स मांगे,

अमला वकील रहे, छोड़ दे ईमान।

सब कोई हमनी से मांगे, हमनी का कैसे मांगेली

हमनी अभागवन के दाता सियाराम।"

यही हमारा कहना है।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर और महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। हम सबको कारगिल युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई है, हम सबको उस पर फख है और सत्तारूढ़ दल को ज्यादा फख होना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से ही वह सत्ता में आ सके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कारगिल शहीदों की विधवाओं और उन पर निर्भर लोगों की तरफ आज भी सरकार का ध्यान नहीं है। उचित समन्वय नहीं होने की वजह से उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों ने कारगिल युद्ध के लिए अपनी तरफ से अंशदान दिया, उन लोगों का हिसाब ठीक से नहीं रखा जाता, उन्हें रसीदें नहीं मिलतीं और जो लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों की विधवाओं को रकम अनाउंस हुई लेकिन उन्हें वह रकम नहीं मिली। मैं सदन के सामने ऐसा ही मामला लाना चाहता हूं जिसका प्रेस में भी बड़े जोरों से जिक्र आया है। 7वीं सिख लाइट इनफैण्ट्री के ज़वान अजमेर सिंह जो कारगिल में शहीद हुए, उनकी विधवा को एक लाख रुपये का चेक का भुगतान रोक दिया गया है। एक जवान की विधवा श्रीमती परमजीत कौर जो लुधियाना के धलकूट गांव की है, नई दिल्ली में 11 जुलाई को राष्ट्रीय स्वाभिमान के तत्त्वावधान में एक विशेष समारोह में इंद्रपस्थ स्टेडियम में चेक दिया गया था, लेकिन जब चैक भुनाने गए तो उन्हें वह पैसे नहीं मिले। विंग कमाण्डर एम. एस. रंधावा, डिप्टी डायरेक्टर सैनिक कल्याण बोर्ड ने बताया कि परमजीत कौर ने सेना संगठन को इस संबंध में कई पत्र लिखे लेकिन दुर्भाग्य से उसका एक भी जवाब नहीं आया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस मामले में कल ही रक्षा मंत्री को सदन में उत्तर देना चाहिए। एक आरोप लगाया गया है। शिकायत का उत्तर कल ही रक्षा मंत्री को देना पड़ेगा। यह एक गम्भीर आरोप है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार, कृपया अब इसे पूरा करिये।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, आपने अभी-अभी कहा कि आप सरकार को विवश नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, वे अपनी बात रख रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही स्थिति रही तो देश के लिए जिन लोगों ने जान न्यौछावर की, उन लोगों के साथ हमारा दृष्टिकोण जिस तरह से चल रहा है, वह ठीक नहीं है। यह जो दो मामले मैं आपके सामने लाया, ऐसे कई मामलों की शिकायतें कई राज्यों से आ रही हैं। युद्ध हो गया, लोग शहीद हुए, नया राज आ गया लेकिन जिन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी की, उन लोगों पर जो निर्भर थे, उनके साथ ठीक से बर्ताव होना चाहिए। जिस तरह का मॉनीटरिंग कार्य हो रहा है, वह उचित तरीके से नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी ठीक से मॉनीटरिंग हो, इसके लिए कोई कमेटी बैठाएं और ऐसी घटनाओं को वह कमेटी देखे।

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की राजनीति में जिस तरह से अपराधियों के राजनीतिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, वह आज खतरनाक हद तक पहुंच गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सब्जेक्ट है। मैंने प्रकाश जी को भी इसलिए बोलने का मौका नहीं दिया था। मैं इस पर अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री राधा मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था के बारे में बोलना चाहता हूं। बिहार में सौ से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य के विषय से संबंधित कोई भी मामला कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रवि प्रकाश वर्मा को भी अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित मामला उठाना चाहते थे। अब, यह बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबद्ध मामला है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री दिलीप गांधी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिलीप गांधी जो कुछ कह रहे हैं उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान न पहुंचाए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को हमारे जिले अहमदनगर में महाराष्ट्र एक्सप्रैस से एक दुर्घटना 29 नम्बर गेट पर घटी और उसमें गन्ना तोड़ने वाले 11 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मुझे यह नहीं पता कि इसके लिए रेलवे विभाग जिम्मेदार है या नहीं। लेकिन वहां ओवरब्रिज का काम चालू था, इसलिए वहां बाई–पास बनाया गया है, लेकिन इस बाई–पास की दूरी लगभग चार–पांच किलोमीटर है, लेकिन उसमें इतने अधिक गड्ढे हैं कि कोई भी आदमी उधर से गुजरना नहीं चाहता। इसी कारण से लोग रेल की पटरी से गुजरते हैं। जो जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया और एक्सीडेंट हो गया और 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना के लिए जीप ड्राइवर जिम्मेदार है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिन 11 मजदूरों की मौत हुई वे बहुत ही गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले लोग थे। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इन परिवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि की व्यवस्था की जाए।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज 30 नवम्बर को इंडियन बैंक की जो म्यूचुअल फंड की स्कीम थी, जिसे 1992 में लांच किया गया था, उसका नाम इंड प्रकाश स्कीम है। देश में खास तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रांतों के लगभग एक लाख पांच हजार छोटे इंवैस्टर्स ने इसमें पैसे लगाये थे। 1992 में इंडियन बैंक जो गवर्नमैंट का बैंक है, ने प्रोमिस किया था कि वह दस रुपये की म्युचुअल फंड की यूनिट का 30 नवम्बर, 1999 को तीस रुपए देगा। लेकिन आज इंडियन बैंक ने डिक्लेयर किया है कि वह इन्वैस्टर्स को सिर्फ 17 रुपये देगा। जिसे कारण छोटे इन्वैस्टर्स को लगभग 70 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। हम इस मामले को सेबी और रिजर्व बैंक के पास लेकर गये थे। सेबी ने इंडियन बैंक को डायरेक्टिव दी हैं कि उन्हें प्रति यूनिट तीस रुपये देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज इस स्कीम का अंतिम दिन है। यदि आज सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया या कोई डायरेक्टिव्ज नहीं दी तो एक लाख पांच हजार छोटे इंवैस्टर्स का 70 करोड़ रुपये का नुकसान होगा और सरकार ने नेशनलाइज्ड बैंक की क्या क्रैडिबिलिटी होगी। इसी प्रकार का आदेश सरकार ने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक की ऐसी ही म्यूचुअल फंड की स्कीमों में दिया था। मेरी आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वह स्थिति स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्त्वपूर्ण मामले पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। आज 23 नवम्बर को दोपहर बाद से लगभग सभी टेलीविजनों ने और विशेष रूप से दूरदर्शन ने कहा कि कारगिल संबंधी आयोग के प्रमुख श्री सुब्रमणयम ने करगिल संबंधी अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी आपका विषय आरक्षण कोटा पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में अ. जा., अ. ज. जा. और अ. पि. व. का आरक्षण है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने आज करगिल के मामले पर नोटिस दिया था। मुझे नवीन परिस्थितियों की जानकारी नहीं है। ..*(व्यवधान)* कल मैं राजीवजी के बारे में बोला था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आपका नोटिस 10.05 बजे प्राप्त हुआ था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि आप मुझे अनुमति नहीं देते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका विषय सूची में है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनसे बात करने दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह अलग तारीख में था। मैं केवल इसे स्पष्ट करूंगा। मैंने दो दिम पूर्व 30 तारीख को आरक्षण के मामले पर नोटिस दिया था। परंतु मैंने राजीव जी के मामले पर कल नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया, "आपका आरक्षण के बारे में मामला आज उठाया जाना चाहिए।" मैंने कहा, "नहीं, मैंने इस विषय में नोटिस नहीं दिया था।" इसलिए मैंने इसे कल उठाया और सोचा कि मेरा नोटिस समाप्त हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके नोटिस की जानकारी नहीं है। मुझे केवल आपके द्वारा सुबह 10.05 बजे दिये गए नोटिस की जानकारी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना नोटिस 10 बजे के बाद दिया है। यदि आप चाहते हैं तो आप इस विषय पर बोल सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, महोदय। मैं इस विषय पर आज नहीं बोल सकता। मैंने सोचा कि चूंकि अध्यक्ष महोदय ने कल इसकी अनुमति नहीं दी थी इसलिए मैंने सोचा कि यह समाप्त हो चुका।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। नोटिस 10 बजे तक नहीं आया।

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : वैसे भी सीनियर मेम्बर्स को जीरो आवर में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि जूनियर मेम्बर्स को अवसर देना चाहिए।

अन्य लोगों को बोलने दें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे आपसे ही पता चला है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, यह मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूचीं पूर्ण करने के पश्चात आपके पास आऊंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं केवल दो मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं; यह सूची पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।

टेबिल आफिस के बारे में श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा जो कुछ भी बताया गया है, वह वाद-विवाद में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस समय अकाल पड़ा है। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को पैसा दिया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने 26 जिलों में किसानों को एक भी पैसा नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : भार्गव जी, आपका विषय तो इलैक्ट्रिसिटी चार्जेज में एनहान्समेंट के संबंध में है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रिसिटी चार्जेज में एनहान्समेंटस से किसानों पर ही मार पड़ी है। मैं अपने उसी विषय पर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो अकाल पर बोल रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : भार्गव जी, आप बैठ जाइए। रिकॉर्ड न किया जाए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका विषय "विद्युत प्रभारों में वृद्धि" के बारे में है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री दासमुंशी को भी अनुमति नहीं दी थी। जो आपसे पहले बोले थे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने विद्युत प्रभारों में वृद्धि के बारे में नोटिस दिया है। यह भी राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अबः श्री लक्ष्मण सेठ बोलेंगे।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भार्गव, कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, मैं एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)* इस वर्ष एस. टी. सी. ने 450 डालर प्रति टन की दर से म्यांमार से दालें आयात की थी।

इस वर्ष फिर एस. टी. सी. ने 467 डालर प्रति टन की दर से अस्ट्रेलिया से 67,000 टन दालें आयात की हैं। इस वजह से सरकारी राजकोष को 15 रुपये से 25 रुपए प्रति टन की दर से घाटा उठाना पड़ा है। न केवल यही बल्कि यह आयात सिंगापुर स्थित एक निजी एजेंसी के माध्यम से किया गया है। किंन्तु म्यांमार से आयात सरकार से सरकार के बीच किया गया था। यह समझ में नहीं आता कि भारत सरकार ने म्यांमार से आयातित दर से अधिक दर पर आस्ट्रेलिया से दालें क्यों आयात करना शुरू किया।

महोदय, मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सिंगापुर स्थित निजी एंजेंसी को आस्ट्रेलिया से दालें आयात करने के लिए टेंडर दिया गया था जबकि म्यांमार से दालों का आयात सरकार से सरकार के बीच किया गया था। मैं संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह आस्ट्रेलिया से दालें आयात किए जाने के संबंध में इस सभा में एक वक्तव्य दें। महोदय, यह गेहूं घोटाले के समान ही एक घोटाला है!

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर अपनी चिन्ता के बारे में बताना

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहता हूं जो कि संवेदनशील है और जो पहले ही राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। पदमा और गंगा नदियों के प्रकोप से हुआ भयंकर कटाव मेरे राज्य के लोगों के लिए दुःस्वप्न बन गया है।

महोदय, यह भयावह बात है कि 1971 से इन नदियों के कटाव ने एक सौ वर्ग किलोमीटर भूमि को अपने आगोश में ले लिया है। कटाव की पुनरीक्षा करने के लिए दो आयोग गठित किए गए थे। एक प्रीत सिंह समिति थी तथा दूसरी केस्कर समिति थी। किन्तु अभी तक कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गयी है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उदासीन और लापरवाह रवैये से स्थिति और विकट हो गयी है। एक व्यापक योजना अभी तैयार की जानी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों की हानि हुई है।

इसलिए, मेरा यह प्रस्ताव है कि स्थिति की नये सिरे से पुनरीक्षा करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए !

डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं पिछले महीने सिडनी, आस्ट्रेलिया में होर्डर्न पेविलियन में सिडनी गे एण्ड लेस्बियन मार्डी ग्रास कमेटी के वार्षिक 'स्लीज फाल' में हुए धार्मिक तिरस्कार के लिए समस्त भारत वासियों की आहत और उत्तेजित भावनाओं की ओर आपका तथा इस माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

उन्होंने अनेक तरीकों से भारतीय हिन्दू देवताओं का अपमान किया है। गणेश को 'गेणेश' के रूप में दिखाया गया तथा अनेक अश्लील चित्र लगाये गये थे जिनमें हिन्दू देवताओं का मजाक उड़ाया गया था। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता बरतनी होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आस्ट्रेलिया वासी 19वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं।

आस्ट्रेलिया वासियों को भारत वासियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और उन्हें भड़काने का कोई अधिकार नहीं है। मैं विदेश मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि यदि अब तक इस पर विरोध दर्ज कराया नहीं गया है तो वह इस पर कड़ा विरोध दर्ज करे।

मैं आशा करती हूं कि संपूर्ण सभा और समग्र राष्ट्र यह विरोध जताने में मेरे साथ है।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, यह गंभीर चिन्ता का विषय है और यह अत्याधिक आपत्तिजनक मामला है कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का भगवाकरण करने और पक्षपात पूर्ण नियुक्तियों और पक्षपातपूर्ण सेवानिवृत्तियों की नीति के जरिये उनकी धर्म निरपेक्ष विशेषता को नष्ट करने तथा उनकी स्वायत्तता को कुचलने या समाप्त करने का प्रयास कर रही है।

महोदय, विरोध को कुचलने के लिए पक्षपातपूर्ण सेवानिवृत्ति का सहारा लिया गया और पक्षपातपूर्ण सेवानिवृत्ति प्रसार भारती बोर्ड के मामले में की गयी। आई. सी. एच. आर., आई. सी. एस. एस. आर, एन. सी. ई. आर. टी. जैसे कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिनमें आर. एस. एस. प्रचारकों और आर. एस. एस. जैसी विशेष विचारधारा वाले लोगों की पक्षपात पूर्ण नियुक्तियां की गयीं। महोदय, यह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का विध्वंस करने का एक प्रयास है !

अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह अपील करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और यह देखें कि लोकतांत्रिक संस्थानों में ऐसी पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों और पक्षपातपूर्ण सेवानिवृत्तियों के जरिये हमारा धर्मनिरपेक्ष ढांचा विकृत या नष्ट न होने पाये।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश को आजादी मिलने के बाद भी दलितों पर गांव–गांव में अत्याचार हो रहे हैं। इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में यशोह तालुका के राम पानखान में 27 तारीख की सुबह गांव के हाथी दरबार में उच्चवर्गीय समाज ने दलित बस्ती के कम से कम पचास लोगों पर हमला किया। यह बात बहुत सीरियस है। उन्होंने गांव की जमीन पर पहले से ही कब्जा किया हुआ था। इन्होंने अतिक्रमण किया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह कानून और व्यवस्था से संबंधित नहीं है ? क्या यह राज्य का विषय नहीं है ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : किन्तु वह तो अल्पसंख्यकों, राज्य में कानून और व्यवस्था के बारे में बोले जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के निर्णय को चुनौती न दें। हमने इसे पहले ही ध्यान में रखा है। कृपया ऐसी टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि जिन राज्यों में इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में राज्य सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता है। जिन लोगों के पास गांव में जमीन नहीं है, यदि ऐसे लोग सरकार की जमीन पर कब्जा करते हैं तो गांव के लोगों का औब्जैक्शन करना ठीक नहीं है। उसे सरकारी लोग देख सकते हैं। गांव के लोगों को लगता है कि दलितों के पास जमीन नहीं होनी चाहिए। यदि उन पर इसी तरह ऐट्रॉसिटी होती रहेगी तो जिनके पास ज्यादा जमीन है, वे उस पर कब्जा करने के लिए आगे आएंगे। वे अभी तक इस स्टेज पर नहीं गए हैं। उन लोगों पर जो हमला हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने हमला किया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में भारत सरकार राज्य सरकार को निदेश दे। यहां भी आपकी सरकार है, वहां

भी आपकी सरकार है। यदि इसी तरह अत्याचार होते रहे तो वह भी जाएगी और यह भी जाएगी। दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। मैं आपके द्वारा सरकार से यही निवेदन कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष उल्लेख द्वारा तमिलनाडु में तमिराबरानी नदी की गाद निकालने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत केवल कावेरी नदी ही इसमें सम्मिलित की गई है और इसकी गाद निकाली जा रही है। यह नदी पोथीगई नामक पहाड़ी से निकलती है। यह लाखों किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह पोथीगई से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह तीन जिलों के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इससे बहुत ही शुद्ध पेय जल, संरक्षित जल की आपूर्ति की जा रही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इसकी गाद नहीं निकाली गई है। अब एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है, जिसमें सारी नदी खरपतवार के कारण प्रदूषित हो गई है। यह नदी में खड़ा हुआ एक जंगल जैसा दिखाई देता है। पानी निर्वाध गति से नहीं बढ़ रहा है और इसकी दो जिलों में बहुत सी छोटी नहरें हैं। इन नहरों के द्वारा नदी का पानी जलाशयों में पहुंचता है। इसलिए तमिराबरानी की सफाई और गाद निकालने के कार्य को वन और पर्यावरण द्वारा राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि क्या जल संसाधन मंत्रालय के साथ भी विचारविमर्श किया गया है अथवा नहीं। इसलिए सभी जिलों में संरक्षित जल की जलापूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा एक मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि तिरुनेलवेली से—जल पोथीगई पहाड़ियों से निकलता है—मदुरै, कोइलपट्टी और इस क्षेत्र के आसपास 100 मील की परिधि में जल की आपूर्ति की जा रही है। इस जल की विजय नारायनम स्थित नौ सेना अड्डे को भी आपूर्ति की जा रही है। इस जल की वहां स्काई लैब को भी आपूर्ति की जा रही है।

इसलिए, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि सम्पूर्ण तमिराबरानी नदी की गाद निकाली जाये और उसे संरक्षित करने के लिए नहरें भी निकाली जायें। वहां दो बांध हैं—पयानासम और मनीमुयार। कई बार वर्षा के मौसम के दौरान ये दोनों बांध खोले जा रहे हैं और उनका पानी तमिराबरानी नदी में जा रहा है। इसलिए इसे साफ किया जाना चाहिए और गाद निकाली जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से इसे साफ करने का अनुरोध करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामले पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह पूरे राष्ट्र की चिंता का कारण हो रहा है। महोदय, 23 नवम्बर को दूरदर्शन और अन्य टी. वी. चैनलों के माध्यम से भी लगातार संदेश प्रसारित हो रहा था। किन्तु मैंने दूरदर्शन पर देखा था। सही स्थिति जानने के लिए मैं सही हूं या गलत, मैंने प्रसार भारती और आकाशवाणी के सी. ई. ओ. को शब्दशः सही जानकारी देने के लिए पत्र लिखा था। रिपोर्ट यह थी कि कारगिल आयोग के चैयरमैन श्री सुब्रहमन्यम ने कारगिल आयोग की रिपोर्ट 23 नवम्बर को गुरु नानक जी के जन्म दिन को दोपहर बाद सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। उसके बाद अगले दिन समाचार पत्रों ने खबर दी कि श्री सुब्रहमन्यम प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी से मिलने गए, उनके साथ बातचीत की और विश्वास दिलाया कि यह 15 दिसम्बर से पहले आ जायेगी। अब विभिन्न समाचार माध्यमों से यह पता चला है कि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। किन्तु हो सकता है कि पैराग्राफ में कुछ सही या गलत था। मैं वह नहीं जानता। आगे संशोधन करने की सलाह दी गई थी। सर्वप्रथम, रिपोर्ट जब तक नहीं सौंपी जाती, तब तक चेयरमैन को प्रधान मंत्री से नहीं मिलना चाहिए था। दूसरे चाहे उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की अन्यथा नहीं, यदि वह प्रधान मंत्री से मिले हैं, तो सरकार द्वारा इसके बारे में जांच की जानी चाहिए और उन्हें सभा को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि यह सम्पूर्ण देश के लिए चिंता का कारण बन रही है। मैंने उस दिन समाचारों में आई दूरदर्शन की रिपोर्ट की सी. ई. ओ. से शब्दशः जानकारी मांगी है। मैं आशा करता हूं कि सरकार को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आयोग के प्रति सरकार की ईमानदारी और निष्पक्षता के बारे में चिंतायें और आशंकायें पैदा हो रही हैं। बस मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री सईदुज्जमा (मुज्जफरनगर) : महोदय मेरा नाम सूची में है। मुझे नहीं बुलाया गया है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं। माननीय प्रधान मंत्री का सभा के प्रति यह कर्त्तव्य है कि वास्तव में जो कुछ हुआ है, उसका खुलासा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में पहले किसानों को जो 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती थी, उसको इस समय राजस्थान सरकार ने 3.65 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है। कहां तो 50 पैसे थी और कहां अब 3.65 रुपये प्रति यूनिट हो गई है। सरकार ने मीटर किराया बढ़ा दिया है और सर्विस चार्ज भी बढ़ा दिये हैं। राजस्थान सरकार को भारत सरकार ने अकाल में जो मदद दी थी, वह अकाल का पैसा भी अभी बंटा नहीं है, दूसरी और बिजली के रेट बढ़ा दिये हैं। इसने किसान को और भी मार दिया है, हमने महा अकाल कर दिया है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरा आपसे निवेदन करना यह है कि किसानों को आठ घंटे बिजली मिलनी चाहिए, जो मिल नहीं रही है। आज दो घंटे बिजली भी किसानों को नहीं मिलती है, जिससे किसान आन्दोलित हैं। भारत सरकार से जो पैसा मिला है, वह पैसा उनको दिया जाना चाहिए और इस समय जब अकाल पड़ा है, ऐसे समय पर बिजली के रेट बढ़ाना उपयुक्त नहीं है, इसलिए राजस्थान सरकार बिजली के बढ़े रेट्स को वापस ले और किसानों को आठ घंटे बिजली मिले, यह मेरा आपके सामने निवेदन करना है।

श्री सईदुज्जमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी किसानों के सिलसिले में जो हमारे साथी बोल रहे थे, मैं उसी में कुछ और बात बढ़ाना चाहता हूं। आज खास तौर से उत्तर प्रदेश का किसान बहुत ही कठिनाइयों से, दुश्वारियों से गुजर रहा है।

मूल्य भी अभी तक निर्धारित नहीं किया है। इस वजह से वे ईख भी नहीं काट पा रहे हैं जिससे किसानों को जबरदस्त तकलीफ हो रही है तथा भुखमरी का समाना करना पड़ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह गन्ने की कीमत तय करे। दूसरे राज्यों में 110 रुपए प्रति क्विंटल कीमत तय हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में भी 110 रुपए तय की जाए, ताकि किसानों को दुश्वारी से बचाया जा सके, जिस दुश्वारी से वे गुजर रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद) : महोदय, आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में, लोगों ने रेल रोकने के लिए धरना और रास्ता रोको नोटिस दिया है, जिसके लिए वे पिछले डेढ़ साल से जोर डाल रहे हैं। वे बेल्लापल्ली में जी. टी. एक्सप्रैस, कागज नगर में नवजीवन एक्सप्रैस और तंदूर में जनता एक्सप्रैस को रोकने के लिए कह रहे हैं। इन तीन स्थानों में बहुत ही फैक्ट्रियां हैं, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लगभग 20,000 से 25,000 लोग कार्य करते हैं। किन्तु इन तीन स्थानों पर रेल गाड़ियों के नहीं रुकने के कारण वे बहुत-सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह मामला रेल मंत्रालय से संबंधित है। 15 दिसम्बर से पूरे जिले के लोग आन्दोलन करने जा रहे हैं।

अतः, मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उक्त स्थानों में रेल गाड़ियों को रोकने के लिए संबंधित रेलवे प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय को उठाने वाला हूं, वह राष्ट्र के लिए आने वाले दिनों में समस्या बनेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश से सटी सीमा पर आई. एस. आई. की गतिविधियां बढ़ रही हैं। जिस प्रकार से पोरस बार्डर पर आई. एस. आई. की गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहीं खासकर बिहार में आई. एस. आई. का जाल बिछाया जा रहा है। जहां तक हाल–फिलहाल की घटना का संबंध है, हमारे केन्द्रीय मंत्री के दौरे पर जो घटना घटी है, उसमें इन ताकतों का हाथ हो सकता है। इसलिए इन सब स्थितियों को समझते हुए, बिहार और उत्तर प्रदेश में आई. एस. आई. की बढ़ती हुई गतिविधियों तथा जान–माल की सुरक्षा की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अपराह्न 1.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा माध्याह्न भोजन के लिए 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.38 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.38 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर विचार करते हैं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गन्ना उत्पादकों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की समस्याओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, पडरौना, महाराजगंज, बस्ती सघन गन्ना क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसानों की मुख्य नकदी फसल गन्ना ही है। आज इस क्षेत्र का गन्ना किसान भुखमरी की स्थिति में है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में गोरखपुर की सरेया चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 23 करोड़ रुपया, कप्तानगंज पर 16 करोड़ रुपया, खलीलाबाद पर लगभग 3 करोड़ रुपया बकाया है। यही स्थिति भारत सरकार द्वारा संचालित आनन्दनगर (महाराजगंज) तथा पडरौना और कठकुइंया चीनी मिलों की है जो पिछले कुछ समय से बंद चल रही हैं और जिन पर गन्ना किसानों का लगभग 20 करोड़ रुपया बकाया है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिलों पर 16 फरवरी 1999 के बाद का गन्ना भुगतान शेष है। उत्तर प्रदेश सरकार इन चीनी मिलों को एक–एक करके बंद करने जा रही है। घुघली, छितौनी, मुडरेवा, हरदोई, रामपुर, मेरठ की चीनी मिलें 27.10.99 को बंद कर दी गई तथा अन्य चीनी मिलें जिनमें पिपराइच, रामकौला, बेतालपुर, धुरियापार आदि प्रमुख हैं। ये मिलें बंद होने वाली हैं। इन चीनी मिलों का समय से आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण न होने से उपरोक्त चीनी मिलों द्वारा वर्षों से किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न कर पाने के कारण जहां किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है वहीं सरकार द्वारा इन चीनी मिलों को बंद करने के निर्णय से किसानों, मिल के कर्मियों

तथा आम जन मानस में भी भारी आक्रोश है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए अलग से एक गन्ना नीति बनाई जाए, गन्ने के मूल्य का भुगतान अविलम्ब किया जाए तथा चीनी मिलों के बंदीकरण को रोक कर उनका आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण किया जाए।

(दो) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंदगी रेलवे स्टेशन पर संगम एक्सप्रेस/चौरा-चौरी एक्सप्रेस के हाल्ट बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. अशोक पटेल (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में बिंदगी तहसील पीतल के कलसा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिंदगी स्टेशन से अनेक प्रमुख गाड़ियां गुजरती हैं लेकिन उनमें कोई भी गाड़ी इस स्टेशन पर नहीं रुकती जिससे वहां के निवासियों को तथा बाहर से आने वाले व्यापारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे कलसा उद्योग भी प्रभावित होता है। संगम एक्सप्रेस/चौरी–चौरा एक्सप्रेस जैसी प्रमुख गाड़ियों को पकड़ने के लिए वहां के निवासियों को यां तो फतेहपुर अथवा कानपुर जाना पड़ता है जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे उनका न केवल समय नष्ट होता है बल्कि उन्हें भारी धनराशि भी व्यय करनी पड़ती है। अतः सरकार से अनुरोध है कि बिंदगी स्टेशन पर संगम एक्सप्रेस/चौरी–चौरा एक्सप्रेस का हाल्ट बनाया जाए। इससे न केवल वहां के निवासियों की कठिनाइयों का समाधान करने में सहायता मिलेगी बल्कि कलसा उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

[अनुवाद]

(तीन) मुम्बई में पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, पेट्रोलियम विभाग ने दो महीने पूर्व मुम्बई के विभिन्न भागों में पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस प्रदान करने की घोषणा की थी। मुम्बई के निवासियों विशेषकर उपनगरीय निवासियों से अभ्यावेदन आमंत्रित किये गये थे। हजारों लोगों ने अपने आवास पर गैस पाइपलाइन के लिए आवेदन किया था लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विगत कई महीनों से कोई कनैक्शन नहीं दिया गया है। चूंकि लोगों/निवासियों के मकानों में कोई रसोई गैस कनैक्शन नहीं है, इसलिए वे कठिनाई महसूस कर रहे हैं, विशेषकर गृहणियां मांग कर रही हैं, और सम्बन्धित मंत्रालय और महानगर गैस कम्पनी जो केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है से भी निवेदन कर रही हैं कि गैस कनेक्शन योजना को जल्दी पूरा किया जाये।

मैं, सम्बद्ध मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वह पूर्वी मुम्बई तथा मुम्बई के अन्य भागों के प्रत्येक घर में महानगर गैस लिमिटेड की सहायता से पाइपलाइन द्वारा गैस कनैक्शन प्रदान करने की कार्य योजना को शीघ्र पूरा करे। पाइपलाइन द्वारा घरों में रसोई गैस पहुंचाये जाने हेतु कार्य योजना समय–सारणी और प्रक्रिया की भी घोषणा की जाए।

(चार) बिहार में बेगूसराय संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में करौता तथा डेढ़गांव में रेल लाइन पर रेल गाडियों का हाल्ट बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बेगूसराय के अन्तर्गत पड़ने वाले गया–क्यूल रेलवे लाइन में काफी सुधार की आवश्यकता है। क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए रेल मंत्री ने पिछले वर्ष आश्वासन दिया था कि करौता एवं डेढ़गांव इन दोनों स्थानों पर हॉल्ट का निर्माण किया जाएगा लेकिन आज तक उक्त हॉल्ट का निर्माण नहीं हो सका। मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि करौता एवं डेढ़गांव इन दोनों स्थानों पर अविलम्ब हाल्ट का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देष दें।

[अनुवाद]

(पांच) रेल भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए कदम उठाने और इसके समुचित उपयोग हेतु योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार (मैसूर) : यह बहुत ही चिन्ताजनक विषय है कि देश के विभिन्न भागों में करोड़ों रुपये मूल्य की रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। एक अनुमान के अनुसार 2457 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यह रेलवे द्वारा अनुप्रयुक्त भूमि का दस प्रतिशत है। रेलवे की 90 प्रतिशत बकाया भूमि अनुप्रयुक्त पड़ी है। किसी कार्य के न किये जाने के कारण इस अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमण की व्यापक सम्भावनाएं रहती हैं। जब तक अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमण और इसका उपयोग न किये जाने की दोहरी समस्या से निपटने के लिए तुरन्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक रेलवे को हानि होती रहेगी। यद्यपि राज्य और केन्द्रीय अधिनियम मौजूद हैं लेकिन उनको उचित और प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल, भी अतिक्रमणकर्ताओं के हटाने अथवा उनहें रोकने हेतु कोई उचित कदम नहीं उठा रही है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए, मैं यह मांग करता हूं कि रेलवे भूमि पर अतिक्रमण तुरन्त रोक दिया जाना चाहिए। अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिए और अतिरिक्त रेलवे भूमि के उचित उपयोग हेतु कार्य योजना बनाई जानी चाहिए।

(छह) पेरियार बांध की भण्डारण क्षमता को 152 फुट तक बढ़ाने हेतु केरल सरकार को सलाह दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी. टी. वी. दिनाकरन (पेरियाकुलम) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख करना चाहता हूं जो तमिलनाडु के थेनी, मदुरै तथा रामनाथपुरम् जिलों के लोगों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। केरल से उद्भूत होने वाली पेरियार नदी, इन तीनों जिलों से होकर बहती है, जिसके कुछ भाग मेरे निर्वाचन क्षेत्र परियाकुलम के अन्तर्गत भी आते हैं। इन क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के लिये परियार नदी का जल ही मुख्य स्रोत है।

यद्यपि, इस बांध की भण्डारण क्षमता 152 फुट है लेकिन केरल सरकार ने पूरी क्षमता का जल भण्डारण करने पर आपत्ति व्यक्त की है। केरल सरकार को आशंका है कि बांध बहुत कमजोर है और उसने 136 फुट की ऊंचाई तक ही जल भण्डारण की अनुमति तमिलनाडु को दी है। 16 फुट तक भण्डारण क्षमता कम करने से थेणी भदुरै और रामनाथपुरम जिलों की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

तमिलनाडु सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके आवश्यकता के अनुसार उस बांध को पुनः सुदृढ़ किया है। यहां तक कि केन्द्रीय जल आयोग जिसने बांध का निरीक्षण किया था, ने भी यह प्रमाणित किया है कि इसकी भण्डारण क्षमता 152 फुट तक बढ़ाई जा सकती है। परन्तु केरल सरकार कुछ अज्ञात कारणों से इस भण्डारण क्षमता को इस सीमा तक बढ़ाने से लगातार इन्कार करता रही है।

चूंकि यह थेणी, मदुरै और रामनाथपुरम जिले के लोगों के लिए जीवन–मरण का प्रश्न है, अतः मैं केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील करता हूं और केरल सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पेरियार बांध की भण्डारण क्षमता 152 फुट तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान करे।

(सात) बिहार के भोजपुर जिले में आरा में रसोई गैस का अतिरिक्त बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का भोजपुर जिला राज्य का लगभग 25 लाख आबादी का जिला है। यह बहुत पुराना जिला है, इस जिले का मुख्यालय आरा में है। कई एक शिक्षण संस्थान जैसे कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जैन महाविद्यालय, महाराजा महाविद्यालय लगभग 8 यहां विद्यालय हैं। न्यायालय, कृषि संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेलवे जंक्शन हैं। यहां भारत प्रसिद्ध जैनियों का तीर्थ स्थल है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्थल भी है। यह बहुत बड़ा गढ़ है।

परन्तु अभी तक यहां एक ही रसोई गैस एजेंसी है। कोयला लकड़ी जो जलावन के साधन हैं, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। उक्त रसोई गैस एजेंसी पर रसोई गैस की मांग का भारी दबाव पड़ रहा है। आवाम की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम है। लोगों को जलावन का काफी किल्लत है।

अतः मैं जनहित में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री जी से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र एक और रसोई गैस एजेंसी बहाल करने की कृपा की जाये ताकि आवाम की कठिनाइयां दूर हो सकें।

(आठ) देश में वन क्षेत्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, विश्व के मूल वन क्षेत्र का लगभग आधा भाग नष्ट हो चुका है। 60 प्रतिशत से अधिक शीतोष्ण चौड़ी पत्ती और मिश्रित वन, लगभग 30 प्रतिशत सूई के आकार की पत्ती वाला वन, लगभग 45 प्रतिशत उष्णप्रदेशीय आर्द्र वन तथा लगभग 70 प्रतिशत उष्णप्रदेशीय शुष्क वन विलुप्त हो गया है।

एशिया में सबसे अधिक कमी आयी है जहां मूल वन का लगभग 70 प्रतिशत नष्ट हो गया है।

विश्व का वन क्षेत्र जिसमें पादप रोपण शामिल नहीं है 1960 और 1990 के बीच 37 मिलियन वर्ग किलोमीटर से 13 प्रतिशत कम हो गया है अर्थात औसतन लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर वार्षिक क्षति हुई है।

विश्व भर में वनों के लिए चुनौती बनी हुई है तथा इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तेजी से नष्ट हो रहे वन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए हमारे देश में रक्षित क्षेत्र को कम-से-कम 10 प्रतिशत तक लाया जाये।

(नौ) लोक सभा, विधान सभाओं और स्थानीय निकायों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक दशक में लोक सभा के पांच चुनाव हुए हैं जबकि दो चुनाव होने अपेक्षित हैं। प्रत्येक चुनाव में करोडों रुपया सरकार का लगता है व उतना ही राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों का। पैसे के अपव्यय होने के अलावा अस्थिरता देश के विकास को भी रोकती है। साथ ही आम जनता में लोकतंत्र के प्रति अनास्था भी जड़ जमाने लगती है।

लोक सभा का पांच वर्ष का कार्यकाल स्थिर हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है जिसका वायदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घोषणापत्र में भी किया है।

इसके साथ–साथ इस पर भी विचार होना चाहिए कि आये महीने लोक सभा, विधान सभा या नगर निगम या पंचायत के किसी सीट पर चुनाव न हों। लोक सभा, विधान सभा, नगर निगम चुनाव भी किसी प्रकार एक साथ हों, इस पर विचार होना चाहिए। हमारे देश में ये चुनाव पांच वर्ष के समय पर एक साथ हों।

सरकार को चाहिए कि सभी दलों में इस पर आम सहमति बनाने के लिए प्रक्रिया को आरम्भ करें एवं इस पर क्या ठोस कदम सरकार उठाने जा रही है, यह संसद हो बताएं।

(दस) वर्ष 2001 की जनगणना के संबंध में श्वेत पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

***श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुपत्तूर)** : तीसरी सहस्राब्दि की जनगणना 2001 में शुरू की जानी है। अब तक किसी जनगणना में आबादी की जातिवाद गणना के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। अब, केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अतः हम जब कभी शिक्षा और रोजगार संबंधी योजनाएं बनायें, तो यह जरूरी होगा कि हमें निधियों के आबंटन के लिए लाभर्थियों की सही संख्या और विभिन्न वर्गों के ब्यौरे की स्पष्ट जानकारी हो। इसलिए यह जरूरी है कि जनगणना सर्वेक्षण के ऐसे फार्म बनाए जाएं जिनमें जातिवाद आंकड़े एकत्र करना भी सहज हो सके। केन्द्र सरकार को इस संबंध में न्यायोचित और पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसी प्रकार, शारीरिक रूप से अपंग और दृष्टिहीन लोगों की संख्या का पता लगाने में जनगणना के आंकड़ों का व्यावहारिक उपयोग होना चाहिए ताकि हमारे सामाजिक कल्याणकारी उपायों और योजनाओं की दिशा तय की जा सके और इन पर बल दिया जा सके। अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों के अलावा विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कालेज और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों, स्थानीय निकायों के सदस्यों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को भी इस बृहद् कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह 2001 की जनगणना की तैयारियों के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करे।

अपराह्न 2.55

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधायी कार्य करेगी। मद सं.–22 श्री नवीन पटनायक।

खान और खनिज मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1999 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्य सरकारों को खनन कार्य करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन करने के नाम पर सरकार हमारे देश के खनन क्षेत्र को खोलने का प्रस्ताव ला रही है। विधेयक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किसी प्रतिबंध का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए हमारे देश की खनिज सम्पदा को लूटने का अवसर मिल जाएगा।

इस विधेयक में खनिज संसाधनों की खोज के स्थान पर दो नये शब्द सर्वेक्षण कार्य तथा सर्वेक्षण परमिट जोड़े गए हैं। हमारी खनिज सम्पदा के खनन कार्यों, खोज और दोहन के संबंध में यह एक नई प्रणाली है या हो सकता है कि यह एक नई प्रौद्योगिकी भी हो।

सरकार के सामने ऐसी कौन सी समस्या है जिनके कारण नए कदम उठाने का प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूं कि गैर–कानूनी खनन से निपटने के लिए विद्यमान कानून जो कि बहुत पहले 1957 में बनाया गया था क्या पर्याप्त नहीं है।

महोदय, हम सब जानते हैं कि हमने कई बार गैर–कानूनी खनन की समस्या पर इस सदन में बहस की है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार इस विधेयक को लाकर जो कि राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के बारे में है, गैर–कानूनी खनन को रोकने तथा हमारी खनिज सम्पदा को लूटने से रोकने में कामयाब हो सकेगी। अपितु इसके विपरीत हमारी खनिज सम्पदा को लूटने का पर्याप्त अवसर मिल जायेगा। इसीलिए यह विधेयक हमारे देश के और इस देश के लोगों के हित में नहीं है। मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं।

श्री नवीन पटनायक : महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस अधिनियम में संशोधन समय के अनुसार एक प्रगामी विधान है। इससे खनन क्षेत्र में और निवेश के रास्ते खुलेंगे जो कि आवश्यक है। यह गैर–कानूनी खनन संबंधी कानूनों को और सख्त बनायेगा। इस विधेयक पर विचार करते समय माननीय सदस्यों को इस विधेयक की विशेषताओं पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : अवगुणों पर भी।

श्री नवीन पटनायक : इस क्षेत्र में बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले ही कहा है यह एक प्रगामी विधान है।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि खान और खनिज (विनियगन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*मूलत : तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो, खंड 2, दिनांक 30.11.99 में प्रकाशित

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नवीन पटनायक : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.01 बजे

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक और प्रतिभूति विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सरकार ने (एक) प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक 1999 और (दो) प्रतिभूति विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 पर संयुक्त रूप से विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिए दो घंटों की सिफारिश की है। यदि सभा इस पर सहमत होती है तो दोनों विधेयकों को विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिए एक साथ लिया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए दो घंटे आबंटित किये जा सकते हैं। क्या सभा इस पर सहमत है।

कुछ माननीय सदस्यगण : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अब दोनों विधेयकों पर विचार करने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा न्यासी अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, विधेयक में प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रतिभूति की परिभाषा का विस्तार करने तथा सामूहिक निवेश योजनाओं के व्युत्पन्न और प्रपन्न शामिल करने का प्रस्ताव है। यह प्रतिभूतियों के व्युत्पन्न और सामूहिक निवेश की ईकाइयों के लिए बाजार को विकसित और विनियंत्रित कर सकेगा। विधेयक में इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्राधिकृत करने का भी प्रस्ताव है। यह भा. रि. बै. को सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य संबंधित प्रपन्नों के कारोबार को विनियमित करने के लिए अधिकार देगा जैसा कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

महोदय, पिछले कुछ वर्षों में, पूंजी बाजार के कार्यकरण में पर्याप्त सुधार हुए हैं। पर्याप्त पूंजीकरण की आवश्यकता, मार्जिनिंग, स्टॉक एक्सचेंजों इत्यादि में क्लियरिंग कार्पोरेशन की स्थापना के फलस्वरूप जोखिम कम हुए हैं। स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग शुरुआत करके और जमाकर्त्ताओं को प्रतिभूतियों आदि की बुक एंट्री ट्रांसफर (बही खाता इंदराज हस्तांतरण) की अनुमति देकर क्रमबद्ध सुधार किए गए हैं। तथापि, अपर्याप्त अग्रिम जोखिम प्रबंधन के साधनों की व्यवस्था है। ऐसे साधनों को बढ़ाने ओर उनकी व्यवस्था करने तथा बाजारों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रतिभूतियों में व्युत्पन्नी ट्रेडिंग तुरंत प्रारंभ करने की आवश्यकता है जिसके लिए बुनियादी संरचना, नियम और विनियम तैयार कर लिए गए हैं। सेबी ने पहले ही एक विस्तृत विनियामक ढांचा तैयार कर लिया है जिसके अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कार्पोरेशनों, क्लियरिंग हाउसेज़ को व्युत्पन्नी ट्रेडिंग एवं समझौता करने की अनुमति होगी। इसके अंतर्गत प्रतिभूति बाजार में आर्थिक सुधार प्रक्रिया का एक बडा हिस्सा शामिल है। अतः, इस विधेयक में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में उल्लिखित प्रतिभूतियों की परिधि के अंतर्गत व्युत्पन्नियों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जिसके फलस्वरूप इस अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत व्युत्पन्नियों में ट्रेडिंग संभव हो सकता है।

महोदय, हाल ही में, अनेक कंपनियां, विशेषकर प्लांटेशन कंपनियां ऐसे निवेशकों से संसाधन इकट्ठा करती रही हैं जो सामूहिक निवेश योजनाओं के रूप में हैं। तथापि, वर्तमान विनियामक ढांचा इस बाजार के सुव्यवस्थित विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। निवेशकों के हित की रक्षा के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि सामूहिक निवेशक योजनाओं के संबंध में सेबी विनियम तैयार करेगा जिसमें एग्रो-बांड्स (कृषि बंध-पत्र) जैसे साधन शामिल होंगे जिनसे सेबी को सामूहिक निवेश योजनाओं को विनियमित करने तथा उस उद्देश्य से बाजार को कारगर ढंग से विकसित करने में मदद मिलेगी। विधेयक में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रतिभूतियों की परिभाषा में संशोधन लाए जाने का प्रस्ताव है ताकि इन साधनों और सामूहिक निवेश योजनाओं की इकाइयों को इसकी परिधि के अंतर्गत शामिल किया जा सके।

महोदय, प्रतिभूति संविदा (संशोधन) विधेयक, 1998 लोक सभा में 4 जुलाई, 1998 को पुरःस्थापित किया गया था। बाद में, माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा विधयेक को 10 जुलाई, 1998 को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास जांच और रिपोर्ट हेतु भेज दिया गया। समिति ने 17 मार्च, 1999 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति की अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है और इस विधेयक में सम्मिलित कर दिया है। इस प्रकार विधेयक का उद्देश्य व्युत्पन्न स्थिति में व्यापार हेतु सुव्यवस्थिति बाजार और सामूहिक निवेश योजनाओं की इकाइयों को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेशक के हितों की रक्षा करना है।

महोदय, यह पहला विधेयक है जो मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूं।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

महोदय, दूसरा विधेयक प्रतिभूति नियम (दूसरा) संशोधन विधयेक, 1999, जो 1999 का संख्या 68 है, से संबंधित है।

महोदय, अपीलेट बॉडी (अपीलीय–निकाय) की अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए विधेयक का उद्देश्य प्रतिभूति नियम, अर्थात 1956 के प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1992 के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम तथा 1996 के निक्षेपधारी अधिनियम में संशोधन करना है ताकि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को इन अधिनियमों के अंतर्गत सभी अपीलों को केन्द्र सरकार के बजाए स्वयं निबटाने का अधिकार प्राप्त हो सके।

महोदय, वर्तमान में, सेबी की अपीलों के संबंध में केन्द्र सरकार को अधिकार प्राप्त है। हमारा प्रस्ताव है कि इन अपीलों के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो सेबी अधिनियम के अंतर्गत पहले ही विद्यमान है। हम यह अधिकार सरकार और वित्त मंत्रालय से वापस लेने तथा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को इस संबंध में अधिकार देने के लिए यह संशोधन ला रहे हैं। इस मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का परामर्श लिया गया है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) को ये अधिकार सौंपने हेतु प्रतिभूति नियमों को संशोधित किया जा सकता है और, हम इस संशोधन द्वारा इसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं।

महोदय, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन दोनों विधेयकों पर विचार किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या इन दोनों विधेयकों को एक साथ लिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, चर्चा के लिए एक साथ लिया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : परंतु आज के आदेश पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मद संख्या 24 और 25 के संबंध में एक साथ चर्चा नहीं की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा इस बात पर सहमत है। अभी-अभी जल्दी, मैंनें पढ़कर सुनाया है और सभा ने सहमति व्यक्त की है। उस बारे में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : परंतु सभा की राय नहीं ली गई है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : श्री बसुदेव आचार्य जी, सभा की राय ली गई है।

श्री बसुदेय आचार्य : यह राय कब ली गई ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हर बात को यूं व्यर्थ न समझा जाए। परंतु सदस्यों को बताया जाना चाहिए। अवश्य ही, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन शिष्टाचार यह है कि माननीय मंत्री महोदय को दूसरा विधेयक प्रस्तुत करने से पहले पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव पेश किया गया था और मैंने उसे सभा के समक्ष रखा था तथा किसी ने भी उसपर आपत्ति नहीं की थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ मानदंड बनाए रखे जाएं।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, इस मामले को स्पष्ट करना होगा। मैं कहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की राय ली थी। उनकी ही अनुमति से मैंने इन दोनों विधेयकों को एक साथ प्रस्तुत किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : जी, नहीं।

श्री यशवन्त सिन्हा : जी हां, उन्होंने ऐसा किया।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा विचार है कि सभा की राय नहीं ली गई।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मेरा विचार है कि यदि सभा को कोई आपत्ति नहीं है तो हम आगे की कार्यवाही करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : निश्चय ही, महोदय। सभा की राय पूर्व प्रभाव के साथ दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाये।"

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : आदरणीय सिन्हा जी की तरफ से लाया गया सिक्योरिटीज लॉ (सैकिंड आमैंडमैंट) बिल का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुख्य रूप से तीन मुद्दों के ऊपर जो यह अमैंडमैंट लाया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। सबसे पहले मेरा ध्यान उन लाखों करोड़ों पूंजीनिवेशकों की तरफ जाता है जिन्होंने पहले इस आस और उम्मीद के साथ करोड़ों रुपया लगाया। एग्रो प्लांटेशंस कम्पनियों से जुड़ी हुई कम्पनियां व सेबी की तरफ से बनाये गये कानूनों के बावजूद भी उन लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया, या तो ये कम्पनियां मार्केट से आलोप हो गयीं जैसे पहले हर्षद मेहता के काण्ड में हुआ था। उसके भी लाखों करोड़ों रुपये का हिसाब अभी

तक मुल्क के सामने नहीं आया।

सिन्हा जी, मुझे दूसरा एतराज इस अमैंडमैंट के ऊपर यह है कि बुनियादी रूप से यह संविधान की उन भावनाओं के खिलाफ है जिससे स्टेट्स के पास अपनी लैंड और अपनी खेती के अधिकार हैं। यह जो अमैंडमैंट आप लेकर आये हैं, उनका इनफ्रिंजमेंट है। मुझे तो यह लग रहा है कि कुछ नौकरशाहों की यह बहुत बड़ी साजिश है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इतना ताकतवर कर दिया जाये, इतना मजबूत कर दिया जाये कि पहले जो करोड़ों रुपया लोगों का डूबा है, अब आगे भी वह वैसे ही अपनी उन परम्पराओं पर चलते रहें।

आदरणीय डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी ले जाना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इस अमैंडमैंट को रखा है और बड़े विश्वास के साथ कहा है कि इसे रैगुलेट करने से देश का और लोगों का भला होगा। मंत्री जी, आपने देखा होगा, हमें बहुत पत्र मिले हैं, और माननीय सदस्यों को भी पत्र मिले होंगे, आज से कुछ साल पहले अखबारों में बहुत बड़े ऐडवर्टाइजमैंट्स आए थे और आप इन ऐग्रो प्लान्टेशन्स में पैसा लगाइए। लोगों ने उसमें धड़ाधड़ पैसे लगाए। जब सेबी को इसके बारे में पड़ताल करने के लिए कहा गया, मेरा ख्याल है 1995 में जो धोखाधड़ी की गई, उसके बारे में जो बात हुई, मुझे भी उसका ज्ञान है कि उन ऐडवर्टाइजमैंट्स के धोखे में आकर लोगों ने अपने पैसे लगाए। बाद में सारी दुकानें बंद हो गईं। मेरा इस अमैंडमैंट बिल का विरोध करने का मुख्य रूप से एक मकसद यह है कि आप उन लोगों को इतनी ताकत और शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिन्होंने पहले आपका विश्वास डुबाया है। इससे आने वाले समय में कोई फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को भी इस मुद्दे पर बहुत अंधेरे में रखा गया है। मैं यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा मन उन लोगों के लिए भरता है। पंजाब में ऐसे भी कुछ किसान थे, पर-कैपिटा इनकमवाइज हमारे स्टेट के लोगों ने डाईवर्सीफिकेशन ऑफ ऐग्रीकल्चर के नारे के तहत उसमें अपने इतने पैसा लगा दिए कि उसके बाद किसानों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैंकड़ों की तादाद में हमारे किसानों ने खुदकुशी की। अब मैं मोटे तौर पर इस अमैंडमैंट के एक और मुद्दे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आपको इस बारे में यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी योजना अथवा ऐसी योजना व्यवस्था से अचल सम्पति प्राप्त करने की दृष्टि से निवेशकारों द्वारा सभी अंशदान अथवा भुगतान की प्रविष्टि के अन्य बातों के साथ-साथ सम्पत्ति, जिसमें कृषि भूमि सहित सम्पति की बिक्री पर पेशगी भी सम्मिलित है, भारत के संविधान के विरुद्ध है क्योंकि केन्द्र सरकार कृषि भूमि से संबंधित मुद्दों पर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि यह विषय राज्य के अंतर्गत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 246(2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। यह उसके अनुसार नहीं है और यह इंडियन कौन्सटीट्यूशन का उल्लंघन है। इस अमैंडमैंट से कुछ नौकरशाह और सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कुछ अफसर साहिबान, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहता लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि करोड़ों-अरबों रुपयों की लूट सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बहुत बड़े-बड़े अफसरों ने की है। अब उन्हीं के हाथ में इतनी बड़ी शक्ति दे देना, यह बात मुझे ठीक नहीं लगती। चल सम्पत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निवेशकारों द्वारा योजना अथवा व्यवस्था में किए गए सभी अंशदान अभवा भुगतान की प्रविष्टि और इससे आगे जाकर पैदावार प्राप्त करने की दृष्टि से पूंजी निवेशकारों द्वारा किसी योजना अथवा व्यवस्था में किए गए सभी अंशदान अथवा भुगतान, और इस एमेंडमेंट में जो कहा गया है, इससे एलीनेशन के साबूत के रूप में दस्तावेज अर्थात्...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बराड़ जी, वह व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आप किस नियम के अंतर्गत अपना व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहे हैं ?

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि सेबी ने...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नियम उद्धृत कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : नहीं, मेरे बस एक-दो पाइंट्स और हैं, मैं हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।

प्रतिभूति और संविदा रैगुलेशन अधिनियम, 1956 के इस बिल के खंड दो के 2 (एच) की धारा, जो आपने इसमें प्रकाशित की है, इसमें संशोधन किया जाये ताकि किसी सामूहिक निवेश योजना द्वारा जारी किये गये यूनियों अथवा किसी अन्य दस्तावेज को निवेशकों के लिए सम्मिलित किया जाये। यह इस धारा में दी गई प्रतिभूतियों की परिभाषा के अन्तर्गत हो।

एक सुझाव मेरा अन्त में और है। प्रतिभूतियों में वर्तमान परिभाषा में शेयर, स्क्रिप्स और जो बंध पत्र तथा रेहन सम्बन्धी दस्तावेज हैं, उसमें सामूहिक पूंजी निवेश योजना की प्रस्तावित परिभाषा को उसी वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलैक्टिव इन्वैस्टमेंट स्कीम, जो आपकी सामूहिक पूंजी निवेश योजना है उसकी अपने आपमें कोई एंटिटी नहीं है और इसे सामूहिक पूंजी निवेश प्रबन्ध कम्पनी द्वारा ही जारी किया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय इन दो मुद्दों के ऊपर स्पष्टीकरण दें। इससे किसानों की और गरीब लोगों की लूट और बढ़ेगी। ताकत और शक्ति भी इससे बढ़ेगी। 1995 में भी कहा

[श्री जे. एस. बराड़]

गया कि पार्लियामेंट से पूछे बिना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने तौर पर ही एक रैगुलेशन जारी कर दी थी और बाद में उसके बारे में हाउस को इन्फोर्म किया गया। मंत्री जी आप देश के बहुत काबिल खजाना मंत्री है, हमारा आपके एक्सपीरिएंस या लियाकत के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन यह बात आपको माननी चाहिए कि देश के इतनी बड़ी समस्याओं के घिरे हुए मुल्क में कभी ऐसा हो जाता है कि आपको भी पढ़ने का वक्त न मिला हो। इस कानून और एमेंडमेंट से बड़ा नकुसान होगा। नौकरशाही, अफसरशाही और कुछ अधिकारी अपने पास सैण्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे देश में इस बात के ऊपर वोट लिये हैं कि डीसैण्ट्रलाइजेशन हमारा मुद्दा है और ज्यादा पावर्स आप स्टेट्स को देंगे। लेकिन इस कानून से, मेरा यह मानना है कि आप सीधे इंन्फ्रिजमेंट कर रहे हैं, जो अधिकार संविधान के द्वारा स्टेट्स को दिये गये हैं, उनके ऊपर आप इसके द्वारा एक धब्बा लगा रहे हैं।

मैं इस सैकेंड एमेंडमेंट बिल का कड़ा विरोध करता हूं और मेरा ध्यान उन लाखों लोगों की तरफ जाता है, जिनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है। जब यहां अन्य सरकारों ने भी पड़ताल करने को कहा तो सेबी ने बड़ी खूबसूरती के साथ सारा कवर-अप कर दिया और उन लोगों को इन्साफ नहीं मिल सका।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करूंगा। मैं इन दोनों बिलों का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं।

सभागृह की, सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हम दोनों विषयों के ऊपर मुंबई हाई कोर्ट में इन्वैस्टर्स ग्रिवांसेज़ फोरम के अध्यक्ष के नाते हमने पब्लिक इंटरैस्ट लिटिगेशन फाइल की थी। मैं उस फोरम का अध्यक्ष हूं। मुंबई ही नहीं, पूरे देश भर के इन्वैस्टरों ने हमें जो कम्पलेंट्स भेजी थीं, इन दोनों केसेज में मुंबई हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वह छोटे इन्वैस्टर्स के फेवर में दिया है। उसी के तत्वावधान में ये दोनों बिल यहां पर लाये गये हैं।

मैं इन दोनों बिलों का स्वागत करता हूं। काश ! ये दोनों बिल चार-पांच वर्ष पहले आए होते, तो देश भर में , सदन को जानकार आश्चर्य होगा, लगभग 22 लाख छोटे इन्वैस्टर्स के 12 हजार करोड़ रुपए डूब नहीं जाते। इस विषय को इन्वैस्टर्स ग्रिवैंसेस के अध्यक्ष के नाते पूर्व प्रधान मंत्री, माननीय देवेगौड़ा जी और माननीय गुजराल जी के सामने हमने चर्चा की। अब ये दोनों बिल सदन में प्रस्तुत हुए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और कुछ कारनामों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं।

सदन में अभी पंजाब के बारे में बात चल रही थी। पंजाब की एक कम्पनी गोल्डन फारैस्ट कम्पनी है। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस कम्पनी ने छोटे-छोटे इन्वैस्टर्स से 1100 करोड़ रुपए वसूल किए, जबकि इस कम्पनी का पेड-अप-इक्विटी-कैपिटल 11 लाख रुपए हैं और इसके शेयर-होल्डर्स ग्यारह हैं। यह एक फैमिलि कम्पनी है। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा, छोटे इन्वैस्टर्स और किसानों के सामने धूल फेंक दी गई है। उनके साथ चीटिंग हुई है, फ्राड हुआ है। आपने टीवी में अनुभव-प्लानटेशन की ओर से एक विज्ञापन देखा होगा। उसमें एक पौधा दिखाया गया और बाजू में नन्हीं-मुन्नी बिटिया का चित्र दिखाया गया और कहा गया कि आपकी बिटिया धीरे-धीरे बड़ी होगी और 21 साल के बाद उसकी शादी-ब्याह के लिए पैसा कहां से आएगा ? आइए, अनुभव-प्लानटेशन में पैसा लगाइए, दस हजार रुपए दे दीजिए और 21 साल के बाद 21 लाख रुपए प्लानटेशन कम्पनी उनको देगी। ऐसी एक नहीं अनेक कम्पनियां हैं, जिन्होंने 21 साल के बाद के चैक्स एडवांस में ले रखे हैं। वास्तविकता यह है कि छः महीने के बाद चैक्स नहीं चलते हैं, लेकिन चैक्स इशू किए गए। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं, लेकिन इस प्रकार की कम्पनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दिन-दहाड़े इतने पैसे की लूट हुई है, चोर चला गया और हम अभी दरवाजे का ताला मारने के लिए निकले हैं। हाई कोर्ट ने जानकारी दी, सेबी ने जानकारी दी और गत सप्ताह हमने अधिकारियों से चर्चा की। बताया गया कि 'सेबी' के पास 26 प्लानटेशन कम्पनियां रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने 2500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। हमने रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से प्रश्न किया एग्रीकल्चरल प्लानटेशन से संबंधित टोटल कम्पनियां कितनी हैं ? जवाब मिला कि 3800 कम्पनियां हैं। फिर हमने 'सेबी' से कहा कि इनके अते-पते बताइए। इनमें से टी-कम्पनियां थोड़ी ही होंगी, लेकिन तीन हजार से ज्यादा प्लानटेशन कम्पनियां हैं, जो लोगों के पैसे इकट्ठे करके रफूचक्कर हो गई हैं।। 'सेबी' ने बताया कि हमने अखबार में एडवर्टिजमेंट दे दिया है कि ऐसी जितनी भी कम्पनियां हैं, वे हमारे पास एप्लीकेशन दें, जिन्होंने 2500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। इस बारे में मुम्बई हाई कोर्ट और सरकार ने उस समय इन्स्ट्रक्शन दी कि इन सब कम्पनियों की रेटिंग कराई जाए। 'सेबी' ने इस बारे में गाइडलाइन्स दीं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, प्लांटेशन के लिए पांच प्रकार की रेटिंग है। 626 कम्पनियों को रेटिंग लेना था, लेकिन केवल 38 कम्पनियों ने रेटिंग के लिए एप्लाई किया। रेटिंग में नं. 5 वर्स्ट होता है और 38 कम्पनियों में से 37 कम्पनियों को रेटिंग नं. 5 दिया गया। इसका मतलब यह है कि ये कम्पनियां या तो डूब गई हैं और कल डूबने वाली हैं। मध्य प्रदेश में नवभारत ग्रुप की एक कम्पनी है नवभारत प्लान्टेशन कम्पनी। इन्होंने अखबारों में बड़ा-बड़ा विज्ञापन दिया कि हमको 'सेबी' से नं. 5 का रेटिंग मिल गया है और उस कम्पनी ने एक साल में आठ करोड़ रुपए इकट्ठे किए और ये पैसे कहां लगाए गए, वह मैं सदन को बताना चाहता हूं। एनडी एग्रो कम्पनी ने 1.75 करोड़ रुपए का एरोप्लेन लिया, 70 लाख रुपए मोटर-गाडियों पर खर्च किए और 90 लाख रुपए का बंगला खरीदा। यह प्लान्टेशन कम्पनी का कमाल है। हमने प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना की कि लोगों के पैसे डूब रहे हैं। 22 लाख छोटे लोगों के 12 हजार करोड़ रुपए डूब रहे हैं, क्या इन पैसों को वापस लेने

की कोई व्यवस्था है। अब इन प्रावधानों को सुनकर छोटे–छोटे इन्वैस्टर्स दुआ देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन पैसों को वसूल करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है।

मैं चाहता हूं कि यह बिल के साथ ही एनाउन्स किया जाए। मैं एक कम्पनी के बारे में मराठी भाषा में बताऊंगा कि किस प्रकार विज्ञापन दिया गया। मराठी में सामर्थ्य एग्रोबोंड कम्पनी ने लिखा था—15 हजार रुपया भरो, मई तुमसी, दूध आनीगारू, मलाई तुम्हीं खा यानि 15 हजार रुपये भरो, हम आपके नाम से एक भैंस लेंगे, दूध हम निकालेंगे और मलाई आप खायेंगे। साथ में कमिटमेंट यह थी कि 15 हजार रुपए तीन साल के बाद आपको वापस मिल जायेंगे और साथ में हर साल दूध से जो मलाई निकलेगी तथा उससे जो 15 हजार रुपए की इनकम होगी, वह भी आपको दी जाएगी। आज इस कम्पनी का पता नहीं है कि वह कहां है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ-ही-साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से ऐसी कम्पनियों की लिस्ट मंगा कर चैकिंग करवायें। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट की डायरैक्टिव के अन्तर्गत सेबी ने गाइडलाइन्स इशू की और कहा गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दें। जब तक आपको सेबी से लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं मिल जाता, आप कोई निक्षेप इकट्ठा नहीं कर सकते।

इस काम के लिए 60 दिन का समय निश्चित किया गया, लेकिन आज 35 दिन हो गए हैं और एक भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आई है। डैरिवेटिव की व्याख्या करने के लिए सेबी को अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन उससे एकान्टेबिलिटी भी पूछिए। मैं सदन को बताना चाहता हूं, हम लोग हाई कोर्ट में जाने से पहले 'सेबी' के पास गए थे और फिर डिमांस्ट्रेशन भी किया गया था तथा हजारों इन्वैस्टर्स रास्ते पर उतर आए थे। हमें 'सेबी' और रिजर्व बैंक द्वारा उत्तर दिया गया कि यह मामला हमारे अन्तर्गत नहीं है, हम क्या करें। आप लोगों ने पैसे लगाए, डूब गए, जाओ मजा करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जवाबदेही के लिए कोई धारा होनी चाहिए।

मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। लिब्रा प्लान्टेशन कम्पनी ने 24 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और उसके बाद लोगों को पैसे देने बन्द कर दिए। उस कम्पनी के मैनेजिंग डायरैक्टर के एक रिलेटिव को तीन लाख रुपया लेना था, उसका चैक बाउन्स हो गया। मैनेजिंग डायरैक्टर ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है और कम्पनी को लिक्विडेशन में डाल दिया और उसको आर्डर मिल गया। इस प्रकार लोगों का 24 करोड़ रुपया डूब गया। आप जानते हैं कि लिक्वडेशन का मामला सालों चलता है। इसलिए मैं आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस कम्पनी के एसैट्स और प्रापर्टीज हैं, क्या आप उस पर कब्जा लेने वाले हैं ? क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा ? 'सेबी' ने अधिकार तो मांग लिया और वित्त विभाग ने अधिकार देने का प्रावधान कर दिया, लेकन इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे अगले सैशन में इसमें भी संशोधन लेकर आयें कि इस प्रकार के इन्वैस्टर्स को प्रोटैक्ट किया जाएगा, डायरैक्टर से पैसे वापस लिए जायेंगे और उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा।

मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इसको भी डैफिनिशन में शामिल नहीं किया गया है। टाइम शेयर रिपोर्ट के नाम पर लोगों से लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। कहा जाता है, एक लाख रुपया दे दीजिए और 25 साल में आप हमारे किसी भी रिसोर्ट में हर साल चार–पांच दिन घूमकर आ सकते हैं। वास्तविकता यह है कि दो साल के बाद उस रिसोर्ट का भी पता नहीं है।

डायरेक्टर बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। यह जो दूसरा बिल जोड़ा है उसके बारे में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला यह है कि जो आप सेबी की एपिलेट अथोरिटी के अधिकार बढ़ाना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। मैं सचमुच इसका स्वागत और सराहना करता हूं। हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी और इसके लिए सेबी ने उन पर जुर्माना किया। तब एपिलेट अथोरिटी थी, उन्होंने सेबी के अगेंस्ट आर्डर दिया। मैं इस अधिकरण का स्वागता करता हूं। इसमें आपने एक ही मैम्बर रखा है और वह मैम्बर ज्वाइंट सेक्रेटी से थोड़ा सा जूनियर लेवल का है, यह मल्टी मैम्बर क्यों नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स में, एक्साइज में ट्रिब्यूनल है। उसमें एक से ज्यादा सदस्य हैं, यानि दो मेम्बर होने चाहिए और उनकी केटेगरी थोड़ी सीनियर होनी चाहिए, क्योंकि जो सेबी के चेयरमैन होते हैं वे डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक या उस लेवल के होते हैं। सेबी के बोर्ड मेम्बर्स सैक्रेट्री लेवल के आफिसर होते हैं। केबिनेट मिनिस्टर के आर्डर की अपील स्टेट मिनिस्टर सुन नहीं सकता, उसी प्रकार से सैक्रेट्री द्वारा लिए हुए निर्णय के सामने अपील सुनने का अधिकार ज्वाइंट सैक्रेट्री को नहीं हो सकता इसलिए उसके बारे में भी आप करेक्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान लीवर ने जो पेटीशन फाइल की थी, उसमें मुंबई हाईकोर्ट में यह चैलेंज किया कि सेबी ने जो आर्डर दिया उसको एपिलेट अथोरिटी ने सेट असाइड किया सेबी न्यायालय में नहीं जा सकता। इसके लिए इनवेस्टर्स को जाना पडा था, उसमें भी उच्च न्यायालय ने हमारी बाजू चुनी है। इसमें आपने जो प्रावधान किया है, आपने सैक्शन प्वाइंट पांच दिखाया है, सैक्शन 22एफ है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो पेज नम्बर तीन में 22एफ–क्लाज में लिखा है—

"प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के निर्णय से दुखी कोई व्यक्ति"। पेज नम्बर तीन में जो सैकिंड अमेंडमेंट एक्ट हैं उसमें 22एफ में 'एनी परसन' के बदले 'एनी एग्रीव्ड पार्टी' होनी चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान लीवर ने कोर्ट में यही आर्गुमेंट किए हैं कि सेबी गवर्नमेंट अथोरिटी है और गवर्नमेंट बॉडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने किस प्रकार से अपील में जा सकती है। अगर सेबी ने जजमेंट दिया है तो यह ऑनेस्ट जजमेंट है। यदि आप सेबी को एक पृथक सत्ता के रूप में ले रहे हैं, फिर यहां इस प्रकार से अमेंडमेंट करना चाहिए 'एनी परसन' के बदले में 'एनी एग्रीव्ड पार्टी।'

[श्री किरीट सोमैया]

मैं यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर जो वेनिशिंग कम्पनीज हैं, जो मार्केट में सेफ एक्सचेंज में से पैसा लेकर गायब हो जाता है। लगभग 3500 ऐसी कम्पनियां हैं जो 180,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए इकट्ठे करके गायब हो गई हैं। कम्पनी का कुछ पता नहीं है, आफिस बंद हो गए हैं। ये दो–तीन–पांच करोड़ रुपए लेकर भाग गई हैं इसलिए इनके ऊपर भी आज नहीं तो फिर कभी ध्यान देना चाहिए। आज सुबह मैने एक अन्य विषय आपके सामने रखा था "इंडप्रकाश म्यूचूअल फंड स्कीम का।" सेबी को अधिक अधिकार चाहिए लेकिन सेबी के अधिकार का कोई उपयोग करता है या नहीं और सेबी आर्डर देती है तो उसका इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट के नेशनलाइज बैंक भी करते हैं। उसके लिए आप एक्ट में क्या प्रोविजन करेंगे। इंडियन बैंक ने म्यूचूअल फंड निकाला, उन्होंने 1992 में मार्केट में फ्लोट किया और कहा कि इंडियन बैंक के म्युचुअल फंड इंडप्रकाश की दस रुपए की एक यूनिट का सात साल के बाद 30 नवम्बर, 1999 को 30 रुपए मिलेगा। आज सात साल के बाद इंडियन बैंक ने कह दिया कि हमें लॉस हुआ है आपको 30 रुपए के बदले सिर्फ 17 रुपए मिलेंगे।

छोटे निवेशकों को कुल 70 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

मैं यह जानना चाहूंगा कि 1992–93–94–95–96 को इनवेस्टमेंट किस प्रकार से हुआ। इंडियन बैंक म्युचुअल फंड ने पैसा कहा डाला, बाकी म्युचूअल फंड ने प्रोफिट किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1995–96 में कैनरा बैंक और स्टेट बैंक का इसी प्रकार म्युचूअल फंड की स्कीम में लॉस हुआ था लेकिन गवर्नमेंट पैसा देने लगीं। यह जो इंडियन बैंक की म्युचूअल फंड स्कीम है उसका भी पैसा दिया जाए। आज मैं आपके सामने एक अन्य विषय उपस्थिति करना चाहूंगा, सेबी क्या करती है, रेगुलेटरी बॉडीज, रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और रजिस्टरार ऑफ कम्पनीज क्या करती हैं। आपकी जानकारी के लिए प्लांटेशन कम्पनियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसिजर है—नथिंग।

दो सौ या पांच सौ रुपया उसकी फीस है। आप काउंटर की दूसरी ओर से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। वे उसे अखबारों में छपवा देते हैं, ब्रोशर में डाल देते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने हमको रजिस्ट्रेशन दे दिया है, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको राशन कार्ड लेना हो तो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, पहले जहां रहते थे उसका प्रूफ और फोटो चाहिए। लेकिन प्लांटेशन के नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए और रजिस्टर्ड कराकर पांच से पन्द्रह करोड़ इकट्ठा करने के लिए आपको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं सेबी से सवाल पूछना चाहता हूं कि सेबी ने दस दिन पहले किर्लोस्कर को आदेश दिया कि तुम इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड का 30 रुपया दो। इसके बारे में क्या कार्रवाई होगी, किसके सामने कार्रवाई होगी, कुछ पता नहीं। दूसरी किर्लोस्कर ग्रुप की किर्लोस्कर फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी है। इन्होंने छोटे–छोटे 60 हजार इन्वैस्टर्स के पास से 105 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और जनवरी 1999 से लोगों का रिपेमेंट बंद कर दिया। फिर अप्रैल 1999 से ब्याज देना बंद कर दिया मई 1999 से उन्होंने अनेक जगह कार्यालय खोले थे वे भी बंद कर दिये और जब हमने उनको अप्रोच किया तो बोले कि हमने कंपनी बेच दी है। हमने मई, जून और जुलाई में शिकायत की और आश्चर्य की बात है कि जुलाई महीने में 105 करोड़ रुपया जिस कंपनी ने इकट्ठा किया वह चम्पावत फैमली करके अहमदाबाद का कोई परिवार है जिसको किर्लोस्कर ग्रुप ने कंपनी बेच दी और उसकी घोषणा तब हुई जब हमने उनके सामने आंदोलन किया। अभी दस दिन पहले उसकी घोषणा हुई है। वह चंपावत फैमली क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई बैक–ग्राऊंड नहीं है, एन. बी. एस. सी. रनिंग करने का कोई अनुभव नहीं है। आज मुझे पता चला कि चम्पावत फैमली ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचित कर दिया कि किर्लोस्कर के पूना और ग्वालियर में जो ऑफिस हैं वह हम बंद कर रहे हैं और अहमदाबाद में शिफ्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कंपनी का नाम बदलने की घोषणा भी कर दी है। इन्वैस्टर कहां जाएगा ? उस 105 करोड़ रुपये का क्या हुआ ? क्या वित्त मंत्री जी इस विषय में ध्यान देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी के बारे में मंत्रालय को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर एक स्टॉग एक्शन ग्रूप की रचना करनी चाहिए। फिर कभी मैं जानकारी दूंगा कि इन्वैस्टर्स के 1992 से 1999 तक, हर्षद मेहता से लेकर सी. आर. भंसाली तक तथा एन. बी. एस. सी. से लेकर एक लाख पचास हजार करोड रुपया फंस गया है या डूब गया है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कुल मिलाकर 386 कंपनीज ने रिजर्व बैंक के पास में जनवरी 1997 तक रजिस्ट्रेशन करवाया। तीन साल बीत गये लेकिन 38 हजार में से रिजर्व बैंक ने सिर्फ नौ हजार एप्लीकेशन्स वैरीफाई की हैं। क्या रिजर्व बैंक से कोई जवाब पूछेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय यशवंत सिन्हा जी से हम जब–जब मिले, उन्होंने छोटे–छोटे इन्वैस्टर्स का बहुत समर्थन किया है। एक के बाद एक कानून वे लेकर आ रहे हैं। इसलिए सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं कि वे जो कदम उठा रहे हैं छोटे इन्वैस्टर्स के लिए उठा रहे हैं। मैं इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, इस विधेयक से हमें पता चलता है कि अन्य अभिकरणों के आदेश पर अधिनियमों में संशोधन करने की यह सरकार की तदर्थ नीति है। मैं समझता हूं कि अर्न्तराष्ट्रीय अभिकरण सरकार को बाध्य कर रहे हैं और विदेशी निवेशकों को सन्तुष्ट करने के लिए छोटे–छोटे संशोधन किये जा रहे हैं। परन्तु आम आदमी की सुरक्षा की कोई बात नहीं की जाती है। उनका भंडाफोड़ हो गया है मेरा धारा 11 में संशोधन का सुझाव है जहां नई परिभाषा का उल्लेख किया गया और सामूहिक

निवेश योजना का उल्लेख किया गया है। सामूहिक निवेश योजना में खण्ड–3 के अन्तर्गत छूट दी जाती है चाहे जिस किसी योजना में उपधारा–2 में कुछ भी दिया गया हो अथवा सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समिति में कोई भी कोई भी व्यवस्था अथवा पेशकश की गई हो।

असल में सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत निकायों को 'सेबी' के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को दूसरे खण्ड में दिखाया गया है, बीमे का ठेका दिखाया गया है, इसमें किसी योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना का भी जिक्र है। पांचवे नम्बर में यह कहा गया है कि जमा राशियां कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58 'क' स्वीकार की जाती है। छठे नम्बर पर कहा गया है कि किसी कम्पनी द्वारा जमा राशियां कम्पनी अधिनियम 1956 धारा 620 क के अन्तर्गत निधि अथवा परस्पर लाभ समिति के रूप में घोषित किये जाने पर स्वीकार की जाती है। सातवें क्रम में चिट व्यापार का जिक्र किया गया है। आठवें स्थान पर एक व्यापक बात कही गई है कि म्यूचुअल फंड में किया गया योगदान अंशदान के रूप में होता है। ये सभी चीजें सामूहिक निवेश योजना के अन्तर्गत नहीं आयेंगी।

इस प्रकार की छूट क्यों दी जाती है ? इनकी क्या जरूरत है ? सात खण्डों को इस छूट के अर्न्तगत दर्शाया गया है क्यों ? क्या इस तरह के लोगों को जो जनता को धोखा दे रहे हैं कोई सुरक्षा दी जाती है ? तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन ऐसी अनेक म्यूचुअल फंड और निधियां बन्द हो रही हैं। सौ तथा दो सौ रुपए प्रतिदिन कमाने वाले लोग भी इस खाते में अपना धन डाल रहे हैं। परन्तु उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। उन्हें इधर–उधर ही जाना पड़ा रहा है। वह पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि एक नए पुलिस अधिकारी को तैनात कर दिया गया है और वहां पर वह अपनी शिकायतें दूर कर सकते हैं। परन्तु कोई अदालत इसकी प्रशंसा नहीं करती है। केवल भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड 420 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। लोग सामूहिक निवेश योजना की इस तरह से परिभाषा किये जाने से परेशान हैं। इन योजनाओं द्वारा लोगों का शोषण हुआ है।

इन लोगों को कैसे छूट दी जाती है ? उन्हें अनावश्यक रूप से छूट प्राप्त वर्ग में शामिल किया गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे निकायों के लिए इसका कोई अन्य अर्थ है जैसे आपको संरक्षा दी जाती है आप इस तरह से काम कर सकते हैं। जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं या जिन का बाजार द्वारा अपवंचन किया जाता है या जो विज्ञापनों के वशीभूत हो जाते हैं उनकी सुरक्षा हेतु कोई कानून अवश्य होना चाहिए। हर रोज हम ऐसे अनेक विज्ञापन देखते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि यदि आप सौ रुपये जमा करें तो आपको दस साल के भीतर एक हजार रुपये, दस हजार रुपये जमा करने पर हर महीने 250 रुपये की पेंशन मिलेगी। ऐसे लोगों की संरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। परन्तु आवश्यक रूप से कोई संशोधन शामिल करने पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री इस खण्ड को शामिल न करें ताकि इस विशेष अनुच्छेद में प्रावधान करने की कोई आवश्यकता न रहे।

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात जिसके विषय में यह संशोधन किया जाता है वो यह है कि यह बजार सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए। परन्तु 'सेबी' ने सामान्य लोगों की सुरक्षा नहीं की। मासिक वेतन पाने वाले लोगों ने केवल दस शेयर खरीदे परन्तु उनकी भी सुरक्षा नहीं की गयी। वे याचिकाएं भेज रहे हैं, तार नोटिस और आपराधिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई हैं। फिर भी कम्पनियां उन्हें धन नहीं दे रही हैं। वे उन्हें छः महीने या एक साल तक इन्तजार करने को कह रही हैं परन्तु 'सेबी; उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं, अतः इस प्रकार के मामलों में संक्षिप्त कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे कि छोटे मामले में अदालत में जाया जा सकता है बशर्ते कि यह अपराध एक कतिपय राशि अर्थात एक हजार से दस हजार की राशि से अधिक न हों। ऐसे मामलों में किसी कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे पहले आदेश दिया जाए और फिर उसे कार्यन्वित किया जाए इस तरह से यह सब प्रक्रिया चलेगी। ऐसी कोई धारा होनी चाहिए जिससे संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा छोटे निवेशकों की संरक्षा की जाए। किसी अपील अथवा संशोधन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए।

ब्याज के प्रावधान के साथ हर्जाने के संबंध में संभवतः कोई संशोधन न हो। परन्तु वास्तव में निवेशकों के लिए ब्याज के साथ हर्जाना सकेंद्रण बिंदु होना चाहिए। कोई अपराधिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। एक वर्ष की सजा अथवा धन को वापस करना यह प्रर्याप्त नहीं है। हर्जाना होना चाहिए। जिस व्यक्ति को कम्पनी ने टाल दिया हो, जिसे उसका धन तत्काल वापस नहीं किया गया हो उसे ब्याज सहित हर्जाने का भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान वहां होना चाहिए।

जब भी सरकार इस प्रकार के संशोधन लाती है तो पूरे मामले पर व्यापक और समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब हम शेयरों का इलैक्ट्रानिक हस्तांतरण भी कर रहे हैं। अतः जब भी कोई संशोधन हो तो एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, सम्पूर्णता पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एक ऐसा व्यापक विधेयक लाना चाहिए जो कि आधुनिक हो और जिसकी हम अपेक्षा करते हैं और जिसकी पश्चिमी देश अपेक्षा करते हैं अथवा कोई अन्य विदेशी निवेशक अपेक्षा करता है।

एक संपूर्ण व्यापक अधिनियम होना चाहिए। यहां–वहां जोड़–तोड़ नहीं करनी चाहिए जिससे अधिनियम का खोखलापन दिखाई देता है। लोग इस प्रकार के संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकते।

दूसरे संशोधन के संबंध में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हम शक्तियां प्रत्यायोजित कर रहे हैं। वस्तुतः प्रत्यायोजन सरकारी सचिवों की ओर हो रहा है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

(सेबी) के सदस्यों के रूप में बैठे हुए हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इसके सदस्य जज आदि होने चाहिए। एक वर्तमान न्यायाधीश जिस पर सरकार का नियंत्रण न ले सेबी का सदस्य होना चाहिए और अपील प्राधिकारी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। जो किसी न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश हो। आजकल इस प्रकार के अधिकरणों को सेवानिवृत्त लोगों ने संभाल रखा है जो मात्र उस विशेष पद के लिए लालायित हो रहे हैं। जब कोई सचिव सेवानिवृत्त होने जा रहा हो तो वह कोई अन्य नियुक्ति चाहता है। दस लाख वकील सड़क पर घूम रहे हैं। बहुत से व्यक्ति हैं जो कम्पनी विधि के विशेषज्ञ हैं। हमें एक अलग निकाय बनाना चाहिए जिसकी कम्पनी विधि में विशेषज्ञता हो। पांच या दस वर्षों की प्रैक्टिस के पश्चात उन्हें सेबी अथवा अपील अधिकरण में नियुक्त किया जाना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो विधि व्यवसाय में हो और किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो, विशेष रूप से कम्पनी विधि में, उसे नियुक्त किया जाना चाहिए। स्नातकोत्तर उपाधियों वाले व्यक्ति भी आ रहे हैं। वे शोध भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को स्थान नहीं मिलता। मात्र सचिव ही जो कि आई. ए. एस. अधिकारी के रूप में आये हैं पुनः नियुक्त किए जाते हैं। वह सर्वशक्तिमान है और कानून की प्रवणता के विषय में सब कुछ जानता है। बहुत सी रिट याचिकाएं आ रही हैं और इसीलिए न्यायालय प्रत्येक पहलू पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वकीलों को सेबी तथा अपील अधिकरणों जैसे निकायों में स्थान दिया जाना चाहिए जहां इस प्रकार की मनमानी नियुक्तियां की जा रही हैं। विधि के व्यवसाय में लगे वकील के लिए जिसके पास इस क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञता है उचित स्थान होना चाहिए।

अंत में मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से ग्रीष्मकालीन सैरगाह और भूमि संबंधी व्यापार हैं। मैं किसी विशेष कम्पनी का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ कतिपय कम्पनियां निर्धन किसानों से कम धनराशि में भूमि खरीद रही हैं और उन्हें ऊँची कीमतों पर बेच रही हैं। इस तरह की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वस्तुतः वे कोई सही धनराशि नहीं दे रही है अथवा दिखा रही हैं। वे इसे काले धन के रूप में हस्तांतरित कर रहीं हैं। इस प्रकार कम्पनी के नाम भूमि के हस्तांतरण तथा सेबी और अन्य चीजों के माध्यम से संरक्षण प्राप्त करने की समुचित रूप से जांच होनी चाहिए। भूमि तथा ग्रीष्मकालीन सैरगाह की खरीद, एक माह का आवर्त्तन देना, धन ले लेना और किसी अच्छे से दिन यह घोषणा करना कि प्रबंध निदेशक भाग निकला है और उसकी सम्पत्ति कुर्क कर ली गई है और ऐसी ही बातों पर रोक लगनी चाहिए। कुछ कतिपय लोगों की उत्साही प्रकृति है – कम्पनी अधिनियम को अपने हाथ में लेना। वे निर्धन लोगों का यह सोचकर शोषण करते हैं कि निर्धन लोग यह नहीं समझ सकते कि मुक्त बाजार क्या है। वे डरते हैं कि मुक्त बाजार केवल शोषण है और केवल कालाबाजारियों के लिए ही है। इस प्रकार की बातों पर माननीय वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए। जनता को यह बात स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए कि हम इस क्षेत्र में अडिग रहेंगे और यह देखेंगे कि इस प्रकार की चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इन दो अधिनियमों का विरोध करता हूं। इन अधिनियमों की बारहवीं लोक सभा की वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। उस समय मैंने कुछ कतिपय अनियमितताओं की ओर इशारा किया था जो कि इस अधिनियम में आ गई हैं। इसमें की गई अभिभावी व्यवस्था के बारे में मेरा भिन्न मत था। ये शब्द कि 'किसी अन्य अधिनियम में निहित किसी और बात के बावजूद इस अधिनियम के अनुसार व्युत्पन्नों में संविदाए कानूनी तथा वैध होंगी' जोड़े गए हैं। यह बात देखने वाली है कि न्यायिक संवीक्षा पर यह कितना खरा उतरेगा। आप हर चीज इस अधिनियम में सम्मिलित नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने व्युत्पन्नों की कोई परिभाषा भी नहीं दी। अधिनियम में केवल यह बताया गया है कि व्युत्पन्नों में उक्त–उक्त बातें सम्मिलित हैं और सीधे–सीधे यह नहीं बताया गया कि व्युत्पन्न वास्तव में क्या हैं। हम धन के लेन–देन के संबंध में विचार कर रहे थे जो कि कानून की सीमा के भीतर परिभाषित किए गए हैं। परंतु यहां ऐसा मामला है जहां हम विशेष रूप से सामूहिक निवेश पर विचार कर रहे हैं।

अब, मंत्री महोदय, जब हम 'सामूहिक निवेश' की परिभाषा की बात करते हैं तो हम बहुत गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। 'सामूजिक निवेश योजना' का अर्थ है कोई योजना अथवा व्यवस्था जो धारा 11 ए ए में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हो। धारा 11 ए ए में कहा गया है :

> "कोई योजना अथवा व्यवस्था जो उप–धारा (2) में संदर्भित शर्तों को पूर्ण करती है सामूहिक निवेश योजना होगी।"

सामूहिक निवेश योजना क्या है ? यह प्रस्तावित अधिनियम की सीमा में नहीं आयेगी। सहकारी समितियां भी व्यापार संचालित और सम्पादित कर रही हैं। वे धन भी एकत्र कर रही हैं। परन्तु उन्हें धारा 11 क क की सीमा से बाहर रखा गया है। परन्तु आपने विधेयक के बाद के हिस्से में ऐसा किया है जिसमें कहा गया है :

> "धारा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित सौदे अथवा निम्नलिखित उपादान इस धारा की सीमा के भीतर नहीं आएंगे।"

उसमें आपने कहा है : "सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अंतर्गत पंजीकृत किसी सहकारी समिति द्वारा बनायी गई अथवा प्रस्तुत की गई"...प्रश्न यह है कि यह वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सामूहिक निवेश योजना नहीं है। फिर, बीमा अधिनियम को भी बाहर रखा गया है। आपने भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को भी बाहर रखा है। इसलिए ये सब बाहर रखे गये थे। तब 'सामूहिक निवेश' का ठीक–ठीक अर्थ क्या है ? 'सामूहिक निवेश' से हमारा तात्पर्य है–बिना किसी आपसी समझ के अथवा बिना किसी परिभाषा के अथवा बिना किसी उप–नियम के तहत। आपने जो कहा है वह है "अंशदान, अथवा निवेशकों द्वारा किए गये भुगतान, जिस नाम से भी बुलाया जाए, सिर्फ योजना अथवा व्यवस्था के उद्देश्य के लिए ही एकत्र और उपयोग जाते हैं।" महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अलग–अलग व्यक्ति कोई व्यवस्था

करने के लिए अथवा कोई प्रस्ताव करने के लिए एक साथ मिल सकते हैं। कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत ऐसा किया जाता है ? आप उन सभी अधिनियमों को कानून की सीमा के भीतर व्याख्या किए बिना उन व्यवस्थाओं तथा सामूहिक निवेश की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह न्यायिक संवीक्षा पर खरा उतरेगा। अतः धारा 11 क तथा धारा 11 की उप-धारा (3) कई प्रकार से परस्पर विरोधी हैं। इसीलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

इसके बाद मैं दूसरे प्रावधान पर आता हूं। वर्तमान अधिनियम के अनुसार सरकार निर्देश दे सकती है। सरकार नियम बना सकती है और सरकार अपील अधिकरणों की अपीलों पर भी विचार कर सकती है। अब, वे शक्तियां वापस ले ली गई हैं और एक नई संस्था-अपील अधिकरण को दे दी गई हैं। सरकार के पास कोई शकितयां नहीं हैं। जहां तक इस प्रावधान का प्रश्न है सरकार धन के कारोबार संबंधी मामलों में निर्देश देने के लिए अपने पास कोई शक्ति नहीं रख रही है। यह ऐसा मामला है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए मेरा विरोध का मुख्य कारण यही है सरकार को इन निकायों को नियंत्रित करने के लिए कुछ शक्ति अपने पास रखनी चाहिए।

महोदय, उनका कहना है कि वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां निजीकरण तथा कर शोध हैं। उस स्थिति में, यदि आप सरकार के लिए कोई शक्ति सुरक्षित किए बिना इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किसी निकाय को सम्पूर्ण चीज सौंपते हैं तो यह बेतुका प्रतीत होता है और इसके साथ ही यह सभी के लिए खतरनाक है। यही प्रमुख कारण है जिसके लिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

इसके बाद आपने एक संशोधन किया जिसके द्वारा इस प्रस्तावित अधिनियम के माध्यम से न्यायालय की शक्तियां वापस ले ली गईं। यह स्पष्ट है। धारा 22 ङ में कहा गया है :

> "ऐसे मामले के संबंध में किसी मुकदमे अथवा कार्वाही पर विचार करना किसी दीवानी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में नहीं होगा जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत प्रतिभूति अपील अधिकरण को निर्धारण का अधिकार दिया गया है। और किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई समादेश नहीं दिया जाएगा।"...

ऐसा क्यों होना चाहिए ? जब कभी भी किसी धन के लेन-देन में कोई अनियमितता होती है तो आम नागरिक को उच्च न्यायालय के पास जाने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए ? उसे मामला दीवानी न्यायालय में ले जाने दो। आपको नागरिकों को मना क्यों करना चाहिए ? इसके अलावा उच्च न्यायालयों में दिन प्रतिदिन याचिकायें अथवा मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारी न्याय प्रणाली स्वयं कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है। इस समय आप ऐसा कानून बना रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप इसमें और वृद्धि होगी।

और मामले का कहीं अंत नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि न्यायालयों को इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों पर विचार करने से क्यों रोका जाता है। क्या आवश्यकता है ? दीवानी न्यायालयों को निर्णय करने दो। आप लोगों को ऐसे मामलों से संबंधित याचिका दाखिल करने के लिए उच्च न्यायालय में जाने के लिए क्यों कहते हैं ? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे प्रावधान को हटा दिया जाए। जब भी कोई शिकायत हो तो न्यायालय को इसका निर्णय करने दो। आखिरकार, जब कोई धन संबंधी मामला हो तो वे निम्न स्तर पर न्याय देने से क्यों इंकार करते हैं ? इसलिए मैं इस आधार पर भी इस विधेयक का विरोध करता हूं।

इसके अतिरिक्त केवल एक सीमित स्तर तक ही उच्च नयायालय को अपील की जाती है और अचित परिप्रेक्ष्य में नहीं होती है। इसलिए विधेयक अपने आप में त्रुटिपूर्ण है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही भविष्य में हमें धन संबंधी मामलों में गम्भीर अनियमितताओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं इन आधार पर इन दो विधेयकों का विरोध करता हूं।

महोदय, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विधान है। दुर्भाग्य से हमें इस पर सदन में चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। मैं अनुरोध करता हूं कि आज के बाद हम धन संबंधी मामलों से संबंधित विधान पर चर्चा करने के लिए और अधिक समय दिया जाना चाहिए। अतः मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि भविष्य में ऐसे मामलों पर चर्चा के लिए और अधिक समय दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह — उपस्थित नहीं। अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं नहीं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों विधेयकों का विरोध करता हूं। मेरी पहली आपत्ति वास्तविकता पर आधारित है और मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश का पूंजी बाजार क्या व्युत्पन्न का व्यापार करने के लिए तैयार है। मुझे पूंजी बाजार के बहुत महत्त्वपूर्ण लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला था और उनका मत यह है कि अभी तक पूंजी बाजार की स्थिति ऐसी नहीं बनी कि व्युत्पन्नों का व्यापार करने की अनुमति दी जाए। एक बार मुझे सेबी के अध्यक्ष से यह पूछने का मौका मिला कि उनके पास क्या इतने साधन विद्यमान हैं कि वे पूंजी बाजार में अनुचित ढंग से काम करने वाले कारोबारियों को नियन्त्रित कर सकें। उनका उत्तर था कि उनके पास वह साधन नहीं है और वह इस मामले में शक्ति-विहीन हैं। हमने इस प्रकार की परिस्थितियों का न केवल उन दिनों में जब प्रतिभूति घोटाला हुआ था, अपितु उसके बाद के दिनों में भी सामना किया है। हाल ही में एक बहुत विख्यात कारोबारी ने जो प्रतिभूति घोटाले के दिनों में भी कारोबार कर रहा था तथा तीन बहुत मशहूर

[श्री रूपचन्द पाल]

कम्पनियां यथा स्टारलाईट, विडिओकोन तथा बी. पी. एल. बाजार में हमने सेबी के अध्यक्ष से पूछा कि विभिन्न रूप से बाजार को छलने वाले अनुचित ढंग से कार्य करने वाले इन कारोबारियों को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। उनका उत्तर था कि नियामक के रूप में इन कारोबारियों को नियंत्रित करने के लिए उनके पास बहुत कम शक्ति है चाहे वह वास्तविक हो या वैधानिक।

महोदय, हमने यह दुखद नजारा तो देख ही लिया है कि छोटे निवेशकों से धन लेने के पश्चात् लगभग 5000 कम्पनियां वास्तव में हाल में विलीन हो गयी। यहां पर यह कहा जा रहा है कि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु इसे लाया गया है।

अपराह्न 4.00 बजे

जिन दिनों प्रतिभूति घोटाला हुआ तब से हम सरकार का ध्यान पूंजी बाजार में घटने वाली घटनाओं की ओर आकर्षित करने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। हमारे देश के महासुधारवादी नेता डॉ. मनमोहन सिंह ने एक बार हमें बताया था "पूंजी बाजर में होने वाली घटनाओं को लेकर मैं अपनी नींद खराब नहीं कर सकता।" एक संयुक्त समिति गठित की गई। उन्होंने जो कुछ घटित हुआ उसका पूरा अध्ययन किया। आज तक केवल एक ही बैंक है। इसके लिए मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। एक विशेष विदेशी बैंक पर सात हजार करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने साफ कह दिया है, "हम इसका भुगतान करने को तैयार नहीं हैं।" क्या भारतीय रिजर्व बैंक इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी शक्ति रखता है ? नहीं, वे विदेशी बैंकों को नियंत्रित नहीं कर सकते। सेबी अनुचित ढंग से कार्य करने वाले कारोबारियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में वे व्युत्पन्नों का कारोबार शुरू करने जा रहे हैं।

वनरोपण कम्पनी की निवेश योजनाओं तथा इसके जैसी अन्य योजनाओं का जिक्र किया गया है। एक स्थान पर उन्होंने उद्धृत किया है, "पूंजी बाजार में गिरावट होने के कारण व्युत्पन्न आवश्यक हो जाएंगे। एक दूसरे मौके पर मंत्री जी ने कहा "हम व्युत्पन्नों का कारोबार करने के लिए पहले ही परिपक्व हो चुके हैं।" ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। उस समय जब स्थायी समितियां ये सब सुझाव देती रही थीं, वे पूंजी बाजर को गिरता हुआ बाजार बताते रहे। अब क्या हो रहा है ? विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यद्यपि करगिल युद्ध के बाद एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, उस स्थिति में भी हमने पाया कि सैंसेक्स बढ़ता ही जा रहा था। यह विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। बहुत से मामलों में से आपको केवल पांच मामले मिलेंगे। यह सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल कम्पनी, कुछ बैंकों तथा तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर से संबंधित है। ऐसी पांच या छः कम्पनियां हैं। इस्पात क्षेत्र, तेल क्षेत्रों तथा कई अन्य का उदाहरण ले लीजिए। निःसंदेह सरकारी क्षेत्र में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया रही है। परन्तु अधिकांश अन्य ऐसी विख्यात प्रतिष्ठित कम्पनियां भी बुरी तरह से असफल हो रही हैं जो पूंजी जुटाने हेतु कई बार विदेशी बाजार तक पहुंच बनाना चाहती थीं। पूंजी बाजार की यही स्थिति है। सैंसेक्स कृत्रिम है। मैं आपको बता सकता हूं कि यह गुब्बारे की भांति है। यह फट जायेगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये विदेशी संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं ?

पूर्व एशिया के देशों के अनुभव के बाद तथा एशियन टाइगर्स के अनुभव के बाद भी हमने यह बिलकुल नहीं समझा है कि वे अनैतिक सट्टेबाजी में लगे हुए हैं। जब भी हमें धन की आवश्यकता होती है, वे धन निकाल लेते हैं। हमें विदेशी निवेशकों के हाथों में धकेल रहे हैं।

यदि इन मामलों को इसी तरह से चलने दिया गया, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब न सिर्फ हमारी मुद्रा बल्कि हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं निरंतर यह प्रश्न पूछता रहा हूं कि आप भूमंडलीकरण कर रहे हैं। हम विश्वव्यापी मानकों और अन्य अनेक ऐसे ही मामलों के संबंध में बात कर रहे हैं। हम सही बात करते रहे हैं। हमारा एक राष्ट्रीय शेयर बाजार है। उसके बावजूद, क्या वित्त मंत्री हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि इसके कार्यों में पर्याप्त पारदर्शिता है? जी नहीं। उन्हें इन बातों को गुप्त रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। सेबी हर दिन ऐसे अनैतिक ढंग से कार्य करने वाले कारोबारियों को मनमाने ढंग से काम करने के अवसर प्रदान कर रहा है।

विश्वव्यापी मानक की क्या बात की जाए, शायद ही कहीं कोई पारदर्शिता है। किसी भी स्तर से थोड़ी भी पारदर्शिता नहीं है तथा अनैतिक ढंग से कार्य करने वाले कारोबारी जनता का धन लूटने तथा छोटे निवेशकों को उनकी बहुमूल्य बचतों से वंचित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मुझे इन दो विधेयकों के संबंध में आपत्ति है। मैं इससे संबंधित तर्कों को भी एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों विधेयकों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है।

अब मैं प्लांटेशन कंपनियों की बात करता हूं। आज तक उन्होंने आम जनता और छोटे निवेशकों की बचत राशियों को नष्ट करने का कार्य किया है। यह सरकार तथा पिछली कांग्रेस सरकार केवल मूक दर्शक ही रही है। मैं इस सरकार पर भी यह आरोप लगाता हूं कि जो हो रहा है उसकी उन्हें पूरी जानकारी है, किन्तु इन अनैतिक ढंग से कार्य करने वालों, कारोबारियों इन धन लूटने वालों से इनकी मिली-भगत है। मैं कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं आपको उन महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम बता सकता हूं जो इस मामले से संबंधित हैं। आज की तारीख तक उस पक्ष से संबंधित अत्याधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का अनैतिक ढंग से कार्य करने वाले कारोबारियों का गहरा और नजदीकी संबंध है। मैं उनके नाम बता सकता हूं। जो कुछ भी हो रहा है, उस संबंध में मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। अब उन्हें क्या करना चाहिए ? क्या हुआ है ? आप वहां थे। मैं प्रतिभूति घोटाले की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कौन इसकी जांच करेगा ? ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : संयुक्त संसदीय समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा यह माना गया है कि भारत दुर्भाग्यवश सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : आप साम्राज्यवादी संस्था का उदाहरण क्यों दे रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : वह बात ठीक है। वे आपके मित्र हैं।... *(व्यवधान)*

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : चीन सर्वाधिक भ्रष्ट देश है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हमारे द्वारा विश्व बैंक की रिर्पोट का उदाहरण दिए जाने पर भी आप आपत्ति करेंगे ?...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : हम यह देखते हैं कि भ्रष्टाचार को पुरस्कृत किया जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : डॉ. सेनगुप्ता अत्यंत प्रसन्न और गौरवान्वित हैं कि चीन सबसे अधिक भ्रष्ट देश है तथा हम दूसरे स्थान पर हैं। आप क्या बात कर रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

श्री रूपचन्द पाल : हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी इन दो विधेयकों पर ही चर्चा की जाए।

श्री रूपचन्द पाल : अब, टेलीकॉम और चीनी के संबंध में भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी हाल ही में जो हुआ है, उस पर उसी अवसर पर चर्चा की जा सकती है। अब मैं इन दो विधेयकों की ही चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही चाहता हूं कि आप ऐसा ही करें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : जहां तक मुझे याद है, प्रतिभूति घोटाला संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता श्री राम निवास मिर्धा ने की थी। वे उस समिति के अध्यक्ष थे तथा सरकार को इस संबंध में सर्वसम्मत रिपोर्ट दी गई थी कि फलां लोग अपराधी थे जो पूंजी बाजार को तहस–नहस कर रहे थे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया; फलां विदेशी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक; वित्तीय संस्थाएं जो अपराधी थे। लम्बे समय के बाद, हमने पाया कि एक या दो लोगों को पकड़कर स्पष्ट रूप से दंडित किया गया। किसी व्यक्ति के संबंध में कोई बड़ा दावा किया गया कि उस पर 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का आयकर बकाया था। परंतु उसी व्यक्ति को टेलीविजन, सरकार–नियंत्रित टेलीविजन पर बजट के बारे में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने और भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। पक्ष तथा विपक्ष दोनों तरफ के लोग मित्रवत थे। जब डॉ. मनमोहन सिंह सत्ता पक्ष में बैठे थे, तब उन्होंने पूंजी बाजार में होने वाली घटनाओं पर अपनी नींद हराम करने से इंकार कर दिया था। जब आप सत्ता में हैं, तो आप ये व्युत्पन्न ला रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : जी हां, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

इस सरकार को इन विधेयकों पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह अत्यधिक खतरनाक विधान है। आप राष्ट्रीय बचतों, गरीब निवेशकों की बचतों को तश्तरी में परोस रहे हैं तथा वे वस्तुतः लुटने जा रहे हैं। भारत सरकार के पास अब जो थोड़ा बहुत प्राधिकार बचा हुआ है, उसे आप किसी अपीलीय निकाय को सौंप रहे हैं। हम जानते हैं कि यह अपीलीय निकाय क्या होगा।

यदि सुधार आम जनता और गरीबों के लाभ के लिए कुछ अच्छा करने के लिए है तो हम सुधार कार्यों के विरुद्ध नहीं हैं। आज हम देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) में, विश्व बैंक के प्रेसीडेन्ट ने कड़े शब्दों में यह कहा है कि किसी भी देश के गरीब लोगों को किसी प्रकार का लाभ प्रदान किए बिना सुधार कार्य सफल नहीं हो सकते। उन्होंने ऐसा कहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यथासंभव विधयेक के संबंध में प्रासंगिक बात करने का ही प्रयास कर रहा हूं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, श्री नरसिंह राव ने करीब तीन या चार दिन पहले कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं समझता हूं कि अनेक लोगों ने उस पर ध्यान दिया होगा। उन्होंने कहा है, "1991 में जब हमने सुधार प्रक्रिया प्रारंभ की थी तब हम यह कल्पना नहीं कर सके थे कि इसका यही परिणाम होने जा रहा है। हम यह सोच रहे थे कि उदारीकरण के पश्चात् लोग आएंगे और अवसंरचना में निवेश करेंगे तथा संरचना पर ध्यान देंगे।" उन्होंने ये सभी बातें कहीं है। ऐसा कभी नहीं किया जाएगा और ऐसा कभी नहीं होगा। आठ वर्षों के बाद, स्वयं वही नेता, जिन्होंने सुधारों को प्रारंभ किया था, इस संबंध में विलाप व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा राजनीतिक कारणों से या कुछ मत–भिन्नताओं के कारण भी हो सकता है, यह मुझे नहीं मालूम है। परंतु उन्होंने यह कहा है कि सुधार कार्य इच्छित लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक सच्चाई है।

श्री रूपचन्द पाल : विश्व बैंक तथा बाजार अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े समर्थक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री पाल क्रुगमैन ने उसे स्वीकार किया है। उन्होने अपनी नीति बदल ली है तथा इन दिनों पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण अपना लिया है। अतः मैं यह कहता हूं कि जब आप पूंजी बाजार पर विचार कर रहे हैं तो आपको प्रर्याप्त पारदर्शिता पर भी ध्यान

[श्री रूपचन्द पाल]

देना होगा। कि ऑन-लाइन के बाद भी, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चालू होने के बाद भी व्युत्पन्न तभी उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं जब आपके पास पूर्णतः विकसित और पारदर्शी बाजार हो। समर्थ विनियामक भी होने चाहिए। सेबी आजकल कुशलता पूर्वक विनियमित नहीं है। यह दंतहीन है और ऐसी स्थिति में, यह हमारे छोटे निवेशकों के लिए विनाशकारी साबित होगा।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय वित्त मंत्री से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। उचित विचार करने के बाद, वे देश की सेवा के लिए इस विधेयक को पुनः ला सकते हैं। तथा यह भी अनुरोध करता हूं कि बचतों को निरीह निवेशकों से दूर न करें।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सारे सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेकर इसे इतना रोचक बनाया। उससे भी अधिक मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेने से इंकार किया और सदन का समय बचाया।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं बोलना तो चाहता था, परंतु मैंने समझा कि मेरे सहकर्मियों ने पहले ही यह कार्य कर लिया है। इसी कारण से, मैं उसी बात को दोहराना नहीं चाहता था। मेरा कोई दूसरा गलत आशय नहीं है।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, जो दो बिल मैंने सदन के सामने पेश किए, उसमें तीन मुख्य मुद्दे हैं। जैसा मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा था, एक तो यह है कि हम 'सिक्युरिटीज' शब्द की परिभाषा ऐग्जिस्टिंग एक्ट में बदल रहे हैं ताकि डैरीवेटिव्ज को भी सिक्युरिटी की परिभाषा में शामिल किया जा सके। दूसरा, कलैक्टिव इन्वैस्टमैंट स्कीम्स, जो प्लान्टेशन कम्पनी से संबंधित हैं, उनको सेबी के नियंत्रण में और अधिक ला रहे हैं। तीसरा, सेबी एक्ट में जो अपील का प्रावधान है, जो अभी वित्त मंत्रालय के पास है, उस अधिकार को छोड़कर जो सेबी एक्ट, 1992 में ऑलरेडी एक अपील के लिए ट्रिब्युनल बना हुआ है, उसको वह अधिकार सौंपना चाहते हैं। मुख्यतः ये ही तीन बातें इन दोनों विधेयकों में हैं।

डैरीवेटिव्ज के बारे में बहुत चर्चा यहां पर नहीं हुई, लेकिन अभी-अभी रूपचन्द पाल जी ने कहा कि क्या हमारा कैपीटिल मार्केट, स्टाक मार्केट डैरीवेटिव्ज ट्रेडिंग के लिए तैयार है और उसके पहले माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन जी ने कई आपत्तियां पूरे बिल को लेकर उठाईं। मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि पिछली लोक सभा में यह बिल पेश हुआ था कि उसके बाद वित्त मंत्रालय की जो स्थाई समिति है, उसको यह सौंपा गया था। स्थाई समिति ने विचार करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट दोनों सदनों को दी। उस रिपोर्ट की प्रति मेरे पास उपलब्ध है। माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन उस समिति के सदस्य थे, लेकिन मैंने पाया, जब मैंने उस प्रतिवेदन को देखा कि एक राज्य सभा के सदस्य को छोड़कर अन्य किसी सदस्य ने समिति की जो सिफारिशें हैं, उसकें साथ अपनी असहमति नहीं जताई थी। श्री राधाकृष्णन जी ने भी नहीं जताई थी। उन्होंने कोई नोट ऑफ डीसेंट उस समिति के समक्ष पेश नहीं किया था। अभी उन्होंने जितनी बातें यहां पर कहीं, उसको सुनकर थोड़ा बहुत मुझे आश्चर्य हुआ।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, जरा मेरी बात सुनिए। बैठक में भी मैंने अपनी असहमति व्यक्त की थी, परंतु समिति के तत्कालीन सभापति श्री मुरली देवड़ा ने अपना मत व्यक्त किया था कि इसे कम करके आंकने की आवश्यकता नहीं है। अतः, मैंने उस संबंध में सहमति नहीं दी और उस समिति में अपनी असहमति व्यक्त की थी। परंतु सभापति के निर्णय का पालन करते हुए, मैं कुछ नहीं कर पाया ...*(व्यवधान)* क्या मैं उसकी सहमति के बिना इसे रिर्पोट में लिख सकता था ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय जो बात कह रहे हैं, वह यह है कि आप विमत टिप्पण दे सकते थे।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने इसे लिखित रूप में दे दिया था।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। मैं इस बात को मान लेता हूं कि माननीय सदस्य ने अपनी असहमति जताई, लेकिन वह अनौपचारिक रही। औपचारिक रूप से वह समिति के प्रतिवेदन में शामिल नहीं हुई, इसलिए मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन इन दोनों बातों की सफाई में मैं यह कहना चाहता हूं कि डैरीवेटिव्ज का जहां तक सवाल है, उसमें हम अत्यन्त ही सावधानी से, सीमित ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अत्यन्त ही सावधानी से, सीमित ढंग से। डैरीवेटिव्ज में फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं। हम आप्शंस को परमीशन नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ फ्यूचर्स को टेक अप कर रहे हैं और फ्यूचर्स में भी हम स्टाक इंडैक्स फ्यूचर्स को ही अनुमति दे रहे हैं। अन्य किसी डैरिवेटिव को अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा सेबी को यह अधिकार है कि वह तय करे कि कस स्टाक एक्सचेंज में यह क्षमता है कि वह इनको कर सके। नेशनल स्टाक एक्सचेंज ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, नेशनल स्टाक एक्सचेंज इसको संभाल लेने में सक्षम है, इसलिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज में डेरीवेटिव्ज की ट्रेडिंग होगी। बोम्बे स्टाक एक्सचेंज में तैयारी की है, बोम्बे स्टाक एक्सचेंज इसको संभाल सकता है।...*(व्यवधान)*

मुंबई स्टाक एक्सचेंज में इसको संभालने की क्षमता है, इसलिए शायद वहां सेबी अनुमति दे, लेकिन इसको इनडिस्क्रिमिनेटली हम परमीशन नहीं देने के पक्ष में हैं, न हम उन सारे फ्यूचर्स को या ऑप्शंस को, जो डैरीवेटिव्ज की परिभाषा में शामिल हैं, उनको इसमें अनुमति देने की इच्छा या मंशा रखते हैं। इसलिए इसके बारे में कतई किसी को शक न हो कि सरकार बेधड़क इसमें आगे बढ़ जायेगी या सेबी को अनुमति दे देगी और इसमें किसी प्रकार गोलमाल हो जायेगा। अत्यन्त सावधानी से हम बढ़ेंगे और मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के बारे में यहां चर्चा की गई, जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी, जो श्री राम निवास मिर्धा जी की अध्यक्षता में 1992 में बनी थी, मुझे भी उसका एक सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

इसलिए अगर आज के दिन मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, तो मैं कुछ क्रेडिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इस समिति में काम किया था। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय की सरकार ने इसको स्वीकार भी किया था। इस समिति की सबसे महत्त्वपूर्ण फाइंडिग थी कि हम इस देश में उदारवाद लाए, लेकिन जिस व्यवस्था के तहत हमें उदारवाद लाना चाहिए था, उस व्यवस्था का हमने निर्माण नहीं किया। यह विनियमन के बिना उदारवाद लाना था। यह उस समिति ने कहा था। उस समय उदारवाद का दौर शुरू हुआ, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस सदन को विश्वास में लेकर, कि जो कुछ हुआ, चाहे वह सिक्योरिटी मार्केट स्कीम हो, चाहे एन. बी. एफ. सी. स्कीम हो, चाहे कलैक्टिव इन्वैस्टमेंट स्कीम हो, चाहे निधि स्कीम हो, चाहे म्युच्युल फन्ड स्कीम हो या किसी भी प्रकार की स्कीम हो, यह सब उसी परिस्थिति में हुआ। हमने उनको छूट दे दी कि वे रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के पास जाकर कम्पनी को रजिस्टर कर लें, बड़े–बड़े विज्ञापन जारी करें, लोगों से धन एकत्रित करें और उसके बाद लापता हो जायें, क्योंकि कोई रेग्युलेशन नहीं है। जे. पी. सी. की रिपोर्ट के बाद धीरे–धीरे करके सरकार सावधान हुई और रेग्युलेशन बनना शुरू किया।

हमारे मित्र श्री रूपचन्द पाल जी ने कहा कि कारगिल का युद्ध हो रहा था और स्टाक मार्केट बढ़ रहा था। हां, बढ़ रहा था। करगिल का युद्ध हो रहा था, कीमतें नियन्त्रण में थी। हां थीं। कभी–कभी बहुत सारी अनहोनी बातें भी होती हैं और उनको स्वीकार करना हमें तथ्यों के आधार पर सीखना चाहिए। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज सेबी के नियन्त्रण के चलते यह संभव नहीं है कि भारत का स्टाक मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। वह कोई बुलबुला नहीं है जो किसी भी दिन फट सकता है। अगर रूपचन्द पाल जी और उनके अन्य मित्रों को इसके बारे में कोई सन्देह है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वे अपने मन से इस बात को निकाल दें, क्योंकि इस प्रकार का अभी कोई खतरा नहीं है। मार्जिनिंग रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं कि मार्केट कभी फेल नहीं हो सकता है, सैटलमेंट कभी डिफाल्ट में नहीं जाएगा। इसलिए हम आज के दिन महसूस करते हैं कि जिस सावधानी के साथ डेरिवेटिव्ज के मामले में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम डेरिवेटिव्ज को डील करने के लिए इक्विप्ड हैं और हम डेरीवेटिव्ज ट्रेडिंज को एलाऊ करने जा रहे हैं।

हमारे मित्र किरीट सोमैया जी इसके बारे में बहुत ही जानकार हैं। इस विषय पर इनसे हमारी चर्चा होती रही है। यह सही है कि ये हमारे देश में छोटे निवेशक हैं और उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर जुल्म हुआ है। जिस तरह से उनके पैसे डूबें हैं, वह अत्यन्त ही पीड़ा की बात है। चाहे वह पैसा एन. बी. एफ. सी. के माध्यम से हुआ हो, चाहे स्टाक मार्केट में वैनिशिंग कम्पनीज के माध्यम से हुआ हो, चाहे क्लैक्टिव इन्वैस्टमेंट स्कीम के माध्यम से हुआ हो, चाहे म्युच्युल फन्ड के माध्यम से हुआ हो, यह अत्यन्त ही बुरी बात है, क्योंकि कोई नियम, कायदा, कानून नहीं था। सदन में गोल्डन फारेस्ट कम्पनी की बात कही गई और कहा गया कि उसने हजारों करोड़ रुपए क्लैक्ट कर लिए, कोई विज्ञापन दे कर। वे कम्पनियां बैठ गईं या बिल्कुल गायब हो गईं और लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया। में सदन को बताना चाहता हूं कि हम क्लैक्टिव इन्वैस्टमेंट स्कीम ला रहे हैं। 1997 में इससे पहले वाली सरकार ने, उस समय अटल जी की सरकार नहीं थी, संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, उन्होंने इसके लिए प्रावधान किया और यह अधिकार दिया कि क्लैक्टिव इन्वैस्टमेंट स्कीम रैग्युलेट करे।

उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनी। दवे कमेटी ने इसकी सारी जांच–पड़ताल की। उसने कहा कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को कैसे डिफाइन करना चाहिए और कौन–कौन सी बातें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं आनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र नाच्चीयपन जी ने कहा कि हमने उससे क्यों सात तरह के अपवाद रखे हैं। मैं उसमें सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता लेकिन ये सातों अपवाद इसलिए हैं क्योंकि इन सातों अपवादों के लिए इनको रेगुलेट करने के लिए अलग से कानूनी प्रावधान है। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी कि इनको रेगुलेट करने के लिए फिर इस कानून में कोई प्रावधान किया जाए। इसलिए इन सातों अपवादों को रखा गया है और दवे समिति ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की जो परिभाषा दी है इसी परिभाषा को हमने एक्ट में लागू किया है। बराड़ जी ने कहा कि मैं कड़ा विरोध करता हूं। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि इस अमेंडमेंट से, जिसमें हम सेबी को अधिकार देकर इस बात के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं कि उनके ऊपर नियंत्रण रखे तो वे कैसे ये कह रहे हैं कि इससे और लूट की छूट मिल जाएगी, यह बात मेरे दिमाग में तो नहीं बैठ पाई।

मैं इस बात से सहमत हूं कि लूट हुई है। छोटे निवेशकों के साथ धोखा हुआ है ओर उसी को नियंत्रित करने के लिए यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है ताकि आगे से यह संभव न हो, लेकिन बात बिलकुल उल्टी है। उनके मन में तथा अन्य सदस्यों के मन में यदि इस प्रकार की भावना है तो मैं कहूंगा कि कृपया इसको आप अपने मन से निकाल दें, क्योंकि इसके बाद सेबी को वे अधिकार प्राप्त होंगे जिसके तहत वह इनको नियंत्रित कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : इन्होंने यह कहा था कि इस तरीके से सेबी के पास ये भी अधिकार हो जाएंगे कि जमीन की खरीद–फरोख्त भी उसमें आ जाएगी। यह एक राज्य विषय है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं उस बिन्दु पर आ रहा हूं। उन्होंने पहले यह कहा कि इससे छूट मिल जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आपने शायद देखा नहीं, आप एक बात में रह गए।

[अनुवाद]

आप केवल एक विचार से प्रभावित हुए हैं...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : मैंने देखा नहीं सुना। मैंने उन्हें बहुत सावधानीपूर्वक सुना था। श्री बरार ने वाद–विवाद प्रारम्भ किया था और मैंने उन्हें बहुत सावधानीपूर्वक सुना था। मैंने किसी समय भी वक्तव्य में व्यवधान नहीं डाला था। मेरे पास अपनी लिखी हुई सामग्री है जिसे मैंने उन मुद्दों का जवाब देने के लिए अति सावधानीपूर्वक तैयार किया है।

दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, वह राज्यों के अधिकार के बारे में है और इस संबंध में है कि अधिनियम या संशोधन किस प्रकार राज्यों के संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण करता है। मैं उस तरीके से सहमत नहीं हूं। मैं। यह नहीं सोचता कि इस संशोधन के जरिये हम, किसी भी तरीके से राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। कौन–सी शक्तियां है जिनका हम उपयोग कर रहे हैं ! माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जिस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, वह सामूहिक निवेश योजनाओं का विनियमन करना है, जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। वे कृषि कार्यवाहियों से संबंधित हैं क्योंकि वे पौधारोपण के बारे में है। इसे खरीद, वितरण, उपयोग और भूमि के पट्टे से कुछ लेना–देना नहीं है। हमें केवल वित्तीय साधनों से मतलब है तथा वित्तीय साधन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। संविधान के अन्तर्गत ये पूर्णतया भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इसीलिए हम इस पर विधान बनाने हेतु सक्षम हैं।

[हिन्दी]

इन्होंने जो तीसरा बिन्दु उठाया था वह यह था कि हम अधिकारियों को और अधिक अधिकार दे रहे हैं कि वे घोटाला करें। हमारे मित्र सेनगुप्त जी खड़े हुए थे लेकिन वह नियम नहीं बता पाए कि किस नियम के तहत वह प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं इसलिए उनकी बात नहीं सुनी गई। मैं समझता हूं कि किसी भी अधिकारी के ऊपर, संस्था के ऊपर हल्के ढंग से कोई आरोप लगा देना सदन की शोभा नहीं बढ़ाता है।...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बरार (फरीदकोट) : माननीय मंत्री जी, इस देश का करोड़ों रुपया ले गए, क्या यह मामूली बात है ? लोगों ने खुदकशी कर ली, उनका पैसा डूब गया, क्या यह मामूली बात है ?

[अनुवाद]

यह आपके गंभीर न होने के कारण है। आपने जो कुछ कहा है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं किन्तु यह...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने माननीय मंत्री की बात सुनी। इसके बाद यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, मैं आपको इसकी अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : यदि किसी सदस्य को किसी विशेष बात के बारे में कुछ आशंका है, यही टिप्पणी है जो मंत्री कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। इसके बाद, यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं आपको उसकी अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री जे. एस. बराड़ : मैंने कोई नाम नहीं लिया है। मैंने सभा के शिष्टाचार के प्रति पूर्ण सावधानी बरती है। क्या मैने किसी नाम का उल्लेख किया था...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, यह इसे और भी बदतर बना देगा क्योंकि हम ऐसे अभियोग लगाकर सभी वर्गों के लोगों को अवमानित करते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां पर कुछ गलत व्यक्ति भी मौजूद हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : जब किसी विशेष निकाय संस्थान या संगठन को व्यापक शक्तियां दी जा रही हैं तो निश्चित रूप से इसके बारे में हमें आशंका व्यक्त करने का अधिकार है।

श्री यशवन्त सिन्हा : हम व्यापक शक्तियां नहीं दे रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : हम जिस बात के लिए अपनी आशंका व्यक्त कर रहे हैं वह यह है कि 'सेबी' उन मामलों को भी शामिल करने का प्रयास करेगा जहां केवल भूमि की खरीद का मामला है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जब तक मैं न कहूं तब तक इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मैंने अपना भाषण अभी समाप्त तो नहीं किया। मैं यह कह रहा हूं कि हमने उतने ही अधिकार सेबी को दे रहे हैं जितने अधिकारों की आवश्यकता है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि इतने अधिकार अधिकारियों को दे दिये गये हैं कि वे लूट मचाए हुए हैं। दूसरी तरफ यहां रूपचंद पाल जी ने कहा कि सेबी के अध्यक्ष से उनकी

बात हो रही थी तो सेबी के अध्यक्ष ने कहा कि हम तो टीथ–लैस हैं। इसलिए हम उनको न कम अधिकार दे रहे हैं न अधिक अधिकार दे रहे हैं। इसके पहले चूंकि इन्हें अधिकार नहीं थे इसलिए सेबी नियंत्रण करने में सक्षम नहीं था। जैसा कि मैंने कहा 1997 से पहले उसको यह करने का कोई अधिकार नहीं था। उपाध्यक्ष जी, तीसरी बात जो मैंने कही, जो हमने अपील की व्यवस्था की है। श्री किरीट सोमैया सही कह रहे थे कि एक मामला एच. एल. एल. का आया जिसमें सेबी ने आर्डर पास किया। जो अभी वर्तमान में एक्ट में प्रावधान है उसके तहत उसकी अपील वित्त मंत्रालय में आई। वित्त मंत्रालय के दो पदाधिकारियों की एक बैंच बनाई गयी थी कि मामले को ये दो अधिकारी सुनेंगे। इसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी या बाकी मंत्रालयों का कोई लेना–देना नहीं है। वे दो व्यक्ति ही इसको अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में सुन रहे हैं। सेबी ने जो आदेश दिया था उसके साथ वे सहमत नहीं हुए और उस आदेश को उन्होंने निरस्त कर दिया। उसके बाद एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गयी। कुछ लोगों को क्योंकि इसकी पूरी जानकारी नहीं थी तो उन्होंने सोचा कि वित्त मंत्रालनय ने सेबी के आर्डर को निरस्त कर दिया है। दूसरी बात क्या हुई कि सेबी ने जब इस आर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की तो वह किसके खिलाफ की। वह वित्त मंत्रालय के दो अधिकारियों के आर्डर के खिलाफ अपील की। अब सरकार के ही दोनों अंग हैं और आपस में हाईकोर्ट के सामने खींचातानी हो रही है। अपील सेबी से वित्त मंत्रालय में आती है इसलिए मैंने इस पर विचार किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पहले से एक प्राधिकरण बना हुआ है, ट्रिब्यूनल बना हुआ है जो सेबी के आदेश के ऊपर अपील सुनता है, उसी को अधिकार दे दिया जाए कि वह अपील सुने। किरीट सोमैया जी को इसके बारे में थोड़ा शक था कि पता नहीं वह अधिकारी ज्वाइंट–सैक्रेट्री लेवल का है और जो यह सेबी का अध्यक्ष है वह सैक्रेट्री लेवल का है। राज्य मंत्री की कैबिनेट मंत्री कैसे सुनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात नहीं है। सेबी एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत यह कहा गया है कि–

[अनुवाद]

> "पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य है' रहा है।"

[हिन्दी]

इस लेवल का व्यक्ति जो है वही उसका अध्यक्ष बन सकता है और जब से ट्रिब्यूनल बना है उसके पास काम बहुत कम रहा है। यह जो काम अपील देने का हम कर रहे हैं उससे उसके काम में भी इजाफा होगा और हमारे मंत्रालय के पदाधिकारी का भी काम थोड़ा कम होगा और यह सारी व्यवस्था सही हो जायेगी। हमें जो एच. एल. एल. के केस में परेशानी हुई, उस तरह की परेशानी का सामना भी हमें नहीं करना पड़ेगा।

जहां तक अंतिम प्रश्न का सवाल है जो अभी हमारे माननीय सदस्य उठा रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। उस तरह की कंपनियां इस देश में 1990 के दशक में पैदा हुईं जिन्होंने लोगों का पैसा इकट्ठा किया और उसे लेकर चम्पत हो गयीं। एक चम्पावत नाम के व्यक्ति या परिवार का नाम भी लिया जा रहा था।...*(व्यवधान)* पांच हजार नहीं उससे कहीं ज्यादा पैसा वे ले गये। क्या हुआ, पैसा लेकर चम्पत हो गये।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ. प्र.) : सेबी को पॉवर दी थी।

श्री यशवंत सिन्हा : आप मेरी बात सुनिये और जरा धैर्य रखिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि इसके पहले जब हम लोग सरकार में थे तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त की थी। उस समय सेबी, कम्पनी लॉ बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ कम्पनी अफेयर्स को यह निर्देश दिया गया कि एक जाइंट टीम बनाकर इस सारी व्यवस्था को दुरुस्त करें और जो कम्पनियां पैसा लेकर गायब हो गई हैं, उनसे पैसा वापस लेकर उन्हें दंडित करने के लिये जितनी जल्दी हो सके, काम किया जाये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेबी ने समय–समय पर ऐसी कम्पनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किये हैं तथा कम्पनियों के संवर्धकों तथा निदेशकों को आपराधिक कानून के अन्तर्गत निवेशकों द्वारा दायर किए गए मुकदमों के आधार पर जेल भेजा गया है।

श्री रूपचन्द पाल : लेकिन कितने नम्बर में लोग जेल गये हैं ?

श्री यशवंत सिन्हा : बहुत नम्बर में जेल गये हैं और बड़े–बड़े लोग जेल गये हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जिन कम्पनियों को राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है, उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई है ? आप उस दिशा में क्या पहल कर रहे हैं, यह बताइये।

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिशा में हम यह पहल कर रहे हैं कि इस अमेंडमेंट को लाकर सेबी को इस योग्य बना रहे हैं कि ऐसी कम्पनियों पर नियंत्रण हो, वे लोगों को आगे न ठग पायें। जिन लोगों ने ठगी की है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। बहुत सी कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही हुई भी है। यहां। प्लांटेशन कम्पनी के बारे में बात हो रही थी। ऐसी पांच कम्पनियां हैं, जिनमें गोल्डन फारेस्ट कम्पनी भी शामिल है जिसके खिलाफ कार्यवाही हुई है। सेबी ने हाई कोर्ट में अप्रोच करके उसको रेस्ट्रेन किया है कि वह अपनी प्रापर्टी या अस्सेट्स को डिस्पोज ऑफ न कर सके ताकि उन अस्सेट्स से पैसा वसूल किया जा सके और लोगों को उनका पैसा दिलाया जा सके जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सतत् सावधानी ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। जो लालच में आकर एक का दो और दो का तीन बन जायेगा, इस धोखे में आकर पैसा लगा बैठे, अब उसमें पैसा लगाना संभव नहीं है। हमें और इस

[श्री यशवन्त सिन्हा]

देश की जनता को सावधान रहना पड़ेगा कि ऐसी कम्पनियों के चक्कर में न आयें। मुझे इस बात की खुशी है कि सेबी समय-समय पर इस तरह के विज्ञापन निकालती रहती है जिसमें लोगों को सावधान किया जाता है कि ऐसी कम्पनियों में वे पैसा न लगायें।

श्री किरीट ने रेटिंग के बारे में 69 कम्पनियों का जिक्र किया। सब की रेटिंग है। वे निवेश ग्रेड से कम हैं। सेबी ने दिनांक 17 जून, 1998 तथा 17 जुलाई, 1998 के प्रेस प्रकाशनों के माध्यम से निवेशकों को सूचित किया है कि सभी सामूहिक विनिधान योजना को साख निर्धारण एजेंसियों से विनिधान अनुपयुक्त (बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड) रेटिंग मिली हुई है जिससे निवेशकों को भारी खतरे की सम्भावना है। आगे सेबी ने यह निर्देश दिये हैं कि बागत कम्पनियों द्वारा अपने द्वारा जारी किए गए विज्ञापन/विवरणिकाओं/पुस्तिकाओं तथा अन्य प्रकार सामग्री में साख रेटिंग के साथ-साथ उसके तात्पर्य/परिभाषा का भी प्रकटीकरण करें। आगे ऐसे विज्ञापन सेबी विनियमों दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।

श्री रूपचन्द पाल : रेटिंग में भी घोटाला है।

श्री यशवंत सिन्हा : अब घोटाला तो हर जगह हो रहा है, उसका क्या किया जाये ?

श्री जे. एस. बराड़ : वित्त मंत्री जी, आपने तो सारा मामला फ्लैट कर दिया। आनरेबल मिनिस्टर साहब, मैंने आपको बोलते समय नहीं टोका...

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : यह सरकार की पूर्ण असफलता की स्वीकारोक्ति है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनें, वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं अपना उत्तर समाप्त करने वाला हूं ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : माननीय सदस्य ने एक अत्यन्त साधारण प्रश्न किया है...*(व्यवधान)* वह यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस संशोधन के साथ कोई कार्य योजना तैयार करेगी, जो उन कम्पनियों को सिगनल दे सके जो भविष्य में ऐसी ही कार्यवाही कर सकेंगी। ....*(व्यवधान)* यही प्रश्न था जो सरकार संबंधित दल के सदस्य ने पूछा था। यह अत्याधिक स्वाभाविक प्रश्न है। मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। मैंने यह बताया है कि इन कदमों के साथ, जो पूर्व में उठाए गए हैं--यह पहला कदम नहीं है जो हम उठा रहे हैं--इस संशोधन के साथ, जहां हम 'सेबी' को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, अब किसी कम्पनी के लिए लोगों के साथ इस संबंध में बेईमानी करना संभव नहीं होगा कि वे जहां कहीं चाहे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसा वे चाहें उसी तरीके से विवरणिका और विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। जैसा वे चाहें उस तरीके से वे जमाकर्ताओं से धन एकत्र नहीं कर सकते हैं। अब इस सब बातों को विनियमित किया जा रहा है। भविष्य सुरक्षित होने जा रहा है। किन्तु ये कम्पनियां, जो लोगों के साथ पहले ही धोखाधड़ी कर चुकी हैं, के संबंध में हमने अनेक कदम उठाए हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री के अनुदेशों के तहत एक संयुक्त दल पहले ही इसे देख रहा है तथा हम उन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या कार्यवाही की जानी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी संशोधन, जो आज मैंने इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, अत्यन्त तर्कसंगत हैं। वे विपणन संबंधी कार्यों में सुविधा प्रदान करेंगे, वे विपणन को बेहतर रूप से विनियमित करेंगे, वे विपणन को सुदृढ़ करेंगे और इसे अधिक सघन बनायेंगे तथा वे छोटे निवेशकों की रक्षा करेंगे, यही सब हम इस प्रावधान के अध्ययन से प्राप्त करना चाहते हैं।

अतः महोदय, मैं यह सुझाव देता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक ही प्रार्थना है कि मंत्री महोदय ने जो कहा है, वह बात सही है। आपने वित्त मंत्री बनने के बाद जो वैनिशिंग कंपनीज के संबंध में ऐक्शन ग्रुप अपॉइंट हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और सेबी का, प्लांटेशन कंपनीज के बारे में यह ग्रुप अपॉइंट नहीं हुआ है। इस ग्रुप को प्लांटेशन कंपनीज के बारे में कोई भी ऐक्शन लेने का अधिकार नहीं है। मेरी मंत्री महोदय से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि आपने जो इनीशियेटिव लिया, उसके कारण वह ऐक्शन ग्रपु अपॉइंट हुआ है, यह कितने समय में ऐक्शन पूरा करेगा ?

दूसरी बात यह है कि प्लांटेशन कंपनीज में से पैसे रिकवर करने के लिए क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार के ग्रुप की व्यवस्था करेंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा : प्लांटेशन कंपनीज के बारे में इस प्रकार का ग्रुप बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सेबी को सारे अधिकार प्रदत्त हो जाएंगे इस अमेण्डमेंट के बाद, और मैंने पहले भी इस सदन को बताया था कि 1997 में उस समय की सरकार द्वारा सेबी को जो अधिकार दिये गये थे और जिन अधिकारों के तहत सेबी आज काम कर रही है उसी अधिकार के तहत सेबी के लिए संभव हुआ कि वह इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे और हाई कोर्ट को मूव करे कि वह रिस्ट्रेन करे इन कंपनियों को अपने ऐसेट बचाने के लिए। वह कार्यवाही सेबी द्वारा चल रही है और जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जो 600 कंपनियों ने रजिस्टर किया, जिसको सेबी ने कहा

कि तुम क्रेडिट रेटिंग कराओ, जिसमें 69 कंपनियों ने क्रेडिट रेटिंग कराई और सब इनवेस्टमेंट ग्रेडिंग के नीचे पाए गए। यह सब कार्रवाई सेबी द्वारा हो रही है और इसलिए इसमें कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। उस विशेष व्यवस्था को इसलिए किया गया था क्योंकि जिस अवधि की बात मैं कर रहा हूं, उस अवधि में बहुत सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में आईं जो कागजी कंपनियां थीं। उन्होंने लोगों के पैसे इकट्ठे किये और वह वैनिश कर गईं, गायब हो गईं। उन कंपनियों को लोकेट करने के लिए इस प्रकार की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता थी, जैसा मैंने कहा कि प्रधान मंत्री के निर्देश के अनुसार बनाई जा चुकी है। ...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गहरा दुख हुआ है कि मंत्री जी ने हमारी भावना समझने की बजाय, हमारी ऐप्रीहेन्शन्स को समझने की बजाय, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि नौकरशाही का फर्ज था और उसको पूरा किया है लेकिन कोई मेम्बर ऐप्रीहेन्शन व्यक्त करता है कि इससे आप ताकत ज्यादा दे रहे हैं उन लोगों को जो पहले ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, करोड़ों रुपये लुट जाने के बाद लोगों के बारे में, तो यह डीग्रेड करना पार्लियामेंट को नहीं है, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैंने नहीं कहा है।

श्री जे.एस.बराड़ : आपने यही कहा। एक आपके नोटिस में मोस्ट इंपॉर्टैन्ट बात लाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा संसद का स्थान ले लिया गया है।" क्यों, कैसे?

"भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सामूहिक निवेश योजना (विनियमन), 1999 तैयार किया है तथा उसे 15 अक्टूबर 1999 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (2) में विधवत् अधिसूचित किया है।"

अब, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा संसद को हल्के रूप में लेने का प्रयास किया गया है।

[हिन्दी]

इसके बारे में आपका क्या विचार है ? अगर हम यह एप्रीहेन्शन व्यक्त करते हैं कि यह स्टेट मैटर्स को इनफ्रिन्ज करने की बात है, कांस्टीट्यूशन का उल्लंघन करने की बात है, आप बहुत काबिल है, आप यह कह सकते हैं कि यह नहीं है। लेकिन आपका यह कहना कि घोटाले होते रहते हैं, घोटाले कंट्रोल नहीं होंगे, घोटालों की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर इस सारे अमेंडमेंट बिल का कोई फायदा ही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, अधिनियम में संशोधन के पहले ही विनियमन लाया गया है।

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : सेबी ने आमेंडमेंट एक्ट के पहले ही रेगुलेशंस का गजट नोटीफिकेशन कर दिया जो आपकी जानकारी में नहीं हैं। आप बुरा न मानें, इससे तो मुझे लगता है कि यह 'यस मिनिस्टर' सीरीयल वाली बात है। मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है कि सेबी क्या कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं कहा कि पार्लियामेंट को या इस सदन को डेनिग्रेड या डीग्रेड किया जा रहा है। मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया...*(व्यवधान)* आप रिकार्ड देख लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि किसी भी ...*(व्यवधान)*

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी) : मंत्री जी, जो बेईमान कम्पनीज हैं उनको निरुद्ध करने की बात आप सदन में क्यों नहीं कहते हैं। सरकार यह तो कर सकती है।

श्री यशवन्त सिन्हा : जितनी स्पष्टता से मैं कह सकता था उतनी स्पष्टता से मैने कहा, इससे अधिक स्पष्टता मैं नहीं जानता कि इसे कैसे प्रकट कर सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि चूंकि आदरणीय सदस्य जे. एस. बराड़ ने शुरू में ही कहा कि मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और उन्होंने तीन बिन्दु बताये। उनका अंतिम बिन्दु यह था कि अधिकारियों द्वारा लूट-पाट हो रही है और जो प्रावधान आज हम करने जा रहे हैं, उस प्रावधान से उनको लूट-पाट करने में और सहूलियत हो जायेगी।

श्री जे. एस. बराड़ : यह मुददा अलग था, इसके अलावा तीन और मुददे थे।

श्री यशवन्त सिन्हा : उन तीन मुददों का मैंने जिक्र किया। उस पर उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि जैसे सेबी के अधिकारी हैं, सेबी को अधिकार ही नहीं था, इसमें वह क्या कर सकते थे। हमने उनको कब अधिकार दिया। हमने उनको 1997 में अधिकार दिया। उस समय से उन्होंने इसे रेगुलेट करना शुरू किया और जिस रेगुलेशन की बात यह कह रहे हैं, वह उसी अधिकारी के तहत उन्हें 1997 में दिया गया था और उसी अधिकार के तहत उन्होंने किया।

उसके बाद इसी बीच में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, जिसका नाम दवे कमेटी रखा गया। उसने कहा कि इसे अस्पष्ट मत छोड़ो 'इस संबंध में कोई भ्रम मत रखिए।'

अतः सामूहिक निवेश योजनाओं में जिन बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, उन्होंने उसकी व्याख्या का सुझाव दिया।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

यही वह संशोधन है जो हमने यहां किया है ताकि सेबी के प्राधिकारी या उसके अधिकारों के बारे में कोई संशय की स्थित न रहे। क्योंकि इन अधिकारों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है। यह भी एक मुद्दा है। यह प्रश्न कि क्या वे प्रशासनिक आदेश जो 1997 में जारी किए गए थे, सेबी की सहायता कर पाएंगे और न्यायालयों में उसका पक्ष लेंगे, उनके संबंध में कोई स्पष्ट नहीं है तथा हम यह संशोधन ला रहे हैं ताकि उसे कानूनी पुस्तक में शामिल किया जा सके और यह बात किसी भी संदेह से परे है कि सेबी के पास प्राधिकार और शक्ति है। इसी कारण से यह संशोधन लाया गया है। इसे अत्याधिक स्पष्ट रूप से समझिए। एक बार सेबी को ये सांविधिक शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो सेबी उस स्थिति से निपटने में सक्षम होगी जो उत्पन्न हुई है या भविष्य में उत्पन्न हो सकती है। इसी वजह से यह संशोधन लाया गया है।

श्री जे. एस. बराड़ : महोदय, पहले, जब संसद का सत्र चल रहा था, तब उन्होंने इसे सभा पटल पर नहीं रखा।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। सर्वप्रथम, अनेक समितियों ने पूंजी बाजार के कार्यकरण को नजदीक से देखा है। भारतीय पूंजी बाजार की कमियों और अपर्याप्तताओं का ध्यान रखते हुए, उन्होंने अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।

एक और सिफारिश...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया सीधे-सीधे अपना प्रश्न रखिए। आप अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न क्यों रख रहे हैं ?

श्री रूपचन्द्र पाल : महोदय, मैं सीधे प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप सीधे अपना प्रश्न पूछिए।

श्री रूपचन्द पाल : अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिफारिश पूंजी बाजार के कार्यों में पारदर्शिता के संबंध में है।

यह सरकार पूंजी बाजार के कार्यों में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करना चाहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले इस संबंध में स्पष्टकीरण मांगना चाहते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के मित्रों ने और अन्य कुछ मित्रों ने मिलकर ऐसा कुछ किया है कि सिर्फ उन्हीं को बोलने का मौका मिले...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा दोषारोपण मत कीजिए। हमने बहुत अच्छे वातावरण में विचार-विमर्श किया है।

[हिन्दी]

मैंने उधर से स्टार्ट किया था। शायद आपने देखा नहीं होगा। कृपया इस प्राकर के आरोप न लगाएं।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुरली देवड़ा जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने जो अनुशंसाएं कीं उनके अनुसार यह अमेंटमेंट बिल लाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। अतः सरकार ने यह अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता महसूस की। इसलिए सरकार अमेंटमेंट लाकर अच्छा कार्य कर रही है। मैं मंत्री महोदय से यह एश्योरेंस चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट के बाद घोटाले नहीं होंगे। यह आश्वासन वे आज इस सदन में दें। तब तो हम इस संशोधन को स्वीकार करें। यदि संशोधन के बाद भी घोटाले होते जाएंगे, तो फिर इस संशोधन को यहां पास करने का क्या फायदा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफसर रावत, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो संक्षेप में पूछिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि -

"माया से माया मिले कर-कर लम्बे हाथ।

तुलसी हाय गरीब की पूछे नहीं कोई बात।"

गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए और भी प्रखर से प्रखर कदम उठाने की जरूरत है, तो ये भी उठाए जाएं।

[अनुवाद]

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : इस समय मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। मूल समस्या यह थी कि जब संसद ने एक ओर विधेयक का संशोधन कर 1992 में उस स्थिति को समाप्त कर दिया जिसे पूंजी बाजार के नियंत्रण के रूप में जाना जाता था, तब वास्तविक गलती वहीं हुई। उससे पहले, जब तक पूंजी बाजार के नियंत्रण की स्थिति बनी रही, कोई घोटाला या इस तरह का मामला नहीं देखा गया क्योंकि इस संबंध में सख्त नियंत्रण की स्थिति थी तथा पूंजी बाजार के नियंत्रक ने वस्तुतः ऐसा मूल्य निर्धारित किया जिस पर शेयरों को जारी किया जाना था। उसे अचानक समाप्त कर दिया गया। कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसे माननीय मंत्री महोदय अब प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। सेबी का अस्तित्व था, परंतु उस समय उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, किन्तु कोई भाषण नहीं दें।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : खुले मूल्य की शुरुआत के कारण ये परिवर्तन हुए। मेरा प्रश्न इन सब परिवर्तनों से संबंधित है, क्या सेबी

किसी उचित विनियामक प्राधिकारी की भूमिका अदा करने की स्थिति में होगी जिसे सी. सी. आई. अदा करती थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या संसद सदस्य सेबी अपीलीय बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : मुझे यह जानकारी नहीं है। अब, तीन प्रकार के प्रश्न उठाए गए हैं। पहला प्रश्न पारदर्शिता के बारे में है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, संयुक्त संसदीय समिति सहित विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर आधारित उपायों की संपूर्ण श्रृंखला की वजह से आज शेयर बाजार का कार्यकरण पहले की तुलना में काफी अधिक पारदर्शी हो गया है और हम जो संशोधन व्युत्पन्नों सहित ला रहे हैं, उससे इस क्षेत्र में और पारदर्शिता आएगी क्योंकि भविष्य एवं वायदा बाजार में अंतर होता है।

वायदा बाजार वह बाजार होता है जो प्रायः, अनौपचारिक रूप से चलता है और कभी-कभी, किसी नियम से भी इसे चलाया जाता है।

एक बार जब हम व्युत्पन्नों को लाते हैं, वायदा बाजार की अनुमति देते हैं तथा इसे कानूनी रूप देते हैं, तो इससे न केवल उन लोगों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी, तो वायदा बाजार में लगे हुए हैं, बल्कि इससे बाजार में और अधिक पारदर्शिता भी आएगी। मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में यही कहना चाहता हूं।

जहां तक डॉ. सेनगुप्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के बाद सेबी निश्चय ही सामूहिक निवेश योजनाओं के मामले में ज्यादा सक्षम है। एन बी एफ सी सेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं। परंतु सेबी निश्चित रूप से सामूहिक निवेश योजनाओं के मामले में अधिक सक्षम है जिनके अंतर्गत वृक्षारोपण योजनाएं शामिल हैं।

जहां तक घोटालों का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे द्वारा किए जा रहे इन सब उपयों से इन बातों की संभावनाएं हैं कि हम जालसाजी को कम कर सकेंगे और उन स्थितियों तथा परिस्थितियों को समाप्त करने में सफल होंगे जिनकी वजह से छोटे निवेशक के साथ ऐसे धोखे होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जे. एस. बराड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन की सूचना दी है। आपने मुझे नहीं बुलाया।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपके संशोधन पर विचार किया जायेगा तब आपको बुला लिया जायेगा, लेकिन अभी नहीं। आप इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। हमने अभी-अभी शुरू किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में इस विधेयक पर खंड-वार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 11

उपाध्यक्ष महोदय : बराड़ जी, अब आपके संशोधन संख्या 1, 2 और 3 पर विचार किया जायेगा। क्या आप उन्हें प्रस्तुत करेंगे ?

श्री जे. एस. बराड़ : जी हां, मैं उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 36 और 37 --

"लाभ, आय, उत्पादन या संपत्ति, चाहे वह जंगम है या स्थावर" के स्थान पर

'लाभ या आय' *प्रतिस्थापित किया जाए* (1)

पृष्ठ 4, पंक्ति 38, --

'संपत्ति' का लोप किया जाए' (2)

पृष्ठ 5, --

पंक्ति 24 के पश्चात, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए--

(नौ) जिसमें कृषि संबंधी कार्यकलाप किये जाते हैं;

(दस) जिसमें कृषि भूमि का अंतरण अथवा भूमि का पट्टा अथवा कृषि ऋण अथवा विकास और सुधार तथा भूमि सुधार अंतर्ग्रस्त हैं;

(ग्यारह) जिनका स्वरूप संयुक्त उद्यम का है;

(बारह) जिसमें माल और सेवाओं की बिक्री के लिए अग्रिम का संशय अंतर्ग्रस्त है (3)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जे. एस. बराड़ द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 1, 2 और 3 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी प्रस्ताव कर सकते हैं कि धेयक पारित किया जाये।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधयेक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंड वार विचार या जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी प्रस्ताव कर सकते हैं कि धेयक पारित किया जाये।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.00 बजे

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधयेक के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 26 पर विचार करेंगे। श्री यशवन्त सिन्हा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इस पर कल चर्चा जारी रहेगी।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, वह व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत उठा रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप अपना व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : यह नियम 376 के अन्तर्गत आता है और यह कौल एण्ड शकधर की पुस्तक 'संसदीय प्रक्रिया और कार्य प्रणाली' से पठित है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत नियम उद्धृत कर सकते हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने पहले ही नियम उद्धृत कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम क्या है ? आप यह नियम पढ़ सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक से सम्बन्धित याचिका। महोदय, यह नियम 376 के अन्तर्गत है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपकी सुविधा के लिए नियम पढ़ूं ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसे सभा में प्रस्तुत किया गया था। मुझे अपनी बात कहने दें। इसे विगत सत्र में सभा में प्रस्तुत किया गया था। नियमों के अन्तर्गत यदि कोई याचिका प्रस्तुत की जाती है तो उसे सदन के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह याचिका सभा के सभी माननीय सदस्यों को परिचालित की है, जिसे श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, नियमों के अंतर्गत यदि कोई याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो उसे याचिका समिति के पास भेजा जाना चाहिए। इसे अभी तक याचिका समिति के पास नहीं भेजा गया है। इस सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार करने से पूर्व यदि इस मामले को याचिका समिति के पास भेजा जाता है, तो उस पर याचिका समिति द्वारा विचार

किया जाना चाहिए।

महोदय, याचिका समिति ने श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत याचिका पर अभी विचार नहीं किया है जिस पर देश के लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। चूंकि याचिका समिति ने अभी इस पर विचार नहीं किया है, अतः विधेयक पर सभा द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए। मेरा यह कहना है कि इस सभा द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसे याचिका समिति के पास भेजा जाना चाहिए और याचिका समिति द्वारा इस पर विचार करना चाहिए और उसे सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए केवल तभी मंत्री महोदय को इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि वह ऐसा करते हैं तो यह सभा के नियमों के विरुद्ध होगा। अतः मंत्री महोदय को इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मेरा कहना यह है कि मैंने एक याचिका 28 अक्टूबर को प्रस्तुत की थी। इसे समुचित रूप से सभी माननीय सदस्यों के पास परिचालित किया गया था। इसी बीच याचिका समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसके लिए नाम मांगे हैं। मेरे विचार से विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपों ने अपनी ओर से नाम दे दिए हैं परन्तु याचिका समिति के गठन में अभी विलम्ब है। मुझे बताया गया है कि नियम 307 के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है जिसके...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, समिति की नियुक्ति कौन करेगा ? यह अध्यक्षपीठ पर आक्षेप है जैसे कि समिति के गठन में जानबूझ कर देरी की जा रही है। वह इसके लिए अध्यक्षपीठ को दोषी नहीं ठहरा सकते।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : मैं अध्यक्षपीठ पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैंने अध्यक्षपीठ के लिए कोई असम्मान भी व्यक्त नहीं किया है। मैं तो केवल तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं।

इसी बीच मैंने पूरे देश के विभिन्न वर्गों के 1.5 करोड़ लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की। इसमें इस सरकार के कई मंत्रियों के हस्ताक्षर भी विद्यमान हैं। इस पर विपक्ष के सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं। मेरा यह अनुरोध है...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : 1.5 करोड़ लोग कितने प्रतिशत हुए...*(व्यवधान)* महोदय, वह केवल सभा का समय नष्ट कर रहें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए। श्री पाल ने एक नोटिस दिया था और मैं उस पर विनिर्णय दे रहा हूं।

श्री रूपचन्द पाल : नहीं महोदय, मुझे एक बात कहनी है। मेरी बात यह है कि याचिका समिति को व्यर्थ नहीं बनाया जा रहा है। स्वयं संसद ने अपनी एक महत्त्वपूर्ण समिति को व्यर्थ बना रही है। मैं दूसरे सदन की याचिका समिति का जिक्र करना चाहता हूं। उसने एक विशिष्ट सिफारिश की थी। याचिका समिति की सभापति श्रीमती सुषमा स्वराज ने सिफारिश की थी कि ऐसी शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। बीमा क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह सिफारिश दूसरे सदन की एक समिति ने की थी जिसकी सभापति श्रीमती सुषमा स्वराज थीं।

अब मैंने एक याचिका प्रस्तुत की है जिस पर समाज के विभिन्न वर्गों के 1.5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें विख्यात न्यायविद, अर्थशास्त्री और नौकरशाह भी शामिल हैं जो विभिन्न सरकारों के साथ जुड़े रहे हैं। इस याचिका समिति का क्या होगा जो विचाराधीन इस विशेष विषय पर अवरुद्ध हो गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी टिप्पणी व्यक्त कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह संसद को कम नहीं कर सकती ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं पहले ही आपको अनुमति दे चुका हूं। मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया मेरी बातें सुनें। मैं कौल एंड शकधर का संदर्भ देना चाहता हूं। कृपया इसका पृष्ठ 860 देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुन चुका हूं, कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं बोल रहा हूं।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का एक अवसर दे चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : इस समय मैंने कौल और शकधर का संदर्भ नहीं दिया था। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे जो कुछ भी हो, कृपया आप मेरी बात सुनें। मैं आपकी बात सुन चुका हूं।

श्री पाल ने सूचना दी है। मैं उनकी बात सुनने के बाद अपनी बात कहूंगा। मैं आपको भी सुन चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं कौल एंड शकधर का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं केवल एक मिनट लूंगा। कृपया इसका पृष्ठ 860 देखें। इसमें कहा गया है :

> "किसी सदस्य द्वारा पेश की गई या महासचिव द्वारा प्रतिवेदित प्रत्येक याचिका, याचिका समिति को सौंप दी जाती है। उसके बाद सचिवालय समिति के विचार के लिए एक ज्ञापन तैयार करता है, जिसमें संक्षेप में याचक की शिकायत या प्रार्थना दी

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बसुदेव आचार्य]

> जाती है, इस मामले की पृष्ठभूमि बताई जाती है ओर उसके उपचार का, यदि कोई हो, सुझाव दिया जाता है। यदि सम्बद्ध मंत्रालय से याचिका के संबंध में कोई तथ्य या राय प्राप्त हुई हो, तो उसको भी ज्ञापन में उपयुक्त स्थान दिया जाता है। यदि कोई याचिका किसी विधेयेक या किसी ऐसे विषय के संबंध में हो, जिस पर सभा में चर्चा हो रही हो, या तत्काल चर्चा होती है, और समिति समय या गणपूर्ति के अभाव में बैठक न कर सके, तो याचिका अध्यक्ष के सामने रख दी जाती है और अध्यक्ष यह निदेश देता है कि इसे सम्पूर्ण रुप में या संक्षिप्त रूप में परिचालित किया जाए। तथापि, जब सभा में याचिका की विषय वस्तु पर विचार किए जाने से पूर्व पर्याप्त समय है, तब समिति याचिका की विस्तार से जांच करे और सभा को उचित सिफारिश करे।"

यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। यायिका समिति को सौंप दी जाती है। इसलिए, सभा द्वारा विधयेक पर विचार किए जाने से पहले, इस पर याचिका समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए और सभा को याचिका समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। केवल तभी मंत्री महोदय को विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह सही है कि अभी तक याचिका समिति का गठन नहीं किया गया है। मैं कोई कारण नहीं बता रहा हूं। प्रश्न यह है, यह एक याचिका है जो माननीय अध्यक्ष द्वारा गृहीत की गई है। उन्होंने इसे इस लायक माना है कि यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है और इसे परिचालित किया जाना चाहिए। चाहे, कुछ भी आरोप लगाए गए हों, उस पर 1.5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर हैं। सरकार इसकी उपेक्षा कर सकती है। उसे इसकी उपेक्षा करने का अधिकार है। किन्तु क्या याचिका समिति कभी इस पर विचार करेगी ? याचिका समिति के होने का क्या उद्देश्य है ? यह क्या मजाक है कि पहले तो याचिका समिति को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, फिर इसी बीच सभा में अंतिम स्थिति तय करते हुए यह निर्णय लिया जाए कि याचिका समिति इस पर विचार नहीं करेगी ? नियमों के अनुसार, इसे याचिका समिति को सौंपा जाना चाहिए। वास्तव में, यह याचिका समिति को सौंपा जाता है। जब सभा की समिति, जो याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र प्राधिकारी है, मामले की जांच करने में समर्थ नहीं है और सभा प्रक्रिया को अन्तिम रूप देती है, तो यह निरर्थक औपचारिकताओं को मानने जैसा होगा। यह बहस में बाजी मार ले जाने का प्रश्न नही है। यह भारतीय संसद के कार्यकरण का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या समितियों, जिनका संसद में प्रतिनिधित्व होता है, से इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है, क्या उनके सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार को समाप्त किया जा सकता है और सम्पूर्ण स्थति केवल औपचारिकता बन जाती है, क्या यह मजाक नहीं है। अत:, यह कानून बनानें का प्रश्न नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बाहर किसी ने इसका वायदा किया है और समिति इस सप्ताह के भीतर गठित कर दी जाएगी। मैं अपने कर्मठ संसदीय कार्य मंत्री की यह बात समझता हूं कि समिति का शीघ्र ही गठन किया जाएगा और समिति से तीन से चार दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन देने के लिए अनुरोध किया जाएगा, महोदय, उन्हें एक अवसर दें। आसमान टूट नहीं पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि वह एक सप्ताह के समय में कितना धन इकट्ठा कर लेंगे। मैं संसद की स्थिति, संसद की मर्यादा और कार्यकरण के मानदण्डों के अनुसार सोचता हूं कि इस मामले को याचिका समिति को सौंप दें और उसे एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन देने को कहें। मैं निवेदन करता हूं कि इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री को विधेयक के स्थगन के लिए अनुरोध करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल ने यह अनुरोध करते हुए एक सूचना दी है कि सभा द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999 पर विचार करना स्थगित किया जाए, जब तक कि विधेयक के विषय पर उनके द्वारा प्रस्तुत याचिका पर याचिका समिति विचार न कर ले और उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर दे।

श्री पाल का कहना है कि जब एक बार याचिका प्रस्तुत कर दी जाती है, तो उसे याचिका समिति को सौंप दिया जाता है और समिति मामले की जांच करने के बाद सभा को उपयुक्त सिफारिश करती है। श्री पाल के अनुसार यदि इस स्तर पर इस विधेयक को विचार के लिए लिया जाता है, तो यह याचिका समिति को याचिका की जांच करने के अवसर से वंचित करना होगा। श्री रूपचन्द पाल ने अपने मत के समर्थन में कौल एंड शकधर के पृष्ठ 860 को उद्धृत किया है।

श्री पाल द्वारा उद्धृत पृष्ठों के अतिरिक्त कौल एंड शकधर के पृष्ठ 730 में अधिक विशिष्ट और संबद्ध संदर्भ है जिसमें कहा गया है कि "सभा के सामने लम्बित विधयेकों या अन्य विषयों संबंधी याचिकाओं के मामले में समिति सामान्यता कोई सिफारिशें नहीं करती, परन्तु याचिकाओं को पूरी की पूरी या इसका सार सभा के सदस्यों में परिचालित कर देती है। और अपनी रिपोर्ट में यह लिख देती है कि याचिकाएं परिचालित की गयीं और वे तिथियां बता देती है जब याचिकाएं परिचालित की गई हों।" नियम 307 की अपेक्षा के अनुरूप याचिका की प्रतियां विस्तृत रूप में पहले ही सदस्यों को भेज दी गई हैं। जैसा कि सदन को ज्ञात है याचिका समिति का अभी तक गठन नहीं हुआ है। विधेयक पर विचार करने को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित नहीं रखा जा सकता। माननीय सदस्यगण याचिका के विषय के आधार पर अपने विचार तैयार करें और विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्हें व्यक्त करें।

अत: मैं श्री रूपचन्द पाल के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, याचिका निष्फल हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, मैंने अपनी टिपपणी दे दी है। अब हम मद सं.–26 को लेते हैं। श्री यशवन्त सिन्हा।

अपराह्न 5.16 बजे

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"बीमा पालिसी–धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग को विनियमित, संप्रवर्तन करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है मैंने 1998–99 के अपने बजट भाषण में नागरिकों को बेहतर बीमा सेवाएं प्रदान करने तथा वित्तीय ढांचे के लिए दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए बीमा क्षेत्र को गैर–सरकारी क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा हेतु खोलने का प्रस्ताव किया था। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को भी एक सांविधिक निकाय के रूप में परिवर्तित किया जाना था। तदनुसार बीमा विनियामक प्राधिकारण विधेयक, 1998 को लोक सभा में 15.12.1998 को प्रस्तुत किया गया था। विधेयक को 4.1.1999 को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास जांच करने और इस संबंध में प्रतिवेदन देने के लिए भेजा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, कृपया एक मिनट के लिए रुकिए। जैसा कि सभा को ज्ञात है अभी सभापति का कोई पैनल गठित नहीं किया गया है। इसलिए मैं सभा की अनुमति से श्री बसुदेव आचार्य से अनुरोध करता हूं कि वह आएं और आसन ग्रहण करें।

अनेक माननीय सदस्यगण : जी हां।

अपराह्न 5.17 बजे

(श्री बसुदवे आचार्य *पीठासीन हुए)*

श्री यशवन्त सिन्हा : सभापति महोदय, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि विधेयक को जांच और प्रतिवेदन हेतु 4.1.1999 को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। स्थायी समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह एक ऐसा उदाहरण है जबकि सरकार द्वारा स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : क्या आपने विमत टिप्पण को भी स्वीकार कर लिया है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : विमत टिप्पण तो विमत टिप्पण ही हैं। वे प्रातिवेदन का हिस्सा नहीं हैं। बीमा विनियामक विधेयक, 1998 से संबंधित संशोधन 18 मार्च, 1999 को लोक सभा में प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, लोक सभा भंग होने के परिणाम–स्वरूप विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक 1999 में जो कि सदन के सामने है, सरकार द्वारा स्वीकृत वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों सहित बीमा विनियामक प्राधिकरण विधयेक, 1998 के प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं।

मैं विधेयक पर विचार करने के लिए सभा से सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है :

"कि बीमा पालिसी–धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग को विनियमित, संप्रवर्तन करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक प्राधिकारण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में कुछ संशोधन के लिए हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधयेक पर 6 मार्च, 2000 तक राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाए।" (1)

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 3 और 4 मेरे नाम हैं। मैं उन्हें सभापति के रूप में नहीं, बल्कि एक सदस्य के रूप में प्रस्तावित कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधयेक पर 7 मार्च, 2000 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए" (3)

"कि बीमा पालिसी–धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग को विनियमित, संप्रवर्तन करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का उपबंध करने वाला विधेयक सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिनमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10 अर्थात् :

(1) श्री समर चौधरी

(2) श्री मोइनुल हसन

(3) श्री बीर सिंह महतो

(4) श्री सनत कुमार मंडल

[सभापति महोदय]

(5) श्री हन्नान मोल्लाह

(6) श्रीमती गीता मुखर्जी

(7) श्री रूपचन्द पाल

(8) प्रो. आर. आर. प्रमाणिक

(9) श्री यशवंत सिन्हा

(10) श्री बसुदेव आचार्य

और 5 राज्य सभा से;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को मानसून सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी,

कि अन्य प्रकरणों में ससंदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।" (4)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं–

"कि बीमा पालिसी–धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग को विनियमित, संप्रर्वतन करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम, 1956 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का उपबंध करने वाला विधेयक सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिनमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10 अर्थात् :

(1) श्री बसुदेव आचार्य

(2) श्री मोइनुल हसन

(3) श्रीमती गीता मुखर्जी

(4) श्री सनत कुमार मंडल

(5) श्री अमर राय प्रधान

(6) श्री पी. एच. पांडियन

(7) श्री यशवंत सिन्हा

(8) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

(9) श्री मुलायम सिंह यादव

(10) श्री रूपचन्द पाल

और 5 राज्य सभा से।

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को बजट सत्र में अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचति करें।" (14)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : मैंने भी विधयेक के लिए कुछ संशोधन दिए हैं।

सभापति महोदय : आप विधेयक पर खंड–वार विचार करने के समय उनका प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैंने भी जनता की राय जानने के लिए विधयेक में संशोधन के लिए सूचना दी है।

सभापति महोदय : अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बाई उत्तर-पूर्व) : सर, कहीं पर भी चाहे वह कोई सरकारी कंपनी हो या किसी का भी एकाधिकार हो, एकाधिकार से आम आदमी को नुकसान होता है। चाहे वह इन्वैस्टर हो, इन्श्योरेंस कराने वाला हो या उपभोक्ता हो, उसे नुक्सान होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो 1992 में उस समय की सरकार ने निजीकरण और लिब्रेलाइजेशन को प्रारम्भ किया। विभिन्न प्रकार के जो सैगमेंट्स हैं चाहे टैलीकॉम हो, इंश्योरेंस हो या कुछ मात्रा में बैंकिंग हो, एक के बाद एक क्षेत्र इन प्राइवेट कंपनीज के लिए भी खुलते गये। हमारे सामने बैंकिंग सैक्टर और टैलीकॉम सैक्टर का अनुभव है कि जब भी सरकारी कंपनीज के साथ में प्राइवेट कंपनीज को भी एंट्री दी गयी तो आम उपभोक्ता को अच्छी सर्विस मिली है। उस समय जो भी परिस्थिति थी बैंकिंग सैक्टर का नेशनलाइजेशन हुआ। अच्छी भावना से हुआ होगा। लेकिन धीरे–धीरे 80 के दशक में इस प्रकार की स्थिति हो गयी कि मोनोपली के कारण वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ती गयी और आखिर में बहुत सारे बैंकों को आज बहुत

नुकसान सहन करना पड़ रहा है। मैंने सुबह एक उदाहरण दिया था कि इंडियन बैंक आज प्रति साल करीब 770 करोड़ का नुकसान उठा रहा है और जो आम कस्टमर है उसको अच्छी सर्विस नहीं मिलती है।

जब हमने बैंकिंग सैक्टर प्राइवेट सैक्टर के लिये ओपन किया जिसमें एच. डी. एफ. सी. या टाइम्स बैंक जैसे प्राइवेट सैक्टर के बैंक बने, पहले नेशनेलाइज्ड बैंक 11 बजे से 2 बजे तक ओपन रहता था और यदि कोई आदमी वहां चला जाता था तो उसे बताया जाता था कि काउंटर बंद हो गया है लेकिन आज परिस्थिति यह हो गई है कि कोआपरेटिव सैक्टर और अनेक प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में 24 घंटे की बैंक सेवा हो गयी हैं। अब शनिवार तथा रविवार भी वर्किंग डे हो गये हैं। सभी नेशनलाइज्ड बैंक 24 घंटे और शनिवार तथा रविवार को भी ओपन हो रहे हैं। मैं एम. टी. एन. एल. मुम्बई का उदाहरण दूंगा कि जब तक एम. टी. एन. एल. के सामने कम्पीटीशन नहीं था, यदि मेरे घर का या किसी दूसरे घर के टेलीफोन के बिल का पेमेंट नहीं हुआ, जबकि वह बिल एम. टी. एन. एल. ने भेजा ही नहीं था, तो भी लाइन कट कर दी जाती थी। हमें यदि पैसा भरना है तो 10–15 किलोमीटर दूर जाकर रीजनल सैंटर में डुप्लीकेट बिल लेकर पैसा भरना होता था। अब स्थिति क्या है ? मुझे लगता है कि आज इंश्योरेंस सैक्टर में कैसी स्थिति है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि–

[अनुवाद]

कल प्रति व्यक्ति बचत अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। 1950 में हमारा कुल आय बचत का अनुपात 10.4 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

हमारा सेविंग्स रेट 23 परसेंट हो गया। लेकिन उसके सामने हमारे इंश्योरेंस लाइन में लगे लोगों की संख्या या इंश्योरेंस अमाउंट क्या है ?

[अनुवाद]

विश्व में बचत दर सबसे अधिक है, किन्तु बीमा क्षेत्र में, विश्व बीमा बाजार में, भारत का हिस्सा 1997–98 में मात्र 0.34 प्रतिशत था। यह केवल .34 प्रतिशत है।

अगर उसे पर कैपिटा की दृष्टि से देखा जाये तो–

भारत में प्रति व्यक्ति बीमा खर्च 7.6 डालर है, जबकि स्विटजरलैंड जैसे विकसित देशों में यह 4289 डालर है, जापान में यह 3900 डालर है और ब्रिटेन में यह 2451 डालर प्रति व्यक्ति है।

[हिन्दी]

और अगर इसमें इंश्योरेंस सैक्टर को देखा जाये तो दुनिया के सभी देशों से हम आगे हैं। लेकिन पर कैपिटा इनवैस्टमेंट इंश्योरेंस निकालने में कौन सी साइड है ? हम उसमें आगे नहीं, हमारा पीछे से चौथा स्थान है। हमारे नीचे केवल यूक्रेन, पाकिस्तान, वियतनाम और नाइजेरिया हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ? क्योंकि वहां एक प्रकार से कंपीटीशन नहीं है, अनएक्स्लायटेड मार्किट है।

दूसरा कारण यह है कि इंश्योरेंस सैक्टर में जो मूल फायदा है, उसमें सिर्फ आम लोगों को सोशल सिक्यूरिटी देना है। इसके साथ–साथ टोटल सोशल सिक्यूरिटी प्रोवाइड करते समय जो सेविंग्स हैं। बचत पुनर्निवेश एक बड़ा कारक है। अगर सेविंग्स रीइनवैस्टमेंट–इंडस्ट्रियल और डेवलेपमेंट होने वाले सैक्टर में करते हैं तो देश का डेवलपमेंट और ज्यादा गति से होता लेकिन जैसा मैंने कहा कि परकैपिटा हमारी जो सेंवग्स है, उतनी ज्यादा होने के बावजूद हम इनवैस्टमेंट के लिये एक्सप्लायट नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो इंश्योरेंस कम्पनियां हैं, जो फारेन कम्पनीज हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इंडियन कम्पनीज के बारे में बताऊंगा। हमारे पास एक्सप्लायटेड सैक्टर में जी. आई. सी. है जिसने 130 डिफ्रेंट टाइप ऑफ पालिसीज प्रोड्यूस की हैं लेकिन केवल 30 प्रोडक्ट्स ही मार्केट में आ पाये है। ऐसा क्यों है? अगर 130 प्रोडक्ट्स होने के बाद भी आम लोगों को मालूम नहीं होगा तो उसका क्या फायदा है ? जिस प्रकार से हमने पिछले साल एक नई पालिसी निकाली, जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महिलाओं के लिये निकाली थी।

लेकिन साल भर में मेरी जानकारी के अनुसार हम उसकी भी मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाए, सोशल और रूरल महिला तक नहीं पहुंच पाए। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आई. आर. ए. का बिल जो लाया गया है हमें उसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने कही है कि :

[अनुवाद]

> "बीमा कम्पनियों की भूमिका क्या है ? बीमा कम्पनियां जनता की बचत के बैंक या खजाने की तरह हैं। इनकी साख और सुरक्षा निर्माता कम्पनियों की तुलना में सर्वदा अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः यह केवल इसीलिए है कि विनियामक को इन कम्पनियों के प्रबंधन की गुणवत्ता के बारे में विशेष रूप से चिन्तित होना चाहिए।"

[हिन्दी]

इस दृष्टि से जो आई. आर. ए. बिल में सौ करोड़ रुपये की कैपिटल की कंडीशन रखी है, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन उसके साथ–साथ फॉरेन इक्विटीज के लिए 26 परसेंट की कैप लगाई गई है, उसके बारे में चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं। यह बात हमें सर्वप्रथम निजीकरण, उदारीकरण और भारतीयकरण करना चाहिए तथा फिर अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

हमारे देश की कंपनीज में भी क्षमता है, जैसा मैंने उदारहण दिया कि एच. डी. एफ. सी. बैंक वर्ल्ड के सिटी बैंक और अमेरिकन ऐक्सप्रेस बैंक के साथ कंपीट कर पा रही है। जब देश में इस प्रकार की इंडस्ट्रीज

[श्री किरीट सोमैया]

और मैनेजमेंट उपलब्ध है तो उनको पहले मौका देना चाहिए। इसमें जो 26 परसेंट की कैप लगाई गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन उसके साथ–साथ वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि 26 परसेंट की कैप लगाते समय जैसा उन्हेंने कहा है कि इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज आएंगी, उसके पास 74 परसेंट शेयर कैपिटल स्टेक रहेगा, लेनिक उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन इश्यू करने की आवश्यकता है कि जो फॉरेन कंपनीज होंगी, वह तो 26 परसेंट अक्वायर करेंगी लेकिन फॉरेन कंपनीज ने बड़े पैमाने पर एन. बी. एफ. सी. में प्रवेश किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन्स ने, फॉरेन म्युचुअल फंड्स ने बड़े पैमाने पर कैपिटल मार्केट में म्युचुअल फंड्ज में और छोटी–छोटी इंडियन कंपनीज में भी प्रवेश किया है। इंडियन सब्सीडियरी हों या सिस्टर कंसर्न हो, इंडियन कंपनीज में भी 10–15–20 परसेंट स्टेक अक्वायर किया है। मैं नहीं जानता, लेकिन एक शंका व्यक्त की गई है कि जो इंडियन कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उसमें फॉरेन कंपनीज इनडायरेक्ट रेट से स्टेक अक्वायर करेगी, इंटरैस्ट अक्वायर करेगी तो उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन इश्यू करने की आवश्यकता है। जो सैक्शन दिया गया है, उसमें सिर्फ यह लिखा है 26 प्रतिशत परंतु कोई स्पष्टीकरण नहीं है। म्युचुअल फंड्ज के पास बहुत पैसे उपलब्ध होते हैं इनवेस्टमेंट के लिए। वह अगर इस प्रकार की इनश्योरेन्स कंपनीज में स्टेक अक्वायर करेंगे तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कैनारा लाइफ नाम की जो कंपनी है, उसके चीफ ऐक्जीक्यूटिव ऑफिसर ने फाइनेन्शियल ऐक्सप्रेस के लिए इंटरव्यू दिया। वह इंटरव्यू छपा है। उनसे पूछा गया कि इंडिया में जॉइंट वेन्चर किसके साथ करेंगे तो उन्होंने कहा कि सेन्चुरियन बैंक के साथ। कैनारा लाइफ और सेन्चुरियन बैंक जॉइंट वेन्चर करेंगे जिसमें फॉरेन कंपनी का शेयर 26 परसेंट होगा और उसका 74 परसेंट होगा। दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या सेन्चुरियन बैंक में कोई हिस्सेदारी प्राप्त करने की उनकी कोई योजना है। उनका उत्तर बिलकुल इसी बात को दर्शाता है। उन्होंने कहा : 'अभी नही।' उसका क्या अर्थ है ?

उसी प्रकार से एक दूसरी कम्पनी–रॉयल इन्श्योरेन्स कंपनी आ रही है। उन्होंने एक इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग कंपनी के साथ जॉइंट वेन्चर शुरू करने का डिक्लेयरेशन किया है। लगभग 16 इस प्रकार की फॉरेन कंपनीज ने ऑलरेडी इंडियन कंपनीज के साथ एम. ओ. यू. साइन कर लिया है। हम भ्रम में न रहें कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने को तैयार नहीं हैं। यह एक नीति है। मैंने कहीं पर डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन पढ़ा था कि फॉरेन कंपनीज उत्सुक नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि फॉरेन कंपनीज बहुत उत्सुक हैं क्योंकि इंडिया में जो सेविंग्ज रेट हैं, इंडिया में जो इनवेस्टमेंट उनके पास उपलब्ध है, इंडियन सेविंग्ज के द्वारा वह इंडियन मार्केट के साथ मैनिपुलेशन कर सकती है और इसके लिए वह तत्पर हैं। आज तीन–चार साल होने के बाद भी 16 कंपनीज एम. ओ. यू. साइन करके रोज अलग–अलग के स्टेटमेंट इश्यू करती हैं। इसके लिए जहां मैं इस बिल का स्वागत करता हूं वहीं यह भी कहना चाहूंगा कि आई. आर. ए. में थोड़ा और सख्ती करने की आवश्यकता है। जो इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग का उदाहरण मैं दे रहा था, इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और रॉयल इन्श्योरेन्स कंपनी को पूछा गया कि आप इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग के साथ ऐसा क्यों करते हो, वह इन्श्योरेन्स कंपनी जो जॉइंट वेन्चर इनवेस्टमेंट अक्वायर करेगी, उसकी ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन होगी, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इस इंश्योरेन्स कम्पनी की असैट मैनेजमेंट कम्पनी में फॉरेन कम्पनीज का अगर डायरेक्ट–इनडायरेक्ट स्टेक ओर इंटरेस्ट होगा, जो फॉरेन कम्पनी के जो म्यूचुअल फंड होंगे, अगर यह असेट मैनेजमेंट कम्पनी बनकर आयेगी, उस फॉरेन और ज्वाइंट वेन्चर कम्पनीज का असेज मैनेजमेंट कम्पनीज को कंट्रोल करने का कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अधिकार होगा तो क्या होगा। वह यह होगा कि सेविंग्ज हमारी होगी, इंडियन सेविंग्ज होंगी। मैं आपको लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी का उदाहरण देता हूं–

वे हर वर्ष 30,000 करोड़ रुपये एकत्र कर रहे हैं। उसमें से, उनका लाभ लगभग 16,000 करोड़ रुपयों का है तथा इस राशि का हर वर्ष कहीं न कहीं निवेश किया जाता है। टोटल एल. आई. सी. का सवा लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इनवैस्टमैंट चल रहा है। इंश्योरेन्स कम्पनी का जो मेन इन्कम का सोर्स है, यह इनवैस्टमैंट कम्पनी है। अब इस इनवैस्टमैंट कम्पनी और असैट मैनेजमैंट कम्पनी के बारे में क्लेरिफिकेशन और गाइडलाइन्स का होना आवश्यक है। असैट मैनेजमैंट कम्पनी कितना प्रोफिट लेंगी, उसे कितनी सर्विस फ्री दी जायेगी, उसे कितना सर्विस चार्जेज दिया जायेगा, इसके बारे में भी गाइडलाइन्स आवश्यक है। हमने एक क्लॉज जरूर डाल दी जिसमें कि ज्वाइंट वैन्चर इंश्योरेन्स कम्पनी की प्रोफिटेबिलिटी के बारे में हमने स्पष्ट किया है। लेकिन उनके इनडायरेक्ट प्रोफिट एक्वायर करने के जो मुद्दे हैं, उनके बारे में भी कुछ कहने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी दीवाली के समय मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सात दिन में सात सौ प्वाइंट गिरा, क्यों गिरा ? अनेक अखबारों में इसके बारे में आया। मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन ने मुझे कहा है कि एफ. आई. आई. ने सात दिन के अंदर लगभग पांच सौ करोड़ का माल बेच दिया जिससे सात सौ प्वाइंट इंडेक्टस गिरा दिया। दीवाली के समय हमने पांच हजार इंडेक्स टच किया, इसके लिए गुब्बारे छोड़े गये। एक महीने के अंदर, सूचकांक गिरकर 4200 के अंक पर आ गया। यह क्यों हुआ ? इसका एक रीजन यह बताया जाता है, हालांकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक शंका यह व्यक्त की गई कि गवर्नमैंट पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स का डिसइनवैस्टमैंट जोर से आ रहा है और अगर डिसइनवैस्टमैंट मार्केट

में इंडेक्स अच्छा होगा, पांच हजार के ऊपर होगा तो फिर सरकार की कम्पनीज को ज्यादा रेट मिलेगा। अगर सरकार की कम्पनी को माल बेचना है, जी. डी. आर. निकालना है, फॉरेन मार्केट में जाना है या इंडियन मार्केट में भी बेचना है तो वे सबसे पहले फॉरेन फंड पकड़ती हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा सुविधाजनक शॉर्ट-कट उपलब्ध है जिससे फॉरेन मैनेजमैंट वाला और फॉरेन म्युचुअल फंड का इस प्रकार से इंडेक्स नीचे जायेगा। हमारे ही पैसे से हमारी ही कम्पनी के शेयर्स वे कम दाम में परचेज करेंगे। इसके बारे में गाइडलाइन्स क्लियर नहीं है कि कैसे इनवेस्टमैंट करें। उसमें लिखा है कि इनवैस्टमैंट के लिए गाइडलाइन्स जरूर बनाई गई हैं, लेकिन इनवैस्टमैंट के लिए जो गाइडलाइन्स बनाई हैं वे और अधिक मजबूत की जा सकती हैं।

मैंने म्युचुअल फंड का उदाहरण दिया। हमने 1994 में फॉरेन फाइनेन्शियल इंसटीट्यूशंस के लिए इसी प्रकार के दरवाजे खोल दिये। उसका नतीजा क्या हुआ ? फॉरेन म्युचुअल फंड आया, हम लोग उनके लिए दरवाजे पर हार लेकर खड़े हो गये। 1994 में क्या हुआ, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1994 में मॉर्गन स्टेनली ने फर्स्ट फॉरेन म्युचुअल फंड की स्कीम शुरू की। उन्होंने अनाउन्स किया कि हम सौ करोड़ रुपये इकट्ठे करेंगे।

इसका व्यापक रूप से प्रचार किया गया कि यह एक शीघ्र समाप्त होने वाली योजना है। परंतु अंततः उन्होंने बाजार से 1, 200 करोड़ रुपये एकत्र किए थे।

उस समय फाइनेन्स मिनिस्ट्री या सेबी ने किसी से नहीं पूछा, किसी से एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा।

उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के छोटे निवेशकों को यह संकेत दिया था कि वे केवल 100 करोड़ रुपये एकत्र करने जा रहे थे। इसके लिए लोगों की मुम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लाइनें लगीं। यदि बैंक में सुबह पैसा भरना हो तो लोगों की रात को ही लाइन बैंक के बाहर लग गईं और उन्होंने सौ करोड़ के नाम पर 1200 करोड़ इकट्ठे किये। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ। उसका रिजल्ट यह हुआ कि पांच साल तक मॉर्गन स्टेनली ने एक भी पैसा डिवीडेंड नहीं दिया। हमारे पास उसके लिए कोई रेगुलेटरी सिस्टम नही है। अगर फॉरेन म्युचुअल फंड हमारे छोटे इनवेस्टर्स के साथ खिलवाड़ कर सकता है तो कल इंश्योरेन्स कम्पनी छोटे-छोटे इंश्योरर्स के साथ भी कुछ कर सकती हैं।

सभापति महोदय, मैं नहीं कहता कि यह नहीं करना चाहिए। यह करना चाहिए, लेकिन करते समय ध्यान रखना चाहिए। जैसा प्लांटेशन कंपनी में हुआ, एन. बी. एफ. सी. में हुआ फिर वैनीशिंग कंपनी में हुआ कि वे तो लेकर भाग गए और अब हम नए नियम बनाएंगे। वह केवल विदेशी बीमा कंपनियों के लिए ही नहीं है।

यह इंडियन कंपनियों पर भी लागू होता है। चूंकि इंडियन कंपनीज ने भी म्युचुअल फंड निकाले हैं, बैंकों ने भी निकाले और उसी प्रकार की परिस्थिति हुई है, इसके लिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक तो 26 परसेंट इनडायरैक्ट टैक्स बढ़ सकता है। जो क्लैरिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, वह ठीक नहीं है। मैं उनके साथ परामर्श करने को तैयार हूं। मैं एक चार्टर्ड एकाउंटेंट भी हूं। उनके जो लूप होल्स हैं वे आप बन्द करो, उसमें कहां प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है।

दूसरी बात यह है कि जो क्रास इन्वैस्टमेंट है, उसके लिए भी हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम एक नया सिस्टम डिवेलप करने जा रहे हैं। अब हम हर जगह एक दूसरी स्टेज में एंट्री मार रहे हैं। जब हम नए मिलेनियम में प्रवेश करेंगे तो यहां पर प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाईजेशन हो चुका होगा और उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक रैगुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। टेलीकॉम के लिए हमने 'ट्राई' का निर्माण किया, वित्तीय कंपनियों के लिए हमने 'सेबी' का निर्माण किया और अब इंश्योरेंस सैक्टर के लिए हम आई. आर. ए. का निर्माण कर रहे हैं। हम उन्हें इतना ज्यादा प्राधिकार और अधिकार दे रहे हैं। परंतु क्या प्राधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्राधिकारी का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है? इसमें एकाउंटेबिलिटी को क्रैडीबल करना चाहिए। वास्तव में हम सभी को मिलकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि राजनीतिज्ञ जनसाधारण के प्रति जवाबदेह हैं। अगर पालिटीशियन, पालिटिकल पार्टीज, चुने हुए प्रतिनिधि और गवर्नमेंट ही ढंग से काम नहीं करती है, तो पांच साल के बाद लोग उनको चुनकर नहीं भेजते हैं। वे जवाबदेह और उत्तरदायी हैं। लेकिन इस नए सिस्टम में हम एक प्रणाली विकसित कर रहे हैं—वह कहीं पर भी एकाउंटेबल नहीं है। उनकी पांच साल के लिए एपाइंटमेंट हो जाएगी। अगर वे गलती करते हैं, वे अगर ध्यान नहीं देते हैं और इन्वैस्टकर्ता का डेढ़ लाख करोड़ रुपया चला जाता है, तो उसके लिए कौन एकाउंटेबल है। सी. आर. बी. को पी. एफ. खोले हुए साढ़े तीन साल हो गए, रिजर्व बैंक से लेकर सेबी तक एक कोई ऑफीसर सस्पेंड नहीं हुआ। क्या उसके लिए कोई रेस्पांसीबल नहीं होगा इससे सी आर बी के मामले को बढ़ावा मिल रहा है। सेबी ने उसको बैंकिंग लाइसेंस देने से मना किया, लेकिन रिजर्व बैंक ने उसको वापस सेबी के पास भेजा कि नहीं, आप अपना रिपोर्ट करैक्ट करो और सी. आर. बी. के लिए पाजीटिव रिप्लाई देकर भेजो। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया मैं भारत सरकार के बारे में बात कर रहा हूं। यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि सरकार भा. ज. पा. की है, कांग्रेस की है या संयुक्त मोर्चा की है या तीसरे मोर्चे की है। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का सवाल है और इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन अगर हम रैगुलेटरी सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, तो उस सिस्टम में आज एक डिसीजन होता है, दो महीने के बाद दूसरा डिसीजन होता है जो तीसरे महीने में हाइकोर्ट में चेलेंज होता है, तो डिसीजन तीसरा ही आता है। उसमें आम उपभोक्ता का जो नुकसान होता है, उसमें इकौनौमी का नुकसान होता है, उसके कारण डेवलपमेंट रुकती है।

[श्री किरीट सोमैया]

क्या विनियामक प्राधिकारी की कहीं भी जवाबदेही नहीं है ? मैं यह स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एकाउंटेबिलिटी का क्लॉज वास्तव में आपको सभी प्रकार की रैगुलैरिटी अथौरिटी में इन्क्लूड करना चाहिए। कम से कम आज हम आई. आर. डी. ए. डैवलप करने जा रहे हैं, कहीं पर अगर फेल्यौर हुआ किस संबंधित व्यक्ति ने इसकी अनुमति दी ? प्रभारी कौन था ? फिर वे कहेंगे कि नहीं, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं था। हम जानते हैं कि यूनिट 64 में कितना लॉस हुआ। वह लॉस अन्त में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भरा। उनको टैक्स बैनीफिट दे दिया। गवर्नमेंट ने ढाई हजार करोड़ का रीइन्वैस्टमेंट किया। तब यूनिट 64 आज यहां पर जाकर टिका। अंततः आम व्यक्ति ने धन का भुगतान किया है। कर दाता ने धन का भुगतान किया है। इनका यूनिट 64 में जो लॉस हुआ व लॉस जिस प्रकार के इन्वैस्टमेंट किए गए, जिस प्रकार के इन्वैस्टमेंट के डिसीजन लिए गए उनके कारण हुआ। उसके लिए तो आफीसर की इन्क्वायरी नहीं होगी। दीपक पारेख कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए। उसमें बताया गया है कि किस-किस प्रकार से कैसे-कैसे डिसीजन लिए गए। एक कंपनी के शेयर 390 रुपए में लिए गए। आज उसके 250 रुपए भी रेट नहीं हैं। इस प्रकार से जो रैगुलेटरी अथारिटीज हैं वे उन्हें कैसे रोकेंगी। मैं यह पाइंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो भी कोई हो, उसमें इस प्रकार से एकाउंटेबिलिटी का क्लॉज होना चाहिए।

दूसरी बात, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी वे पैसे के द्वारा हिन्दुस्तान की कैपीटल मार्केट को मैनीपुलेट करने का प्रयत्न करेंगी, तो उसके लिए आप क्या प्रॉवीजन करेंगे ? इसके लिए भी इसमें कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ, चाहे एल. आई. सी. हो या जी. आई. सी. हो, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट आफीसर्स, एजेंट हैं।

ये एजेंट ऐडीशनल इन्कम, पार्ट टाइम इन्कम या अनेक महिलाएं जो इसमें एजेंट हैं, उनमें लिए जो कंडीशन लगाई गयी है, उसमें थोड़ा करैक्शन करने की जरूरत है। आई. आर. डी. ए. को इसके बारे में थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी बरतने की आवश्यकता है। ऐग्जिस्टिंग एजेंट के लिए कोई छोटा-मोटा कोर्स कराके हमको दूसरी कम्पनियों के साथ कम्पीट करना है। एल. आई. सी. हो या दूसरी कम्पनी हो, इंश्योरेंस कम्पनी को अच्छे एजेंट एप्वाइंट करने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि हम एक ऐसी जगह प्रवेश कर रहे हैं, अगर उसका अच्छी तरह से फायदा उठाया गया तो जो अनुभव जापान, कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, ताईवान और चाईना, ये सब एशियन इकोनौमीज हैं, जिन्होंने इंश्योरैंस सैक्टर को कुछ साल पहले से, जब फॉरेन सैक्टर को इंश्योरैंस सैक्टर को ओपन आउट किया तो उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। साथ-साथ जो आई. आर. डी. ए. की गाइडलाइन फ्रेम करती है, उसमें एक टर्म रखी है कि रूरल सैक्टर में उनका पर्टीकुलर डैवलपमैंट होना चाहिए, मार्किटिंग होनी चाहिए, कन्सैन्ट्रेशन होना चाहिए। उसके लिए कुछ परसैंटेज रखी गई हैं।

मैं आपके द्वारा सरकार और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। ब्रिटिश इंश्योरेंस ने कृत्रिम कटौती के प्रति सावधान किया है। अभी तो हमारे घर नहीं आए हैं और आने से पहले हमें चेतावनी देते हैं। ब्रिटिश इंश्योरेंस ने लिखा है-ब्रिटिश इंश्योरैंस मेजर ने कल कहा कि:

[अनुवाद]

'ग्रामीण कारोबार भारत में उसके कारोबार का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, परंतु निजी बीमा फर्मों के प्रवेश के संबंध में कृत्रिम अवरोधों के प्रति सावधानी रखना आवश्यक है।'

[हिन्दी]

हम उनको लंदन में बुलाने नहीं गए, हम उनको यह नहीं कहने गए कि आओ भाई, आपको आना पड़ेगा। यदि आप आना चाहते हैं। तो आप आ सकते हैं, परंतु आप किसी सामाजिक उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं। आप आ रहे हैं तो अपने बिजनस के लिए आ रहे हैं। आपको हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी सेविंग दिख रही है, इसलिए आ रहे हैं। इसलिए जब आप आएंगे तो रूरल के लिए, कम्पनी के इन्वैस्टमैंट के लिए इंश्योरैंस की जो भी कंडीशन्स होंगी वे आपको पूरी करनी पड़ेंगी। मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट को इस संबंध में स्पष्ट करने की आवश्यकता है। साथ ही इंश्योरैंस कम्पनी के जो पन्द्रह लाख कर्मचारी हैं, उनके मन में डर का वातावरण है। उनको लगता है कि अगर हमारी रोजी-रोटी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा ? अगर इंश्योरैंस कम्पनी और प्राईवेट कम्पनी के बीच कम्पीटीशन बढ़ेगा तो नैशनलाईज्ड कम्पनी को लॉस होने शुरू हो जाएंगे। यदि वे अपना बिजनस भी शुरू कर देंगे तो क्या होगा ? मुझे जानकारी है कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। कर्मचारियों के मन में अच्छे विश्वास का वातावरण भी तैयार करना होगा। सरकार जनरल इंश्योरैंस, एल. आई. सी. और होल्डिंग्स में क्या करना चाहती है क्योंकि लोगों के मन में यह धारणा है कि सरकार डिसइन्वैस्टमैंट प्रोग्राम चला रही है तो उसके चलते शायद अपनी इंश्योरैंस कम्पनी को फॉरेन कम्पनी के हाथों न बेच दे। जैसा मेरी जानकारी में है, इस बारे में भी सरकार का स्पष्ट रुख है कि वह अपनी इंश्योरैंस कम्पनी को अपने पास रखेगी।

अंत में मैं पुनः मंत्री महोदय से इतनी प्रार्थना करूंगा कि वे बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। 1992 से 1995 तक हमसे छोटी गलती हो गई। माननीय सदस्य ने भी कहा था कि हमने प्राईवेटाईजेशन, लिबरलाईजेशन किया लेकिन रैगुलेटरी बॉडी का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया जिसके कारण ये सब स्कैम हुए। अब यदि ये इंश्योरैंस कम्पनी के बारे में नया प्रयोग करने जा रहे हैं तो रैगुलेटरी सिस्टम पहले से मजबूत होना चाहिए। मैं एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि

फॉरेन में जो प्राईवेट इंश्योरैंस कम्पनीज हैं, उनमें इन्वैस्टर प्रोटैक्शन फंड एक्ट है। इंश्योरैंस कम्पनी के शेयर होल्डर्स को बचाने के लिए इंश्योरैंस कम्पनी जो इंश्योरैंस निकालती हैं, उनके लिए भी इंश्योरैंस फंड है। उसका नाम निवेशक संरक्षा निधि है। आप जब इसे ऐनाउंस करेंगे, यदि सरकार के मन में इस प्रकार का फंड, एक्ट बनाने की कल्पना है तो उसकी भी इसके साथ घोषणा हो। यदि इस प्रकार का बिल लाया जाएगा तो आम आदमी के मन में यह विश्वास बना रहेगा। मैं एक बार पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999 का विरोध करने के लिए खड़ी हूं क्योंकि यह बीमा क्षेत्र को निजी कम्पनियों के लिए खोलता है।

भा. ज. पा. सरकार सोचती है कि इसे खोलने से भारत को लाभ होगा। जब भा. ज. पा. विपक्ष में थी तो उनकी विपरीत राय थी। हम सदैव इस प्रयास का विरोध कर रहे थे। यहां तक कि जब भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी तो हमने खुलकर अन्य वामपंथी दलों के साथ मिलकर जो कि बाहर से सरकार का समर्थन कर रहे थे, इस प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था। उस समय भी हमने इस विधेयक का विरोध किया था। जिसके परिणामस्वरूप विधेयक वापस लेना पड़ा था।

वर्तमान सरकार द्वारा यह सोचने का क्या आधार है कि बीमा क्षेत्र को निजी कम्पनियों और संभवतः राष्ट्रीय अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोलने पर भारत लाभ की स्थिति में रहेगा।

जब पिछली संसद के दौरान भा. ज. पा. और उसके सहयोगियों ने अपनी उदारीकरण नीति में कांग्रेस सरकार को बहुत पीछे छोड़ दिया था तो उन्होंने सोचा था कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरेगी और पिछले चुनाव के दौरान उन्होंने मतदाताओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसी मनोवृत्ति से प्रचार किया था।

परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, मैं उद्धृत करती हूं :

> "औद्योगिक उत्पादन में 1996–97 से देखी गई कमी 1998–99 के दौरान और अधिक कम हो गई जिसमें औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 1997–98 में 6.6 प्रतिशत की तुलना में 1998–99 में 4 प्रतिशत ही रही। वर्तमान रुझान निर्माण संबंधी उत्पादन की वृद्धि में अब तक की सबसे कम 4.4 प्रतिशत की कमी के कारण है जो कि 1997–98 के दौरान 6.7 प्रतिशत था। खनन तथा खदान क्षेत्र के उत्पादन में 1997–98 के दौरान 5.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के विपरीत 1.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जबकि विद्युत उत्पादन की वृद्धि 6.6 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत रह गयी।"

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 1997–98 में 7.8 प्रतिशत से 1998–99 में 5.8 प्रतिशत रह गई।

उसी रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू बचत में कमी आई है और इसके साथ–साथ समग्र निवेश में गिरावट आने से आर्थिक संकट गहराया है। महोदय, रिपोर्ट भविष्य के प्रति भी आशावादी नहीं है।

बीमा क्षेत्र को और खोलने से गैर–सरकारी बीमा करोबार द्वारा बीमा व्यवसाय द्वारा जुटाये गये महत्त्वपूर्ण निवेश योग्य धन को उत्पादक तथा समाजोपयोगी क्षेत्र से हटाकर सट्टेबाजी और अल्पकालिक निवेश की ओर से जाने की संभावना पैदा होने से संकट के और बढ़ने की आशा है। निवेश योग्य धन का 70 प्रतिशत से अधिक, जो कि हाल के अनुमानों के अनुसार 68,000 करोड़ रुपए के लगभग है, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सरकारी बॉण्ड और प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है और इस तरह यह राष्ट्रीय विकास में योगदान करता है। इस समय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम मिलकर हर वर्ष 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का ताजा धन जुटाते हैं। यह राशि अगले पांच वर्षों में दुगुनी हो जाने की संभावना है जिससे सरकार राष्ट्रीय विकास के लिए विशाल अतिरिक्त संसाधनों का लाभ उठा सकती है। बीमा क्षेत्र को खोलने से इसमें और देश के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए धन के प्रवाह में कमी आए।

यदि सरकार निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देती है तो वे क्या करेंगे ? वे लाभकारी शहरी कारोबार के बाजार को समेट लेंगे–जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम शहरी क्षेत्र में आज यही कर रहे हैं--इसके द्वारा धन की उपलब्धता में कमी आयेगी और सरकारी प्रतिभूतियों और बॉण्डों में निवेश में कमी आएगी। इसलिए, सम्पूर्ण विकास के लिए धन में कमी आएगी।

सरकार यह दावा कर रही है कि वे नियंत्रण रखेंगे। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इसके विपरीत है।

अमरीका में 1996 में प्रुडेन्शियल कम्पनी को पालिसी धारकों से क्षमा मांगनी पड़ी थी और रिकार्ड 35 मिलियन डालर जुर्माने के रूप में भुगतान करना पड़ा था जापान में निस्सान म्युचुअल लाइफ दिवालिया हो गई। कुछ अन्य भी बंद हो गई हैं। अमरीका की 3500 बीमा कम्पनियों में से अधिकतर घाटे में चल रही हैं और 272 को पहले ही दिवालिया घोषित कर दिया गया है।

जर्मनी और फ्रांस ने घरेलू जोखिम के लिए बीमा के आयात पर पाबंदी लगा दी है। बहुत से उदाहरण हैं। अतः नियंत्रण रखने का दावा पूरी तरह आधारहीन है।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, छः बज चुके हैं।

सभापति महोदय : अभी एक मिनट बाकी है।

कुछ माननीय सदस्यगण : महोदय उन्हें कल भी अपना भाषण जारी रखने दें।

सभापति महोदय : क्या आप कल इसे जारी रखना चाहती हैं या आप आज समाप्त करना चाहती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ठीक है, महोदय, मैं कल इसे जारी रख सकती हूं क्योंकि पहले ही छः बज चुके हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, आप कल अपना भाषण जारी रख सकती हैं। या आप आज ही समाप्त करना चाहती हैं?

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं अभी बोल रही हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं बोलती रहूं और समाप्त करूं तो मैं ऐसा कर सकती हूं।

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगी ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं नहीं सोचती कि अधिक समय लगेगा।

कुछ माननीय सदस्यगण : कल महोदय, आज नहीं।

सभापति महोदय : ठीक है आप कल अपना भाषण जारी रख सकती हैं अब कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

सायं 5.59 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल बुधवार, 1 दिसम्बर, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 1 दिसम्बर, 1999/10 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।